खण्ड-371, अंक-5
शुक्रवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1907
(2 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–62
इलाहाबाद में पत्रकार कालोनी बनाने में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62–63
फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लिमिटेड, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में कारखानों से निकले गन्दे पानी एवं केमिकल से मनुष्यों एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
सहकारी शीतगृह फतेहपुर में अधिकारियों की लापरवाही से सड़े आलू का मुआवजा दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
खतौली, मुजफ्फरनगर में शिक्षण संस्थानों के अभाव तथा उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
देवारा, आजमगढ़ में सरयू नदी के कटान को रोकने के लिए अविलम्ब पक्के ठोकरों के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
भूतपूर्व विधायक प्रोफेसर शिवचरन लाल सक्सेना के अत्यन्त बीमार होने तथा समुचित उपचार न होने की सूचना ..	65–66
राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश सीमा की ओर निरन्तर बढ़ने से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 14 को 19वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	66–67
तारांकित प्रश्न 20 एवं अतारांकित प्रश्न 36 से सम्बन्धित प्रशासक सहकारी संघ, मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच सी0 आई0 डी0 से न कराकर डी0 एम0 से कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	67–68
विद्युत परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विजिलेंस की जांच की विस्तृत जानकारी न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	68
गन्ना विभाग द्वारा गन्ना प्रगति के लिए विदेशों को भेजे जाने वाले अधिकारियों के व्यय धन की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	69–70

विषय	पृष्ठ संख्या
आल इंडिया रेडियो, रामपुर में दो लड़कियों के साथ हुए बलात्कार से जनारोष के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	70–71
राजकुमार संजय सिंह का डेरी फेडरेशन का चेयरमैन होने तथा परिवहन मंत्री बन कर दो पदों पर रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72–77
बस्ती जनपद में महाना के थाने सिसवां ग्राम में पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न एवं बलात्कार की जांच रिपोर्ट आने पर भी सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	78–79
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा सदन में वितरण हेतु अंग्रेजी में पुस्तक मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79–80
यू० पी० इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया)..	80
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	80–81
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1982–83 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	81
दि इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की अट्ठावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1981–82 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	81
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (छठा संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	81
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	81–91
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग विधेयक आज की कार्य–सूची में न रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	91
1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 57–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58––श्रम विभाग (सेवायोजन)(स्वीकृत) ..	91–118
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)..	118–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	143

विषय				पृष्ठ-संख्या
पुलिस द्वारा मुरादाबाद में तीन व्यक्तियों को हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य			..	143–148
जनपद बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में मजदूरी न करने पर दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या किये जाने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	..	..	148–151
नत्थियां	..	..	..	153–16

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 1985 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अर्जुन सिंह यादव, श्री (जौनपुर)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
फाग चौहान, श्री (आजमगढ़)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
महाबीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
रघुवीर सिंह यादव, (मैनपुरी)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफन) (बरेली)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजकिशोर सिंह, श्री (वाराणसी)
रामबदन एडवोकेट, श्री (आजमगढ़)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिव नारायण मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शेर बहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मांग

**1--श्री रघुबर दयाल वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने श्री छेदी लाल साथी आयोग का गठन किया था? यदि हां, तो छेदी लाल साथी आयोग ने क्या सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की सरकारी सेवाओं में भर्ती की संस्तुति की थी? यदि हां, तो अब तक उन संस्तुतियों को लागू न करने का क्या कारण है?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी हां। किन्तु श्री छेदी लाल साथी आयोग ने विभिन्न जातियों को श्रेणीवार सूची अ, ब, स बनाकर क्रमशः 17%, 10% तथा 2 1/2% आरक्षण की सिफारिश की थी।

उक्त आयोग की रिपोर्ट के शासन को प्राप्त होने के बाद जनवरी, 1979 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा श्री बी0 पी0 मन्डल की अध्यक्षता में केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था जिससे यह संस्तुति मांगी गयी थी कि भारत वर्ष में शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये जाये और इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या उपाय किये जायें।

उक्त मण्डल आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है जिस पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करने का निर्णय तत्कन्लीन मंत्रि परिषद् के स्तर पर लिया गया था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मालूम है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 155/61-एस0 पी0 सी0-5. दिनांक 14 अगस्त, 1961 द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह लिखा गया था कि राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आधार निर्धारित करेंगी और उसी आधार पर इसकी सूची तैयार करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। कृपया आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) को देखें। इस अनुच्छेद के अनुसार छेदी लाल साथी समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी संस्तुति की हुई एक रिपोर्ट आपको दी। अब मेरा प्रश्न यह है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 340 इस पर बाधक नहीं है कि आप उन संस्तुतियों को लागू न करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह सही है कि आयोग का गठन हुआ था और उस आयोग की एक रिपोर्ट भी आई। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मंडल आयोग बैठ चुका है और उसकी संस्तुतियों पर भारत सरकार विचार कर रही है। अतएव शासन ने इस बात को उचित समझा कि केन्द्र सरकार के निर्णय का इन्तजार किया जाय और इसके पहले लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि भारत सरकार ने एक राजाज्ञा 1961

में सभी प्रदेशों को भेजी थी, जिसके तहत वे अपने यहां आयोग का गठन कर सकते हैं। फिर मैंने भारत का संविधान के अनुच्छेद 340 की कमेन्टरी का हवाला भी मैंने दिया, जिसमें यह लिखा गया है कि राज्य सरकार अपने यहां आयोग का गठन कर सकता है और अब उसकी संस्तुतियां आती हैं तो उन संस्तुतियों पर, भारत सरकार द्वारा गठित किसी आयोग की संस्तुतियां, उसे लागू करने में बाधक नहीं है। मैंने अनुच्छेद 340 का हवाला भी दिया। यदि आप इजाजत दें तो मैं अनुच्छेद 340 की कमेन्ट्री पढ़ना चाहता हूं।

संविधान में एक आयोग की नियुक्ति का विचार किया गया था और यह सोचा गया था कि उसके प्रतिवेदन और संस्तुतियां पिछड़े वर्गों की प्रगति हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाये गये कदमों मे सहायक होंगी, किन्तु यह सोचना गलत होगा कि आयोग की नियुक्ति से यहां उसके बाद उठाये गये कदम संविधान की धारा 15 (4) के अधीन किये जाने वाले कार्यों की पूर्व दशा है। मेरा मतलब कहने का यह है कि जब पूर्व में, 77 में गठन किया गया इसलिए संस्तुतियां आयीं और जब उनको लागू करने में बाधक नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करना चाहते ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने यह नहीं कहा कि वैधानिक रूप से कोई बाधा है या नहीं है। मैंने केवल यह निवेदन किया कि क्योंकि मन्डल आयोग गठित हो चुका है, उसकी संस्तुतियां भारत सरकार के सामने हैं, भारत सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेने जा रही है, उसी परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया कि भारत सरकार का जो निर्णय हो वह क्योंकि पूरे भारत में लागू होगा, इसलिए हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

जैसा वर्मा जी ने कहा कि ऐसी सिफारिश को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसाकि मध्य प्रदेश, गुजरात ने लागू कर दिया है और दक्षिण के जितने भी प्रदेश हैं, लागू कर दिया है, तो फिर आपको कौन सी दिक्कत हो रही है, उनको बतायेंगी ? यह बताया कि भारत सरकार की सिफारिश के आये बिना, तो गुजरात, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण के तामिलनाडु, कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश ने लागू कर रखा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मण्डल आयोग का गठन हो गया है इसलिए शासन ने निर्णय लिया कि जब तक उनकी संस्तुति नहीं आ जाती, नहीं करेंगे, तो फिर बाकी क्या रह गया ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं आपकी आज्ञा से फिर पढ़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है...

श्री अधिष्ठाता—

इसका आप हवाला दे दें..

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आधा ही पढ़ा था मान्यवर, बहुत जरूरी है..

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

नहीं मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी आप से कहा कि यह 340 कहता है कि वह मैं आपके सामने पुनः स्पष्ट किये देता हूं। संविधान के अधीन एक आयोग की नियुक्ति का विचार किया गया था और यह सोचा गया था कि

उसके प्रतिवेदन और संस्तुतियां पिछड़े वर्गों की प्रगति हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाये गये कदमों में सहायक होंगी, किन्तु यह सोचना गलत होगा कि आयोग की नियुक्ति से यहां उसके बाद उठाये गये कदम संविधान की धारा 15 (4) के अधीन किये जाने वाले कार्यों की पूर्व दशा है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान की धारा 340 (1) द्वारा यह प्राविधान है कि आयोग को यह संस्तुति करना है कि केन्द्र या राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जायं। इसके अर्थ यह है कि संस्तुतियां केन्द्र या राज्य सरकारों को की जायेंगी जो कि वह अपने स्वविवेक से कार्यान्वित करेंगे। एक बार राष्ट्रपति द्वारा जब आयोग का गठन हो जाय, संस्तुतियां केन्द्र या राज्य सरकार को की जायेंगी न कि राष्ट्रपति को। तो इसमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने स्वविवेक से उन संस्तुतियों को लागू करने का काम करेंगे। जो आयोग गठित किया गया है, जो छेदी लाल साथी आयोग की स्थापना इन्होंने की थी, सर्वाधिक पिछड़े वर्गों की 22 जातियों को उठाने का संकल्प इन्होंने लिया था, तो उन संस्तुतियों को लागू करने का काम सरकार को करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

स्वविवेक का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो निर्णय लिया है वह स्वविवेक के आधार पर लिया गया है, इंतजार करने का निर्णय लिया है, बड़ा स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जी नहीं मान्यवर, यह कहा कि चूंकि मण्डल आयोग का गठन हो चुका है इसलिए लागू नहीं किया गया है। स्वविवेक से महसूस करके गठन किया, इसलिए उसकी संस्तुतियों को लागू करने में अब इन्हें क्या कठिनाई हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने अभी निवेदन किया कि कोई कठिनाई या वैधानिक बाधा का प्रश्न नहीं है क्योंकि केन्द्र स्तर पर समस्या का समाधान हो रहा है और यही उचित है। केन्द्र की जो कमेटी गठित हुई है उस पर विचार हो रहा है। क्या निर्णय होता है, सामने आने दीजिये, हो सकता है कि हमारे, आपके और सबके मन की बात ही आ जाय। जो पूरे भारत में मन स्ट्रीम है, केन्द्र स्तर से समस्या का समाधान होने जा रहा है, तो हमें चाहिये हम उनके साथ अपने को मिला दें और जो उनका निर्णय हो, उसे स्वीकार करें। यदि कोई कमी हो या उनके निर्णय से कोई ठेस पहुंचे या सन्तुष्ट न हो तो बाद में अपने विचार दें, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री राम नरेश--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। आपने उत्तर यह दिया कि मण्डल कमीशन की नियुक्ति हुई थी और उसके सामने सारा मामला विचाराधीन है, इसलिए लागू नहीं किया गया। अब तो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है, काफी दिन हो गये, क्या उस परिपेक्ष्य में भारत की सरकार ने उस आरक्षण को या मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को अपने ढंग से सोच विचार कर लागू करने का अवसर दिया है ? और क्या उस सन्दर्भ में राज्य सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिये तैयार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं फिर निवेदन कर रही हूं कि हमें थोड़ा सब्र करके, केन्द्र सरकार उस आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में जो निर्णय लेती है, उसको पहले देखना चाहिये, पहले वह सामने आ जाय। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कदम

रह जायेगा तो अवश्य विचार करेंगे। मैंने यह तो नहीं कहा कि मस्तिष्क के दरवाजे बन्द कर लेंगे।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर तथा श्री मनोहर लाल, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा पूर्व प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

एक आग्रह है, इस पर चर्चा करा दें, बात स्पष्ट हो जावेगी।

श्री अधिष्ठाता---

आप अलग से नियमों के अन्तर्गत दे दें, विचार कर लेंगे।

देवरिया जिले में अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का आवंटन

**2---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री जमुना प्रसाद बोस---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद को वर्ष 1984–85 के लिए अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु 15 लाख रुपया मिला था उसे हरिजन समाज कल्याण अधिकारी देवरिया ने मात्र कुछ ही विद्यालयों में 25 हजार रुपया से लगायत 2 लाख रुपया तक बिना छात्रों के ही आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो किन–किन विद्यालयों को कितनी–कितनी धनराशि दी गई है ? आवंटन का अधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी नहीं।

वर्ष 1984–85 में अनुसूचित जाति के दशमपूर्व छात्रवृत्ति के दो विद्यालयों उन्हीं के दशमोत्तर छात्रवृत्ति के 28 विद्यालयों को तथा पिछड़ी जाति के 15 विद्यालयों को कुल मिलाकर 45 विद्यालयों को छात्रवृत्ति की धनराशि आवंटित की गई थी। सूची संलग्न है ?

छात्रवृत्ति का आवंटन पिछड़ी जाति के छात्रों को योग्यता (मेरिट), आय सीमा धनराशि की उपलब्धता (आवंटन) के आधार पर तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा के आधार पर किया जाता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह कि उन्होंने सारे मामले को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने यहां घोषणा की थी कि सरकार हरिजनों के उत्थान के लिए सचेष्ट है। 1984–85 में अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि देवरिया जिले को दी गयी थी ? उस धनराशि का बंटवारा केवल 45 विद्यालयों में ही कराने का औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मूल उत्तर जो मैंने दिया है उसमें विद्यालयों का सूची संलग्न है। जितने पत्र मेरिट के आधार पर आते हैं उसमें सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्यों के द्वारा प्रार्थना–पत्र आते हैं कि विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाय। छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है, उसको हम देते हैं। कोई विद्यालय में मेरिट की लम्बी कतार होती है और कितने विद्यालयों का प्रतिशत

†देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153 पर।

शून्य होता है । विद्यालयों के माध्यम से हम अनुसूचित जाति, जन जाति के नवीं कक्षा के छात्रों/छात्राओं तथा पिछड़े वर्गों के प्री तथा पोस्ट मट्रिक के छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए पैसा देते हैं इसलिए इसमें छात्रों की योग्यता देखी जाती है, विद्यालय की नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मंत्री जी अपने उत्तर से सदन को गुमराह कर रहीं हैं । देवरिया जिले में 150 विद्यालय प्री मैट्रिक के हैं उनमें दो प्री मेट्रिक विद्यालय को यह धनराशि दी गयी है । वहां पर पोस्ट मैट्रिक विद्यालयों की संख्या 100 से कम नहीं है जिसमें से केवल 35 को यह दी गयी है । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न विद्यालयों को पैसा बांटने का क्या आधार है ? जहां 13 लड़के हैं वहां 38 हजार रु0 दिया गया है और लड़कों में 25 हजार रुपया दिया गया है । मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि इस प्रकार से उस जिले में 50 लाख रुपये का निश्चित रूप से घोटाला हुआ है । क्या मेरी जानकारी को सही मान कर वहां के हरिजन कल्याण अधिकारी के विरुद्ध जो आपने पैसा दिया है 1983-84 में वह एक करोड़ से कम नहीं है जबकि उत्तर में ब्रेकअप कम दिखाया गया है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम तो क्या इन सारे तथ्यों की जांच आप इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना कर करायेंगी ? इससे बड़ा घोटाला आपको कहीं मिलेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जितनी आप इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं उतनी ही दिलचस्पी हमारी भी है । आपने जो बातें सामने रखी हैं, आपकी बातों का आदर करते हुए, इस आशय में उचित माध्यम से जांच कराकर जो रिपोर्ट आयेगी वह आपको दे दी जायेगी और यदि कोई व्यक्ति जांच में दोषी पाया गया तो उसके प्रति सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसकी जांच में मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना कर उसके द्वारा कराये जाने पर इसलिए बल दिया है क्योंकि यदि जांच आप किसी अधिकारी के द्वारा करायेंगी तो देवरिया का जो हरिजन कल्याण अधिकारी है उसके बड़े-बड़े अधिकारी रिश्तेदार हैं । मैंने देवरिया में उसके खिलाफ रिपोर्ट की तो वह घर पर आकर तमाम गालियां दे गया । इसलिए विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आप जांच करायेंगी तो जांच निष्पक्ष नहीं होगी । जांच निष्पक्ष हो इसलिए मैंने आदरणीय सदन की समिति द्वारा जांच कराने का आग्रह किया था ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का कहना है कि आप जो जांच करायें उसे उस अधिकारी के रिश्तेदार से न करायें ।

आप ऐसे अधिकारी से करायें जो उसका रिश्तेदार न हो ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि हरिजन विभाग का जो अधिकारी है वह जिस हरिजन का रिश्तेदार है । आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट्री से जांच करायेंगे । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आदरणीय सदन की एक कमेटी गठित कर दी जाय और देवरिया के माननीय सदस्य भी उसमें रहें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपकी बात मैंने मान ली । आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ

रही हूं अष्टाचार के सम्बन्ध में। हम जिलाधिकारी के माध्यम से इसकी जांच करायेंगे । रिश्तेदार के माध्यम से कोई प्रश्न ही नहीं होता, अगर रिश्तेदार से जांच करायी गयी तो उसका फायदा ही क्या होगा ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर, विद्युत् उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं मीटर की रीडिंग एवं विद्युत् बिल के भुगतान की योजना

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में विद्युत् उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं मीटर रीडिंग कर बिल का भुगतान करने की योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

प्रथम दौर में यह योजना गोरखपुर शहर के एक छोटे मोहल्ले के लगभग 500 बत्ती एवं पंखे के उपभोक्ताओं पर प्रायोगिक रूप में जून 1985 से लागू कर दी गयी है । प्रयोग के दूसरे चरण में यह योजना गोरखपुर नगर के ही कुछ और क्षेत्रों में शीघ्र ही लागू कर दी जायेगी । इस योजना का चालू रखना तथा अन्य क्षेत्रों में इसका लागू करना इस योजना की सफलता एवं उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि अब तक का जो इसका रिजल्ट आया है, इस योजना का अच्छा आया है । इसको देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है । इसको लागू करने का जहां तक प्रश्न है, मैंने यह एक नयी योजना चलायी है जिसमें हम चाहते हैं कि उपभोक्ता स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विद्युत देयों का समय से भुगतान करें । यह मैंने पहली योजना 500 उपभोक्ताओं को लेकर यहां चलायी है जब उसका सही नतीजा निकलेगा कि अच्छा है या खराब है, तो आगे देखा जायेगा । लेकिन जो सूचना मालूम हुई कि अच्छी है, इस बात को देखते हुए कुछ और क्षेत्र गोरखपुर में बढ़ाने जा रहे हैं और अगर सफलता मिलेगी तो पूरे क्षेत्र में लागू किया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

अच्छा है घर से ही लागू किया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में व्याप्त कथित कुप्रबन्ध

*2—श्री राजेन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् में व्याप्त कुप्रबन्ध में सुधार हेतु माह मई, 1985 में तथा एक जून से 15 जून, 1985 के बीच क्या-क्या कदम उठाए गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कोई कुप्रबन्ध व्याप्त नहीं है किन्तु परिषद् की कार्य प्रणाली में और सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1—परिषद् के कार्यों को विद्युत उत्पादन एवं विद्युत् वितरण भागों में अलग-अलग विभाजित किया गया

है । प्रत्येक भाग एक सदस्य, राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन नियंत्रण में रखा गया है, जो अपने अधीन भाग के लिए उत्तरदायी होगा ।

2--विद्युत् उत्पादन भाग को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :

(1) परियोजनाओं का निर्माण।

(2) विद्युतगृहों एवं पारेषण प्रणाली का संचालन तथा अनुरक्षण।

3--विद्युत् व्यवस्था में सुधार लाने, प्रशासन को चुस्त बनाने तथा नीति निर्धारण में विलम्ब दूर करने के उद्देश्य से 5 अधिशासी निदेशकों (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर) की नियुक्तियां की गयी हैं ।

फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, लालबाग, फैजाबाद की इमारत की नीलामी

*3--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में मार्केटिंग सोसायटी, लालबाग (फतेहगंज) शहर फैजाबाद की लगभग 5 लाख रुपए की इमारत अधिकारियों द्वारा केवल 32 हजार रुपए में नीलाम करवा दी गयी है ? क्या इस बारे में तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद श्री हरि मोहन सिंह को सम्बोधित तथा माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 23-1-84 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त इमारत को वापस लेने तथा दोषी लोगों को दंडित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अधिष्ठाता--

सूचना लम्बी है या छोटी सी हो है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

माननवर, अधिक लम्बी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

[फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, लालबाग, फैजाबाद की इमारत माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा मे0 जैसवाल कोल कम्पनी के पक्ष में दिनांक 23-11-77 को दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तथा सिविल जज, फैजाबाद के दिनांक 13-1-79 के आदेश के बाद उक्त कम्पनी द्वारा 32 हजार रु0 में दिनांक 24-8-81 को नीलाम की गई थी । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-1-84 तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था । उक्त समिति ने मे0 जैसवाल कोल कम्पनी, वाराणसी के साथ वर्ष 1964-65, 65-66 तथा 66-67 में कोल व्यवसाय किया था जिसके सम्बन्ध में कोल कम्पनी एवं समिति के बीच 58232 रु0 की धनराशि के भुगतान के बारे में विवाद था । उसकी वसूली के लिए कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में 28-2-70 को वाद दायर किया था । माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा वादी कम्पनी के पक्ष में उक्त धनराशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित डिक्री दी गई थी । इस निर्णय के विरुद्ध समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में 10-5-84 को वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है । इसी सम्बन्ध में समिति द्वारा दायर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया गया एक वाद माननीय सिविल जज, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन हैं । मामले से सम्बन्धित सचिवों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत हुई हानि की वसूली हेतु कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं ।

पूरे प्रकरण की छानबीन सहकारिता विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा भी की जा रही है ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं आपका संरक्षण चाहता हू और इस प्रश्न के प्रति मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूं । आप जरा प्रश्न को देखें । मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि 5 लाख रुपये की बिल्डिंग 32 हजार रुपये में नीलाम की की गयी है । अखिर में मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इसको एक्वायर करने की कोई कार्यवाही करेंगी ? तीसरा यह है कि मेरा एक पत्र जो माननीय मंत्री जी को प्राप्त हो गया था वकील और विभाग के सभी लोगों ने मिलकर इसमें लम्बी रकम घूस लेकर ऐसा किया है और माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया है ।

माननीय नियोजन मन्त्री जी बैठे हैं, इनसे आप पूछ लें । यह उसी जिले से हैं और उस सोसायटी से सम्बन्धित रहे ह । मन्त्री जी का उत्तर दिला दें । उन्होंने एक लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त दे दी है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं है । तो पहले मन्त्री जी यह सब कर दें, तब मैं पूरक प्रश्न पूछूं ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय, प्रश्न सम्मानित सदस्य ने पढ़ा नहीं है, इसलिये वह शंका की दृष्टि से प्रश्न और उसके उत्तर को न देखें । जो उत्तर वह चाहते हैं वह मिल जायेगा । इसलिये मैं उसे पूरा पढ़ रहा था । आपने जो प्रश्न किया है, उसी से यह विषय शुरू हुआ है । क्वेश्चन के आधार पर ही उत्तर तैयार किया जाता है, जब आपका शिकायती-पत्र मिला....

श्री अधिष्ठाता--

आप उत्तर को पूरा पढ़ दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं पूरा पढ़े दे रहा हूं ।

(मन्त्री जी ने लिखित उत्तर पुनः पढ़ा ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने कहीं नहीं बताया कि बिल्डिंग कितने रुपये की है । सरकार एक्वायर करने का फिर विचार कर रही है या नहीं । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने दो दावों का हवाला दिया है, एक तो 10-5-85 को कलकत्ता हाई कोर्ट में और दूसरा सिविल जज के यहां जिसकी कोई तारीख नहीं दी गयी है । आप देखें कि दोनों दावे मेरे पत्र की प्राप्ति के तीन महीनों के बाद किये गये हैं । मैं चाहूंगा कि यह दोनों दावे किस कोर्ट में दायर किये गये हैं और क्या दोनों दावे टाइम बार्ड हैं ? अगर टाइम बार्ड हैं तो टाइम के अन्दर दावा दायर न करने में जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? यह तो मेरा पहला प्रश्न है और दूसरा यह है कि....

श्री अधिष्ठाता--

एक-एक प्रश्न पूछ लें ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, फाइल में है, जो वाद दायर किया गया है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, उसी आधार पर दायर किये गये हैं । जब डिक्री की सूचना मिली, देय धन की वसूली के बारे में, तो उसके बाद दायर किये गये । यह सारी

चीजें हैं और धनराशि हमको जैसवाल से लेनी थी उसी का एक वाद दायर किया गया है और पी० सी० एफ० की जो धनराशि थी उसकी तरफ से भी वाद दायर किया गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने यह सवाल किया था कि यह बिल्डिंग आपके विभाग के आंकलन के हिसाब से कितने रुपये की है और यदि यह समझते हैं कि बेइमानी की गयी है तो आपको री ऐक्वायर करने में क्या परेशानी हो रही है ? क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य तिवारी जी की भावना को मानता हूं । इस बिल्डिंग के सम्बन्ध में अनुसंधान शाखा से भी जांच करायी गयी थी और उसके अनुसार 5 लाख रुपये की निश्चित रूप से यह बिल्डिंग है और जो अनियमितताएं हुई हैं, जिस ढंग से अधिकारियों ने मुकदमें की पैरवी की है वह सही ढंग से नहीं की है, या जो-जो व्यतिक्रम आये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और धारा 68 की कार्यवाही भी की जा रही है । इस सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव को निलम्बित किया गया है । मान्यवर, इसकी एक लम्बी फेहरिस्त है जिनसे हमने आख्या और स्पष्टीकरण भी मांगे हैं ।

(व्यवधान)

आप पूरी बात सुन लें, जानकारी हो जायेगी । मान्यवर, 3-10-62 से जहां से शुरूआत हुई वहां से लेकर सन् 1982 तक जो सचिव कार्यरत थे और जो निलम्बित किये गये हैं उनकी संख्या 14 है । उनमें कुछ सस्पेंड हो चुके हैं और कुछ लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उनके विरुद्ध धारा 68 की कार्यवाही भी की जा रही है । अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी 11 हैं, जिनसे आख्या मांगी गयी है और धारा 68 की कार्यवाही का भी उनके ऊपर प्राविधान है । उप निबन्धक 15 हैं उनसे भी आख्या मांगी गई है और कुछ से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । मान्यवर, जितने लोग इस प्रकरण में थे, जहां से इस मामले की शुरुआत हुई, सारे लोगों से उनके खिलाफ आख्या और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और अनुसंधान शाखा से जांच की जा रही है । प्रशासक जो इस समय वहां पर हैं उनसे भी कहा गया है । इसके सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च-न्यायालय में तथा इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की लखनऊ बेंच में भी मामला चल रहा है । साथ ही जिन लोगों ने मुकदमें की सही ढंग से पैरवी नहीं की है या जो नीलामी के दिन उपस्थित नहीं थे और जिनके खिलाफ अनुसंधान शाखा में जांच चल रही है, विभागीय कार्यवाही के तहत कार्यवाही हो रही है और यह सिलसिला जारी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उसको ऐक्वायर करने में उन्हें कौन सी कठिनाई हो रही है जब कि प्रागदर्शन में स्पष्ट हो गया है कि बेइमानी हुई है और केस में ठीक से पैरवी नहीं की गई तो क्या कठिनाई उसे ऐक्वायर करने में हो रही है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य इलाहाबाद के एक प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं न्यायालय की परिधि और परिपेक्ष्य को अच्छी तरह से जानते हैं । जो भवन है, उसमें आज भी हमारे विभाग के 4 दफ्तर हैं । उसका 1/3 भाग जो है जो नीलामी के तहत अग्रवाल ने खरीदा था, उसके हिस्से में है और सारा प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये उसमें सीधी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इसमें साफ है कि कोल व्यवसाय के सम्बन्ध में बैंक पर कम्पनी

का बकाया था इसलिये जमीन की नीलामी की नौबत आयी। तो इस सम्बन्ध में आपके विभाग ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

कोल डिपो पर बकाया था उस पर वाद दायर कर दिया। क्यों नहीं बिल्डिंग को बेचने के लिए कार्यवाही की। कोल व्यवसायियों के साथ अधिकारियों ने मिल कर सांठ-गांठ की, इस प्रकार अवैध व्यापार में दोनों संलग्न हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कीजिये।

श्री विजय सिंह राणा--

इस पूरे मामले में स्पष्ट है कि बेईमानी और घांधली की गयी है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने में क्या हिचकिचाहट है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

माध्यवर, माननीय सदस्य जल्दी-जल्दी में प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न भी नहीं जानते कि जमीन है या भवन है। आप सक्षम हैं कोई सवाल कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है लेकिन तथ्यों से तो परिचित हो जायं। माननीय तिवारी जी ने मदद की सवाल बनाने में तो सवाल बना लिया। मैंने ब्यौरेवार चित्रण प्रस्तुत कर दिया है जिसमें मैंने कहा कि विभाग के कर्मचारी दोषी हैं। एक 32 हजार रुपये का मामला था, पी० सी० एफ० इतना बड़ा आर्गनाइजेशन है उसके लिए 32 हजार की कोई संज्ञा नहीं होती है। सम्बन्धित अधिकारी से हमने कहा है कि तुम क्यों नहीं उपस्थित हुए, नीलामी में बोली बोल सकते थे। सचिव एवं प्रशासक उसमें नहीं गये तो इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रणाली है। ऐसा नहीं है जिस ढंग से चाहे आपका सवाल बन जाता है। जो नियम है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

*1--श्री पूरन सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि पर्वतीय जनपदों के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार ने रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आर० एम० एन० पी० के अन्तर्गत कुछ ब्लाकों को लिया था और उपरोक्त आर० एम० एन० पी० के अन्तर्गत लिए गए ब्लाकों का सामान वहां प्रयोग में न लाकर उन जनपदों में प्रयोग किया जाता है जो आर० ई० सी० नार्म्स के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन वास्तविक ब्लाकों में आर० एम० एन० पी० के तहत तेजी से कार्य चलायेगी, जिसके लिए वास्तव में उपरोक्त कार्यक्रम बनाया गया था तथा उन पूरे गांवों में विद्युतीकरण करवायेगी जितने गांव पूर्व से ही योजना में प्रस्तावित हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की आर० एम० एन० पी० योजना के अन्तर्गत कुमायूं मण्डल के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जनपद आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में इन जनपदों के ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धि शत प्रतिशत रहीं। अस्तु सामान का दूसरे जनपदों में प्रयोग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पूरन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आप के माध्यम से सुयोग्य अग्रज सुनील जी से

कहना चाहता हूं कि अल्मोड़ा, पिथौरा-गढ़ में लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। क्या वे बतायेंगे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पियौरागढ़ में अलग-अलग कितने गांवों का लक्ष्य था और उसमें से जनपद हर में कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है।

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य है अल्मोड़ा में 156 गांवों का लक्ष्य था जिसमें 159 का हुआ, पिथौरा गढ़ में 87 लक्ष्य था 87 का कर दिया गया जैसा मैंने पहले ही बताया कि शत-प्रतिशत हो गया है।

श्री पूरन सिंह--

एक प्रश्न और, क्या मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए ऊर्जा मंत्री जी बतायेंगे कि नैनीताल में 19 का लक्ष्य था उसके विपरीत 80 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया, अल्मोड़ा में 153 का लक्ष्य था वहां केवल 70 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। तो जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर दी गई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जहां तक अल्मोड़ा में विद्युतीकरण का सवाल है मैंने बताया लक्ष्य 156 का था उसके विपरीत 159 का विद्युतीकरण हुआ है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 70 का विद्युतीकरण हुआ है तो जहां नहीं हुआ है वह बता दें मैं उनको लिस्ट भिजवा दूंगा उसमें यह जानकारी कर लें जहां नहीं हुआ है उसमें हम कार्यवाही करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद, कोटद्वार, गढ़वाल को ग्राम सभा फतेहपुर के विद्युतीकरण हेतु दिया गया आदेश

*2--श्री सुग्रीव सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर ग्राम सभा के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन विद्युत मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) ने कोई आदेश अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, कोटद्वार, जिला गढ़वाल को दिए थे ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुग्रीव सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बातों को सही मानते हुए तत्कालीन विद्युत मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त ने एक पत्र लिखा था विद्युतीकरण के लिए अधिशासी अभियन्ता को, तो क्या मन्त्री जी उस गांव का विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अधिशासी अभियन्ता का कोई कार्यालय कोटद्वार में नहीं है बल्कि श्रीमन, गढ़वाल में है। इस पत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसकी वह बता रहे हैं, यदि उनके पास पत्र है तो उसकी प्रतिलिपि दे दें तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, भूतपूर्व ऊर्जा मन्त्री ने वायदा किया था और हमारे यहां जाते

थे तो पीछे खंभा लद कर जाते थे, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां-जहां वह गये वहां उन्होंने आश्वासन दिया था और खंभा गिराय थे, तो क्या उन गांवों का विद्युतीकरण आप करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम जग-दीशपुर में अग्निकाण्ड

*3--श्री राम सागर (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट के ग्राम जगदीशपुर दिनांक 4 मई, 84 को भीषण अग्निकाण्ड में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था, जिसमें 45 हरिजनों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से कराए गए खड़खड़ा, लाउडस्पीकर, सिलाई मशीन आदि रोजगार भी जले हैं, जिनका कर्जा माफ कर पुनः रोजगार कराने के लिए सारे हरिजनों ने अपने दिनांक 20-7-84 के प्रार्थना-पत्र में प्रश्नकर्त्ता की सिफारिश के साथ राजस्व मन्त्री को लिखा है ? यदि हां, तो अब तक प्रार्थना पत्र के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट के ग्राम जगदीशपुर म दिनांक 4-5-84 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी जिसमें 81 घर जले थे जिनमें से 45 घर हरिजनों के थे । उक्त ग्राम के हरिजनों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण बैंक शाखा, भिटरिया के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया था । उक्त ऋण से लिया गया एक खड़खड़ा, लाउडस्पीकर तथा सिलाई मशीन जल कर नष्ट हो गई । अहेतुक सहायता के रूप में 4,100 रु0 तथा गृह निर्माण अनुदान के रूप में 16,200 रु0 की धनराशि क्रमशः 4-5-84 तथा 21-6-84 तक वितरित की गई ।

अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को विशेष सहायता देने तथा उनके द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए दिए गए सरकारी ऋण की माफी करने व उन्हें पुनः सम्बन्धित उद्योगों के लिए धन दिलाने विषयक माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दि0 16-7-84 के साथ अग्निपीड़ितों का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 20-7-84 नहीं प्राप्त हुआ था ।

माननीय विधायक के उक्त पत्र दिनांक 16-7-84 की प्रतिलिपि के साथ अग्निपीड़ितों का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को पीड़ित परिवारों को नियमानुसार तत्काल सहायता देने हेतु भेज दिया गया था । उक्त अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों में से जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं उन्हें पुनः ऋण व अनुदान दिलाने की व्यवस्था जिला स्तर पर की जा रही है । स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण को माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

आगरा, आयुक्त, न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा की गयी हड़ताल एवं मांग

*4--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कमिश्नरी न्यायालय अधिवक्ता संघ, आगरा मण्डल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1984 से जुलाई, 1984 तक हड़ताल की ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि हड़तालियों द्वारा उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गये ? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

जी हां। आयुक्त, न्यायालय अधिवक्ता संघ ने दिनांक 24 अप्रैल, 1984 से 28 जून, 1984 की अवधि में हड़ताल की। कमिश्नरी बार एसोसियेशन द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को ज्ञापन प्रस्तुत किये, जिनमें अपर आयुक्तों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुपालन भली प्रकार से सुनिश्चित न करने तथा भ्रष्टाचार के सामान्य आरोप लगाये गये। इन आरोपों की जांच राजस्व परिषद् के सचिव द्वारा कराई गई। जांच आख्या से यह तथ्य प्रकाश में आये कि बार एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने जांच अधिकारी के समक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि में कोई दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि शिकायतें न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित थी जिनका निराकरण अपील अथवा निगरानी स्तर के न्यायलयों द्वारा ही सम्भव था, अतः प्रकरण को निक्षेप कर दिया गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस जांच प्रक्रिया के बाद अपर आयुक्तों की पदोन्नति कर दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि आरोप-पत्र में यह था कि कमिश्नर आगरा ने वर्ष भर में 66 मुकदमें सुने किन्तु केवल 8 का फैसला दिया और उस आरोप-पत्र में यह भी था कि वह डिस्आनेस्ट हैं, क्या इस तथ्य की आपने जांच करायी ? तीसरा प्रश्न है कि वह आर० टी० ओ० द्वारा आहूत सभी बैठकों मे उपस्थित रहते थे और आगरा कमिश्नरी की बैठकों में अनुपस्थित रहते थे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य एक-एक प्रश्न करते तो अच्छा रहता। फिर भी मैं पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अपर आयुक्तों की पदोन्नति कर दी गयी, जैसा उन्होंने कहा है, ऐसी शिकायतें अधिवक्ता संघ ने की थी लेकिन आरोप उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुए और जो मामले थे वह न्याय प्रक्रिया से सम्बन्धित थे जिनका निदान न्यायालय से ही सम्भव था।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का पूरा उत्तर मंत्री जी से दिलायें।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने बताया तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिये जब पदोन्नति का समय आया तो उनको पदोन्नति कर दी गई।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, आप भी चूंकि आगरा के रहने वाले हैं, आपको सारे तथ्यों की जानकारी है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप मंत्री जी को कृपया निर्देशित करने का कष्ट करें ?

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय वर्मा जी ने जो अभी एक सप्लीमेंटरी किया, उसमें कहा था कि जो आरोप-पत्र दिया गया था, उसमें एक कान्टेंशन यह भी था कि उनके द्वारा 66 अपीलें सुनी गई, जिसमें से केवल 8 के बारे में फैसला किया। मान लीजिए बार एसोसियेशन के मेम्बर न आए हों, लेकिन इसमें सुनने में कोई बाधा नहीं थी। तो मन्त्री जी कृपया बताएं कि वह मामले कितने दिन पहले सुने गये थे और उनमें फैसला न देने का क्या कारण है और क्या इसकी जांच कराने का आपने प्रयास किया ? यह मामला स्पष्ट भ्रष्टाचार का है, पार्टियों से सौदाबाजी करने और उनसे पैसा लेने के इन्तजार में जानबूझ कर जजमेन्ट देने में विलम्ब किया जा रहा था। तो क्या मंत्री जी ने इस प्रकरण कराने का प्रयास किया है। इन 66 में

से शेष 58 में जो जजमेंट नहीं सुनाया गया, उसमें कितने दिन पहले आर्ग्युमेंट हुआ था ? और उन मामलों मे इतने समय तक क्यों जजमेंट नहीं हुआ है ?

श्री गौरी शंकर--

यह सच है कि उन मामलों का निस्तारण इतने दिन तक नहीं हुआ था और इसलिए अधिवक्ता संघ में असंतोष था। वह मुख्य रूप से इस बात पर बल दे रहे थे कि अपर आयुक्तों को कई वर्ष यहां रहते हुए हो गए हैं, इसलिए उनका स्थानान्तरण कर दिया जाए और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उनकी इस मांग के बाद उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और यह हड़ताल वापस हुई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैंने साफ यह पूछा था कि कमिश्नर आगरा के पास साल भर में 66 मुकदमे सुने थे और 8 में फैसला दिया था। इस प्रकार 58 मामले जो बिना फैसले के रह गये, उनमें आर्ग्युमेंट किया था, तो वह कितने दिन पहले किया था ? और क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की वजह से उनमें फैसला नहीं किया गया था और क्या इस कमिश्नर के खिलाफ जांच करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मैंने निवेदन किया था आयुक्त को बहुत से ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखने होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो इन सारे प्रकरण को लेकर जांच कराई गई और कोई भी भ्रष्टाचार का दृष्टान्त उपस्थित नहीं किया जा सका और अन्त में जांच आख्या में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भ्रष्टाचार की बातें उनके सामने नहीं आई और चूंकि कमिश्नर को दूसरे प्रशासनिक मामले में भी बहुत कुछ समय देना पड़ता है, इसलिए इतने मामलों में अन्तिम फैसला नहीं हो सका।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जो से पूछा गया तो पक्षों के विषय में प्रायः सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वहां 24 अप्रैल से लेकर 28 जून तक हड़ताल रही। यह भी स्वीकार किया कि वह अपर कमिश्नर बहुत दिनों से थे। इस मामले में केवल कमी यह रह गई थी कि जो अधिवक्ता थे, वह कोई लिखित प्रमाण भ्रष्टाचार का नहीं दे सके। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनका ट्रांसफर बहुत दिनों बाद क्यों किया गया ? जब काफी पहले शिकायतें आयीं थीं तो इनका ट्रांसफर पहले क्यों नहीं किया गया इनको बहुत दिनों तक आगरा में क्यों रखा गया ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है कि यह वहां अपर आयुक्त थे, पूरा अधिवक्ता संघ विशेष रूप से इस बात का दबाव डाल रहा था, इस बात की मांग कर रहा था कि इनका स्थानान्तरण कर दिया जाय। जब पूरी हड़ताल हो गई उसके बाद समझ में आया कि यह बहुत ज्यादा गम्भीर समस्या बन गई है, उन्होंने मुख्य मंत्री जी को भी प्रतिवेदन दिया और बोर्ड आफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया तो जांच की गयी। उनका कहना था कि हमारी मुख्य मांग केवल यह है कि इनका स्थानान्तरण कर दिया जाय तो उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी वकील रहे हैं, वह जानते हैं कि कोई क्लाइंट जब अपने वकील से अपील या रिवीजन की बहस कराता है तो अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। अगर दो महीने तक जजमेंट न हो और अफसर का ट्रांसफर, तो इसमें शंका होती है कि पैसे के लिये मामला लंबित किया जा

रहा हैं। अफसर का ट्रांसफर हो जाय तो बहस के लिये फिर से फीस देनी पड़ती है, इसलिए क्लाइंट्स का उत्पीड़न होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसे निर्देश जारी करेंगे कि कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर अपील या रिवीजन के आरगूमेंट सुनने के बाद एक महीने या जो भी रीजनेबिल टाइम हो, उसमें जजमेंट देना जरूरी होगा ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी की भावना का आदर करते हुये, ऐसे तो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि वादों का निस्तारण त्वरित गति से हो। लेकिन जैसा आपने कहा इसको देख लेंगे, इसके पहले से शासन के निर्देश हैं कि वादों का त्वरित गति से निस्तारण हो।

[शुक्रवार, 2 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् में घाटा एवं भंग करने की मांग

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगातार हो रहे करोड़ों के घाटे को देखते हुए सरकार राज्य विद्युत् परिषद् को भंग करके नई व्यवस्था प्रदेश में लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो नई व्यवस्था की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि घाटे को पूरा करने के लिए तथा भविष्य में घाटा न हो, इस सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं।

फिलहाल, शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार लाने हेतु प्रयत्नशील है। घाटे को पूरा करने के लिए एवं भविष्य में घाटे को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :--

(1) तापीय विद्युत् गृहों का पुनर्नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(2) तापीय विद्युत् गृहों में उपयोग किये जाने वाली विद्युत् में कमी करने का यत्न किया जा रहा है।

(3) तेल की खपत में कमी करने का यत्न किया जा रहा है।

(4) विद्युत् के छीजन एवं चोरी को रोकना।

(5) राजस्व ढांचे में परिवर्तन करके राजस्व की चोरी को रोकना।

(6) विद्युत् बकायों को शीघ्र वसूलना।

(7) कर्मचारियों की वृद्धि पर नियंत्रण करके प्रशासनिक व्यय में कमी।

(8) भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ करके अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण।

(9) विद्युतीकरण पर होने वाली वित्तीय क्षति की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति पर विचार।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जो कदम माननीय मंत्री जी ने उठाये हैं उनसे कोई सुधार होने वाला नहीं है। जैसा कि आपकी पूर्व की गवर्नमेंट ने एलान किया था, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वयं कहा था कि कुछ विद्युत् गृहों को निजी क्षेत्र में खोलने की इजाजत दी जायगी ताकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो। तो कुछ कार्य निजी क्षेत्र को देने की सोच रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

हमारी सरकार ने कभी इस बात का फैसला नहीं किया कि विद्युत् परिषद् को भंग कर दिया जाय। लेकिन इस पर जरूर विचार किया गया था कि निजी क्षेत्र को विद्युत् उत्पादन का कार्य सौंपें। लेकिन श्रीमन्, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से

अनुमति की आवश्यकता थी और अनुमति मांगी तो केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिली क्योंकि केन्द्र सरकार की नीति निजी क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन का कार्य सौंपने की नहीं है ।

बाराबंकी के ग्राम बरावां की भूमि का पट्टा

*2---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में स्थित सार्वजनिक भूमि सं0 130 के रकबे का ग्राम के किसी व्यक्ति के नाम कृषि कार्य हेतु पट्टा कर दिया गया है ? क्या उक्त सार्वजनिक भूमि पर ग्रामवासियों के आरोपित वृक्ष एवं अन्य सरकारी सम्पत्ति खड़ी है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक बाग के लिए छोड़ी गई भूमि का पट्टा दिए जाने का कारण क्या है ? इसके लिए कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है ? उक्त अनियमित पट्टे को कब तक निरस्त कर दिया जायगा ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां । भूमि संख्या 130 क्षेत्रफल 3-8-0 बीघा में से भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 23-10-75 द्वारा सर्वश्री राधेश्याम पुत्र श्री गुरुदीन एवं रामहेत पुत्र गुरुदीन को क्रमशः 1-0-0 व 0-6-0 बीघा भूमि का आबंटन सीरदार के रूप में किया गया था ।

शेष भूमि पर आम, जामुन, नीम आदि के कुल 24 पेड़ हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक है तथा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति नहीं है ।

उक्त भूमि के पट्टे भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 23-10-75 के अनुसार किये गये हैं ।

इसके लिए तत्कालीन लेखपाल दोषी पाये गये थे जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है ।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 198 (9) के अनुसार दोनों पट्टेदारों के नाम आसामी के रूप में दर्ज कर दिये गये हैं । अतः पट्टे के निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि इस भूमि के अतिरिक्त जो शेष है, उसमें 24 अन्य पेड़ हैं, तो इस भूमि के अतिरिक्त जो अन्य भूमि में 24 पेड़ हैं, वह किसके पेड़ हैं, क्या उसको वह जमीन दे दी गयी है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, ये पेड़ जो हैं, उस गांव के जो रहने वाले हैं, जो अपना पेड़ बताते हैं, उनका कहना है कि तत्कालीन प्रधान ने उनको पेड़ लगाने की मौखिक अनुमति दी थी कि वह उस जमीन पर पेड़ लगा लें । लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है । वह बताते हैं कि हमारे पेड़ हैं । मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि वह ग्राम समाज की जमीन है और ग्राम समाज के पेड़ हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जब इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि यह सार्वजनिक भूमि है और सार्वजनिक हित में इसको उपयोग किया जा रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि ये सारी की सारी भूमि जनहित सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दी जायगी ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इसके लिए तत्कालीन लेखपाल

को दोषी पाया गया, जिसे प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी । मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 198 (9) के अनुसार दोनों पट्टेदारों के नाम आसामी के रूप में दर्ज कर दिये हैं । इसलिए उसको निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि रिट्रास्पेक्टिव अफक्ट से लागू हुआ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जमीन कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दी जाती है...।

श्री अधिष्ठाता—

जो संबंध है, उसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रश्न से ही सम्बन्धित प्रश्न मैं पूछ रहा हूं मान्यवर । कृषि कार्य के लिए ये पट्टे दिये जाते हैं और मान्यवर, यह समस्या केवल वहीं पर ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जमीन पट्टे पर दी गयी और उसमें पेड़ लगे हैं, क्या उस पर कृषि कार्य हो सकता है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 23-10-75 द्वारा भूमि का आवंटन सीरदार के रूप में किया गया था । बाद में छानबीन की गयी तो उसमें अनियमितता पायी गयी और सम्बन्धित तत्कालीन लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी । मान्यवर, जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन न किया गया होता, तो पट्टेदार को आसामी न माना गया होता, लेकिन इस संशोधन के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के कारण इन्हें आसामी मान लिया है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी किये जाने की मांग

*3—श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके सम्मुख कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी की जाय ? यदि हां, तो यह कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन द्वारा चकबन्दी निदेशालय पर एक सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है जो पर्वतीय क्षेत्रों की तहसील का दौरा कर वहां चकबन्दी प्रसार की सम्भावनाओं पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी आयुक्त/राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को दिनांक 15-6-86 तक उपलब्ध करायेगा ।

उक्त रिपोर्ट अभी शासन में प्राप्त नहीं हुई है, जिसके प्राप्त होने पर ही पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी के प्रसार के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा ।

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल के ग्रामों का विद्युतीकरण

*4—श्री पूरन सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुमाऊं मण्डल के तीन जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल में वर्ष 1984-85 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य था तथा किस जनपद में लक्ष्य की पूर्ति हुई ? यदि नहीं हुई, तो इसके क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

कुमायूं मण्डल के उक्त तीनों जनपदों में वर्ष 1984-85 में विद्युतीकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित थे :—

1--निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण

(1) नैनीताल	161
(2) अल्मोड़ा	4
(3) पिथौरागढ़	..

2--ग्रामों का विद्युतीकरण

(1) नैनीताल	19
(2) पिथौरागढ़	82
(3) अल्मोड़ा	153

3--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

(1) नैनीताल	15
(2) पिथौरागढ़	65
(3) अल्मोड़ा	123

उपयुंक्त लक्ष्यों की पुर्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री पूरन सिंह—

मानमीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से अपने सुयोग्य विद्युत् मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर0 एम0 एन0 पी0 योजना के तहत पिथौरागढ़ में 82 तथा अल्मोड़ा में 153 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि अल्मोड़ा में 70 ग्रामों का तथा पिथौरागढ़ में 42 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी, जिन अधिकारियों ने आपके पास गलत सूचना भेजी है, उनके खिलाफ कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने माननीय सदस्य की भावनाओं को समझा है। जितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है उनकी सूची हम उनको भेज देंगे। उसके पश्चात् जब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे, तो देख लेंगे। अगर विद्युतीकरण ग्रामों का नहीं हुआ है, तो यह हमको अवगत करा दें उसके बाद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

बाराबंकी के ग्राम जोसी में बिजली के तारों से कथित अग्निकाण्ड

*5--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 मार्च, 1985 को ग्राम जोसी, वि0 खं0 मसौली, जनपद बाराबंकी में बिजली के तारों की स्पार्किंग के कारण भीषण अग्निकाण्ड हुआ और ग्रामवासियों का 5 लाख से अधिक का अनुमानतः नुकसान हुआ ? यदि हां, तो विभाग ने पीड़ितजनों को अब तक क्या सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

कोई विद्युत् घटना घटित नहीं हुई ?

गोण्डा की ग्राम सभा सिसई रानीपुर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा

*6--श्री किरनपाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान, सिसई रानीपुर, तहसील उतरौला, गोंडा के विरुद्ध ग्राम समाज के सार्वजनिक उपयोग के गाटा सं0 2142, जो मौके पर गड्ढा है, को अप

चक में फर्जी प्रस्ताव द्वारा शामिल कराने की शिकायत उसी ग्राम के उप प्रधान द्वारा वर्ष 1984 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जून, 84 में हुई जांच में ग्राम प्रधान को अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश जिलाधिकारी, गोण्डा को जुलाई, 84 में दिये गये थे ? यदि हां, तो प्रधान को अभी तक निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी एवं ग्राम प्रधान को कब तक निलम्बित कर ग्राम समाज की सम्पत्ति की रक्षा की जायगी ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां ।

जी हां । अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ।

अब प्रधान को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । उप-संचालक (चकबन्दी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पूर्व प्राप्त जांच आख्या को प्रस्तुत न करने तथा उसे खो देने के लिये उत्तरदायी कर्मचारी, को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने कुछ संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जो पुरानी बातें हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की, उससे अपने को छुटकारा नहीं दिला पाए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ग्राम समाज की भूमि प्रधान ने अपने नाम कराई है, उसमें एस0 डी0 एम0 के अनुमोदन पर पट्टे दिए जाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरीशंकर—

इसमें अरविन्द कुमार मिश्रा, उप-प्रधान ने शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि, जहां गड्ढा था, को अपने चक में मिला लिया है । उसमें कार्यवाही की गई और जो गड्ढा था, उसको चक से बाहर करवा दिया गया है । ग्राम प्रधान विष्णु नारायण को 29-6-85 को निलम्बित कर दिया गया । उतरौला में कार्यरत जगदीश प्रसाद, राजस्व अहलमद को भी निलम्बित कर दिया गया है । उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

बरेली के ग्राम गिरवरपुर, शीशगढ़ की खलिहान भूमि का पट्टा

*7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 1056, ग्राम गिरवर पुर, मौजा शीशगढ़, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, जो खलिहान हेतु सुरक्षित है, को इसी उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए ग्राम वासियों ने प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-11-84 को परगनाधिकारी, बहेड़ी को दिया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि, अनियमित तरीके से ऐसे व्यक्तियों को आबादी हेतु पट्टे पर दे दी गयी है जो इसके लिए पात्र नहीं है ? क्या मन्त्री जी उक्त अवैध पट्टों को निरस्त करके तुरन्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां । उक्त पत्र की जांच की गयी और यह पाया गया कि आवंटन अपात्र व्यक्तियों को हुआ है । पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । लेखपाल एवं कानूनगो को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि जो प्रश्न मैंने किया था उसमें दो प्रश्न थे । एक तो खलिहान की भूमि आवंटित नहीं होनी चाहिये, भूमि का उपयोग परिवर्तित करना पड़ा, दूसरा प्रश्न था अपात्र व्यक्तियों को पट्टा किया गया । उसके सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं । जब उस भूमि को खलिहान के लिये सुरक्षित रखने हेतु प्रस्ताव तहसील में प्राप्त हो गया तो उस भूमि का भूमि उपयोग बदलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, ग्राम गिरधरपुर, मौजा शोशगढ़, तहसील बहेड़ी की भूमि प्रबन्ध समिति ने गाटा संख्या 1056 में एक बीघा खलिहान की जमीन को 24 खेतिहर मजदूरों में आवंटित करने का प्रस्ताव 20-9-84 को किया । इस प्रस्ताव को लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट पर परगनाधिकारी ने भूमि सुधार की धारा 122(सी) की उपधारा (5) के अन्तर्गत आबादी के लिये परिवर्तित करके 5-12-84 को स्वीकृत कर दिया। यदि यह खेतिहर मजदूर होते, जैसा कि जांच में पाया गया, जिनको भूमि आवंटित की गई, वह पात्र व्यक्ति नहीं थे और यह लोग उस गांव के निवासी भी नहीं थे, इनका निवास स्थान टाउन एरिया क्षेत्र में था । अपात्र व्यक्ति थे, खेतिहर मजदूर नहीं पाये गये, इसीलिये उसको निरस्त करने की कार्यवाही की गई । लेखपाल और कानूनगो को निलम्बित कर दिया गया । भूमि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया है । यह पक्ष कार्यवाही की गई है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि भूमि प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव था । गांव का भूमि प्रबन्ध समिति गांव की आवश्यकता को देखते हुये प्रस्ताव करती है । जब भूमि प्रबन्ध समिति ने अनुचित प्रस्ताव किया । जो बड़े लोग हैं वह तो अपने खेतों में थ्रेशर से अनाज निकाल लेते हैं लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको खलिहान की आवश्यकता होती है । उस गांव में खलिहान नहीं था । भूमि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष जो प्रधान हैं उनको 122(बी) ग्राम समाज की आबादी के बारे में दण्ड मिल चुका है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर—

भूमि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को 20-7-85 को निलम्बित कर दिया गया है । मैं निवेदन कर दूं कि शासन की यह भावना रही है कि गांव में जो खेतिहर मजदूर है, उनके लिये प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करना चाहिये । जिनको आवंटन किया गया, यह पात्र नहीं थे, यह बाद में मालूम हुआ । अगर यह खेतिहर मजदूर होते तो निश्चित रूप से प्रस्ताव वैलिड था । चूंकि आवंटी पात्र नहीं थे इसीलिये यह कार्यवाही की गयी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने कहा अपात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये । इसी आदरणीय सदन में मैं 1974 में एक प्रश्न किया था । गोरखपुर में 74 एकड़ जमीन अपात्र व्यक्तियों को एलाट की गई थी । शासन ने उत्तर दिया पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही हो रही है । अभी तक निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो पायी । तो क्या माननीय मन्त्री जी राजस्व संहिता में संशोधन करके ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि शासन जब यह स्वीकार कर ले कि पट्टा अनियमित हुआ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से जो अपात्र व्यक्ति को हो गया है, उसको हटाकर पात्र व्यक्ति को देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह पुराना संदर्भ है, जिसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो चिन्ता

उचित की है कि पट्टा निरस्त क्यों नहीं किया गया, तो उनको यह जानकर खुशी होनी चाहिये कि आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही का प्राविधान पहले से ह और उसे अपर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 9-7-85 को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि पहले नोटिस देना पड़ता ह, फिर निरस्तीकरण की कार्यवाही होती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा नीतिगत प्रश्न है कि कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, लेकिन ए0 डी0 एम0 के यहां से कार्यवाही नहीं हुआ। यह 74 का मामला है और आज 86 हो गया है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है । होता यह है कि असरदार व्यक्ति अदालतों में फाइलों को इधर-उधर करते रहते हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी यह प्राविधान करेंगे, राजस्व संहिता में संशोधन करके कि जब शासन स्वीकार कर ले कि पट्टा अनियमित दिया गया है, तो उसको धारा 145 में जब्त कर लिया जायगा । पट्टे के निरस्तीकरण का राजस्व संहिता में प्रावि-धान करेंगे, ताकि अनियमित पट्टा तुरन्त निरस्त हो जाय ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने स्वयं निवेदन किया कि यदि इसका प्राविधान नहीं होता, जो अपर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिया है, वह क्यों देते ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या शासन राजस्व संहिता में ऐसा संशोधन करने का विचार करेगा । उत्तर हां या न में दीजिये ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, आप स्वयं विज्ञ हैं कि 26 राजस्व विधाओं को एकत्र करके सरल, सुबोध और सम्यक् रूप में राजस्व संहिता विधेयक पुरःस्थापित किया गया था संविधान की धारा 196/5 में जो प्राविधान है विधान सभा भंग हो जाने के कारण पुरःस्थापित विधेयक व्यपगत हो गया । शासन उन विषयों पर चिंतन कर रहा है ।

हिन्डालको पर बकाया विद्युत् कर

*8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हिन्डालको पर सरकार के विभिन्न प्रकार का कुल कितना देय 31 मार्च, 85 तक बकाया रहा ? क्या सरकार ने उक्त धन की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

सर्वश्री हिण्डालको पर दिनांक 31 मार्च, 1985 तक निम्नलिखित धनराशि बकाये की देय थी--

	रु0
1--विद्युत् शुल्क जो राज्य विद्युत् परिषद् के माध्यम से वसूल किया जाना है ।	1,41,17,615·21
2--विद्युत् अधिष्ठापनों का नियत कालिक निरीक्षण शुल्क ।	4,49,483.00
3--सर्वश्री रेणुसागर पवर कम्पनी लिमिटेड द्वारा हिण्डालको को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्भरित ऊर्जा के सम्बन्ध में विद्युत् शुल्क--	19.24 करोड़

उपर्युक्त मदों की वसूली के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की गई:--

मद सं0 1—

राज्य विद्युत परिषद द्वारा विच्छेद का नोटिस जारी किया गया ।

मद सं0 2—

मामला विवादास्पद है । सर्वश्री हिण्डालको द्वारा उक्त निरीक्षण शुल्क से छूट के लिए प्रार्थना–पत्र दिया है जो शासन के विचाराधीन है ।

मद सं0 3—

वसूलयाबी की कार्यवाही के विरुद्ध हिण्डालकों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई । अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस बात को सभी जानते हैं कि वसूलयाबी की कार्यवाही पूरे प्रदेश में कितनी तेजी के चल रही है । छोटे–छोटे किसानों को, जिनके 100–200 रु0 बाकी हैं, उसके प्रति दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है और हिण्डालको जिस पर 20 करोड़ 74 लाख रुपया बाकी है, उसके प्रति छूट है । इस परिस्थिति को देखते हुये क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जनता शासन में हिण्डालको के राष्ट्रीयकरण का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा था, क्या माननीय मन्त्री जी हिन्डालको को टेक ओवर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे या ऐसा करने जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक यह देय धनराशि का सवाल है, यह हिन्डालको को शासन के प्रति देय धनराशि है । जो छोटे–छोटे किसानों को नलकूप आदि के बाबत देय धनराशि है, वह राज्य विद्युत परिषद के प्रति देय है । राज्य विद्युत परिषद के हिन्डालको को देय धनराशि 8 करोड़ 43 लाख है । उपरोक्त धनराशि जो शासन के प्रति देय है, वह विद्युत कर की वजह से है । उस देय धनराशि की बाबत मामला सर्वोच्च न्यायालय में है । जिसमें शासन किसी भी तरह से ढील न करके केस लड़ रहा है । हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हम केस जीतेंगे और उनसे पैसा वसूल करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि क्या आप इसका राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इसमें मद संख्या 1 में दिया है कि विच्छेदन का नोटिस दिया जा रहा है । जबकि नियमों में ऐसा प्राविधान है कि विच्छेदन के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है । फिर ऐसी प्रतिष्ठान को, जिसके प्रति इतनी बड़ी धनराशि बकाया है, उसको विच्छेदन की नोटिस देने की आवश्यकता क्यों पड़ी । उनको नोटिस कब दिया गया और क्या उनका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस धन–राशि को वसूल करना है, इस तरह की धनराशि की वसूली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से की जाती है । राज्य विद्युत परिषद् को यह निर्देश शासन ने दिए हैं कि इस धनराशि को वसूल करें और अगर उसमें कठिनाई होती है, तो विच्छेदन की कार्य–वाही करें ।

भूमि विकास बैंकों के कथित डीड राइटर्स के विनियमितीकरण की मांग

*9—श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में भूमि विकास बैंकों में कितने 'डीड राइटर्स' कार्यरत है ?

क्या यह सच है कि उनकी सेवाओं का विनियमितीकरण नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

भूमि विकास बैंक में कोई डीड राइटर नियुक्त नहीं हैं । बैंक से ऋण प्राप्तकर्ता कृषक सदस्यों के बन्धक-पत्र लिखने हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा एक डीड राइटर को मान्यता प्रदान की गई है जो बैंक कार्यालय से बाहर बैठकर बन्धक पत्र लिखकर कृषक को प्राप्त कराते हैं । बन्धक पत्र लिखने का शुल्क कृषक द्वारा वहन किया जाता है । डीड राइटर्स को बैंक से किसी प्रकार का वेतन, भत्ता अथवा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है । डीड राइटर्स बैंक के कर्मचारी नहीं हैं, अतः उनकी सेवाओं के विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

(अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा नहीं दी गई ।)

वाराणसी, साहूपुरी, विद्युत् उपकेन्द्र में अग्निकांड

*10—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 मई, 1985 को जनपद वाराणसी के साहूपुरी विद्युत् उपग्रह में आग लगी थी ? यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था और इससे कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । उपरोक्त उपकेन्द्र पर लगे एक स्कोडा मेंक 132 के0 वी0 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के फट जाने तथा उससे बहते हुए तेल में विद्युत् स्पार्क से आग लग जाने से यह दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना से लगभग 45 हजार रुपये का नुकसान हुआ ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

ट्रान्सफार्मर में आग लगने और उसके फटने के क्या कारण थे ? क्या इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् को या सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्व में सूचना दी गयी थी ? यदि दी गयी थी, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, वहां पर 132 के0 वी0 का सब स्टेशन है साहूपुरी का । वहां पर 8 ऐसे पी0 टी0 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो 23 साल से लगे हुये थे । उनका निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है । ट्रान्सफार्मर का फट जाना किसी के हाथ में नहीं है । और जैसा कि उत्तर में बताया गया है ट्रान्सफार्मर के फट जाने तथा उससे बहते हुए तेल में विद्युत् स्पार्क से आग लग जाने से यह दुर्घटना हुई । इसमें लगभग 45 हजार रुपये की क्षति हुई है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, साहूपुरी केन्द्र में आज से 2 वर्ष पूर्व आग लगी थी और वहां पर सदन की एक समिति द्वारा जाकर स्थल निरीक्षण भी किया था । समिति ने जांच में यह पाया था कि वह आग अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगी थी । क्या कारण है कि इस साहूपुरी केन्द्र में बार-बार आग लगने की घटनाएं घटित हो रही हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य का बहुत अच्छा प्रश्न है । मैंने अपने उत्तर में अभी बताया कि 23 वर्ष पुराने यह पी0 टी0 हैं । ट्रान्सफार्मर पुराने हैं, उसमें कुछ खराबी आती है मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 4 पुरानों को तो परिवर्तित कर दिया गया है और 4 के सम्बन्ध में राज्य विद्युत्

परिषद् विचार कर रहा है कि इसे हम बदल दें या इनका निरीक्षण किसी ऐसे यंत्र द्वारा करवा लिया जाय जिससे यह पता लग सके कि कितने समय तक इनके अच्छी तरीके से कार्य करने की क्षमता है ।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति

*11--श्री रणजीत--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कुल कितने घंटे बिजली दी जाती है और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने घंटे दी जाती है ? अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं अधिक व कहीं कम घंटे बिजली देने का आधार व कारण क्या है ? क्या मन्त्री जी सब जगह समान बिजली देने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रदेश के बुन्देलखंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों के जिलों को छोड़कर विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को सामान्यतः सात घंटे प्रति दिन औसत विद्युत् आपूर्ति की जा रही है इसके अतिरिक्त जिन ग्रामीण पोषकों पर दो फेज आइसोलेटर लगे हैं अथवा द्वितीय श्रेणी के नगर हैं जहां बत्ती एवं पंखे के लिय पांच घंटे सायंकालीन समय में दो फेज विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है । बुन्देलखंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को निरंतर विद्युत् आपूर्ति की सुविधा है । शहरी क्षेत्रों में आजकल यद्यपि निर्धारित विद्युत् आपूर्ति चौबीस घंटे प्रतिदिन है परन्तु नगरों के स्तर के अनुसार निर्धारित विद्युत् आपूर्ति में कभी-कभी अघोषित कटौती के कारण कमी हो जाती है । विद्युत् उपलब्धता तथा मांग के आधार पर विद्युत् आपूर्ति का निर्धारण किया जाता है । अतः सब जगह समान बिजली देने के आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

चकबन्दी अधिकारी, सिसवा बाजार, गोरखपुर के न्यायालय में लम्बित मुकदमें

*12--श्री शिवेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी, सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर का कार्यालय एवं न्यायालय कितने वाद अनिर्णीत छोड़कर बन्द कर दिया गया है ? क्या शासन उक्त अनिर्णीत वादों के निस्तारण के लिए पुनः चकबन्दी अधिकारी का न्यायालय सिसवा बाजार में खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

माह जुलाई, 1982 में जब चकबन्दी अधिकारी सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर का कार्यालय एवं न्यायालय समाप्त किया गया था, उस समय उस क्षेत्र के लगभग 3000 वाद चकबन्दी अधिकारी स्तर पर अनिर्णीत थे उनमें से 2197 वाद चकबन्दी अधिकारी, गोरखपुर, रोस्तमपुर व चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज द्वारा निस्तारित हो चुके हैं और 803 वाद निस्तारण के लिये अवशेष हैं। सिसवा में उक्त वादों के निस्तारण के लिये पुनः चकबन्दी अधिकारी का न्यायालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । क्योंकि इसके लिये कोई अलग से स्टाफ की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, जो वाद अनिर्णीत हैं उसके निस्तारण के लिये दो चकबन्दी अधिकारी

न्यायिक पूर्णकालिक महराजगंज तहसील मुख्यालय पर नियुक्त हैं। वादकारी किसानों को महराजगंज तहसील मुख्यालय पर आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है तथा उन्हें अच्छे एवं योग्य अधिवक्ताओं की सेवा भी वहां उपलब्ध हो जाती है। सिसवा में जो भी वाद लगाये जाते रहे हैं, उनमें अधिवक्ताओं के समय से न पहुंचने से वाद में स्थगन देना पड़ता है, जिससे वाद में निस्तारण में विलम्ब होता रहा है। अतः जनहित में महराजगंज में न्यायालय रखा जाना अधिक न्याय-संगत है। सिसवा में चकबन्दी अधिकारी का न्यायालय/कार्यालय के लिये अतिरिक्त स्टाफ व भवन होना भी दिक्कत तलब एवं अनावश्यक व्यय साध्य है। क्षेत्र के अवशेष कार्य को दृष्टिगत रखते हुये मात्र वादों के निस्तारण के लिये सिसवा बाजार में पुनः चकबन्दी अधिकारी का कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साधन सहकारी समिति, चिताही, बस्ती के सचिव एवं प्रशासक के विरुद्ध थाने में पंजीकृत मुकदमा

*13--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति चिताही, बिकास क्षेत्र भनवापुर, जनपद बस्ती में 29,400 रुपए का चेक फर्जी चार नामों पर वहां के प्रशासक ने सचिव को गुमराह करके और धोखा देकर निकाल लिया था तथा वर्ष 82-83 में कैश-बुक पर 11,000 रु0 नगद उक्त प्रशासक ने अपने नाम एडवांस लिया दिखाया है तथा उसी वर्ष 16,000 रु0 की चीनी और मिट्टी का तेल अपने नाम प्रशासक ने लेकर स्टाक गबन कर लिया है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने जानकारी होने के बाद उक्त प्रशासक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां।

इस प्रकरण में प्रशासक के साथ-साथ सचिव को भी जांच में दोषी पाया गया।

प्रशासक को प्रशासक पद से हटा दिया। सचिव की सेवायें समाप्त कर दी गई तथा इन दोनों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और पुलिस ने जांच करके न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है।

*14--श्री बदन सिंह--

[19 वें मंगलदार में तारा0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत निर्धारित]

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

*15--श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में 1-5-1983 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में शासन का कोई निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो उस निर्णय के अनुसार कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियमावली, 1985" दिनांक 30 जुलाई, 1985 को प्रख्यापित कर दी गई है, जिसके अनुसार विनिय

मितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, बाराबंकी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं गबन

*16—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, बाराबंकी के लेखा परीक्षा वर्ष 77–78 व 78–79 में करोड़ों रुपये के गबन के तथ्य प्रकाश में आए ? इस सम्बन्ध में वर्ष 77–78 व 78–79 में जो विशेष आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वर्षों के दौरान आडिट में जो कर्मचारी दोषी पाये गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

वर्ष 77–78 में रु0 8,38,772.10 तथा वर्ष 78–79 में रु0 23,27,723.50 (कुल मिलाकर रु0 31,66,495.60) गबन के मामले प्रकाश में आये हैं ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्नगत आडिट नोट में 23 कर्मचारियों को दोषी बताया गया था जिसमें से अब तक की जांच में दोषी पाये गये 7 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 7 को सेवा से पृथक किया गया तथा कृषि विभाग के एक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश को लिखा गया । उपरोक्त में से 13 कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, 7 निलम्बित कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये तथा 4 कर्मचारियों को बैंक प्रशासन ने अन्तरिम रूप से बहाल कर दिया ।

*17—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[7 वें गुरुवार में तारा0 प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बदायूं के बगरैन के विद्युत् उपगृह का निर्माण

*18—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बगरैन स्थित 37.5 के0 वी0 पावर का विद्युत् सब स्टेशन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह किस वर्ष में मन्जूर हुआ था एवं इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । प्रश्नगत उपगृह के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1983–84 में दी गयी थी तथा अक्तूबर 1985 तक उसके पूर्ण होने की आशा है ।

मेरठ की ग्राम सभा, भलसोना की चकबन्दी

*19—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम भलसोना, तह0 सरधना, जनपद मेरठ की चकबन्दी प्रक्रियाओं में हुई अनियमितता तथा पुनः चकबन्दी की मांग के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, श्री रमेश चन्द्र दीक्षित की ओर से चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 को एक पत्र दि0 26–6–84 प्रेषित किया गया था तथा उक्त पत्र में यह भी निदेश दिया गया था कि यदि वास्तविक कब्जा परिवर्तन न हुआ हो तो कब्जा परिवर्नन की कार्यवाही अनियमितताओं की जांच होने तक स्थगित कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या शासन के उक्त आदेश का परिपालन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, यह सत्य है कि ग्राम मलसौना, तहसील सरधना, जिला मेरठ की चकबन्दी प्रक्रियाओं में हुई अनिय–

मितताओं तथा पुनः चकबंदी की मांग के संबंध में श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन का पत्र दिनांक 26-6-84 चकबंदी आयुक्त को भेजा गया था जिसमें यह निर्देश दिये गये थे कि यदि उक्त ग्राम में वास्तविक कब्जा परिवर्तन न हुआ हो तो कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही अनियमितताओं की जांच होने तक स्थगित कर दी जाये ।

शासन के उक्त आदेशों के परिपालन में चकबंदी आयुक्त ने दिनांक 3-7-84 को मौके पर जांच की । जांच में पाई गई अनियमिताओं का नियमानुसार निगरानियों के निस्तारण के समय अथवा धारा 48 (3) के अन्तर्गत किये जाने के निदेश चकबन्दी आयुक्त द्वारा दिये गये तथा इनकी जांच के बाद उनके आदेशों के अन्तर्गत कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही की गई ।

चकबंदी आयुक्त द्वारा जांच की जा चुकी है ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रशासक, जिला सहकारी बैंक, मथुरा के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

*20--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि दि0 27-4-85 को पी0 सी0 एफ0, मथुरा के प्रबन्धक ने कोआपरेटिव बैंक, मथुरा के प्रशासक व जिला सहकारी संघ के प्रशासक के खिलाफ एक प्राथमिक रिपोर्ट थाना कोतवाली, मथुरा में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट में मुख्य-मुख्य आरोप क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य आरोप यह है कि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रशासक जिला सहकारी संघ मथुरा ने प्रबन्धक, जिला सहकारी संघ पर कतिपय क्षेत्रों में गेहूं क्रय केन्द्र खोलन हेतु दबाव डालते हुए गाली गलौज की तथा रिवाल्वर निकाल कर जान से मारने की धमकी दी ।

जिलाधिकारी, मथुरा से कहा गया है कि वे मामले की तत्परता से जांच कराये ।

अतारांकित प्रश्न

जन सेवा आश्रम पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बन्दनपुर, फजाबाद के हरिजन छात्रों की छात्र वृत्ति का भुगतान

1--श्री खुरशेद अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनसेवा आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन्दनपुर, जनपद फैजाबाद के हरिजन छात्रों को छात्रवृति की समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1977 से अब तक किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उक्त नाम का कोई विद्यालय नहीं है बल्कि जनसेवा आश्रम पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बन्दनपुर नाम से एक विद्यालय जनपद फैजाबाद में है ।

इस विद्यालय के हरिजन छात्रों को स्वीकृत छात्रवृति का भुगतान जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से कर दिया गया है । वर्ष 1984-85 में रु0 1,728 का चेक विद्यालय के बैंकर्स ने समय के अन्दर भुगतान प्राप्त नहीं किया जिसके कारण उक्त अवशेष धनराशि का भुगतान न हो सका और अब प्रधानाचार्य द्वारा भुगतान हेतु प्राप्त हो चुका है ।

वर्ष 1977 से वर्ष 1984-85 तक वर्ष-वार भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्ष	भुगतान की गई धनराशि
1977-78	शून्य
1978-79	शून्य
1979-80	36.00
1980-81	144.00
1981-82	1,764.00
1982-83	3,096.00
1983-84	4,968.00
1984-85	5,958.00
योग ..	16,965.00

वर्ष 1977-78 व 1978-79 में विद्यालय को अस्थायी मान्यता वर्ष के अन्त में दी गई थी जिस कारण इन वर्षों में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई ।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

2--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कितनी भूमि है तथा इन पर किन-किन लोगों द्वारा अवैधानिक कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के विरुद्ध किस न्यायालय में कब कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर जनपद सुल्तानपुर में ग्राम सभा की कुल 270 बीघा 14 बिस्वा 11 विस्वांसी भूमि हैं जिसमें से 9.05 एकड़ भूमि पर 64 व्यक्तियों ने (सूची संलग्न है) अनाधिकृत कब्जा कर लिया था । उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार, मुसाफिरखाना में की गई । 46 व्यक्तियों को बेदखल किया जा चुका है, 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नोटिस चकबन्दी में वाद चलने के कारण स्थगित की गई तथा 2 के विरुद्ध नोटिस वापस ले ली गई । 14 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 155 पर ।)

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के न्यायालयों में लम्बित मुकदमें

3--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा की तहसीलों में तहसीलदार व परगनाधीश के न्यायालयों में विगत पांच वर्षों में कुल कितने वाद वर्षवार लम्बित रहे ? इसमें से सबसे पुराने वाद क्रमशः किन-किन वर्षों के थे ? वादों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा की तहसीलों में तहसीलदार व परगनाधिकारी के न्यायालयों में विगत 5 वर्षों में लम्बित वादों एवं पुराने वादों का विवरण संलग्न है । लम्बित राजस्व वादों की समीक्षा जिलास्तर पर प्रत्येक माह की जाती है एवं वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जाते हैं । आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा भी तहसीलों का निरीक्षण किया जाता है । राजस्व परिषद् स्तर पर वादों की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है । इसके अलावा राजस्व परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यगण भी अपने दौरे पर निरीक्षण के दौरान वादों की समीक्षा करते और पीठासीन अधिकारियों को वादों क शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्दे

देते हैं। इस प्रकार लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण पर बराबर ध्यान रखा जाता है।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 160 पर।]

अल्मोड़ा के व्यावसायिक केन्द्र, गरुण में अग्निकाण्ड

4--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर अन्तर्गत गरुड़ नामक व्यावसायिक केन्द्र में विगत दिनांक 19-6-84 को रात हुए अग्निकान्ड से पीड़ित लोगों का एक शिष्ट मन्डल 22 अगस्त, 1984 को उनसे मिलकर पुनर्वास अनुदान तथा ब्याज मुक्त ऋण के लिए निवेदन किया था ? यदि हां, तो कुल कितने लोग अग्निकान्ड से प्रभावित हुये, उनका क्रमशः कितना नुकसान हुआ ? शासन ने उन्हें अब तक क्रमशः क्या-क्या सहायता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

शिष्ट मन्डल का ज्ञापन दिनांक 24-8-84 व 30-8-84 प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत अग्निकांड में 76 परिवार व 370 व्यक्ति प्रभावित हुए और 27,16,200 रु0 की क्षति अनुमानित है। प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को स्वीकृत की गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :--

लाभान्वित परिवारों की संख्या	धनराशि रु0 में	प्रयोजन
(1) 66 परिवारो को	28,950	अहेतुक सहायता राजस्व विभाग से।
(2) 14 परिवारों को	5,600	गृह निर्माण सहायता राजस्व विभाग से।
(3) 2 व्यक्तियों को	6,000	गृह निर्माण सहायता समाज कल्याण विभाग से।
(4) 1 व्यक्ति को	500	दर्जी व्यवसाय हेतु सहायता समाज कल्याण विभाग से।
(5) 22 दुकानदारों को	44,000	मुख्य मंत्री कोष से सहायता।
(6) 76 परिवारों को	38,000	प्रधान मंत्री कोष से सहायता।
(7) 25 व्यक्तियों को	1,41,800	ऋण-व्यवसाय हेतु भारतीय स्टेट बैंक से।

उक्त के विवरणों की सूची सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना संभव नहीं है अतः उन विवरणों को माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में आकर किसी भी समय देख सकते हैं।

जिला सहकारी बैंक, सीतापुर के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

5--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, सीतापुर द्वारा ट्रिब्युनल से मुकदमा जीते हुए कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के सम्बन्ध में बरते गये भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ जांच करने हेतु उन्होंने (सहकारिता मन्त्री जी ने) दिनांक 29-9-84 को निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को जो पत्र लिखा था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, एक पत्र दिनांक 29-9-84 नहीं अपितु 25-9-84 को निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को लिखा गया था ।

पत्र में उल्लिखित दोनों कर्मचारियों को भी बैंक की सेवा में रख लिया है ।

मोहम्मदी नगर, लखीमपुर खीरी में शीतगृह का निर्माण

6--श्री बंशीधर राज--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी नगर, जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारी शीतगृह का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो यह निर्माण कौन सी संस्था करा रही है निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

निर्माण कार्य उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 द्वारा कराया जा रहा है । उसका निर्माण कार्य दिनांक 18 मई, 1983 को प्रारम्भ हुआ था । निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 1986 तक पूर्ण होने की आशा है ।

सहकारी संघ बहादुरी बाजार, गोरखपुर पर पी0 सी0 एफ0 की बकाया धनराशि

7--श्री हर्षवर्धन--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पी0 सी0 एफ0 गोरखपुर शाखा का सहकारी संघ बहादुरी बाजार, गोरखपुर पर कितना रुपया बकाया है ? क्या सहकारी संघ बहादुरी बाजार, गोरखपुर, पी0 सी0 एफ0 द्वारा दर्शायी गयी रकम को देय मानता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सहकारी संघ बहादुरी बाजार, गोरखपुर पर पी0 सी0 एफ0 शाखा, गोरखपुर का 30 जून, 1985 को 3,15,465 रुपये बकाया था ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा कोयले पर लिया जाने वाला मुनाफा

8--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ कोयला पर कितना प्रतिशत मुनाफा लेता है और प्रति टन कितना रुपया होता है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न श्रेणी के कोयले का कितना व्यापार हुआ तथा उस पर कितना लाभ हुआ ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ साफ्ट कोक के रेलवे साइडिंग से बिक्री पर बेसिक वैल्यू का 7 प्रतिशत मुनाफा लेता है जो रु0 12.25 प्रति सी0 टन होता है । स्टीम कोल को रेलवे साइडिंग से बिक्री पर बेसिक वैल्यू का 7 प्रतिशत

मुनाफा लेता है जो रु0 14.91 प्रति मी0 टन है। स्लैक कोल की रेलवे साइडिंग से बिक्री पर खदान मूल्य का 10 प्रतिशत मुनाफा लेता है जो रु0 26.83 प्रति मी0 टन होता है।

साफ्ट कोक के डम्प से बिक्री पर कोक के खदान मूल्य में रेलवे भाड़ा, चुंगी व 7 प्रतिशत कमी जोड़कर उस पर 5 प्रतिशत मुनाफा लिया जाता है। इसी प्रकार स्टीम कोल पर उक्त प्रक्रिया के आधार पर 5 प्रतिशत मुनाफा लिया जाता है। स्लैक कोल की बिक्री पर उक्त प्रक्रिया के आधार पर 10 प्रतिशत लाभ लिया जाता है। प्रति मी0 टन लाभ का विवरण संलग्न है। (संलग्नक–1)

पिछले पांच वर्षों में किये गये व्यापार और लाभ हानि का विवरण संलग्न है। (संलग्नक–2)

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 161 पर।)

राजस्व परिषद् द्वारा कृषि गणना कार्यक्रम के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

9––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् द्वारा कृषि गणना कार्यक्रम की समाप्ति पर 29–1–85 को 42 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गयीं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस छटनी में पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को बनाए रखने के सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है? यदि नहीं, तो क्या छटनी से सम्बन्धित पूरे प्रकरण की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

राजस्व परिषद् द्वारा कृषि गणना 1980–81 की कार्यक्रम की समाप्ति पर 42 कर्मचारियों की सेवायें 29–1–85 को समाप्त नहीं की गई थी बल्कि केवल 38 कर्मचारियों की सेवायें 28–2–85 को समाप्त की गई थीं। नियमानुसार सेवा समाप्ति की नोटिस उन्हें 29–1–85 को दी गई थी। छटनी में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को सेवा से हटाने में किसी शासनादेशों की अवहेलना नहीं की गई बल्कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ही कार्यवाही की गई है। अतएव छटनी प्रकरण की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उन्नाव, विकास खण्ड बिछिया के विद्युत उपभोक्ताओं के यहां लगाये गये चेक मीटर

10––श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया के विद्युत उपभोक्ताओं के यहां 20 महीने से लगे हुए चेक मीटर हटाए न जाने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चेक मीटर नियमतः कब तक हट जाने चाहिये थे? क्या यह भी सही है कि कहीं–कहीं चेक मीटर को न हटाकर मेन मीटर को हटा लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री––

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया के किसी भी उपभोक्ता के यहां 20 महीने तक चेक मीटर नहीं लगा रहा। अस्तु उन्हें न हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। साधारणतया चेक मीटर एक माह में हट जाने चाहिये।

जी हां। यदि चेक मीटर लगाने से यह सिद्ध होता है कि मेन मीटर दोषपूर्ण है, तो चेक मीटर न हटाकर मेन मीटर हटा लिया जाता है।

लखनऊ, एसोसिएटेड जर्नल्स लि0 के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र

11—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले की तहसील लखनऊ के पास श्रम विभाग द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लि0, लखनऊ के विरुद्ध कितने रुपये की रिकवरी प्रमाण-पत्र किस-किस तिथि को प्राप्त हुए तथा एसोसिएटेड जर्नल्स लि0, लखनऊ से उसके विरुद्ध कितना-कितना रुपया वसूला जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद लखनऊ की तहसील लखनऊ के पास श्रम विभाग द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लि0, लखनऊ के विरुद्ध निम्नलिखित तिथियों पर कुल 135 वसूली प्रमाण-पत्र, अंकन रुपये 12,26,939.36 की वसूली हेतु प्राप्त हुए :—

क्रम-संख्या	प्राप्ति की तिथि	बसूली प्रमाण-पत्रों की संख्या	निहित धनराशि
1	20-8-83	1	6,894.27
2	30-8-83	25	1,18,978.90
3	28-9-83	3	11,876.34
4	2-11-83	13	72,268.34
5	2-12-83	8	37,170.73
6	5-12-83	1	5,783.90
7	8-12-83	2	9,064.23
8	7-9-84	9	57,086.91
9	19-4-84	1	16,102.13
10	3-7-84	6	29,475.03
11	1-9-84	1	14,114.58
12	28-9-84	1	3,953.63
13	16-10-84	1	1,883.87
14	18-4-85	43	5,59,065.48
15	16-4-85	1	6,578.77
16	24-4-85	19	2,76,642.25
	कुल योग ..	135	12,26,939.36

उपरोक्त 135 वसूली प्रमाण-पत्रों में कुल निहित धनराशि रु0 12,26,939.36 के विरुद्ध कुल रु0 1,35,438.48 वसूल किया जा चुका है ।

सीतापुर के ग्राम पहीड़पुर में अग्निकाण्ड

12--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पहाड़पुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में दिनांक 19-4-84 को भीषण अग्निकाण्ड के फलस्वरूप काफी धन व जन की हानि हुई ? यदि हां, तो गांव में किन-किन लोगों को कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में सरकार ने स्वीकार की तथा कितनी-कितनी धनराशि किन-किन व्यक्तियों को वितरित की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत अग्निकाण्ड के फलस्वरूप मु0 2,70,000 रुपये की अनुमानित क्षति हुई थी परन्तु कोई जीव हानि नहीं हुई थी । अग्निकाण्ड से प्रभावित निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत एवं वितरित की गयी थी:--

प्रभावित व्यक्ति का नाम	अहेतुक सहायता (रुपये में)	गृह अनुदान (रुपये में)
1	2	3
1--श्री दुर्गा पुत्र श्री बल्देव	100	..
2--श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह	100	..
3--मु0 लहुरी बेवा स्व0 शंकर	100	..
4--मु0 नसीमुन बेवा स्व0 गुरबक्श	100	200
5--श्री भरोसे पुत्र श्री केशरी	100	..
6--श्री गुरुचरन पुत्र श्री केसरी	100	200
7--श्री उजागर लाल पुत्र श्री चन्दर प्रसाद	100	200
8--श्री धनी पुत्र श्री दुबरि	..	200
योग	.. 700	800

फर्रुखाबाद के जसपुरा में विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

13--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद की जनसंख्या जनपद में बढ़ती हुई शीतगृहों की संख्या, सैनिक छावनियों और बिजली के बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए फतेहगढ़ में मोहम्मदाबाद रोड पर स्थित विद्युत् स्टेशन के समान ही एक और विद्युत् स्टेशन बनाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । फर्रुखाबाद जनपद के जसपुरा स्थान पर 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र बनाये जाने का चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में प्राविधान है । उक्त कार्य के इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं संस्थानों के कर्मचारियों का कार्यकाल

14--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं विभिन्न संस्थानों में कितने अधिकारी एक ही स्थान पर 5 वर्ष, 10 वर्ष व 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? इन्हें एक ही स्थान पर इतने समय तक रखने का क्या औचित्य है ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं अन्य संस्थानों में एक ही पद पर 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों का सम्मिलित विवरण निम्नवत् है :--

5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 से कम	112
10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम	11
15 वर्ष से अधिक	शून्य

उक्त अधिकारियों को सम्बन्धित पदों पर कार्यहित में बनाये रखा गया है ।

बस्ती के कथित ग्राम सिरसिया के हरिजनों द्वारा बकरी पालन हेतु लिया गया अनुदान

15--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरसिया, ब्लाक भवनापुर, जनपद बस्ती के 22 हरिजनों ने वर्ष 1982-83 म आई0 आर0 डी0 स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत बकरी पालन हेतु 2000-2000 रु0 प्रत्येक परिवार ने ऋण लिया था ? यदि हां, तो उनको ऋण में अनुदान कब दिया गया ? यदि नहीं, तो न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बस्ती के विकास खंड भनवापुर में सिसिया नाम का कोई ग्राम नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखा राहत कार्य

16--कुंवर मानवेन्द्र

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के सूखाग्रस्त जिलों में प्रभावित लोगों को राहत देने हेतु क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं तथा सूखा से प्रभावित किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने की योजना शासन ने बनाई है तथा अब तक इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बुन्देलखंड क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों, हैंडपम्पों आदि की व्यवस्था की गई, पुराने हैंडपम्पों की मरम्मत कराई गई । ताल व गड्ढों को भराया गया, आवश्यक वस्तुओं, डीजल व विद्युत् की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना, बुन्देलखंड कोर प्रोजेक्ट, सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों, खरन्जों, चैकडेमों, बन्धों, पंचायत घरों तथा प्रसार केन्द्रों के निर्माण, सामाजिक वनीकरण, अल्प सिंचाई, पशुपालन व उद्योगों की परिसम्पत्ति बढ़ान, भूमि संरक्षण तथा तालाबों आदि कार्यों को

लिया गया है । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जून, 1985 तक 8.779 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया । कार्यक्रम जारी है ।

परीक्षा तापीय विद्युत् परियोजना में विद्युत् उत्पादन

17--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा तापीय विद्युत परियोजना के पहले फेज में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने हेतु निर्धारित समय क्या था और क्या इस निर्धारित समय में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और कब तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होगा ? इस परियोजना के दुसरे फेज का निर्माण कार्य किस स्थिति में है और उसके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री सुनील शास्त्री--

2 × 110 मेगावाट परीक्षा के प्रथम फेज की दोनों इकाइयों का क्रमशः 8/82 व 2/83 तक कमीशन करने का लक्ष्य रखा गया था । इस परियोजना की प्रथम इकाई 31-3-84 एवं दूसरी इकाई 25-2-85 को कमीशन की जा चुकी है । इन इकाइयों को समय से पूरा न करने के प्रमुख कारण 1982-83 में प्रस्तावित धन से कम धन स्वीकृत होना, बी0एच0ई0 एवं बी0एच0 ई0 सी0 एवं आई0 एल0 कोटा द्वारा संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापन में देरी, सितम्बर, 1983 में अचानक बाढ़ से कई संयंत्रों व कलपुर्जों का पानी से क्षतिग्रस्त होना तथा मई, 1983 में प्रथम इकाई को रोल करते समय रोटर का क्षतिग्रस्त होना आदि हैं । द्वितीय इकाई से उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है प्रथम इकाई ने फरवरी, 1985 में उत्पादन प्रारम्भ किया था परन्तु अभी भी (वाइब्रेशन) की समस्या बनी हुयी है जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । इस परियोजना के दूसरे फेज में 2 × 210 मेगावाट परीक्षा विस्तार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अभी तक योजना आयोग से अपेक्षित है ।

बुन्देल खंड क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग का औसत

18--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बुन्देलखंड के पांचों जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग क्या है तथा प्रदेश के शेष बावन जिलों में प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपभोग क्या है ? बुन्देलखंड तथा शेष प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में कितना अन्तर है ? इस अन्तर को समाप्त करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ के विकास खंड मार्टिनगंज, फूलपुर, पवई के अन्तर्गत हरिजनों को भूमि का पट्टा

19--श्री भीखा राम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में मार्टिनगंज व फूलपुर व पवई ब्लाक में कितने गांव ऐसे हैं जहां हरिजनों को पट्टा दिया गया है और कब्जा नहीं मिल सका है और कितने गांव सभाओं में हरिजन भूमिहीनों को पट्टे नहीं दिए गये हैं ? यदि नहीं दिए गये हैं तो क्यों और कब तक इस कार्य को पूरा कराया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज, पवई तथा फूलपुर ब्लाक के 241 ग्रामों में हरिजनों को पट्टा किया गया था और उन्हें कब्जा भी दिलाया जा चुका है ।

केवल 86 गांव सभायें ऐसी हैं जहां पर हरिजन भूमिहीनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं ।

22 गांव सभाओं में आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा 64 गांव सभाओं में चकबन्दी क्रिया चल रही है । चकबन्दी क्रिया समाप्त होने के पश्चात् जो भूमि उपलब्ध होगी उसका आवंटन भूमिहीनों में किया जायेगा ।

आजमगढ़ के विकास खंड, फूलपुर, पवई में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

20—श्री भीखा राम--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पवई व फूलपुर ब्लाक को आई० ई० एस० स्कीम के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो पांच वर्ष के अन्दर कितने गांव तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव बाकी हैं और कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री महेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत् विभाग, फूलपुर, आजमगढ़ का कार्यकाल

21—श्री भीखा राम—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता (निर्माण), फूलपुर, जनपद आजमगढ़ कितने दिनों से जनपद आजमगढ़ में कार्यरत हैं और कितने दिनों तक एक जिले में रहने का नियम है ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्री महेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, जनपद आजमगढ़ में माह जून, 1975 में तैनात किये गये थे तथा दिनांक 16-7-85 को विद्युत् वितरण मंडल, जौनपुर के लिए कार्य मुक्त कर दिये गये हैं । जिले में अधिकतम तैनाती की अवधि के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कोई नियम नहीं है तथापि विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक अवर अभियन्ता को सामान्यतया एक विद्युत् मंडल में सात वर्ष तक रखा जा सकता है ।

श्री मसलहुद्दीन खान, सहायक अभियन्ता, विद्युत्, फूलपुर, आजमगढ़ का स्थानान्तरण

22--श्री भीखा राम--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मसलहुद्दीन खान, सहायक अभियन्ता, विद्युत्, फूलपुर, आजमगढ़ का स्थानान्तरण पिछले वर्ष 1984 में शिकायत के आधार पर किया गया था मगर स्थानान्तरण आदेश के बावजूद भी उनको अधिकारियों द्वारा कार्य मुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

विगत लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों के कारण उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था किन्तु अब श्री मसलहुद्दीन खान कार्यमुक्त किये जा चुके हैं ।

आजमगढ़ की साधन सहकारी समितियों में हरिजन प्रशासक

श्री भीखा राम--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितनी साधन सहकारी समिति में प्रशासक कार्यरत हैं और उसमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

आजमगढ़ जनपद की सभी 333 साधन सहकारी समितियों में प्रशासक कार्यरत हैं, जिनमें से चार प्रशासक हरिजन जाति के हैं ।

आगरा जिले के कलेक्ट्रेट एवं राजस्व विभाग में हरिजन कर्मचारी एवं आरक्षण कोटा

24--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा कलेक्ट्रेट में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? उन से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है? आगरा जनपद में राजस्व विभाग के कुल अमीनों तथा चपरासियों की संख्या क्या है तथा उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है? क्या मन्त्री जी उपरोक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का कोटा पूरा कराने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आगरा कलेक्ट्रेट में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 45 है। इनमें से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या 73 है। आगरा जनपद में राजस्व विभाग के कुल अमीनों तथा चपरासियों की संख्या 366 है तथा उनमें से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 39 है तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या 62 है। जनपद में पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है। अनुसूचित जाति का कोटा भविष्य में होने वाली रिक्तियों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

सुल्तानपुर एवं बलिया में विद्युत वितरण की व्यवस्था

25—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर व जनपद बलिया में विद्युत् वितरण व्यवस्था अलग-अलग रूप से लागू की गई? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद बलिया व सुल्तानपुर में विद्युत् वितरण व्यवस्था समान रूप से है। केवल अमेठी संसदीय क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित विद्युत् आपूर्ति कार्यक्रम के अतिरिक्त निरन्तर दो फेज विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में विद्युत् उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम

26--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 से अब तक (मई, 1985 तक) प्रदेश में विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और प्रारम्भ की गई योजनाओं का विवरण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1977 से मई, 1985 तक परिषद् की अधिष्ठापित क्षमता में 1744 मे0 वा0 की वृद्धि हुई जिसमें 1390 मे0 वा0 तापीय एवं 354 मे0 वा0 जलीय है।

इसके अलावा तापीय विद्युत् गृहों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं:

(1) दो विख्यात विदेशी कम्पनियों द्वारा ओबरा एवं हरदुआगंज की मशीनों में सुधार हेतु अनुबन्ध।

(2) ओबरा एवं हरदुआगंज की मशीनों के नवीनीकरण के लिए रूसी विशेषज्ञों की सेवायें।

(3) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एवं राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर मशीनों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया गया है। योजना आयोग ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है तथा यह योजना तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण होनी है।

(4) ओबरा "ब" में पूरा कोयला फीड करने के लिए कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट को बढ़ाया जा रहा है।

(5) कोयले की क्वालिटी में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श किया गया है।

प्रदेश में 1977 के पश्चात् प्रारम्भ की गई तापीय योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

1--पारीक्षा	(2 × 110 मेगावाट)
2--अनपरा "अ"	(3 × 210 मेगावाट)
3--टाण्डा	(4 × 110 मेगावाट)
4--ऊंचाहार	(2 × 210 मेगावाट)

श्री राजेन्द्र पाण्डेय तत्कालीन नायब तहसीलदार, आजमगढ़, देवरिया का बकाया वेतन

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र पाण्डेय, नायब तहसीलदार वर्ष 1982 में जब देवरिया में कार्यरत थे तो उन्हें वेतन आयोग की संस्तुति पर नया वेतनमान लागू किया गया था ? यदि हां, तो उनको एरियर धनराशि का भुगतान (श्री पाण्डेय को) किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं एवं भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

नहीं।

श्री राजेन्द्र पाण्डेय, नायब तहसीलदार पर आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1982 द्वारा नया वेतनमान लागू किया गया था। जनपद देवरिया से श्री पाण्डेय का स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ हो जाने तथा जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा देय वेतन आदि का विवरण समय से जिलाधिकारी, आजमगढ़ को न भेजे जाने के कारण अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हो सका। नियमानुसार अवशेष वेतन का भुगतान जनपद आजमगढ़ से ही किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी, देवरिया ने श्री पाण्डेय के अवशेष वेतन आदि का विवरण अब जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भेज दिया है। राजस्व परिषद् ने जिलाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दिये हैं कि श्री पाण्डेय के देयों का भुगतान शीघ्रता से करें।

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र पाण्डेय, नायब तहसीलदार जब आजमगढ़ में कार्यरत थे और अगस्त, 1982, सितम्बर, 1982, दिसम्बर, 1982 एवं जनवरी, 1983 में मेडिकल अवकाश पर थे ? यदि हां, तो श्री पाण्डेय के मेडिकल अवकाश का वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

श्री पाण्डेय की वर्तमान तैनाती का पता लगाने के उपरान्त उनके मेडिकल अवकाश की देय धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या टी0 टी0/ए/58 709473, दिनांक 31 जुलाई, 1985 द्वारा श्री पाण्डेय को भुगतान हेतु जिलाधिकारी, बस्ती को भेज दिया गया है।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी इकाई, उन्नाव का सहायक बन्दोबस्त इकाई में परिवर्तन

29--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1984-

85 में पर्याप्त कार्य और स्टाफ होते हुए भी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई में परिवर्तित किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिला उन्नाव में वर्ष 1984-85 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई स्थापित की गई थी। कार्य की मात्रा को देखते हुए उक्त इकाई को सहायक बन्दोबस्त इकाई में परिवर्तित कर दिया गया।

30--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में उन्नाव में अवशेष कार्य को देखते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई पुनः स्थापित करने के आदेश दे दिए गए हैं ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन अब तक क्यों नहीं हुआ ? कब तक कार्यान्वयन होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

जिला उन्नाव में वर्ष 1985-86 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई स्थापित कर दी गई है तथा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के पद पर अधिकारी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

31--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1984-85 में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण होना था और कितना हो चुका है और अभी कुल कितने ग्राम शेष हैं और कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका तथा कितना शेष है ?

श्री सुनील शास्त्री--

वर्ष 1984-85 में 3432 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 3448 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया जो लक्ष्य से अधिक है। साथ ही वर्ष 1984-85 में 1960 हरिजन बस्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध 3932 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया, यह भी लक्ष्य से अधिक है। अस्तु शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी क्षेत्र में विद्युत् गृहों की स्थापना की मांग

32--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विद्युत् संकट को देखते हुए सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत् लगाने पर विचार कर रही है ? सरकार इस सम्बन्ध में किससे बात कर रही है और उसमें पिछले पांच वर्षों में क्या प्रगति हुई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

प्रदेश सरकार ने सर्वश्री हिन्डालकों को अक्तूबर, 1984 में मिर्जापुर, चुनार के आस-पास निजी क्षेत्र में 600 मेगा वाट का तापीय विद्युत् गृह लगाने की अनुमति दी थी। प्रकरण केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को उनकी सहमति हेतु भेजा गया था। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत् गृह लगाने की अनुमति नहीं दी है।

राज्य विद्युत् परिषद् में तापीय कैडर एवं वितरण कैडर बनाने की मांग

33--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् के सुचारु रूप

से संचालन के लिए सरकार तापीय कैडर और वितरण पारितोषण कैडर बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका कब तक क्रियान्वयन होगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

राज्य विद्युत् परिषद् में तापीय कैडर व वितरण कैडर बनाने का कोई विचार अभी नहीं है ।

मैनपुरी के ग्राम खेरिया शिकमी गोहना में किये गये भूमि पट्टों की वैधता तथा खेल के मैदान हेतु सुरक्षित भूमि का आवास स्थल हेतु आवंटन

34--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना की भू0 प्र0 स0 के पदाधिकारियों ने सुरक्षित स्थानों के पट्टे अपने परिवार वालों के नाम कर लिए हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या सरकार पदाधिकारियों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में एवं अवैध कार्य करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 31-1-83 जिसे परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 22-2-83 को जांचोपरान्त अनुमोदित किया था, के अनुसार पट्टे किये गये थे ।

पट्टों की वैधता के सम्बन्ध में वाद अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कोई कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

35--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा खेरिया शिकमी गोहाना में चकबन्दी अधिकारियों ने खेल के मैदान के लिए भूमि सुरक्षित की थी ? यदि हां, तो क्या इस समय भी भूमि सुरक्षित है ? यदि नहीं, तो इस समय किसके अधिकार में है और क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

किन्तु इस भूमि की उपयोगिता खेल के मैदान की अपेक्षा आवास स्थल के लिए अधिक थी, इसलिए भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा परगनाधिकारी की स्वीकृति से 9 व्यक्तियों को आवास स्थल हेतु आवंटित किया गया है ।

उपरोक्त आबंटित भूमि के पट्टों के निरस्तीकरण हेतु श्री अमीर सिंह ने एक वाद अपर जिलाधिकारी, मैनपुरी के न्यायालय में दाखिल किया है, जो विचाराधीन है ।

जिला सहकारी संघ, मथुरा के प्रशासक पर चलाया गया गुण्डा ऐक्ट का मुकदमा

36--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जिला सहकारी संघ, मथुरा के वर्तमान प्रशासक पर आपराधिक प्रवृत्ति के कारण गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चला है ? यदि हां, तो ऐसे अपराधी व्यक्तियों को सहकारी संघ का प्रशासक किस आधार पर नियुक्त किया गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां । परन्तु जिला मैजिस्ट्रेट ने चालान निरस्त कर दिया था, अपराध प्रमाणित न होने के कारण उन्हें प्रशासक पद पर नियुक्त करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं थी ।

बलिया जिले की हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों का बकाया वेतन

37—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला ऐसी चल रही हैं जिनके अध्यापकों का वेतन नहीं दिए जा रहे हैं ? और क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बलिया जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के आवर्तक अनुदान पर संचालित आठ हरिजन प्राइमरी पाठशालायें हैं, जिनमें कार्यरत अध्यापकों को जनवरी, 1985 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है । उसके बाद के भुगतान के लिए धनराशि का आबंटन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर और बदायूं सीमा के ग्राम नौना, कटकोरामावड़, वरी आदि की तदाबन्दी व रदाबन्दी

38—श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री अवनीश कुमार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर–बदायूं सीमा पर आराजी सम्बन्धी विवाद ग्राम मौना, कटकोरामावड़, वरी आदि का पिछले वर्षों में पैमाइश द्वारा हल कर दिया गया है किन्तु मौके पर मुस्तकिल समाधान के लिये मुस्तकिल तदाबन्दी क्यों नहीं करायी गयी है ? क्या सरकार उपरोक्त विवाद को हल कराने के लिए मुस्तकिल तदाबन्दी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत क्षेत्र नदी के प्रवाह से प्रभावित रहने के कारण मुस्तकिल तदाबन्दी या रदाबन्दी कराने योग्य नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा, नरैनी निर्वाचन क्षेत्र की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

39—डाक्टर सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन बस्ती बाहुल्य ग्राम कितने हैं, जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ ? क्या सरकार इन गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन बाहुल्य 86 ग्राम हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । उक्त सभी ग्रामों का सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है ।

गोरखपुर के ग्राम कोदइला के श्री अमृतधर का कथित अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र एवं छात्रवृत्ति की जांच की मांग

40—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर, ग्राम कोदइला, तह0 थाना एवं ब्लाक महाराजगंज निवासी श्री अमृतधर पुत्र स्व0 बल्ली पिछड़ी जाति (कहार) के होकर अपने व अपने पुत्र श्री मुरलीधर जो गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज, महराजगंज, गोरखपुर में कला वर्ग एकादश का छात्र इस वर्ष रहा है, फर्जी अनुसूचित जाति (गोंड/गोड़) के प्रमाण–पत्र पर छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं ले रहा है ? इस सम्बन्ध में एक शिकायती–पत्र दिनांक 15–5–85 में भू0 पू0 विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद,

गोरखपुर ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) को जांच व कार्यवाही हेतु दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री अमृतधर को तहसील महाराजगंज में उपलब्ध अभिलेखों की जांच के आधार पर अनुसूचित जाति (गोंड) का प्रमाण-पत्र जारी होना नहीं पाया गया किन्तु जांच के दौरान उन्होंने तहसीलदार महराजगंज द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र दिनांक 21-2-78 की प्रतिलिपि दाखिल किया, जिसमें उन्हें भी अनुसूचित जाति गोड़ दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की जानकारी पुनः जिलाधिकारी, गोरखपुर से की गयी है। श्री मुरलीधर पुत्र अमृतधर, निवासी ग्राम कोदइला, तहसील थाना व ब्लाक महाराजगंज, गोरखपुर को शुल्क निवृत्ति उपलब्ध हुई किन्तु कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी और न सम्बन्धित विद्यालय को शुल्क क्षतिपूर्ति दी गयी।

शिकायती-पत्र दिनांक 7-5-85 के हैं जो दिनांक 15-5-85 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच करायी गई अभिलेखों के आधार पर श्री अमृतधर को अनुसूचित जाति (गोंड) का प्रमाण-पत्र जारी होना नहीं पाया गया।

41--श्री सरदार सिंह--

क्या यह भी सत्य है कि सन्दर्भित पत्र में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के फैसले से सम्बन्धित ए0 आई0 आर0 वाल्यूम 71, 1984 जनवरी (पार्ट 841) पेज 146 पर सिविल अपील नं0 688/1981 दिनांक 5-12-83 छेदीराम बनाम झिलमिट राम एवं अन्य का हवाला भी है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले पर विचार कर शीघ्र कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को सामान्य निर्देश हैं कि वे जारी किये गये अनुसूचित-जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करा लें और यदि कोई ऐसे मामले फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के सामने आयें तो सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करें।

42--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित पत्र मुख्य मंत्री व हरिजन समाज कल्याण मन्त्री, उ0 प्र0, लखनऊ एवं प्रधान मन्त्री भारत सरकार को भी दिनांक 16-5-85 में कार्यवाही व प्रभावी कानून बनाने हेतु प्रेषित है ? यदि हां, तो इस दिशा में प्रभावी कानून कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पत्र दिनांक 7-5-85 का है किन्तु उसमें कार्यवाही की ही मांग की गयी है।

जिलाधिकारियों को झूठे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जांच करके भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश पहले से ही हैं।

सहकारी वनस्पति मिल, सण्डीला, हरदोई के संचालन की मांग

43--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी वनस्पति मिल संडीला, जनपद हरदोई का उद्घाटन कब

सम्पन्न हुआ था और उद्घाटन के बाद से मिल कितने दिन चली ? क्या मिल को विधिवत चलाने की मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारी वनस्पति मिल, संडीला जनपद हरदोई का उद्घाटन दिनांक 4–2–1984 को सम्पन्न हुआ था। उद्घाटन के बाद से मिल 139 दिन चली है।

जी हां।

प्रथम चरण में उत्पादित मूंगफली की खरीद सहकारी क्रय-विक्रय समितियों से तथा मिल के गेट पर की जा रही है। मिल के कार्यक्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है।

द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनानुसार रिफाइनरी, साल्सीड, सोयाबीन एवं सरसों की प्रक्रिया की व्यवस्था पूर्ण हो जाने के उपरान्त मिल विधिवत चलाई जा सकेगी।

बस्ती जिले के ग्राम कपिया मिश्र की चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती–पत्र

44—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग द्वारा ग्राम कपिया मिश्र, तह0 नौगढ़, जनपद बस्ती की चकबन्दी में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु माह सितम्बर, 1984 में किसी जन–प्रतिनिधि (विधायक) का शिकायती–पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती–पत्र की जांच में पाई गई अनियमितताओं के संशोधन के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, श्री सूबेदार सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 18–9–1984 जो उन्होंने श्री शिव पूजन के प्रार्थना–पत्र के अग्रसारण के रूप में लिखा था, प्राप्त हुआ था।

इस शिकायती प्रार्थना–पत्र के संबंध में जांच से विदित हुआ कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आरोप निराधार हैं क्योंकि जिसे अनियमितता कहा जा रहा है वह वास्तव में संयुक्त संचालक चकबन्दी के आदेश मु0 नं0 (439) 461 शत्रुधन बनाम सरकार उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत पारित आदेश के अन्तर्गत हुआ है और इसी से खलिहान संबंधी जमीन में परिवर्तन हुए हैं। इस ग्राम का जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन शासकीय गजट में दिनांक 3–7–1982 को हो चुका है और ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो चुकी हैं तथा चकबन्दी विभाग द्वारा नियमानुसार कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

इस मामले में गांव सभा/भूमि प्रबन्धक समिति सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है।

विद्युत वितरण खण्ड, आगरा में मुगल फीडर आगरा का हस्तान्तरण

45—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के 6 जून, 1985 को लिखे गये पत्र जो ऊर्जा मन्त्री के कार्यालय के पत्र संख्या 528/एम0एच0/85, दिनांक 6–6–1985 के द्वारा ए0सी0 सिस्टम को भेजा गया है, के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मुगल शहरी फीडर को विद्युत वितरण प्रखन्ड को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय बदल दिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय कब कार्य रूप में आयेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

मुगल फीडर, आगरा पहले ही विद्युत् वितरण खन्ड, आगरा को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस फीडर पर काफी संख्या में ग्रामीण उपभोक्ता संयोजित हैं अतः इसे आगरा नगर में विद्युत् कार्य का संचालन करने वाले "विद्युत् प्रदेय उपक्रम, आगरा" के अन्तर्गत रखना व्यवहारिक नहीं था।

फैजाबाद, विकास खण्ड, कटेहरी एवं भीटी के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

46--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद कटेहरी तथा भीटी ब्लाकों में स्थित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु स्पेशल एग्रीकल्चर प्लान स्कीम के तहत प्रस्ताव पिछले लगभग एक वर्ष से उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के लखनऊ स्थित शक्ति भवन कार्यालय में रेस्पों के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पादित कर दिया जायगा और इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं।

आजमगढ़ के ग्राम सपनहर रुद्रपुर के श्री राम व श्री सोम्भर को भूमि का आवंटन

47--श्री दीपनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सपनहर रुद्रपुर, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में श्री राम पुत्र गुल्लू व सोम्भर पुत्र छोटू व लालचन्द्र पुत्र सूरत आदि को कृषि हेतु भूमि आवंटन की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त व्यक्तियों को कब्जा मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां !

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड, जंहगीरगंज, तेंदुआई में उप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना की मांग

48--श्री कृष्ण कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंहगीरगंज, विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत् उप केन्द्र तेंदुआई कलां में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। उक्त स्थान पर उप-केन्द्र की आवश्यकता होने पर विचार किया जायेगा।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही

49--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र सं0 2988/हसक-स्था-2, दि0 20 मार्च, 1985 द्वारा निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को लिपिक के पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्रशासन को भेजे गये पत्र पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

मुरादाबाद, तहसील हसनपुर की सहकारी समितियों के बकाएदार प्रशासक

50—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद का तहसील हसनपुर में मनोनीत किये गये सहकारी समितियों तथा मार्केटिंग के प्रशासकों में से कितने व्यक्ति बकाएदार हैं और बकाये की राशि कितनी है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मुरादाबाद की तहसील हसनपुर की सहकारी समितियों में मनोनीत किए गये प्रशासकों में से चार प्रशासक बकायादार पाए गए जिन्हें प्रशासक पद से हटा दिया गया है ।

उक्त चारों व्यक्तियों पर 31164.15 रुपया बकाया है ।

गोरखपुर के सरदार नगर, कानूनगो क्षेत्र के ग्रामों में भूमि का आवंटन

51—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के कानूनगो सिविल द्वारा सरदार नगर में जनवरी, 83 से अब तक किन-किन गांवों में कितने व्यक्तियों को ग्राम समाज की जमीन का आवासी पट्टा देने की कार्यवाही की गई है ? क्या इनमें से ग्राम पोखर भिंडा के लोग भी हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक पट्टा एवं कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के सरदार नगर, कानूनगो क्षेत्र के अन्तर्गत जनवरी, 1983 से अब तक 5 ग्रामों में 30 व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि आवास हेतु आवंटित की गई है । ग्राम पोखर भिन्डा में आवास हेतु कोई आवंटन नहीं किया गया है । अतः कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवरिया, बघौचघाट में विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

52—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बघौचघाट नामक स्थान पर वर्ष 1977 से 1980 तक के दौरान शासन ने विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत् उप गृह के निर्माण के लिए तरकुलवा विद्युत उपग्रह से बघौच घाट नामक स्थान तक विद्युत खंभे गाड़े गये ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1978-1980 तक खर्च की गयी ? क्या उक्त विद्युत् उपगृह बनकर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त विद्युत् उपगृह के निर्माण का कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव, कंचनपुर, सहकारी संघ के प्रशासक का निलम्बन

53—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संघ लि0, कंचनपुर, वि0 खं0 असोहा, जनपद उन्नाव के प्रशासक (श्री शीतला प्रसाद) द्वारा अपने नाम से मिट्टी के तेल का लाइसेन्स ले रखा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अनियमित कार्यों के आरोप में प्रशासक को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गत वर्ष गिरफ्तार किया गया था और लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो श्री शीतला प्रसाद के

प्रशासक बने रहने का औचित्य क्या है ? क्या उक्त तथ्यों की जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा की जायेगी ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

श्री शीतला प्रसाद को प्रशासक के पद से हटा दिया गया है ।

फर्रुखाबाद, ग्राम माडलशकरपुर के श्री सूबेदार शर्मा के खेतों का सीमांकन

54—श्री हफीज भारती—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूबेदार शर्मा, ग्राम माडलशकरपुर, परगना भोजपुर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद ने अपने खेतों का पैमाइश/कब्जा दिलवाने के बारे में दिनांक 27 अगस्त, 1984 व 3 दिसम्बर, 1984 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

श्री सूबेदार शर्मा के भूखण्ड संख्या-666, 674 एवं 1420 की मौके पर सीमांकन करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर, बिल्हौर, अरौल तथा रसूलाबाद क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति

55—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत बिल्हौर व अरौल तथा रसूलाबाद क्षेत्र को विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था दूर कराने हेतु किसी विधायक का कोई पत्र दिनांक 14 मार्च, 1985 से 21 मार्च, 1985 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर, ग्राम ढकौली के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र

56—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्राम ढकौली, थाना भवन बहादुर नगर, जिला बुलन्दशहर के ग्रामवासियों तथा श्री नरेन्द्र सिंह त्यागी, महामन्त्री कांग्रेस (आई) ने तत्कालीन विद्युत् मन्त्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अभी तक विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1972 से 6 खंभे भी ग्राम में पड़े हैं ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्टीमेट का पैसा जमा न करने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका ।

जी हां, इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्टीमेट का पैसा जमा करने पर विद्युतीकरण कराया जा सकेगा ।

प्रदेश में विद्युत् की मांग तथा उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

57--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दस वर्षों में प्रदेश में विद्युत् मांग तथा विद्युत् उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में कितना अन्तर रहने की सम्भावना है ? इस अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक यह अन्तर समाप्त हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

आगामी दस वर्षों में विद्युत् की मांग तथा अधिष्ठापित क्षमता में अन्तर की वर्षवार स्थिति निम्नवत् है :—

(मेगावाट में)

क्रम सं0	वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	मांग	अन्तर
1	1985–86	4331	4206	125
2	1986–87	4751	4626	125
3	1987–88	5181	5072	109
4	1988–89	5611	5545	066
5	1989–90	5759	6052	293
6	1990–95	परिव्यय निश्चित न होने के कारण आंकलन करना सम्भव नहीं ।		

उपर्युक्त अधिष्ठापित क्षमता के विपरीत सम्भावित वास्तविक उपलब्धता एवं मांग में अन्तर को समाप्त करने हेतु अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये हैं । निश्चित रूप से यह सूचित कर पाना सम्भव नहीं है कि यह अन्तर कब समाप्त हो जायेगा ।

58--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रदेश में विद्युत मांग, उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक विद्युत् उत्पादन में कितना अन्तर रहने की सम्भावना है ? इस अन्तर को कम करने हेतु क्या-क्या उपाय विचाराधीन हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रदेश में विद्युत मांग, उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक विद्युत् उत्पादन में सम्भावित अन्तर की स्थिति निम्नवत् है :

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	विद्युत् की मांग	विद्युत् उपलब्धता	अधिष्ठापित मांग एवं क्षमता एवं मांग में अन्तर (अ0 क्ष0 मांग)	उपलब्धता में अन्तर (मांग-उपलब्धता)
1--1985-86	4331	4206	2758	125	1448
2--1986-87	4751	4626	2879	125	1747
3--1987-88	5181	5072	3440	109	1632
4--1988-89	5611	5545	4156	066	1389
5--1989-90	5759	6052	4330	293	1722

सम्भावित उपलब्धता एवं मांग में अन्तर को कम करने हेतु अधिष्ठापित क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग के निमित्त विद्युत् इकाईयों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्नवीनीकरण कोयले की क्वालिटी में सुधार एवं प्रशासनिक सुधार आदि उपाय किये जा रहे हैं ।

उत्तरकाशी तथा टेहरी गढ़वाल के खांई-जौनपुर क्षेत्र के थत्यूड़, नवगांव आदि को जनजाति क्षेत्र की घोषणा की योजना

59--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के खांई क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तरकाशी तथा टेहरी गढ़वाल जनपदों के खांई-जौनपुर क्षेत्र के थत्यूड़ (जौनपुर), नवंगांव, पुरौला तथा मोरी विकास खंडों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु राज्य सरकार ने अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेज दी है ।

मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

रानीखेत (अल्मोड़ा) एवं चम्पावत (पिथौरागढ़) को जनपद बनाने की मांग

60--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत (अल्मोड़ा) एवं चम्पावत (पिथौरागढ़) को अलग-अलग जनपद तथा भिक्यासैण (अल्मोड़ा) व गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) को अलग तहसील बनाने का प्रस्ताव राजस्व परिषद् ने शासन को वर्ष 1982 में दिया है ?

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1982 में रानीखेत एवं चंपावत को अलग-अलग जनपद बनाने का कोई प्रस्ताव राजस्व परिषद् से नहीं प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1982 में गठित तहसील पुनर्गठन समिति ने भिक्यासैंण में तहसील तथा गंगोलीहाट में उपतहसील स्थापित करने की संस्तुति की है परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में इन प्रस्तावों पर विचार करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर, बाल उत्थान शिक्षा निकेतन, पिरहिया, सेखआनो का भवन एवं शिक्षकों का वेतन

61--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौतनवा, जनपद गोरखपुर में बाल उत्थान शिक्षा निकेतन, पिरहिया, सेखआनो (ढुठीवारी) ब्लाक नौतनवां, गोरखपुर को भवन निर्माण एवं शिक्षकों के वेतन हेतु आर्थिक सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र 27-3-85 को प्राप्त हुआ था । अतः अल्प समय में आवश्यक परीक्षण करके निर्णय लिया जाना संभव नहीं था ।

पर्वतीय जनपदों में कृषि भूमि को अधिग्रहण न किये जाने की मांग

62--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय जनपदों में (तराई क्षेत्र को छोड़कर) कृषि योग्य भूमि अत्यधिक सीमित है और इसमें से भी सिंचित कृषि योग्य भूमि बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय विकास कार्य हेतु भवन तथा मार्ग निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि न लेकर अनउपजाऊ भूमि अधिग्रहीत करने की राजाज्ञा जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रदेश में भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत मुख्य रूप से किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा अधिनियमित है । इस अधिनियम के अन्तर्गत जनहित से किसी भी प्रकार की भूमि को अर्जित किये जाने का प्राविधान है ।

उपरोक्त प्राविधान के होते हुये भी प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या-- 450/1-क-6-1(5)-69, दिनांक 30 अगस्त, 1969 के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर रखी है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कृषि योग्य भमि का अर्जन उस दशा में किया जाय, जब अकृषिक भूमि उपलब्ध न हो ।

बलिया के ग्राम रुस्तमपुर के श्री सत्य नारायण सिंह व श्री परशुराम सिंह की भूमि पर सुपुर्दगार का नियुक्ति

63--श्री रणजीत--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह बगैरह व श्री परशुराम सिंह वगैरह ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया के बीच विवादित भूमि धारा-145 जप्त फौजदारी के अन्तर्गत जब्त कर सुपुर्दगार नियुक्त किया गया है ? क्या यह भी सच है कि सुपुर्दगार ने जब्तशुदा भू म को एक वर्ष हेतु गांव के ही श्री शम्भू सिंह पुत्र शंकर दयाल सिंह को ठेके पनर दिया था, जिसके पैसे का पूरा भुगता

नहीं हो सका है व फसल काट ली गयी है ? यदि हां, तो पैसे के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

जी हां ।

एक तिहाई धनराशि जमा हो चुकी है । शेषराशि को जमा करने के लिए रिसीवर द्वारा नोटिस दिया गया किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण 145 जा0 फौ0 की कार्यवाही स्थगित है ।

तहसील पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन के लिये जमा धनराशि

64--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में तहसील पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनमें प्रति परिवार 25 रु0 (पच्चीस रुपये) के हिसाब से विद्युत् कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि विद्युत् विभाग के पास जमा की गयी है और उन्हें अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा, तहसील छाता व मांट तथा अलीगढ़ की तहसील खैर के अन्तर्गत ओला वृष्टि

65--श्री सरदार सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री जगबीर सिंह तथा श्री लक्ष्मी नारायण--

क्या सरकार की जानकारी में है कि माह मार्च, अप्रैल, 1985 में मथुरा जनपद की छाता एवं मांट तहसील के कुछ गांव व अलीगढ़ जनपद के खैर तहसील के कुछ गांवों में ओला वृष्टि हुई थी जिसके कारण किसानों की फसल की भारी क्षति हुई थी ? यदि हां, तो तहसील वाइज गांव की संख्या तथा गांव वाइज अनुमानित क्षति क्या थी ? शासन ने गांव वाइज पीड़ितों को क्या-क्या राहत प्रदान की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, वांछित विवरण संलग्न* है ।

*(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 163 पर ।)

पौड़ी गढ़वाल के ग्राम खोन में पटवारी चौकी की स्थापना

66--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के ग्राम खोन के नाम से स्वीकृत पटवारी चौकी अभी तक स्वीकृत स्थान पर स्थापित नहीं की गयी है और पटवारी द्वारा यह चौकी विकास खण्ड पौड़ी के स्थान पर घुसगली में स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या है और इस चौकी को स्वीकृत स्थान, खोन में कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । पटवारी का मुख्यालय दो माह पूर्व तक घुसगली खाल में था । अब पटवारी का मुख्यालय ग्राम मज्ञेली में, जो खोन ग्राम से एक किलोमीटर दूर है, स्थापित है । ग्राम खोन में पटवारी के लिए कोई किराये का उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण पटवारी चौकी स्वीकृत स्थान पर स्थापित नहीं की जा सकी । जिलाधिकारी को स्वीकृत स्थान प

आवासीय व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करवाने एवं पटवारी चौकी स्थापित कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

हरदोई के ग्राम पुरबावां, विासी श्री राजा राम वर्मा का चकबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

67--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 78 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी में बरती गई अनियमितताओं के शुद्धिकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा वह कब की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के पहिले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0-52 में उल्लिखित श्री राजाराम वर्मा के प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 5-11-76 तथा 9-7-77 पर अतिरिक्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अभिलेख द्वारा की गई जांच में पाई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु संदर्भ तैयार करने की वांछित कार्यवाही की गई । अनियमितताओं के निराकरण के सम्बन्धी वाद तहसीलदार विलग्राम के न्यायालय में विचाराधीन है ।

अनियमितताओं के लिए पाए गए दोषी कर्मचारियों में से श्री सुरेश चन्द्र रेगुलर लेखपाल को 15-9-77 को परगनाधिकारी द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की गई । श्री शिवराज सिंह लेखपाल, श्री बच्चू लाल, चकबन्दी-कर्ता तथा श्री बृजलाल, लेखपाल जो अन्य जनपदों में कार्यरत हैं, के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को क्रमशः 12-9-77, 15-10-77 और 17-9-77 को जिलाधिकारी के माध्यम से उन पर तामील किए जाने हेतु भेज दिए गए थे ।

सम्बन्धित कर्मचारियों में से सुरेश चन्द्र, रेगुलर लेखपाल को विभागीय कार्यवाही के बाद दिनांक 31-10-77 को आरोपों से बरी करते हुए बहाल कर दिया गया । श्री शिवराज सिंह, लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सीतापुर द्वारा दिनांक 28-6-79 के आदेश द्वारा आरोप वापस लिए गए । शेष कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही में पारित आदेशों के सम्बन्ध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

बस्ती, ग्राम सभा महदूपार एवं बढ़या के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

68--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-9-83 के साथ ग्राम सभा महदूपार तथा ग्राम सभा बढ़या विकास खण्ड सांधा, जिला बस्ती के प्रधानों का संयुक्त प्रार्थना-पत्र उपरोक्त गांवों में विद्युतीकरण कराए जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । उक्त ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सर्वेक्षण तथा अनुमानित लागत का आंकलन कराया गया, जिसके आधार पर सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण होना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में सैनिक विश्राम गृहों में अवैध कब्जा

69--कर्नल केशरी सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के स्पष्ट आदेशों के विपरीत प्रदेश के किन-किन जिला सैनिक

परिषदों के सैनिक विश्राम गृहों में पिछले एक वर्ष से अनधिकृत लोग निवास कर रहे हैं, उनसे विश्राम गृहों को खाली कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा उन पर विश्राम गृहों का कितना किराया बकाया है और उसे वसूलने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, गत एक वर्ष से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लखनऊ, बुलन्दशहर तथा हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृहों में कतिपय व्यक्ति अनधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं ।

इन व्यक्तियों से विश्राम-गृहों को खाली कराने हेतु निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों से अनुरोध किया गया है ।

विश्राम गृहों को बकाया किराये की धनराशि 10,236.50 रु० है । उक्त धनराशि को वसूलने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से आवश्यक कायवाही की जा रही हैं ।

अल्मोड़ा जिले में निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली पेन्शन

70--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-5-85 को अल्मोड़ा जनपद में विकास खंडवार कुल कितनी निराश्रित महिलाएं हैं ? इनमें से कितनों को निराश्रित विधवा पेन्शन या आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

1-5-1985 को अल्मोड़ा जनपद में विकास खंडवार निम्नलिखित निराश्रित महिलाएं हैं--

1--हवालबाग	197
2--लमगड़ा	132
3--ताकुला	180
4--फौतादेवी	112
5--द्वाराहाट	213
6--चौखुटिया	129
7--मिक्यसण	111
8--सल्ट	103
9--ताड़ी खेत	182
10--साल्दे	54
11--मौनियाछापा	89
12--बागेश्वर	209
13--कबकोट	129
14--गरुड	182
15--शहरी क्षेत्र	61
कुल योग ..	2083

उपरोक्त में से निम्नलिखित को निराश्रित विधवा पेंशन/आर्थिक सहायता दी जा रही है--

1--हवालबाग	152
2--लमगड़ा	90
3--ताकुला	94
4--फौता देवी	60
5--द्वाराहाट	118
6--चौखुटिया	60
7--मिक्यसण	74
8--सल्ट	50
9--ताड़ीखेत	111
10--साल्दे	25
11--मौनियाछाया	52
12--बागेश्वर	126

13--कबकोट	80
14--गरुड	73
15--शहरी क्षेत्र	44
योग ..	1209

चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल, पौड़ीगढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जिलों में सूखा

71--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में वर्ष 1983 से 1984 तक की मानसून की वर्षा कम होने से भयंकर सूखा पड़ा है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में क्रमशः कितनी हानि हुई ? इन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए जनपदवार क्रमशः क्या-क्या सहायता कार्य किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिलेवार स्थिति निम्नवत् है :--

चमोली--

वर्ष 1983-84 में मानसून की वर्षा की कमी से भयंकर सूखा नहीं पड़ा बल्कि गत शीतकालीन वर्षा कम होने से जनपद में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके कारण रबी की फसलों को क्षति पहुंची ।

(1) जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति रबी की फसल को हुई है, वहां के प्रभावित काश्तकारों को 100 रु0 (एक सौ रु0) प्रति काश्तकार की दर से अहेतुक सहायता वितरित की जा रही है ।

(2) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है ।

(3) पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों तथा अस्थायी पाईप लाइन बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराया गया ।

(4) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में खेती के लिए खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

(6) 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिए स्थगित कर दी गई है ।

(7) जन/पशु सम्बन्धी सभी प्रकार की बीमारियों के निदान हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

(8) आवश्यकता पड़ने पर पशुओं के लिए चारा सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है ।

उत्तरकाशी--

वर्ष 1983 में पर्याप्त वर्षा हुई थी अतः सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई । वर्ष 1984 में वर्षा की कमी के कारण तहसील भटवाड़ी के पांच तथा तहसील डुण्डा के 26 ग्राम सूखे से प्रभावित हुए तथा फसलों को 20 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक क्षति पहुंची । 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले क्षेत्रों की भूराजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिए स्थगित कर दी गई है ।

प्रभावित क्षेत्रों में 1,31,425 रु0 अहेतुक सहायता तथा 1,40,000 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया । एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत दो योजनाओं पर कार्य कराया गया ।

जनपद में पेयजल संकट उत्पन्न नहीं हुआ ।

पौड़ी गढ़वाल—

इस जनपद में वर्ष 1983 में सूखे की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई परन्तु वर्ष 1984 में अपर्याप्त वर्षा के कारण पिछले गर्मी के मौसम में पेयजल संकट सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई । पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टंकरों अस्थायी पाइप लाइन तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतों से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई । रबी की फसल को लगभग 80 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये । 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले क्षेत्रों में भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिये स्थगित कर दी गई है । अहेतुक सहायता दी गई । वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई ।

टिहरी गढ़वाल—

अपर्याप्त वर्षा के कारण वर्ष 1985 के रबी के मौसम में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई । रबी फसलों को 71 प्रतिशत तक हानि हुई । 50 प्रतिशत से अधिक फसल वाले क्षेत्रों में भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिये स्थगित कर दी गई है । सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता तथा असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम कराये जा रहे हैं । पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में ट्रकों तथा खच्चरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की गई ।

देहरादून—

इस जनपद की दो तहसीलें-देहरादून तथा चकराता-सूखे से प्रभावित हुई जिससे रबी की फसल को 90 प्रतिशत तक क्षति हुई और पेयजल संकट उत्पन्न हुआ । 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति के क्षेत्रों में भूराजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिये स्थगित कर दी गई है । पेयजल अभाव वाले क्षेत्रों में टंकरों, खच्चरों तथा मजदूरों आदि से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी ।

नैनीताल—

वर्ष 1984 में शीतकालीन वर्षा अपर्याप्त होने के कारण तहसील नैनीताल सूखे से प्रभावित हुई और रबी की फसल को 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ । पेजयल अभाव वाले क्षेत्रों को ट्रकों/ट्रैक्टरों/घोड़ों/खच्चरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत धनराशि क्रमशः 50 लाख तथा 40 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई ।

अल्मोड़ा—

वर्ष 1984 में अपर्याप्त वर्षा के कारण रबी की फसल को 89 प्रतिशत तक क्षति पहुंची ।

1—प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 3.50 लाख रु0 लागत के विभिन्न कार्य जनता को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाये जा रहे हैं ।

2—असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है ।

3—जनपद के ऐसे ग्रामों में जहां पेयजल की कमी है वहां ट्रकों/टैंकरों एवं खच्चरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया ।

4—जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है उनमें भूराजस्व एवं अन्य कृषि देयों की

वसूली 31-8-1985 तक के लिये स्थगित कर दी गई है ।

5--पशुओं के लिये क्रय मूल्य पर चारा उपलब्ध कराया गया । घास तथा पत्तियां उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई ।

पिथौरागढ़--

वर्ष 1984 में मानसून वर्षा की कमी के कारण तहसील धारचूला में खड़ी खरीफ की फसल को 60 प्रतिशत तक तथा तहसील चम्पावत में भी खरीफ की फसल को 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक को क्षति पहुंची ।

जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है, वहां के प्रभावितों को राहत देने हेतु निम्नलिखित सहायता दी गई है :--

(1) प्रभावित ग्रामों में माल-गुजारी तथा अन्य कृषि देयों की वसूली तीन माह के लिये स्थगित कर दी गई ।

(2) प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अहेतुक सहायता प्रदान की जा रही है ।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

(4) गत गर्मी के मौसम में पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टकरों/खच्चरों से पेयजल आपूर्ति की गई ।

रबी की फसल को 65 प्रतिशत तक तथा फलों की फसलों को 29 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है । निराश्रितों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है । कृषकों को बीज, उर्वरक वितरण कराया गया । अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये ।

मिर्जापुर, ग्राम गुरुसंडी के श्री मिश्री लाल का ग्राम समाज की भूमि के पट्टे सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

72--श्री सखावत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनवरी, 1985 में श्री मिश्री लाल हरिजन, निवासी ग्राम गुरुसंडी, तहसील सदर, जनपद मिर्जापुर का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज द्वारा पट्टा की हुई जमीन से उसे बेदखल कराए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था और उस पर मन्त्री जी ने जिले के अधिकारियों से आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो आख्या क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उक्त पट्टा सम्बन्धी विवाद पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

श्री मिश्रीलाल से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि भूमि नं0 203 क्षेत्रफल 1 बीघा व भूमि नं0 219 क्षेत्रफल 6 बिस्वा 13 बिस्वांसी पर क्रमशः गांव समाज का तालाब तथा नयी परती है और भूमि नं0 203 पर श्री शिव शंकर व श्री लल्ला पुत्रगण श्री ओरी लाल व भूमि नं0 219 रकबा 6 बिस्वा 13 बिस्वांसी पर श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री पांचू का कब्जा है जिनके विरुद्ध जमींदारी-विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई किन्तु आवश्यक जांचोपरान्त कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।

भूमि नं0 203 से सम्बन्धित मामले के निर्णय के विरुद्ध श्री शिवशंकर प्रतिवादी ने पुनर्विचार का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार सदर के न्यायालय में दिया किन्तु श्री मिश्री लाल द्वारा परगनाधिकारी, सदर

के न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थन-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित पत्रावली 29-6-1985 को परगनाधिकारी के न्यायालय में हस्तान्तरित कर दी गयी ।

विवादित भूखण्डों का आसामी पट्टा श्री मिश्रीलाल को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 25-5-1981 के अनुसार किया गया था ।

उभय पक्ष हरिजन हैं और दोनों ही अपने-अपने स्वत्व के लिए लड़ रहे हैं । न्यायालय के निर्णय के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

73--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ के कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस की जांच अप्रैल, 1985 तक चल रही है, कितने अधिकारियों की जांच पूरी होकर शासन के विचाराधीन है और कितनी जांच अब भी चल रही है ? उन अधिकारियों के नाम व पद की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध चल रही सतर्कता जांच के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :--

1--अधिकारियों की कुल संख्या जिनके विरुद्ध जांच अप्रैल, 85 तक चल रही है..	225
2--जांच पूरी होकर शासन/ परिषद् के विचाराधीन मामलों की संख्या ..	136
3--अभी तक चल रही जांच सम्बन्धी मामलों की संख्या . .	55

अधिकारियों के नाम और पद को सूची सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं है ।

बस्ती की तहसील डुमरियागंज में बाढ़

74--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के भीषण बाढ़ से डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती के कुल कितने ग्राम राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती नदियों के बाढ़ से मैरूंड घोषित किए गये और उनमें किन-किन गांवों में बाढ़ से ध्वस्त हुए अथवा गिरे घरों को गृह अनुदान वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि डुमरियागंज तहसील के अधिकांश उन ग्रामों को जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती के पेट में बसे हुए हैं और जो ज्यादा प्रभावित रहते हैं वर्ष 1984-85 में गृह अनुदान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने ग्राम शेष हैं जिनमें गृह अनुदान वितरित करना शेष है ? क्या यह सत्य है कि कुल 10 लाख रुपये की मांग तहसील डुमरियागंज से उक्त गांव में वितरण हेतु की गयी थी ? यदि हां, तो इतने महत्वपूर्ण काम के लिए धन उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वर्ष 1984-85 में जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज के कुल 471 गांव राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती नदियों की बाढ़ से मैरूण्ड थे ।

सर्वेक्षण कराये जाने पर यह ज्ञात हुआ था कि उक्त मैरूण्ड 471 गांवों में से 87 गांवों में कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था । शेष 384 ग्रामों में से 115 ग्राम ऐसे हैं जो नदी के पेट में बसे हुये हैं । उक्त शेष 384 गांवों में

से कुल 251 ग्रामों में उपलब्ध गृह अनुदान का वितरण नियमानुसार किया गया, जिनमें 97 ग्राम ऐसे सम्मिलित हैं जो राप्ती व बूढ़ी राप्ती नदी की तलहटी (पेट) में बसे हुए हैं । इस प्रकार नदी की तलहटी में बसे केवल 18 गांव तथा अन्य 115 गांवों को गृह अनुदान वितरित नहीं किया जा सका। इस अवशेष कार्य हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति दिनांक 29 मार्च, 1985 को दे दी गई थी परन्तु वित्तीय वर्ष समाप्ति पर था अतः उसका उपयोग नहीं हो सका । अवशेष कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा ।

75--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मुजफ्फरनगर की बावरी पेपर मिल एवं अग्रवाल पेपर मिल के विद्युत् बिलों में अन्तर

76--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में बावरी पेपर मिल, अग्रवाल पेपर मिल एवं खुराना पेपर मिल की उत्पादन क्षमता समान होने पर भी विद्युत् बिलों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं । जनपद मुजफ्फरनगर में बावरी पेपर मिल एवं खुराना पेपर मिल की उत्पादन क्षमता अलग-अलग है । इसलिए इनकी विद्युत् उपभोग की औसत मात्रा व विद्युत् बिलों की धनराशि भी अलग-अलग है ।

गाजीपुर के ग्राम गोडऊर के विद्युतीकरण की मांग एवं लगाये गये विद्युत् तार तथा खम्भों की चोरी

77--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 8 वर्ष पूर्व ग्राम गोडऊर, जिला गाजीपुर के विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों ने सिक्योरिटी मनी जमा की है और विद्युत् विभाग द्वारा कहीं-कहीं पर लाइन खींचने के बाद छोड़ दिया गया है और यह रिपोर्ट दी गयी है कि विद्युतीकरण पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी व दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।

78--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या यह सही है कि वर्षों पूर्व लगाये गये बिजली के तार व खंभे गायब कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो चोरी गए सामान के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है ।

79--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गोडऊर के समस्त लोगों को बिजली उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बड्ढा बाजीतपुर, बुलन्द-शहर का तहसीलदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

80—श्री किरन पाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यपाल सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बड्ढा बाजीतपुर, विकास खंड स्याना, जनपद बुलन्दशहर द्वारा बुलन्दशहर के तहसीलदार तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र 26-7-1984 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को दिया था, जिस पर जिलाधिकारी, बुलन्द-शहर ने परगनाधिकारी सदर को दोषियों के विरुद्ध 15 दिन के अन्दर जांच करके कठोर कार्यवाही करने के यह आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने श्री सत्यपाल सिंह, प्रधान के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 26-7-84 को निम्न-लिखित आदेश पारित करके उनकी याचना पर उनको दस्ती दे दिया था :—

दस्ती/महत्वपूर्ण

एस0 डी0 एम0, सदर

कोई तिथि निर्धारित करें, स्थल पर स्वयं जायें व जांच करें, यदि आरोप (एलीगेशन) सत्य हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करें । 15 दिन के भीतर कृत कार्यवाही से अवगत करायें ।

दस्ती/महत्वपूर्ण शब्द अंकन करने से अभिप्राय शिकायतकर्ता को स्वयं परगना-धिकारी से सम्पक करके जिलाधिकारी को आदेश देना था जो शिकायतकर्ता ने नहीं दिया प्रतीत होता है । तथापि श्री सत्यपाल सिंह, प्रधान से सम्पर्क स्थापित करके प्रश्नगत शिकायती-पत्र की प्रति-लिपि प्राप्त कर ली गयी है और परगना-धिकारी, सदर को 15 दिन में जांच पूर्ण कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा अब दे दिये गये हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् में पूंजी निवेश की धनराशि एवं घाटा

81—श्री जयदेव सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत् परिषद् पर कितना पूंजी निवेश लगा हुआ था और प्रत्येक वर्ष कितना घाटा रहा ?

श्री सुनील शास्त्री—

पिछले दस वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् पर हुये पूंजी निवेश एवं घाटे का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल पूंजी निवेश (संयोजित क्रम में)	घाटा
1	2	3
1975-76	1331.75	15.05
1976-77	1534.29	4.18
1977-78	1755.37	23.14
1978-79	1992.23	6.43
1979-80	2173.60	370.96
1980-81	2461.70	75.48
1981-82	2792.85	-24.97
1982-83	3169.35	88.94
1983-84	3559.24	75.49
1984-85	सूचना संकलित की जा रही है ।	

आजमगढ़ की प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों को छात्रवृत्ति का आवंटन

82--श्री विष्णु देव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को वित्तीय वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि छात्रवृत्ति हेतु शासन से आवंटित की गयी थी ? उक्त धनराशि किन-किन विद्यालयों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में आवंटित की गयी है और उसके वितरण का आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1984-85 में आजमगढ़ जनपद के जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कुल 17,50,000.00 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गयी इसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

छात्रवृत्ति का वितरण अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, योग्यता तथा आय-सीमा के आधार पर किया जाता है ।

अलीगढ़, ग्राम सभा देवीनगर में राजकीय भूमि का ग्राम प्रधान द्वारा आवंटन

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस की गांव सभा देवी नगर हाथरस जंक्शन के खसरा संख्या 62 राज्य सम्पत्ति है ? क्या यह सच है कि ग्राम सभा प्रधान ने अवैध धन लेकर अनियमित पट्टे देकर मकान व दुकानों का निर्माण कर दिया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा प्रधान को इस सम्पत्ति का पट्टा देने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम से ? क्या उक्त पट्टे के सम्बन्ध में उनको एवं मुख्य मंत्री आदि को सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू लाल, निवासी देवी नगर का शिकायती-पत्र दिनांक 29-4-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्राप्त सूचनानुसार अलीगढ़ जनपद की तहसील हाथरस की गांव सभा देवी नगर की भूमि संख्या 62 क्षेत्रफल 1 8-0 बीघा राजकीय सम्पत्ति है । इसमें से 7 बिस्वा भूमि सड़क पुख्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 1-1-9 बीघा भूमि उत्तर रेलवे के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

दो ग्राम प्रधानों द्वारा वर्ष 1962 तथा 1976 में रसीद काटकर भूखण्ड आवंटित किये गये हैं । इसलिए अवैध धन लेने की बात सही प्रतीत नहीं होती और आवंटित भूमि पर मकान व दुकान बने हुये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू लाल का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-4-85 प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई । जांच के उपरान्त अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध परगनाधिकारी द्वारा सार्वजनिक निर्माण निरीक्षक (पी0 डब्लू0 आई0) रेलवे, हाथरस, हाथरस जंक्शन को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी में लघु उद्योगों हेतु विद्युत् कनेक्शन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

84--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में जनपद बाराबंकी में लघु उद्योगों हेतु बिजली कनेक्शन के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिए और उनमें से कितनों को कनेक्शन दिए गए ?

श्री सुनील शास्त्री--

वर्ष 1984-85 में जनपद बाराबंकी में लघु उद्योगों हेतु विद्युत् कनेक्शन के लिए 190 व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिए थे, जिनमें से 15-7-85 तक 22 लोगों को विद्युत् कनेक्शन दे दिया गया है ।

फैजाबाद, ग्राम सभा लोरपुर ताजन के तालाब पर अवैध कब्जा

85--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-85 को ग्राम सभा लोरपुर ताजन, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी, तहसीलदार अकबरपुर, फैजाबाद को उक्त गांव के किसी तालाब को ग्राम के किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम दर्ज कराने व अपना नाम कुटुम्ब रजिस्टर में किसी यादव परिवार के कुटुम्ब रजिस्टर में दर्ज कराने के सम्बन्ध में दिया था, जिस पर दिनांक 2-4-85 को तहसीलदार, अकबरपुर द्वारा कोई आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम लोरपुर ताजन के निवासियों का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र मत्स्य पालन के पट्टे के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था । उक्त पट्टा आलमदार जहां पुत्र श्री मुंसिफ जहां के नाम से स्वीकृत हुआ । उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच के परिणामस्वरूप पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए आख्य परगनाधिकारी के माध्यम से अपर जिलाधिकारी को भेजी गई है ।

श्री सोम्मर प्रसाद यादव, निवासी लोरपुर ताजन ने दिनांक 26-3-85 को एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि डा0 कृष्ण कुमार यादव जो बाहर के रहने वाले हैं प्रधान, सेक्रेटरी एवं लेखपाल की मिली-भगत से उनके मकान में अपना नाम लिखवा लिये हैं । इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

दिनांक 2-4-84 को कोई आदेश निर्गत किये जाने का अभिलेख तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद में पत्रकार कालोनी बनाने में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से केवल 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं और जिनके नाम इस प्रकार हैं :--श्री हरेन्द्र सिंह, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री शारदानन्द अंचल, श्री काजी कलीमुर्रहमान, श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी और अचल सिंह ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

मने नियम 301 की सूचनायें ले ली हैं, जब ये समाप्त हो जायेंगी तो उसके बाद आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया जायेगा ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता जी, इलाहाबाद में पत्रकार कालोनी के निर्माण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; इलाहाबाद महानगरी क्षेत्र है । 18 जनवरी, 1985 का माननीय मुख्य मंत्री जी नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय के साथ उद्घोषणा की गयी थी कि लखनऊ में गोमती नगर की तरह इलाहाबाद में पत्रकार कालोनी का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर 24-3-85 को लिखे गये एक पत्र अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13-6-85 के संदर्भ में मुझे सूचित किया गया है कि मुख्य मंत्री जी के समक्ष इलाहाबाद पत्रकार कालोनी के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसी सत्र में बजट के सबसिडी के लिये धनराशि का प्राविधान कराके शीघ्र से शीघ्र इलाहाबाद में पत्रकार कालोनी निर्माण कराने के आदेश दें ।

फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लिमिटेड, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, फैजाबाद सहकारी जिला बैंक लि0, फैजाबाद की प्रशासक समिति विशेषकर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 453 (एन एन) नियम 2 (यू) तथा नियम 453 (एच) ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 35 की खुली अवहेलना करके की गयी है जो अवैधानिक है । इसी का परिणाम है कि यह बैंक वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद का प्रमुख केन्द्र बन गया है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का इस बैंक पर 3 करोड़ रुपया बकाया है जिसके लिये यह बैंक लाखों रुपये में दण्डित सूद भुगत रहा है वसूली कम होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक ने भी इस बैंक को पैसा देना बन्द कर दिया है । इस विषम स्थिति से समूचे जनपद का सहकारी आन्दोलन प्रभावित है और भविष्य में किसानों को खाद व बीज की सुविधा न मिल पायेगी ।

श्रीमन्, यह असाधारण स्थिति स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां किये जाने, फैजाबाद केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को कैश क्रेडिट सुविधा को सामान्य नियमों के विपरीत अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से बढ़ाने मात्र 8 प्रतिशत ब्याज पर 62400 रुपये का ऋण नई खोली गई बैंक की फैजाबाद शहर शाखा के मकान मालिक को देने (जब कि यही ऋण अन्य शाखाओं के मकान मालिकों को 18 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया गया है और उनके मकानों का किराया भी इसकी तुलना में बहुत कम है) तथा टान्डा की ऐसी फर्जी और बेनामी बुनकर समितियों को जिनसे पैसे की वसूली पूरी तरह संदिग्ध है, डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाना आदि है ।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जनपद के सहकारी आन्दोलन को बचाने की मांग करता हूं ।

(श्री शारदा नन्द अंचल का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित होने पर) ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद में कारखानों से निकले गन्दे पानी एवं केमिकल से मनुष्यों एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में अन्सल पेपर मिल, सेठी केमिकल, बिल्यार्ड फैक्ट्री, हुकुम चन्द्र तेल मिल एवं अन्य कारखानों से जो गन्दा पानी एवं केमिकल निकलता है उससे अनेकों पशुओं एवं मनुष्यों की जान जाने का खतरा पैदा हो गया है।

यह पानी मिश्रण के रूप में (जहर) बन कर एक गन्दे नाले से बह कर सिकन्द्राबाद नगर के दोनों तरफ होता हुआ अनेकों गांवों से होकर बहकर जाता ह और कोंटू गांव पर कहन बरसाती नदी में गिर जाता है। इस समय वर्षा के कारण यह पानी सिकन्द्राबाद क्षेत्र के अनेकों गांवों में फैल रहा है जिसके पीने से पशु मर रहे हैं और मनुष्य बीमार पड़ रहे हैं। जो लोग इस में से हो कर जाते हैं उनके पैरों में छाले पड़ गये हैं।

अतः सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि शीघ्र ही इस महामारी को रोकने के लिए सम्बन्धित उद्योगियों से फिल्टर प्लान्ट लगाने के लिए कहेंगे तथा जहरीला पानी गांवों में न फैले उसे पक्का करा तथा प्रत्येक गांव पर निकलने वाले रास्तों पर पुल की व्यवस्था करेंगे और इस महामारी को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठायेंगे।

सहकारी शीतगृह, फतेहपुर में अधिकारियों की लापरवाही से सड़े आलू का मुआवजा दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद फतेहपुर के सहकारी शीतगृह बिन्दकी रोड में वर्ष 1984-85 में यांत्रिक गड़बड़ियों के बावजूद 23000 बोरा आलू किसानों का रखा गया और उक्त गड़बड़ी तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की असावधानी के कारण उक्त सम्पूर्ण आलू सड़ गया जिससे किसानों का लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आलू का भन्डारण 28 फरवरी, 1985 से शुरू हुआ तथा अप्रैल माह तक पूरा हुआ जबकि फरवरी 85 से अप्रैल 85 तक शीतगृह की सारी मशीनें बेकार और बन्द रहीं। काश्तकारों से बीमा का पैसा लेने के बावजूद आलू का बीमा नहीं कराया गया। जिला प्रशासन उक्त घटना से भलीभांति अवगत है लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। शीतगृह के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने बचाव के लिए अनेक प्रकार के षडयन्त्र कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर जनता तथा कृषकों में बेचैनी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि किसानों का सड़े हुए आलू का नुकसान दिलाया जाय तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खतौली, मुजफ्फरनगर में शिक्षण संस्थानों के अभाव तथा उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में शिक्षण संस्थानों का अभाव तो है ही लेकिन क्षेत्र खतौली उक्त संस्थानों के न होने से बहुत ही पिछड़ा है । ग्राम भदवाडा विकास खन्ड बुढ़ाना में प्राइमरी शिक्षा के लिए दो कि0 मी0 दूर दुश्मुंहे बच्चों को जाना पड़ता है और ग्रामीण अंचलों में ग्राम टांडा माजरा, कल्याणपुर ढमेड़ी अटेरना आदि ऐसे ग्राम हैं जहां के बच्चों को शिक्षा के लिए 10 कि0 मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है । इससे इस पूरे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि ग्राम अटेरना माजरा के बीच एक राजकीय इन्टर कालेज तथा भौरा कलां में एक राजकीय बालिका इन्टर कालेज खोला जाय क्योंकि वहां की छात्रायें 20 कि0 मी0 की दूरी पर पढ़ने जाती हैं अधिकतर बालिकायें तो वगैर पढ़े ही रह जाती हैं और राष्ट्रीय इन्टर कालेज, शाहपुर को स्नातक स्तर की मान्यता दिला दी जाय ।

देवारा, आजमगढ़ में सरयू नदी के कटान को रोकने के लिये अविलम्ब पक्के ठोकरों के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

देवारा क्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अराजी मलहयुरव, गंगापुर, पुरनिहया, जमना जजमन जोत सरजू नदी द्वारा कट रहे हैं । इन गांवों की फसल नष्ट हो गई है जानवर मर रहे हैं तथा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । इन ग्रामों के निवासियों से सरकारी तथा अन्य देयों की वसूली सख्ती से की जा रही है । जिससे इनकी हालत और खराब हो रही है । जिलाधिकारी, आजमगढ़ से इस सम्बन्ध में बात की गयी तथा उनके कथनानुसार यदि सिंचाई विभाग पैसा खर्च करे तो बांध बना कर इन गांवों की सरयू नदी के कटान से सुरक्षा की जा सकती है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग इन गांवों में सरयू नदी के कटान को रोकने के लिए अविलम्ब पक्के ठोकर बनाये जिससे आने वाली बाढ़ से उपरोक्त गांवों के 20-25 हजार लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो सके ।

भूतपूर्व विधायक प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना के अत्यन्त बीमार होने तथा समुचित उपचार न होने की सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य प्रोफेसर शिब्बन लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सक्सेना की हालत गम्भीर हो गयी है। वे अपना सारा जीवन आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते रहे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे, आज वे मौत से लड़ रहे हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, आज वे अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। वे पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी सम्भव सहायता हो करें, उपचार और दवा के अभाव में उनको न मरने दें।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। फर्ज समझते हुए जिम्मेदारी निभायेंगे और व्यवस्था भी करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

औचित्य की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। अनुरोध करूंगा कि दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें।

राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश सीमा की ओर निरन्तर बढ़ने से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 14 को 19वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 12 बज कर 32 मिनट)

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

आज तारांकित प्रश्नों की सूची में मेरी प्रश्न संख्या 14 लगा हुआ था, जिसका उत्तर दिया जाना था। इसके सामने लिख दिया है, "19वें मंगलवार में तारांकित प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत निर्धारित"। यह सदन 8 वें मंगलवार तक चलेगा, प्रश्न के उत्तर में लिख दिया, 19वां मंगलवार। मैं व्यवस्था चाहता हूं मेरा सवाल सामान्य प्रकृति का था, किसी विभाग से उसकी सूचना नहीं मंगानी थी। प्रश्न यह था कि क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश राज्य सीमा की ओर निरन्तर बढ़ रहा है? यदि हां, तो उसको रोकने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? इसका उत्तर दिया जा सकता था, किन्तु इन्होंने इसे 19 वें मंगलवार पर टाला है कि हम अपने अधिकार का सही प्रयोग न कर सकें। हम अपनी जन-समस्याओं को उठाने का अधिकार रखते हैं।

मैं दो बिन्दुओं पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। प्रथम, इस प्रश्न को भविष्य में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में भी लिया जा सकता है। दूसरे, यदि ऐसा नहीं कर सकते तो इस आदरणीय सदन को 19वें मंगलवार तक चला दीजिये, मेरा प्रश्न भी आ जायगा और यह सरकार, जो वर्ष में 90 दिन सदन को नहीं चला पा रही है, उस ओर भी वह एक कदम होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बदन सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जब प्रश्न पूछा था उस समय इन्होंने किसी विभाग का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था केवल शासन को। जब उनका प्रश्न आया तो पहले वह राजस्व विभाग को भेजा गया राजस्व विभाग ने यह कह कर लौटा दिया कि यह प्रश्न हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। उसके बाद वह प्रश्न फिर वन विभाग को भेजा गया। वन विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रश्न 18 वें मंगल तक के लिये 20-20 की संख्या में लगे हुए हैं। अब लाजिमी है कि आपका प्रश्न 19वें मंगलवार को ही आ पायेगा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जैसी कि आपने व्यवस्था दी कि मेरा प्रश्न राजस्व विभाग को गया फिर वन विभाग को गया। मान्यवर, मैंने राजस्व या वन विभाग को प्रश्न भेजा ही नहीं था। मैंने तो प्रश्न सरकार को भेजा था, मेरा आशय था कि ये तो अपने विभागों का अच्छी तरह से ज्ञान रखते होंगे। इस तरह से तो इनके 60-70 विभाग हैं, तो मेरा प्रश्न इसी तरह से क्या डोलता रहेगा और हम तो फिर उसके उत्तर से वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, आप मेरे इस प्रश्न को चाहे अल्पसूचित में कराइये लेकिन इसी सत्र में इसका उत्तर जरूर हमें मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बदन सिंह जी, आप तो पुराने और अनुभवी सदस्य हैं आपने पता नहीं कितने प्रश्न सदन में प्रस्तुत किये हैं, पता नहीं इसमें आपने विभाग क्यों नहीं लिखा? पता नहीं कैसे यह आपसे गलती हो गयी। बहरहाल अब आप इसे दुबारा दे दीजिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में, उसमें यह देख लिया जायेगा।

(श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

तारांकित प्रश्न 20 एवं अतारांकित प्रश्न 36 से सम्बन्धित प्रशासक, सहकारी संघ, मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच सी0 आई0 डी0 से न कराकर डी0 एम0 से कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको बुलाया नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने किरनपाल सिंह को बुलाया है, पहले वे बोलेंगे।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इनका व्यवस्था का प्रश्न है, पहले आप इनको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने किरनपाल सिंह को बुला लिया है।

श्री विजय सिंह राणा--

पहले आप इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें, बस एक मिनट लगेगा।

श्री अधिष्ठाता

कहिये।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आज तारांकित प्रश्न संख्या 20 और अतारांकित प्रश्न संख्या 36 में सहकारिता मंत्री जी से सवाल किया गया था कि मथुरा में जो सहकारी संघ के प्रशासक हैं उनके विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट में रिपोर्ट की गयी थी और उन पर 18 मुकदमें चल रहे हैं। उनके खिलाफ पी0 सी0 एफ0 के सचिव की रिपोर्ट है कि उन्होंने उनके साथ गाली-गलौज की, जिसको आर0 एफ0 सी0 ने समझौता करा-कर उनसे क्षमा याचना करवायी और उन्होंने क्षमा याचना की है। इसके बावजूद भी उनकी कोतवाली में रिपोर्ट हुई। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि क्रिमिनल केसेज की जांच वे अधिकारी से करा रहे हैं। मेरा आरोप है कि सहकारिता मंत्री खुले आम गुण्डों को आरक्षण दे रहे हैं। जिस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करानी चाहिये उसकी जगह वे डी0 एम0 से जांच करा रहे हैं।

श्री अकबर हुसेन बाबर--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप कृपा करके पहले उसको सुन लें।

विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विजिलेंस जांच की विस्तृत जानकारी न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुखपाल पांडे--

मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न तो करिये।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये। एक प्रश्न मैंने माननीय विद्युत् मन्त्री जी से किया था, उसमें मैंने पूछा कि विद्युत् परिषद् के कितने अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस की जांच चल रही है? उन्होंने बताया कि 225 के खिलाफ विद्युत् परिषद् में और 136 के खिलाफ मामला शासन के विचाराधीन है। यह मामले बहुत पुराने ह, विजिलेंस की जांच होने के बाद शासन के विचाराधीन आ गये हैं लेकिन उसके निर्णय हो गये हैं। इसके अलावा 55 की जांच हो रही है। क्या माननीय मन्त्री जी इन अधिकारियों के नाम व पद बतायेंग लेकिन माननीय मन्त्र जी ने बताने की कोशिश नहीं की और कहा है कि जनहित में नहीं है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ईमानदार परिवार के हैं और बेइमानों को संरक्षण दे रहे हैं प्रदेश में। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

[×××]

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आप सुनिये ही नहीं और इसको कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पांडे जी ने और माननीय लक्ष्मी नारायन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अगर इनको सन्तुष्टि नहीं है जो प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है तो उसको दुबारा दे दें। मैं कहूंगा कि जो माननीय सदस्यों के प्रश्न आये उनका समुचित और विस्तृत उत्तर उनके पास जाना चाहिये।

श्री सुखपाल पांडे--

माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों के नाम जिनकी जांच होकर रिपोर्ट शासन को चली गयी है और उस पर शासन की कार्यवाही करनी है तो उनके नाम और पद बताने में माननीय मन्त्री जी को जनहित में नहीं हो रहा है। उनकी कृपा से ही कुछ प्रदेश के अधिकारी ऊंचे पदों पर विद्युत् विभाग में पहुंच गये हैं जिनको यह संरक्षण दे रहे हैं जिससे यह रहस्य खुलने न पाये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री बाबर ने अध्यक्ष के विशेषाधिकार के बारे में जो सवाल उठाया है, उस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के विरुद्ध कोई, किसी प्रकार की बात नहीं आनी चाहिये और जो कुछ इन्होंने बोला है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाहीसे निकाल दिया गया।

गन्ना विभाग द्वारा गन्ना प्रगति के लिये विदेशों को भेजे जाने वाले अधिकारियों के व्यय धन की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह--

मननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना विभाग अपने गन्ने की प्रगति के लिये, विकास के लिये यह जानकारी में आया है कि कोई विशेषज्ञ दल किसानों का और यहां के अधिकारियों का विदेशों को जाने के लिए तैयार कर रहा है और भेजने का निर्णय ले लिया है। मान्यवर, मेरी यह जानकारी है कि उसमें कुछ किसान और इतने ही इस उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी आस्ट्रलिया और फिलीपाइन्स जाने के लिये तयार हो चुके हैं। मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत, यह विषय उठाना चाहा है क्योंकि गन्ना विभाग का बजट ही पास नहीं हुआ है। मान्यवर, जब लेखानुदान पास हुआ था उसमें था, यह होता भी है कि यह जो योजना चल रही है आलरेडी सूबे के अन्दर उन्ही को आगे गति देने के लिये लेखानुदान दिया गया था, तो मान्यवर, इसके द्वारा मैंने यह जानने के लिये प्रश्न उठाया और व्यवस्था चाहता हूं कि वह धन अफसरों के लिए सरकार के कोष से जा रहा है। और किसान लोग अपना 15-20 हजार रु0 दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि किस खाते से यह रुपया सरकारी अधिकारियों को दिया जा रहा है जो कि वह विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

इसका सम्बन्ध किसी प्रकार से इस सदन की कार्यवाही से नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह है सामूहिक उत्तर दायित्व।

बित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान है, यहां से एक प्रस्ताव 14 जून को आया जिसमें 10 कृषकों और 10 अधिकारियों को आस्ट्रेलिया भेजे जाने का प्रस्ताव था, तो शासन ने इस पर विचार किया और इसमें कृसकों की संख्या 10 के स्थान पर 12 कर दी और अधिकारियों की संख्या 10 के स्थान पर 8 कर दी और उनको बाहर जाने के लिये अधिकृत कर दिया। माननीय सदस्य ने दो जिज्ञासायें व्यक्त की हैं, एक तो यह कि इसमें शासन के ऊपर क्या व्यय आ रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि शासन पर इसका कोई व्यय नहीं आयेगा। जो संस्थान हैं, उसके बाई-लाज में विदेश यात्रा का प्राविधान है। प्रदेश के अन्दर विभिन्न अधिकारियों को भेजा जा सकता है और विदेश में भी भेजा जा सकता है। मान्यवर, 5 बार देश में और 11 बार राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा चुका है और पिछली बार दक्षिण एशियाई देशों में भी हो आये हैं, माल द्वीप वगैरह में। तो उनके बाई-लाज में प्राविधान है और उनके इस प्रस्ताव पर शासन ने 24 जून को स्वीकृति दे दी है। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा हो। इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, दोनों के स्टेटमेंट्स में भिन्नता है।

श्री हुकुम सिंह--

दोनों की बात सही है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, उर्दू विभाग के सिलसिले मे मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप पुराने सदस्य हैं । आपने औचित्य के प्रश्न की कोई सूचना दिया है ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

नहीं दिया है । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं उसके लिए मौका दीजिये ।

आल इंडिया रेडियो, रामपुर में दो लड़कियों के साथ हुए बलात्कार से अनारोष के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने नियम 56 में एक सूचना दी थी । मैं बहस में नहीं जाना चाहता, हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय ने इसका सदन में आना अच्छा न समझा हो, क्योंकि वह सूचना पूरे मुल्क में जो अराजकता फैली है, उससे सम्बन्धित थी । मान्यवर, चाहे मेम्बर आफ पार्लियामेंट मारा जाये, पंजाब में हंगामा हो, आसाम जले या गुजरात बहरहाल उसका असर हमारे सूबे में भी पड़ता है । पिछले दिनों पंजाब का मामला उठा था तो पीलीभीत और कानपुर में, यानी पूरे मुल्क और उत्तर प्रदेश में उसका असर हुआ । जो मजलूमों और मजदूरों की तहरीक को लेकर चलता हो चाहे वह एम0 पी0 हो, उसको मार दिया गया ताकि लोग खौफजदा हो जायें और सदन में कोई हक व इंसाफ की बात कहते डरें । मान्यवर, उस बहस में जाने का सवाल नहीं है, नियम 56 का यह प्रश्न है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहती हूं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जो हमारे सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं उनका क्या विषय है किस विषय पर बोल रहे हैं, किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने औचित्य के प्रश्न के रूप में सूचना दी थी । इसलिए उनको दो मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर ही कहना चाहता हूं । मैं आपका भी रवैया देख रहा हूं कि व्यवस्था के प्रश्न के रूप में जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं, सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं चाहे आपको वह बात सही लगे या न लगे । मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने का सभी सम्मानित सदस्यों को अधिकार है । उसी के मुताबिक मैंने कल एक प्रश्न उठाया था । मैं नियम 56 पर नहीं बोलना चाहता था । नेता सदन भी यहां पर बैठे हुये थे । हुआ यह था कि हमारे रामपुर के कुछ साथी यहां आये । उन्होंने बताया कि परसों ऐसा हुआ कि आल इंडिया रेडियो में दो लड़कियों का रेप हुआ और लोगों ने रेडियो स्टेशन को घेर लिया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपने जो औचित्य का प्रश्न दिया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप इसको खारिज कर दें, आपका हक लेकिन मेरी बात सुनें । उन्होंने मुझे बताया कि 15/20 हजार

आदमियों ने आल इंडिया रेडियो को घेर लिया। मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्नों की ग्राह्यता यहां पर उसूलों से नहीं चलती है, आपके हुक्म से चलती है। मैं चाहता था कि उस समय यहां पर नेता सदन भी मौजूद हैं इसलिये उनको इतला में यह बात आ जाती। लेकिन वह नहीं हो पाया। मान्यवर, आपकी यह जो कुर्सी है उसे और ऊंची जगह पर भी रख देने से उसका मुकाम नहीं बढ़ जायेगा मुकाम हासिल होगा हमारे दिलों में मुकाम हासिल करके। लिहाजा इसे ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी उस शख्स पर होती है जो उस पर बैठता है। यह सही है कि कल डोर टूटी मगर किसकी वजह से? डोर टूटने की जिम्मेदारी उस पर आती है जिसने उसे हद से ज्यादा खींचा हो।

मान्यवर, जो प्रश्न मैं कल यहां पर उठाना चाहता था वह नहीं सुना गया। व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाने का जो हमारा अधिकार था उससे हम महरूम रह गये आज जो आपका रवैया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कल यह माहौल नहीं बन सकता था। मैं आधे घन्टे तक बराबर यह समझता रहा कि अधिष्ठाता महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका देंगे और पुकारता रहा। लेकिन मेरी बात पर कोई तवज्जह नहीं दी गई। नतीजे के तौर पर मुझे बाइकाट करना पड़ा। इसकी मुझे निहायत तकलीफ है। इस पर मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या इस पीठ को किसी सदस्य के खिलाफ अपनी जिद पर भी अड़े रहने का भी हक होगा और क्या नियमों का भी ध्यान नहीं रखा जायेगा?

एक सदस्य--

क्या हाउस में यह जरूरी है कि नहीं कि टू दि प्वाइंट बोला जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय आजम खां ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है जिसको मैंने सुना भी है, वे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और पिछले सदन में भी इस सम्मानित सदन के वे सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बहुत ही अहम मसले इस सदन के सामने रखे हैं और उन मसलों पर विचार करने का मौका भी हमको मिला है। वे जानते हैं कि यह सम्मानित सदन कुछ नियमों के अन्तर्गत ही चलता है। आज इस कुर्सी पर अधिष्ठाता बैठे हों या अध्यक्ष महोदय बैठे हों वे अपने विवेक से निर्णय देते हैं और बहुत से मुद्दों को मद्देनजर रखते हुये अपना निर्णय देते हैं। इसमें माननीय सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रक्रिया नियमावली और संविधान को ध्यान में रखते हुये सदन के सम्मुख जो लम्बित विषय हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। जो निर्णय इस पीठ से दिये जाते हैं या अपेक्षा की जाती है, सम्मानित सदस्यों को उसका सम्मान करना चाहिए और नियम 314 के अन्तर्गत उस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्यों को आज नियम 301, नियम 300 या नियम 56 की जहां तक बात है, इससे पूर्व जो विधान सभा के सदस्य थे, उनको इतनी उदारता के साथ अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया गया जितना मौका आज दिया जा रहा है। इसलिये जब तक माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक यह सदन सुचारु रूप से नहीं चल पायेगा। कल जो बात हुई उस पर मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वे संयम और विवेक के साथ जो इस पीठ से निर्णय हो जाय, उनका वे सम्मान करें। उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज नहीं मिलेगा। तो कल मिलेगा उसका मौका आज नहीं तो कल मिलेगा इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

राज कुमार संजय सिंह का डेरी फेडरेशन का चेयरमैन होने तथा परिवहन मंत्री बन कर दो पदों पर रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न आपके माध्यम से उपस्थित करना चाहता हूं कि कोई भी राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य भारत के संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका के किसी अधिकारी के अधीनस्थ राज्यपाल की सहमति से ही लाभ का पद ग्रहण कर सकता है। यह मंत्री परिषद् के सदस्य राज्यपाल की सहमति से ही "ब्लेजर आफ दि गवर्नर पद सुशोभित करता है। इसलिए मंत्री परिषद् का सदस्य कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड नहीं करेगा। तो आप देखें हमारे एक माननीय मंत्री वह भी अपने ही विभाग में अपने ही अधीनस्थ किसी कर्मचारी के द्वारा अपने को अगर नियुक्त करा लेता है तो यह कौन सी प्रोप्रायरिटी है। इंडियन सोसायटीज ऐक्ट के अन्तर्गत श्री संजय सिंह जी ने जब वह पशुपालन विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने अपने को प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त करा लिया वह भी रजिस्ट्रार से जो कि उनके अधीनस्थ होता है। आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण (षष्टम संस्करण) के पृष्ठ 19 पर पैरा 67 को देखें उसमें लिखा है जब कभी सदन या सदनों की किसी समिति के सभापति या अन्य कोई सदस्य जो विधान सभा के सदस्य हों सरकार द्वारा गठित किसी समिति या शिष्ट मंडल की अध्यक्षता या सदस्यता के लिए अमंत्रित किये जायं तब वे उसे स्वीकार करने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करेंगे और यदि उनको अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त न हो तो वे उक्त समिति या शिष्ट मंडल की अध्यक्षता या सदस्यता स्वीकार करेंगे। तो इसमें साफ प्राविधान किया हुआ है। इतना ही नहीं आज वह उस विभाग में नहीं है और परिवहन विभाग के मंत्री है तब भी वहां पर चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरह से एक एनोमलस स्थिति हो गई है। पशु पालन में काम कर रहे हैं और स्वयं दूसरे विभाग में मंत्री हैं। इससे एक विषम स्थिति पैदा हो गय. है जिससे वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर घोषणायें मितव्ययिता के सम्बन्ध में की कि प्रशासन में मितव्ययिता करेंगे। लेकिन इनके लिए एक कंटेसा गाड़ी और एक एयरकंडीशंड बंगले की व्यवस्था कर ली गई है जबकि वहां कोई बोर्ड गठित नहीं है। यह स्वयं मंत्री हैं और इनके पास बंगला भी है और एम्बेसेडर गाड़ी भी है फिर किस लिए गाड़ी और बंगला वहां से लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

जब इनके पास मंत्री की हैसियत से बंगला भी है और गाड़ी भी है फिर किसलिए कंटेसा गाड़ी और एयरकंडीशंड बंगला दिया है। पशुपालन विभाग में आज काम नहीं हो रहा है उस विभाग के दूसरे मंत्री हैं वहां के अधिकारी किसकी बात मानें। जैसा मैंने आपको बताया इस पर स्पष्ट व्यवस्था दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बात न हो और माननीय मंत्री जी को निर्दिष्ट करें कि वे इस्तीफा दे दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, एक मिनट।

श्री अधिष्ठाता—

किस सम्बन्ध में ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इसी सम्बन्ध में एक बात रखना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में अपनी बात रखें ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

एक मिनट में अपनी बात कहूंगा । भारत के संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के कार्य अलग-अलग हैं । लेकिन मंत्रि परिषद् को विधायिका का भी काम करना पड़ता है और कार्यपालिका का भी काम करना पड़ता है ।

भारतीय संविधान की धारा 164(1) में स्पष्ट लिखा है कि--"मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्य मंत्री, की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे :

> 164 (2) मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

इस प्रकार भारतीय संविधान में मंत्रि परिषद का जो स्थान है वह कार्यपालिका के किसी अधिकारी का नहीं है । भारतीय संविधान में जो स्थान मंत्रि परिषद् को दिया गया है उसके अनुसार मंत्रि परिषद् का सदस्य अगर कार्यपालिका के किसी अधिकारी के अधीन कार्य करेगा तो जो गरिमा संविधान में मंत्रि परिषद् को दी गई है उसका साफ-साफ हनन होगा और इससे सदन के स्तर में गिरावट आयेगी जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान यू0 पी0 कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1965 के कई प्राविधानों की ओर आकर्षित करता हूं कि उसका धारा 68, 69, 65 ऐसी हैं जिनमें कहा गया है कि कोई भी सोसाइटी हो, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, डेरी फेडरेशन एक सोसाइटी है और उसके बारे में जांच करने की शक्ति, कार्यकलापों की जाच की शक्ति रजिस्ट्रार कोआपरेटिव में निहित करती है । मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य सोसाइटी का अध्यक्ष या अधिकारी हो और उसके कार्यकलापों को सोसाइटी का रजिस्ट्रार जांच पड़ताल करे, तो यह मंत्रि परिषद् की गरिमा और उसके स्तर को गिराने वाला काम है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परम्पराओं के स्तर को बढ़ायें लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि आपके होते हुए जो संसदीय और लोकतन्त्र का ऊंचा स्तर है उसमें गिरावट आ रही है । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रि परिषद् का स्तर घटे, भारतीय संविधान में जो स्थान मंत्रि परिषद् के सदस्यों को दिया गया है उसको मंत्रि परिषद के सदस्य नीचा करने का प्रयत्न करें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें तो इससे लोकतंत्र की गरिमा समाप्त होगी। इसलिये परिवहन मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको व्यवस्था देनी चाहिए कि मंत्रि परिषद् का कोई भी सदस्य कार्यपालिका के किसी अधिकारी के अधीन काम न करे । इस पर आप व्यवस्था दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि प्राग्दर्शक में तो लगता है कि यह बड़ा संवैधानिक सा प्रश्न है लेकिन अगर वह गहराई से देखेंगे तो वह इतना कठिन और पेचीदा नहीं है जितना कि आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है । श्रीमन्, यह डेरी फेडरेशन के बनाने में एक ईंट का पत्थर मुझको भी लगाने का अवसर मिला है आज से 23 साल पहले, लगभग 1962

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में, इसका निर्माण हुआ था और इलाहाबाद जनपद के प्रख्यात नेता और सहकारिता आन्दोलन के महान नेता श्री मंगला प्रसाद जी उसके संस्थापक चेयरमैन थे और मुझे उस समय वाइस चेयरमैन पद पर सेवा करने का अवसर मिला था। तो श्रीमन्, 3-4 साल तक डेरी फेडरेशन की दलपतपुर दुग्ध निर्माणशाला बनी थी और उस समय तक इसकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला था और इस अवधि में हमें तमाम सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, उपबन्धों को देखने और अध्ययन करने का अवसर मिला था। पहली बात यह है कि इसका नियम ऐसा नहीं है कि जिसमें चेयरमैन के नामांकन में कोई बाध्यता हो या यह हो कि इसी वर्ग का व्यक्ति होगा या मंत्री नहीं हो सकता है, या सरकारी अधिकारी ही हो सकते हैं पदेन या अपदेन। यदि ऐसा होता तो श्री मंगला प्रसाद का या मुझ सेवक को उसका व इस चेयरमैन बनने का मौका न मिलता। इसके बाद जो इसका इतिहास चक्र चला, जब आपरेशन फ्लड-एक, जो एक बड़ी दुग्ध योजना चली प्रदेश में तो उसके अन्तर्गत यह कार्य डेरी फेडरेशन को दिया गया कि यह कार्य उत्तर प्रदेश में डेरी फेडरेशन करेगा न कि विभाग।

इसके मुख्य संचालक डाक्टर कुरियन गुजरात के हैं, उन्होंने इसे सहकारिता के आधार पर चलाया तो मैंने सोचा कि इस कार्य को सरकारी डेरी फेडरेशन चलाए तो अच्छा हो। इस प्रकार यह चलाया गया तो उस समय के तत्कालीन दुग्ध मंत्री उस हमारे दुग्ध विकास विभाग के मंत्री हुए। तो इसलिए समन्वय के लिहाज से ही नहीं बल्कि चूंकि बड़ी दिलचस्पी के साथ डाक्टर संजय सिंह, सदस्य, अमेठी ने इसमें कार्य किया था, वह चेयरमैन हुए। वह व्यक्ति के नाते नहीं बल्कि इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता और अनुभव प्राप्ति के कारण वह चेयरमैन हुए। जब विभाग परिवर्तन हुआ तो यह प्रश्न उठा कि यह मंत्री के नाते था व्यक्तिगत अनुभव के नाते इसके चेयरमैन थे। डेरी फेडरेशन और उसके योग्य अधिकारियों ने इसका उत्पादन बढ़ाकर साढ़े तीन लाख लीटर तक कर दिया, इसके लिए वर्तमान एम0 डी0 चेयरमैन और दूसरे अधिकारी सभी बधाई के पात्र हैं। इस कार्य को अब और बढ़ाना है तो डा0 संजय सिंह, परिवहन मंत्री को परिवहन मंत्री के नाते नहीं, इस क्षेत्र के अनुभवी होने और एक तारतम्य रखाने के लिहाज से, कान्टीन्युटी बनी रहे, इस दृष्टि से उनको इस पद पर काम करने का अवसर दिया गया। यह परम्परा अच्छी है। तो श्रीमन्, यहां ऐसी परम्परा है। बहुत जगह मंत्री पदेन भी होते हैं, तमाम संस्थाओं में होते हैं और यह विश्वास भी होता है कि वह कार्य को अच्छी तरह से चलायेंगे और एक कान्टीन्युटी होगी और वह कार्य को अच्छी तरह चलायेंगे। तो इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक है और मंत्रिगण हर कार्य को सामूहिक आधार पर मिलकर सामूहिक दायित्व के लिहाज से काम करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह मिल्क फेडरेशन के हित में निर्णय लिया गया है और जो हमारा समझौता हुआ है उसके अनुसार कार्य चल जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहूंगा, यदि आप अनुमति दें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 हमारे पास है, उसमें दिया हुआ है कि मंत्रियों को कौन-कौन सुविधायें मिलेंगी-- ऐसा बंगला होगा, ऐसी कार होगी और इतनी तनख्वाह होगी और उसकी धारा 10 में आप देखें जो निम्न प्रकार है--"कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिए वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।" इसकी मंशा यह है कि मंत्री पर किसी तरह का कोई प्रलोभन

या दबाव न पड़ सके, इसलिए वर्जित किया गया है कि इसके अलावा वह कुछ नहीं लेंगे। आगे भी इसमें तमाम व्यवस्थायें हैं कि अगर इसके अलावा कोई सदस्य मंत्रिपरिषद् का, कुछ और सुविधा स्वीकार करता है तो वह आफिस आफ प्राफिट एमाउन्ट करेगा और वह अनर्ह हो जायेगा इस सदन की सदस्यताके लिए। मैं माननीय नेता सदन से जानना चाहता हूं, हम लोग मेम्बर हैं, आपकी पीठ से तमाम व्यवस्थायें हैं कि हमें किसी कारपोरेशन का, किसी निगम की सदस्यता के लिये आपकी पूर्वानुमति जरूरी है। अगर आपकी अनुमति नहीं लेते हैं तो हमारे खिलाफ ऐक्शन हो जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी ने इस तरह की कोई अनुमति आपकी पीठ से लिया था? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो अधिनियम उपलब्धियों के सम्बन्ध में, वेतन के बारे में बना है, क्या माननीय नेता सदन का कोई आदर उनके बारे में नहीं रहा है या सारी परम्पराओं को वह तोड़ना चाहते हैं। जिस भावना से एक अंकुश लगाया था क्या उस भावना को समाप्त कर दिया गया है? मैं यह दो बातें जानना चाहता हूं।

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बंगले की बात कही है, वह मेरा कोई व्यक्तिगत बंगला नहीं है, वह पी0 सी0 डी0 एफ0 का गेस्ट हाउस है। कार की जो चर्चा की गयी तो मेरे साथ जो अधिकारीगण जाते हैं निरीक्षण आदि के लिये वह उसमें प्रयोग होती है। न कोई पहले लाभ लिया है न लेने का इरादा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आपकी पीठ से, चेयरमैन-शिप एक्सेप्ट करने की कोई आज्ञा ली गयी है या पहले जो व्यवस्था दी गयी है उसमें कोई परिमार्जन या संशोधन कर दिया गया है। दूसरी बात जो अधिनियम की भावना की थी, हम तो उनसे सीखना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं, माननीय नेता सदन बताने की कृपा करें कि इसके पीछे जो भावना थी क्या उस भावना को तिलांजलि और तिरोहित करने का उन्होंने फैसला किया है?

(कोई उत्तर न आने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर के लिये मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं।

यह औचित्य का प्रश्न है माननीय रेवती रमण सिंह और माननीय शतरुद्र प्रकाश ने उठाया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको सुना, उनको भी सुना, माननीय नेता सदन को सुना जिनके विषय में यह था, उनको सुना। इस पर कोई विशेष विवाद की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने जो स्पष्टीकरण चाहा था उसका जबाब आना चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी ने चेयरमैनशिप एक्सेप्ट करने के लिये आपकी पीठ से कोई अनुमति लिया कि मंत्री रहते हुये उन्हें पी0 सी0 डी0 एफ0 का चेयरमैन बनने की अनुमति दी जाय। दूसरी बात मान्यवर, यह जो वेतन और सुविधाओं के बारे में अधिनियम बना है अगर इसका उल्लंघन करके दूसरी सुविधा कोई लेगा तो जब तक आपकी अनुमति

नहीं होगी वह आफिस आफ प्राफिट माना जायगा और वह व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा सदस्यता के लिये । तो यह केवल औचित्य का प्रश्न नहीं है । वह हाउस की सदस्यता के लिये अनर्ह हो गये हैं और अजनबी के रूप में बैठ गये हैं । तो यह केवल औचित्य का प्रश्न न रह कर संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । केवल दो बातों पर, पहली यह कि आपसे अनुमति ली कि नहीं दूसरी बात जो अधिनियम का वायलेशन किया है इसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दें । मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं किसी बात को दोहराऊंगा नहीं । केवल एक निवेदन छोटा सा करना चाहता हूं । कोई व्यवस्था देने के पहले आप अपने सचिवालय में अवश्य दिखवा लें कि माननीय संजय सिंह ने उक्त पद ग्रहण करते समय माननीय अध्यक्ष की अनुमति ली कि नहीं । मैं स्वयं एक कमेटी में नामिनेट किया गया था जो सदन की नहीं थी । उसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांगी गयी थी । जब लिखित रूप से अनुमति दी, तब मैं बैठक में गया । तो यह एक वैधानिक संकट पैदा हो गया है । मेरी प्रार्थना है कि आप अपने सचिवालय से जान लें कि अनुमति ली गई थी या नहीं । दूसरे जो प्रश्न हैं वह भी महत्वपूर्ण हैं । लेकिन पहले आप कृपा करके दिखवा लें । अगर अनुमति है तो ठीक है नहीं तो व्यवस्था आज स्थगित कर दें, आगे व्यवस्था दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था स्थगित कर दें ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया कि यह आफिस आफ प्राफिट है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दि उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1969 में किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने पर वह सदस्य डिस्क्वालीफाइड नहीं होता । इसलिए माननीय तिवारी जी का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह आफिस आफ प्राफिट तो है नहीं । एक गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया और उस पर बहुत बल दिया कि आपके सचिवालय से यह ढुंढ़वा लिया जाय कि कोई इसके लिए अनुमति ली गयी कि नहीं ली गयी । मान्यवर, जो इतिहास बताया गया माननीय रेवतीरमण जी द्वारा, मान्यवर, माननीय संजय सिंह जब से राज्य मंत्री थे, तब से वह इस पद पर चले आ रहे हैं, आज यह प्रश्न 1985 में उठाया जा रहा है, यह प्रश्न इससे पहले उठाया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि 4 साल तक इस पद पर आसीन रहने के बाद तक आप यह स्वीकार करते रहे ।

(घोर व्यवधान)

मैं जो बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं । आप भी अपनी उदारता का परिचय दें । आज हम कौन सी विधान सभा मे बैठे हुए हैं । कब ये अध्यक्ष बने थे और तब से ये कंटीन्यूड चल रहे हैं कि नहीं ? इससे पहले इस प्रश्न को उठाया जा सकता था, उस समय माननीय गुप्त जी और माननीय रेवतीरमण जी भी इस सम्मानित सदन के सदस्य थे । तो मान्यवर, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वतः औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि क्यः 4 साल पहले जो बात हुई थी और उसको 4 साल पहले नहीं उठा सके, तो क्या आज उस प्रश्न को उठाया जा सकता है ?

(श्री किरनपाल सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय किरनपाल सिंह जी, माननीय तिवारी जी आप लोग बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं बैठ जाऊंगा । मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले आप लोक सभा की केवल एक कार्यवाही देख लें, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के इक्सपल्शन का जो रिजोलूशन हुआ था जनता पार्टी के जमाने में, उसको अमल करने का प्रश्न दूसरी लोक सभा में उठाया गया था और उस समय भी यह प्रश्न उठा था कि यह बहुत देर में उठाया गया । मान्यवर, 4–5 महीने उस लोक सभा को गठित हुए हो गये थे । लोक सभा अध्यक्ष ने खुद कहा कि हाउस अपने बिजनेस का मास्टर है और संज्ञान में मामला कब आया और मामला कितना महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत आवश्यक बात है जिस पर किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता निर्भर करती है । उक्त मामले में स्पीकर महोदय ने जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किये थे, उसी के अनुसार श्री भगत ने लोक सभा में अपना प्रस्ताव स्पीकर की अनुमति से मूव किया था । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कोई निर्णय देने से पहले लोक सभा की उस कार्यवाही को भी देख लें । तो मान्यवर मैं चाहता हूं कि आप उन सारे मामलों को देख लें, जो लोक–सभा में बहस चली है इसी तरह के मुद्दों पर, उसके बाद आप कोई व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

शतरुद्र जी आप बैठिए । मुझे व्यवस्था देने दीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप मुझे एक मिनट में सुन लें । आप खड़े होकर व्यवस्था देंगे, तो मुझे बैठ जाना पड़ेगा, आपका सम्मान करते हुए । मान्यवर, 1982 से माननीय संजय सिंह जो उसके अध्यक्ष हैं और उस प्रकरण को अब आपके संज्ञान में लाया गया है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मान्यवर प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि जब उनको अध्यक्ष बनाया, तो उसकी सूचना पीठ को देनी होती है और अनुमति लेनी पड़ती है, तो क्या उन्होंने पीठ से अनुमति ली ? जो इस प्रकरण को अब संज्ञान में लाने की बात कही गई, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि 1985 में विधान सभा के चुनाव हुए, तो यह बात भूतपूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होती है, यह वर्तमान सदस्य के बारे में लागू होती है और नई विधान सभा गठित हुए चार–पांच महीने हुए हैं । मैं मान्यवर, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने इजाजत दी है या नहीं ? 1982 में इजाजत दी है या नहीं ? 1983 में इजाजत दी है या नहीं ? 1984 में इजाजत दी है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह बात आपकी आ चुकी है । मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को, माननीय तिवारी जी को, माननीय गुप्त जी को, माननीय रेवती रमण जी को तथा माननीय नेता सदन को सुना, जो नियमों का हवाला दिया गया है, जो बिन्दु उठाये गए हैं, उन पर अध्ययन करना आवश्यक है । विचार करना आवश्यक है । इसलिए मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं ।

(सदस्यों ने मेंजें थपथपाईं)

बस्ती जनपद में महाना थाने के सिसवां ग्राम में पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न और बलात्कार की जांच रिपोर्ट आने पर भी सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, इसी विधान सभा में 23 अगस्त, 1982 को वाद-विवाद के जरिये एक परिणाम निकला था। बस्ती जनपद में महाना थाने के अन्तर्गत, सिसवां के अन्तर्गत, पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न और बलात्कार का मामला चर्चा का विषय बना था, जब हम लोगों ने उसमें मांग की तो उस मामले में माननीय मंत्री जी ने न्यायिक जांच करने का आश्वासन दिया था। उसमें न्यायिक आयोग गठित हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की। जहां तक मुझ जानकारी है यह रिपोर्ट शासन के पास आ चुकी है। मान्यवर, मैं दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है? औचित्य का प्रश्न इस विधान सभा में बनता है। मान्यवर, कुछ अधिकार विधान सभा में माननीय अध्यक्ष को हैं कुछ कार्य करने की प्रणाली है, कुछ अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दूसरे कानूनों द्वारा मिल जाते हैं। मान्यवर, कमीशन आफ इन्क्वायरी की धारा 3 की उपधारा (3) 1952 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि कोई शासन न्यायिक आयोग गठित करेगा, तो वह आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगा, तो मान्यवर, हमारा अधिकार बन जाता है कि उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय। रिपोर्ट को आये 6 महीने हो गये। रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। मेरा विश्वास है कि शासन ने दूसरे व्यक्तियों को बचाने के नाते इस कार्यवाही को सदन के पटल पर नहीं रखा है। इसलिए मैं यह औचित्य का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो औचित्य का प्रश्न दिया है उसके पैरा नम्बर-2 में तीसरी लाइन देखें "जांच के लिए गठित की गई है उसकी उसने चार माह पूर्व अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है।" 4 माह पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट का नाम ले लिया लेकिन पाण्डेय जी ने उसको पढ़ने का कष्ट नहीं किया। इसके धारा 3 की उपधारा (4) में यह दिया हुआ है कि रिपोर्ट आने के 6 महीने के अन्दर हाउस में ले आनी चाहिए। पाण्डेय जो खुद कह रहे हैं कि 4 माह पूर्व आयी है, प्राविधान 6 माह का है। अब तो पाण्डेय जी वकालत भी पढ़ लिये हैं, कृपया किताब पढ़ कर आया करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, सदन की प्रक्रिया नियमावली और संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए मैं अस्वीकार करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा सदन में वितरण हेतु अंग्रेजी में पुस्तक मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मुझे संतोष है कि मैं औचित्य का प्रश्न उठाने जा रहा हूं और नेता सदन यहां मौजूद हैं। कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जिससे आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का शासन द्वारा सतत उल्लंघन किया जा रहा है साथ ही सदन के अधिकारों का अपहरण हो रहा है। जो प्रश्न मैं उठाने जा रहा हूं, इससे राज्य भाषा अधिनियम, 1951 की भी अवहेलना हो रही है। मान्यवर, मैं करण संख्या 211 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें दिया है कि जब किसी मद पर बहस होगी तो उससे सम्बन्धित साहित्य सदन में वितरित कर दिया जायेगा। यह भी प्राविधान किया गया है कि 6 सौ प्रतियां आपके सचिवालय में प्राप्त होंगी, अंग्रेजी में कोई चीज हो तो उसके साथ-साथ हिन्दी अनुवाद होगा। लेकिन मान्यवर, कल हरिजन समाज कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा चल रही थी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो प्रश्न कल माननीय सदन में उठ चुका और आपके पीठ से व्यवस्था हो चुकी। क्या आज वह चर्चित हो सकता है, इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री सरदार सिंह--

क्या इन्हें व्यवस्था मंत्री बना दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय सदस्या लखनऊ इस बात को समझ लें कि अध्यक्ष पीठ से दी गयी व्यवस्था पर पुर्नविचार हो सकता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह विषय कल औचित्य के रूप में उठाया गया था, इस पर कल काफी विस्तार से बहस हो चुकी है और माननीय अधिष्ठात जो यहां बिराजमान थे, उनका निर्णय हो गया है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में खेद प्रकाश किया था। यह प्रकरण समाप्त हो चुका है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

कल वाली बात का हमने उल्लेख नहीं किया है। यह तो संदर्भ दे रहा हूं। उस पुस्तक में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लाभार्थ प्रमुख योजनायें हैं। उस पुस्तक का चौथाई हिस्सा अंग्रेजी में था। उस पुस्तक को आपकी पीठ पर भेज दिया है। वह पुस्तक अंग्रेजी में थी इसलिए शासन के लोगों ने जानबूझ कर आपके सचिवालय को नहीं दिया या सचिवालय ने लेने से इंकार कर दिया। वह पुस्तक पत्रकारों को दे दी गई, अन्य स्रोतो से माननीय विधायकों को दे दी गई। इस सचिवालय में न मिलने के कारण आदरणीय सदन अपने पढ़ने के अधिकार से वंचित हो गया।

यहीं अंग्रेजी का चलन, जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हमारे प्रशासन में उसका चलन नहीं है, उसके बारे में पता लगता है कि 3/4 काम अंग्रेजी में हो रहा है। मैंने कल अंग्रेजी की बात नहीं कही थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर, यह व्यवस्था दें कि क्या आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करके शासन द्वारा जानबूझ कर अंग्रेजी में लिखी पुस्तक इस आदरणीय सदन में पहुंचाई जा सकती है ? दूसरी बात यह कि कल जो माननीय मन्त्री जी ने पुस्तक की बात कही, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि क्षमा याचना कर लें, लेकिन जो पुस्तक मैंने देखी थी, आपके पास भी वह माननीय मन्त्री जी ने पहुंचाई होगी....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, इस पर दो विन्दु गुप्त जी ने उठाये हैं। मैं उन्हें यह दिलाना चाहता हूं कि एक अंग्रेजी में शासन की पुस्तक और एक दूसरी पुस्तक का हवाला उन्होंने दिया था इस पर कल विचार हुआ था और चर्चा हुई थी। मैं यह भी जानता हूं कि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने दोनों बिन्दुओं पर अपनी व्यवस्था दी थी। इसलिये आज व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, कार्यवाही देख लें, पूरे वक्तव्य में मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस पर व्यवस्था दी ही नहीं थी। उस पर व्यवस्था सुरक्षित थी। इसलिये इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, अभी भी निगमों में अंग्रेजी में काम हो रहा है और उसके रोक की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे पास अब और कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी के साथ आपका नाम बुलाया गया था, उसी में आपका नाम लिखा है। उस समय आपको खड़े होकर बोलना चाहिये था। यह जो औचित्य का प्रश्न आपने दिया है, यह सुना जा चुका है। इसको दोबारा सुनने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह हाउस में आया ही नहीं।

यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन, 1981-82†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983††

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या तीस-ई-बी-6 (2)-82-म० क० अ०, दिनांक 1 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन, 1982-83 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1982-83 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड का अट्ठावनवी वार्षिक रिपोर्ट, 1981-82††

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की अट्ठावनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1981-82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (छठां संशोधन) नियमावली, 1983†

परिवहन मन्त्री (श्री राज कुमार संजय सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 6449-टी/तीस-4-52-के0 एम0-75-यू0 पी0 ए0-2/62 रूल-62 ए0 एम0 (6)-83, दिनांक 25 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (छठा संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(समय 1 बजकर 35 मिनट)

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री किरनपाल सिंह, श्री देव कुमार यादव, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री सरदार सिंह, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री मयंकर सिंह की लखनऊ में उप डाकपाल की हत्या के सम्बन्ध में है । श्री राम सरन तथा श्री त्रिलोक चन्द्र की मुजफ्फरनगर में हरिजन युवती के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है । श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की बांदा में बरछा बांध के निर्माण से 25 गांव उजड़ने के सम्बन्ध में है । श्री मनोहर लाल की गंगा की बाढ़ से उन्नाव में 200 गांव जलमग्न के सम्बन्ध में है । श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा की आगरा में वर्षा से जलप्लावन के सम्बन्ध में है । श्री बालेश्वर की देवरिया में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । श्री भगवती सिंह की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में है । श्री मित्रसेन की दिनांक 16-6-85 को फैजाबाद में 3 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में है । कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री कमल किशोर पांडेय, श्री विष्णुदेव, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अशोक बाजपेयी की राज कुमार संजय सिंह द्वारा कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन की अध्यक्षता के सम्बन्ध

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

में है । श्री राम आसरे वर्मा की काकोरी में स्मारक न बनाने के बारे में है । श्री राम नरेश व श्री शारदा प्रताप को समाज-कल्याण विभाग द्वारा 84-85 की छात्रवृत्ति न बटने के बारे में है । श्री मयंकर सिंह को सिंचाई विभाग में कार्यरत 6 ट्रेड यूनियन द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में है, श्री शारदानन्द अंचल की बलिया में दो आदमी की हत्या के सम्बन्ध में है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय, लखनऊ में दिन-दहाड़े एक डाकघर में दो नवयुवकों ने घुसकर पोस्ट मास्टर की हत्या कर दी और वहां से रुपया लेकर भाग गये । माननीय, यह घटना छोटी नहीं है । आज उत्तर प्रदेश में कोई कार्यालय, जहां पैसे का लेन-देन होता है, कोई संस्थान-व्यापारिक संस्थान सुरक्षित नहीं है कि वे अपने जान-माल की रक्षा कर सकें । इस घटना से यह चीज बिल्कुल सिद्ध हो गयी है ।

कल ही लखनऊ में यह घटना हुई है । बांदा में एक सिंचाई विभाग की जीप को लूट लिया गया । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चिन्ता, आक्रोश व भय व्याप्त है । प्रदेश की शांति-व्यवस्था को कायम करने में और लोगों की सुरक्षा करने में यह सरकार पूर्णतया असफल हो गई है । यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न है । पूरे प्रदेश के डाकखानों में और बैंकों के कामों में इसका बुरा प्रभाव पड़ गया है । कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । गृह विभाग के जो प्रभारी मन्त्री जी हैं, उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए । राजधानी जैसे शहर में दिन में ही खुल्लम-खुल्ला डकैतियां पड़ रही हैं और कर्मचारियों की हत्या हो रही है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज आप शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवा दें ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय, जैसा माननीय सदस्य श्री गुप्त जी ने कहा, यह घटना कल इन्द्रानगर, लखनऊ में दिन-दहाड़े घटी है । दो नवयुवक डाकखाने पर आये और लिफाफे मांगे, जब पोस्टमास्टर उनको लिफाफा देने लगे तो उन दो नवयुवकों ने उनकी हत्या कर दी । इस पर चिन्तित होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि आज सम्पूर्ण उत्तर भारत में चारों तरफ आतंकवाद और खून-खराबा फैल गया है । 5-6 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं करता था कि जो उत्तर भारत अहिंसा का पुजारी है, वह आतंकवाद की लपट में इतनी जल्दी फंस जायेगा । आज एक ही प्रश्न है लोगों के सामने कि प्रदेश को आतंकवाद से खतरा हो गया है, इसलिए इसे उससे बचाओ ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय की ग्राह्यता पर बोलें । मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय, शायद आप इसकी गम्भीरता को नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यदि मैंने इसकी गम्भीरता न समझा होता तो क्या मैं आपको इस पर कुछ कहने के लिए बुलाता ?

श्री किरनपाल सिंह—

तमाम दफ्तरों में कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना फैल गई है । सारे प्रदेश के बैंकों में और डाकखानों में, जहां पर लेन-देन का कार्य होता है, कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । है । पुलिस आपकी निष्क्रिय हो गई है। इस निष्क्रियता की वजह से श्री ललित माकन की हत्या कर दी गई, जबकि उनके घर के सामने पुलिस का एक

वैन भी खड़ा था। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करवाई जाय और पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति में सुधार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जांय।

(श्री राम चन्द्र बक्श सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बक्श जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन बिन्दुओं को न दुहरायें, जिन्हें माननीय सदस्य कह चुके हैं।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं को नहीं दुहरा रहा हूं। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह घटना दिन-दहाड़े हुई। इस घटना से पूरे प्रदेश में चिन्ता फैल गई है। राजधानी जैसे क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। विधान सभा का सत्र चल रहा है। रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं और इस आदरणीय सदन में भी कई घटनाओं पर जिक्र हो चुका है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मंत्रिमण्डल का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सत्ता पक्ष में बैठे रहें। इस पूरे मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा दे देना चाहिए।

*श्री मयंकर सिंह--

मान्यवर, इस घटना ने कानून-व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है। राजधानी में इस घटना के घट जाने के बाद गाजीपुर की पुलिस घटनास्थल पर 4 बजे पहुंची आज दो-दो घन्टे के बाद नगर क्षेत्र में, राजधानी में और सरकारी कार्यालय में इस तरह की घटना घट जाय, 10 हजार की लूट हो जाये और पोस्ट मास्टर जान से मार डाला जाय, उसके दो घन्टे बाद पुलिस पहुंचे, आप कल्पना कीजिये प्रदेश के उन जगहों पर स्थिति क्या होगी, इस आधार पर मैं आग्रह करता हूं और ग्राह्यता पर बल देता हूं और इसे स्वीकार किया जाय और इससे अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। सारे कार्यालयों में भय और आतंक छाया हुआ है।

*श्री देव कुमार यादव--

मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को दोहराना नहीं चाहता। प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटना के घटने के बाद पूरे प्रदेश में भय, असुरक्षा और आतंक की भावना व्याप्त हो गई है। माननीय सदस्यों ने आतंकवाद की ओर इशारा किया है, दिल्ली में एक माननीय सदस्य की लोमहर्षक हत्या हुई ...

श्री अधिष्ठाता--

जो विषय उठाया है उसी की ग्राह्यता पर आप बोलें।

श्री देव कुमार यादव--

जो घटना घटी है उससे ऐसा मालूम होता है कि आतंकवाद सुनियोजित तरीके से फैलाया गया था जैसे पंजाब में, ऐसा लगता है कि वैसी ही शक्तियां इस प्रदेश में सक्रिय हैं, कानून व्यवस्था भंग करके अशान्ति पैदा करना चाहती हैं। इसलिए प्रदेश में ऐसी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश कैसे हो, और ऐसी घटनायें न घटें, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक हो गया है।

श्री राम सरन--

पूरे प्रदेश में रात दिन हरिजन और हरिजन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, डकैती, कत्ल,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजनों के साथ हो रहे हैं लेकिन मान्यवर, मेरे ही पड़ोस के जिला मुजफ्फर-नगर, जहां के यह मंत्री जी हैं, हुकुम सिंह, पुरकाजी थाना के अब्दुलपुर गांव में, वहां के सुखवीर सिंह हरिजन की लड़की चारे के लिए जंगल गयी थी, जब वह चारा काट रही थी, जबरदस्ती उसे उठा कर ईख के खेत में ले गये और बलात्कार किया। ओमवती नाम है उस लड़की का, जब उसकी हालत यह हो गई कि उन्होंने सोचा कहीं फंस न जायें, तो उसका कतल कर दिया। उनके नाम हैं आत्मा राम, लिल्ला, शीश पाल, विनेश त्यागी। जब थाने में सूचना गई तो गलती को छिपाने के लिए लीपा-पोती करने के लिए मुल्जिमानों से मोटी रकम गांठने के लिए इस तरह की सूचना लिखी कि मामला दब जाय। पुलिस मान्यवर, पुरकाजी की मुलजिमानों से मिली हुई है। पूरे प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी प्रदेश में हरिजनों में इससे रोष है, शासन को इस पर ऐक्शन लेना चाहिए। इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है कि सामूहिक बलात्कार हरिजन लड़की के साथ किया जाये उसके बाद कत्ल का मामला हो यह 6-7-85 की घटना है। इसको दबाने की चेष्टा हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले पर सारी कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं कहना चाहता हूं कि ...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी, माननीय राम सरन जी ने विस्तार से कह दिया है।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं बताना चाहता हूं कि लोकमहत्व का क्यों है और अविलम्बनीय क्यों है ? जो कुछ उन्होंने कहा, उसे नहीं दोहराना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि इसे हाउस में उठाने की क्यों जरूरत पड़ी ? क्योंकि पुलिस ने उस केस को दबाने की कोशिश की। लोगों में भय और आतंक भर गया है, इसलिये अविलम्बनीय लोकमहत्व का है। जितने अत्याचार होते हैं, उनको दबाया जाता है। कोई दिन ऐसा जाता होगा जबकि ऐसी खबरें न मिलती हों चाहे वह कानपुर का मामला हो, बस्ती का हो, गोण्डा का हो या कहीं और का हो, कहीं का हो, रोजाना चर्चा होती है। हम आपसे न्याय चाहते हैं। यह केवल एक मामला नहीं है बल्कि इससे यह भावना जुड़ी हुई है कि वह हरिजन युवती थी, पुलिस को उसे दबाने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, कानपुर के मामले को भी दबाया गया। वह मामला कलेक्टर को मालूम था, एस० पी० को भी मालूम था। इसीलिये हम ऐसे मसले यहां उठाते हैं। अगर यह सदन नहीं सुनेगा, तो कहां पर कहेंगे ? मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करा दें कि कितनी घटनायें इसी सत्र के चलते घटित हुई हैं।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, बांदा जनपद की नरैनी तहसील में बरछा गांव के पास बागे नदी पर बरछा बांध प्रस्तावित है। इसे बनाने के लिये सर्वे हो रहा है, इस बांध के बनने से लगभग 25 गांवों के उजड़ने की सम्भावना है। इस गांव के लोग सहमे हुये हैं, घबड़ाये हुए हैं और परेशान हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि इस बांध के निर्माण को रोका जाय और वहां के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नदुआ बड़छा ग्राम में रंज बागे केन नदी के किनारों का विद्युतकरण किया जाय, मसौनी लिफ्ट कैनाल जो बन्द कर दी गयी है, उसका निर्माण पूरा कराया जाय, विन्ध्याचल पम्प कैनाल, जो केन नदी से लिफ्ट चलाने की योजना है, उसका कार्य प्रारम्भ किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप सिंचाई विभाग के बजट के अवसर पर इसे बोलियगा ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

ग्राह्यता पर बल इसलिये है कि इस बरछी बांध के बनने से 25 गाँव तबाह हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मैं ग्राह्यता पर बल देता हूं और 25 गांव जो उजड़ रहे हैं, तबाह होने की स्थिति में हैं, वहां के निवासियों की जायदाद और धन का ध्यान रखते हुए इसके निर्माण कार्य को रोका जाय ।

(व्यवधान)

इसको कार्यस्थगन के अन्दर लिया जाय और चर्चा करायी जाय ।

(संसदीय कार्य मन्त्री के पुकारे जाने पर)

श्री मनोहर लाल—

माननीय मैंने भी दिया है, पहले बोल लेने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जिन्होंने दिया है सबके बारे में बात करूंगा । माननीय मनोहर लाल जी, आपने जो नियम 56 में सूचना दी है, उस पर पहले से ही वक्तव्य लगा हुआ है ।

श्री मनोहर लाल—

यह मामला वैसा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें है कि गंगा की बाढ़ से 200 गाँव जलमग्न होने की बात है, उसमें लगी हुई है ।

श्री मनोहर लाल—

ठीक है, आप इसे भी उसमें जुड़वा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, अब आप बैठिये । जिन माननीय सदस्यों को अभी तक मैंने बुलवाया है उसी के सम्बन्ध में मैंने संसदीय कार्य मन्त्री को अब बुलाया है । आप लोग बैठें । मैं सबको सुनूंगा लेकिन पहले आप संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें । अभी मैं इसको समाप्त नहीं कर रहा हूं ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन्, मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी और किरनपाल सिंह जी ने जो लखनऊ जनपद में अपराध हुआ है, इस पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, तो ऐसे अपराध पर चिन्ता का होना आवश्यक है और स्वाभाविक भी है । कल सवा दो बजे दो नव युवक वहां गये और उन्होंने लिफाफा मांगा । उसके बाद पैसे के लेन-देन पर बात आगे बढ़ गयी और युवक जिनके पास हथियार था उसे उन्होंने अमरेन्द्र त्रिपाठी के ऊपर रख दिया । उसके बाद शाही के ऊपर भी हथियार रख दिया और उसके बाद गोली चला दी और वह मर गये । इस घटना से चिन्ता होना स्वाभाविक है लेकिन इस वारदात को और तमाम अपराधों से जोड़ना उचित नहीं है । पुलिस मौके पर गयी है और छान-बीन कर रही है । प्रयास इस बात का है कि जिन्होंने यह अपराध किया है उनको गिरफ्तार किया जाय । वह घटना लखनऊ की है, इसमें शाहजहांपुर आदि को जोड़ना, यह बात ठीक नहीं है । हमारा प्रयास चल रहा है कि अपराधी गिरफ्तार हों और उनको सजा हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात जो श्री राम सरन जी ने कही है, जिनका कि प्रमोशन आज ही हुआ है और आज ही वे उपनेता हो गये हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, इसे आप देखें कि यह घटना 6 जुलाई, 1985 को है और आज ये यहां इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें चार-पांच व्यक्तियों के नाम भी लिखे हुए हैं और उनकी जाति का भी इसमें उल्लेख है, उसको मैं यहां पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि फिर जातिगत मामला हो जाता है जो कि ठीक नहीं है। मेरा प्रयास है कि उनके विरुद्ध कत्ल का मुकदमा कायम हो। लेकिन आज इसे अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न बनाकर यहां खड़ा करना उचित नहीं है।

श्री राम सरन--

मुझे क्या मालूम में कोई वहां था थोड़े ही। उसी लड़की का बाप मेरे पास आया और मुझसे सब कहा। मुझे क्या पता ? मेरे पास कोई दुरबीन तो है नहीं कि मैं उसे लगाकर सारे मामले को देखता ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह बहुत सही बात है कि माननीय उपनेता श्री राम सरन के लिये लोकदल को दुरबीन की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरा आग्रह यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु के ऊपर जिस पर माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने ध्यान आकर्षित कराया है और कहा है कि यदि इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होगी तो जन-मानस में असंतोष व्याप्त होगा, यह बात ठीक है। आज ही इस घटना के बारे में जानकारी की जायेगी। यदि इसमें पुलिस की ओर से कोई लापरवाही हुई है तो इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे वह पुलिस का ही व्यक्ति क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

जो भी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद जो प्रगति होगी उसकी सूचना आपको दी जायेगी। माननीय बालेश्वर ने जो सूचना दी है, उस पर चर्चा लगी है, देवरिया में बाढ़ से सम्बन्धित उन्होंने दी है। माननीय श्री भगौती सिंह ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना दी है, उसमें पहले से ही जांच चल रही है। श्री मित्रसेन ने सूचना दी है वह सूचना है जून, 1985 की है। घटना बहुत पुरानी है इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत आती है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, वहां हिन्दू-मुस्लिम राइट हो जाने वाला है और 16 जून को 3 आदमियों की हत्या हो गयी। 6 अप्रैल को गांव में आग लगा दी गयी और लोग गांव छोड़कर भाग गये। वहां पर कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है और 10-20 आदमी मर सकते हैं तो उस घटना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बच्चों, लड़कियों को गांव से हटा दिया गया है। वहां अतलहे जमा हो गये हैं, पुलिस वहां उदासीन है, पुलिस वहां फसी हुई है 376 का मुकदमा पुलिस पर दायर है। पुलिस के लोग जो लाइन हाजिर थे, वह लोग सिविल वर्दी में आकर इन तीन लोगों की हत्या किये हैं, वहां एक तनाव पैदा हो गया है, वहां का जीवन सशंकित है। इसलिए मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न बनता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मित्रसेन जी, मैं इस समय के खतरे से इन्कार नहीं करता और जो आपने कहा उससे भी इन्कार नहीं करता किन्तु नियम 56 के अन्तर्गत

मैं उसको ग्राह्य नहीं कर सकता हूं। आपकी सारी बात सही मानते हुए नियम 56 के अन्तर्गत यह आपकी सूचना ग्राह्य नहीं हो सकती। आप पुराने सदस्य हैं किसी अन्य नियम के अन्तर्गत दिये होते।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इसी में वक्तव्य दिलवा दिया जाय स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, कोई इस तरह का तनाव वहां नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, काकोरी एक ऐतिहासिक स्थान है। स्वाधीनता संग्राम के सिलसिले में हमारे देश के कई राष्ट्र भक्त वहां पर शहीद हुए थे। 19 दिसम्बर, 1983 को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीया इंदिरा गांधी ने यह एलान किया था कि वहां पर शहीद स्मारक बनेगा, अतिथिगृह बनेगा और उसका शिलान्यास भी उन्होंने अपने कर कमलों से उसी दिन किया था। लेकिन आज तक लगभग पौने दो साल होने जा रहा है, स्वाधीनता दिवस भी नजदीक है और उसकी नींव तक नहीं पड़ी है। जहां पर शहीद स्मारक का निर्माण होना है वहां पर खेती हो रही है। कोई विधायिका हैं उस क्षेत्र की, वह संकल्प ले चुकी हैं कि माननीय इंदिरा जी ने शिलान्यास किया है तो उनका भी संकल्प है कि शहीद स्मारक वहां नहीं बनेगा, जब तक वह रहेंगी। मान्यवर, 1925 में जो लोग शहीद हुए थे उसमें राजेन्द्र नाथ लाहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल सहित 18 लोग शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में अगर यह शहीद स्मारक वहां नहीं बनाया जाता है तो जो राष्ट्र भक्त जनता है जिसके दिल में देश भक्ति की ज्वाला जल रही है, उनके दिल में रोष व्याप्त है वह इसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। कार्य स्थगन के माध्यम से शासन का ध्यान खींचने का प्रयास किया है कि पौने दो साल हो गये हैं, उसका शिलान्यास किया जा चुका है और आज तक उसकी नींव नहीं डाली गयी है, इसके बनाने में शासन ध्यान दे।

श्री अधिष्ठाता—

शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये इसे स्वीकार करता हूं।

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, गाजीपुर, लखनऊ में किसानों को मुआवजा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आज तक नहीं दिया गया है और उसके द्वारा गांव समाज की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। मान्यवर, आप सुन लें, एक मिनट...

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसे शासन को भेज दूंगा और नगर विकास का जो बजट आने वाला है, उसमें आप बोलें।

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, गाजीपुर में जो मर्डर हुआ है, उसमें भी लखनऊ विकास प्राधिकरण का हाथ है क्योंकि वह गुन्डे बदमाशों को इम्पलाय करते हैं और किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे हैं और गांव समाज की जमीन को जब्त कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं...

श्री अधिष्ठाता—

बारबार आप उसी को क्यों दुहरा रहे हैं। आप बैठिये।

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। 31 दिसम्बर को वसीम अहमद की जमीन पर बुलडोजर ले जाकर कब्जा कर लिया और उनको एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। मान्यवर,

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की है । उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने निर्देश दिया था कि जो कब्रिस्तान, मस्जिद और मकानों के विवाद हों, उनका निस्तारण करने के लिये जिला जज स्तर का कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाये । मान्यवर, उसे नियुक्त तो किया गया लेकिन और जो निर्देश थे कि किसानों को अंतरिम मुआवजा एक रुपया प्रति वर्ग फिट के हिसाब से दिया जाये और जो मुआवजा का मामला है, उसके विषय में एक टेबिल डाक की जाय । उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि एक महीने के अन्दर यह सब कार्यवाही हो जानी चाहिये, लेकिन एक साल हो गया है और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालम में····

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको इस पर भाषण की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । आपने सारी बात कह दी है ।

माननीय राम नरेश और श्री शारदा प्रताप जी ने एक सूचना दी है, नियम 56 में और वह सूचना है समाज कल्याण विभाग में 1984-85 में छात्र वृत्ति का न बंटना । कल ही इसका बजट हो गया है । यह ऐसा कोई तात्कालिक महत्व का प्रश्न नहीं है । इसको तो आप बजट भाषण में उठा सकते थे । इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

*श्री राम नरेश--

पूरे प्रदेश में छात्र परेशान हो रहे हैं····

श्री अधिष्ठाता--

कल क्यों नहीं उठाया ? कल तो बजट था ।

श्री हुकुम सिंह--

कल इसलिये नहीं उठाया कि जवाब मिल सकता था ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नरेश--

असंतोष व्याप्त है जगह-जगह पर । 84-85 की छात्रवृत्ति लड़कों को मिल जानी चाहिये थी, लेकिन वह आज तक नहीं मिल पायी है । इसका क्या कारण है जब वे और स्कूलों में जा रहे हैं, दूसरे कामों के लिये जा रहे हैं तो वे भी यहां कह रहे हैं । इसलिये यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस तरह के आदेश वहां भेज दें जिससे वहां पर जो असंतोष की ज्वाला भड़क रही है वह खतम हो जाये और उनका काम भी चल जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी ने और माननीय राणा जी ने आगरा में जल प्लावन की सूचना दी है । आज वहां पर कहां जल प्लावन हो रहा है ? ऐसी कोई बात नहीं है । इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, ये एक रात वहां पर रह आये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

जमुना नदी तो सूखी पड़ी है ।····

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

[× × ×]

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जमुना तो सूख रही है और आगरा डूब रहा है । इसी बात पर आप सुन लें ।····

(श्री विजय सिंह राणा और श्री रघुवर दयाल वर्मा के एक साथ बोलने पर)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

या तो आप राणा जी पर छोड़ दें या राणा जी आप पर छोड़ दें। एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री विजय सिंह राणा--

दो-दो मिनट का समय दोनों को दे दें।

श्री हुकुम सिंह--

दोनों को एक साथ सुन लें मान्यवर....

(हंसी)

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आगरे की स्थिति यह है कि आपने कहा कि वहां पर कोई जल-प्लावन नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले शुक्रवार को आगरे के सीनेट हाल में केन्द्रीय सरकार के जो सबसे बड़े मंत्री हैं और आपकी सरकार के सलाहकार हैं, उनका भाषण हुआ था। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति और दुर्गति आगरे की हो रही है मुझे उसको देखकर रोना आता है और आप कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जहां आप अपने घर तक खुद नहीं जा सकते इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? इससे पहले माननीय लोकपति जी वहां गये थे। संसद के एक सदस्य भी वहां गये थे उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने घर नहीं जा सका। आज ऐसी स्थिति है। नगरपालिका का जितना बजट है वह अपनी ही नगरपालिका में नहीं लगा पाता है। एक पैसा भी कसम खाने के लिए वहां के नालों की सफाई के ऊपर लगा या गया हो और यह बात सिद्ध हो जाय तो मैं अपने इस पद से इस्तीफा दे सकता हूं। यह दुर्गति वहां पर हो गई है। 4/5 साल से नालों के ऊपर अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। नालों के ऊपर जो स्वाभाविक रूप से पानी बह सकता था वह भी नहीं बह रहा है। हरिका पर्वत चौराहा सारा पानी में डूब गया है। तीन करोड़ रुपया अभी उस पर खर्च किया गया था वह सारा का सारा खत्म हो गया है। एक भी सड़क, महात्मा गांधी सड़क जो है और कई जगहों पर सड़कें टूट-टूट कर उनमें पानी भर गया है। बिजली के खम्भे सारे टूट गये हैं और उससे लोगों की मौतें हो रही हैं। जनता बहुत दुखी हो गई है।

श्री अधिष्ठाता--

आपने जल-प्लावन के विषय में सूचना दी थी और आप महापालिका और बिजली पर बोल रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

एक मिनट बोल लेने दें।

श्री अधिष्ठाता--

नगर विकास के बजट पर बोल लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने ठीक कहा कि जमुना जी सूख रही हैं और आगरे में डूबने की सूचना दे रहे हैं। आपने बिलकुल उचित फरमाया कि जमुना में पानी नहीं है और जल-प्लावन कैसे हो गया। तो यही अफसोस है जब जमुना में पानी नहीं है तो आगरा डूब रहा है। वहां हरिपर्वत, राजा मण्डी, राजा मण्डी बाजार, एम0 डी0 जैन कालेज आदि क्षेत्र में जहां कभी पानी नहीं जाता था वे हाल की वर्षा में पानी से भर गये हैं और कई मकान उसकी वजह से ढह गये हैं जिसमें लोगों की मौतें हो गयी हैं। राजा मण्डी के चौराहे पर इतना पानी भर गया कि दुकानें डूब गयी और राजा मण्डी बाजार में एक व्यक्ति जो दुकान का पानी साफ कर रहा था, की मौत हो गयी। तो राजा मण्डी, हरिपर्वत, राजा मण्डी का चौराहा, एम0 डी0 जैन कालेज तथा थाने में भी वर्षा व गन्दा पानी चला गया है। घरों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गयी है । आपने देखा होगा काजीपाड़ा और सेठ गली में जहां कभी पानी नहीं भरता था वहां भी पानी भर गया है एक तरफ यह बात रही है कि यमुना में पानी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जहां शहर में कभी पानी नहीं भरता था बरसात में वहां पर पानी भरने से लोगों की मौतें हो गयी हैं । नगरपालिका के अधिकारी सीवर लाइनों व नालों की सफाई नहीं कर रहे हैं जिससे वहां जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । तो यह इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है वहां नगर के नालों की सफाई न कराकर लाखों रुपयों का घोटाला प्रशासक ने किये हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें अकर्मण्यता है । इस पर माननीय हुकुम सिंह जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जो इतने योग्य मंत्री हैं । बिना पानी के आगरा में जल-प्लावन हो गया है । इसलिए वहां के प्रशासक के खिलाफ कार्यवाही करें और नालों की सफाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है और उधर उन्नाव डूब रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

*श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 में सूचना दी है वह बहुत अविलम्बनीय और लोक महत्व की है । एक केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के इशारे पर मरूंदा से बसधना तक बांध बन रहा है । यह बांध सिर्फ उनकी जमीन को नचाने के लिए उनके इशारे पर 50, 60 लाख रुपये देकर बांध बन रहा है जिससे उन्नाव जनपद के दो सौ गांव गंगा की धारा में, कल्याणी नदी की धारा में डूब जायेंगे । आज वहां बाढ़ आई है लेकिन मेरा दावा है कि यह पूरे साल पानी रहेगा और दो सौ गांव उसमें डूबे रहेंगे । मरूंदा से बसधना तक बांध बन जाने से पानी की निकासी का कोई प्राविधान नहीं है । आपने बाढ़ के साथ मेरी सूचना को जोड़ने की बात कही है लेकिन यह उससे भिन्न है । इस बांध के बनने से जो गंगा में पुराना पुल है वह टूट जायेगा जिसमें रेल रोड दोनों चलते हैं । इससे गंगा पार के जितने जिले हैं खासकर रायबरेली, जो राजीव गांधी जी का इलाका है, से सम्पर्क समाप्त हो जायेगा । तो इससे ज्यादा और अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता है । इसलिए मैंने नियम 56 में यह दिया है, इस पर सारा काम रोक कर चर्चा करवा दें । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें एक केन्द्रीय मंत्री भी इनवाल्व हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बात इसमें आ गयी है । मैं इसे शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दे रहा हूं । कार्य-स्थगन की जितनी सूचनाओं पर मैं निर्देश दे चुका, काफी हैं । उनको तथा बाकी को मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आपने क्या निर्देश दिया लखनऊ वाले मामले में ।

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय साथ-साथ देता गया हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

लखनऊ वाले मामले में, उप-डाकपाल की हत्या के सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

लखनऊ में जो उप-डाकपाल की हत्या के सम्बन्ध में था उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ जानकारी थी वह सदन के सामने रखी । उसके उपरांत जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रगति होती है, क्या कार्यवाही होती है जो भी रिपोर्ट हो जैसे ही वह मिले सदन के खुलने पर सदन को अवगत करा दें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, दो दिन की छुट्टी हो रही है, इसलिए सोमवार को वक्तव्य निर्धारित कर दें।

श्री हुकुम सिंह--

मैं स्वयं कह चुका हूं कि गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं और कार्यक्रम के अनुसार वक्तव्य लगा दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अगले हफ्ते में वक्तव्य दे दें।

श्री हुकुम सिंह--

ठीक है।

श्री अधिष्ठाता--

श्री राम सिंह जी ने जो सूचना दिया था मुजफ्फरनगर के बारे में उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री राम आसरे वर्मा की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज रहा हूं। शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं लेकिन शासन के पास भेज रहा हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, विधेयक आज की कार्यसूची में न रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आज की कार्यसूची में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का जिक्र नहीं है जबकि कार्य-मंत्रणा समिति से जानकारी मिली थी कि आज एजेन्डे में आयेगा। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री राजीव गांधी के सचिव से मिला था तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो तदर्थ अध्यापक हैं, बेरोजगार 20 हजार, उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको नियमित कर रहे हैं, इसलिए विधेयक को वापस ले रहे हैं, इसलिए क्या आज एजेन्डे में नहीं रखा।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

आपको याद होगा, आज विधेयक को लाना चाहिए था लेकिन, एक अनुरोध किया गया, श्री राम गोविन्द चौधरी, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने और उनके हस्ताक्षरों से पत्र मिला, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा।

श्री अधिष्ठाता--

श्री राजेन्द्र गुप्त ने एक प्रश्न उठाया लेकिन उसमें राम गोविन्द चौधरी व अन्य जो माननीय सदस्य हैं उनके अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने इसको स्थगित कर दिया था।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। ठीक है।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--श्रम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,93,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,10,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज श्रम विभाग के अनुदान पेश कर रहा हूं। हमारे मुल्क में उद्योग और खेती सब से ज्यादा महत्वपूर्ण काम हैं, जिस के अन्दर पैदावार और उद्योग के लिए मजदूरों का बड़ा अहम रोल है। इस सिलसिले में हमारे मुल्क में चूंकि बेरोजगार बहुत ज्यादा हैं, इस बेरोजगारी को देखते हुए मजदूरों की सुरक्षा के लिए और उनके हकूक को दिलाने के लिए श्रम विभाग ने बहुत सारे कार्य किये हैं। श्रम विभाग ने यह भी चाहा है कि यहां पर इंडस्ट्रियल पीस हम कायम रखें और बिना किसी व्यवधान के हमारे सारे कारखाने चलें, लेबर अनरेस्ट यहां से पूरी तरह दूर रहे और मजदूरों को उनके पूरे हकूक हम दिलायें। इस सिलसिले में हमने यहां पर कोशिश की है कि हड़तालें कम हों, यह भी कोशिश की है कि यहां पर मैनडेज अधिक हों, ताकि मजदूरों को पूरी तन्खवाह मिल सके और उनकी पूरी सुरक्षा बनी रहे।

हमारे सूबे में 1 करोड़ 35 लाख मजदूर हैं, जिनकी देखरेख करना, रहनुमाई करना हमारा, हमारी सरकार का फर्ज है। हमारे प्रदेश में 27 हजार आर्गनाइज्ड यूनियनें हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसमें 9,45,570 मजदूर काम करते हैं, बाकी मजदूर नान-आर्गनाइज्ड हैं, जो खेतिहर मजदूरों की हैं और जो अलग-अलग जगह पर काम करते हैं। तो उन 9,45,570 मजदूरों के हित के बारे में ये आर्गनाइज्ड यूनियनें समय-समय पर बातें किया करती हैं और उनको हम बातचीत के जरिये, या लेबर कोर्ट्स को रिफरेंश करके या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जरिये उनके हकूक हम उन्हें दिलाते हैं और वाद-विवाद तय करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमने खेतिहर मजदूरों के लिए 120 ब्लाकों में आर्गनाइजर मुकर्रर किये हैं, जो आनरेरी हैं। इनको हम 200 रुपया महीना देते हैं, जो यह देखभाल करते हैं कि खेतिहर मजदूर को मिनिमम वेज मिलें। यह बहुत मुश्किल काम है, जिसको हम देखभाल तहसीलदारों और ब्लाक डेवलपमेन्ट अधिकारियों के माध्यम से भी कराते हैं। इनको भी हमने लेबर आफिसर के अधिकार दिये हैं। जो हमारे आर्गनाइज्ड यूनियन मजदूर हैं, उनको हमने सारे कारखानों में करीब-करीब मिनिमम वेजेज दिला दिये हैं। केवल सहकारी चीनी मिलों में अभी यह तय नहीं हो पाया है। हमने हर कारखाने में, जिसमें 200 से अधिक मजदूर हैं, मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करा दिया है और ऐसे सारे मामलों को हम ट्राई-पारटाईट कमेटीज के द्वारा तय कराते हैं। सन् 1983 में यहां पर जो 174 हड़तालें हुई, उसमें 59 हजार मजदूरों पर असर पड़ा। सन् 1984 में 14 हड़तालें हुईं और केवल 4600 मजदूरों पर असर पड़ा और इस चालू वर्ष के प्रथम तीन महीने में 20 हुई हैं और 600 आदमियों पर उसका असर पड़ा है। हमें खुशी है कि आपस में बैठकर सारे मामले तय हो सके हैं। बिजली की कमी की वजह से पिछले साल 18,700 मजदूरों पर उसका असर पड़ा और

इस साल (1984 में) 4,600 मजदूरों पर इसका असर पड़ा है।

(इस समय 2 बज कर 30 मिनट पर अध्यक्षता कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए।)

हमने खान, केमिकल और बनस्पति के तमाम कारखानों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करवा दिया है। 165 मिलों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत रिवाइज रेट तय करवा दिये हैं और उनमें से 31 मिलों में तब्दील हो गया है, 116 मिलों में रिवाइज करने के लिए कमेटियां बनायी हैं। खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में 149 मुकदमें चलवाये हैं और 2,876 मामलों में जांच करवायी है। 1985 में खेतिहर मजदूरों के 12,709 मामलों में जांच करवायी और 105 में हमने मुकदमें चलवाये। पहाड़ी इलाकों में भी हमने मुकदमें चलवाये हैं और जांच करवायी है। वहां पर 11,652 मामलों में जांच करवाई। 1985-86 में 4,000 मामलों में मुकदमें चले और जांच करवाई। जहां तक बच्चों का सवाल है उनके लिए हमने एक कमेटी मुकर्रर की है जो अपनी रिपोर्ट दे रही ही है। इसमें भी हमारे अफसर जांच करते हैं। 130 मामलों में मुकदमें चल रहे हैं। हमने 89 लेबर सेंटर कायम किये हैं जहां पर अस्पताल हैं और उनकी जो लेडीज हैं, हमारी जो बहनें हैं उनका डिलीवरी के टाइम पर इलाज करने का इन्तजाम किया है। मान्यवर, 1983 में ई0 एस0 आई0 में मजदूरों को 6 करोड़ 91 लाख रुपये दिलवाये। 1983-84 में ई0 एस0 आई0 के अन्तर्गत 14,626 मजदूरों को 3 करोड़ 46 लाख रुपया एडवांस कराया है।

मान्यवर, ओल्ड़ एज पेंशन 60 रुपये महीने देते हैं। 1984 में हमने 74,186 लोगों को पेंशन दी है। 1981 में हमने 41,300 लोगों को पेंशन दी थी। तो इसमें भी बहुत इजाफा हुआ है और हो रहा है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मजदूरों के वेलफेयर और देखभाल का जहां तक सवाल है यह मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से, सुचारु-रूप से आपस की बात चीत, मीटिंग से तय करके किया है। मान्यवर, हमने 74 आई0 टी0 आई0 कायम किये हैं। इसमें से 36 बीमेन सेंटर्स हैं। इनके अन्दर 37,714 लोग अब तक ट्रेंड हो चुके हैं। पिछले साल हमने 9,890 सीटें बढ़ायी थीं। इसके अलावा 11 प्राइवेट आई0 टी0 आई0 को हमने रिकग्नाइज किया है और इस साल 22 को रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जो जाब ओरियेंटेड एजूकेशन की बात कही है उसी के अन्तर्गत हमने सारे प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वह जितनी ट्रेड खोलना चाहें खोलें हम उनको रिकग्नाइज करेंगे। आज के वक्त में जब तक टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जायगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती। हमारे तमाम बच्चे तालीम पाकर अपना खुद का काम कर रहे हैं। यह जो सेल्फ इम्प्लायमेंट की स्कीम है, इसमें बहुत से टेक्निकली ट्रेंड लड़कों ने हिस्सा लिया है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। जो लड़के नौकरी की तलाश में रहते थे वह इसमें गये हैं और कामयाबी हासिल की है और एक अच्छा एटमासफियर पैदा हुआ है लोगों में अपने हाथ से काम करने का।

हमारे जो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के सेन्टर्स हैं, वह 96 हैं और उसमें 45 कोचिंग सेन्टर्स हैं। इसके अन्दर जो रजिस्टर्ड हैं, वह 9,54,105 हैं और जो सन् 1984 में रजिस्टर्ड हुए हैं, वह 18,77,041 हैं। ऐसे ही जिनको हमने इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये नौकरी दिलाया, वह 31,632 हैं। जिनको सेल्फ इम्प्लायमेंट से काम मिला है, उनकी तादाद 28,544 है। जो

इन्वैलिड हैं, उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग सेन्टर खोला है, ताकि उनको भी नौकरी मिल सके । हमने टाइप में ट्रेनिंग देने के लिए सेन्टर्स खोल रखे हैं । हमने आगरा, बरेली तथा प्रतापगढ़ में मोबाइल ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया है । श्रम विभाग इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से, टेक्निकल एजूकेशन के माध्यम से और आई0 टी0 आई0 के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड कर रहा है । हमारा श्रम विभाग कोशिश कर रहा है कि मजदूर के साथ, खेतिहर के साथ और कारखाना मजदूर के साथ इन्साफ हो । हमारे कन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में कुछ शिकायत हुई थी, उसके लिए हमने नया लेबर बोर्ड बनाया है, जो जाकर कारखाने के कंट्रैक्ट लेबर से मिल कर, उनको मिनिमम वेजेज दिलाने की कोशिश करेगा । हमने मिनिमम वेजेज का एक ड्राइव चलाया है । हम हर एक मजदूर को, हर एक श्रमिक को मिनिमम वेजेज दिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह खेती में हों, चाहे वह कारखाने में हों, चाहे वह किसी छोटी दूकान पर काम करने वाले हैं । आजकल बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि नर्सरी स्कूलों में जो मास्टर और हमारी बहनें काम करती हैं, उनको मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है । इसका हमने मुआइना कराया है और हम उनको नोटिस दे रहे हैं, हम डाइरेक्शन्स दे हैं । हम उनको इस आशय का डाइरेक्शन्स दे रहे हैं कि जो इन्स्टीट्यूशन्स मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे हैं, वह उनको मिनिमम वेजेज दें । नर्सरी स्कूलों के प्रबन्धकों का कहना है कि नर्सरी क्लासेज में पढ़ाने वाले टीचर्स के टाइमिंग्स, ड्यूरेशन्स बहुत कम होते हैं, ये केवल तीन-चार घंटे ही काम करते हैं और अन्य क्लासेज के टीचर्स 9 घंटे काम करते हैं । तो इसके लिए हम यह तय कर रहे हैं कि जिस तरह से जो अन्य टीचर्स क्लासेज लेते हैं और 9 घंटे काम करते हैं, उसी तरह से इन टीचर्स से भी अन्य क्लासेज लिए जायं उनसे 8-9 घंटे काम लें और उनको पूरी मिनिमम वेजेज दी जाय । इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से मेरी दरख्वास्त है कि इसको पास किया जाय ।

*श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी श्रम मंत्री जी का वक्तव्य जो उनकी सरकार का वक्तव्य है, हम सबने सुना और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपकी सरकार, आपका विभाग पूर्णतया श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी और जन-विरोधी है । इतना ही नहीं यह पूर्णतः पूंजीवादी परस्त सरकार है और उसी तरह की नीतियां चला रही है । अब मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं । बेरोजगारी की समस्या करोड़ों-करोड़ों लोगों की देश में और प्रदेश में है । कितने ही लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और आप हर बार यह कहते हैं कि हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर रहे हैं । लाखों लोग बेरोजगार फिर रहे हैं वह सबसे कहते हैं हमें नौकरियां दिलाइये । पढ़े-लिखे और गैर पढ़े-लिखे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी कहते हैं कि नौकरी दिलाइये, लेकिन यह सरकार काम नहीं दिला पाती है। बेरोजगार भूखों मर रहे हैं तबाह हो रहे हैं। हमारी जनता की मांग है कि हमें नौकरी सरकार दे या तो बेरोजगारी भत्ता दे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, यह कटौती के प्रस्ताव पर चाहे जो कह लें, यह उचित नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने, जो मंत्री रह चुके हैं उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, उसमें कहा गया कि श्रमिक विरोधी और जन विरोधी है। जबकि आज श्रम का महत्वपूर्ण बजट पेश हो रहा है। यह सरकार वह है, जो जनादेश प्राप्त करके चुनकर आई है, इसे जन विरोधी कहना उचित नहीं है। जन विरोधी शब्द जो इन्होंने कहा यह इन्हें नहीं कहना चाहिए था, इसको कार्यवाही में नहीं होना चाहिए अगर यह जनप्रिय होते, तो वहां नहीं होते बल्कि जहां हम हैं, यहां होते।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं उठता है। यह संसदीय शब्द है।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

इसको वापस ले लें। यह औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राम सजीवन--

मैं तो कहता हूं कि यह जन विरोधी ही नहीं घोर जन विरोधी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, इनकी जिम्मेदारी सदन में शान्ति रखने की है। हमारी जिम्मेदारी चाहे कम हो . .

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि लाखों बेरोजगार नवयुवक प्रदेश में मारे-मारे फिर रहे हैं। यह सरकार उनको काम नहीं दे पाती है। पढ़ी-लिखी लड़कियां भी आप लोगों से कहती होंगी कि काम दिलाइये। तमाम झूठे वादे आप लोग करते होंगे। कल आइयेगा, परसों आइयेगा, यही लगाये रहते हैं और काम नहीं दिला पाती हैं तो मेरा कहना है या तो काम दिलाइये, जन विरोधी नीतियों को त्यागिये वरना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दीजिये। केरल प्रदेश में केरल की सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। बिहार सरकार निर्णय लेने वाली है अभी लिया नहीं है। लेकिन दूसरे सूबों में भत्ता दिया जा रहा है। आप भी भत्ता की व्यवस्था करें। असंगठित मजदूरों के बारे में मंत्री जी ने कहा कृषि मजदूरों को पूरी मजदूरी दिला रहे हैं। कृषि मजदूर को कहीं भी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। जो मजदूरी आपने तय किया है एक तो वह कम है दूसरे जो तय किया है उसको दिला नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म हैं सरकार जोर लगाए, कोशिश करें तो कृषि मजदूर को मजदूरी दिलाई जा सकती है। श्रम कानून के बारे में मंत्री जी ने कहा कि सब लागू हैं।

आप देखिए पीलीभीत, लखीमपुर, नैनीताल में तराई जिलों में बड़े-बड़े फार्म हैं। वहां पर कृषि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। यह आप सबका कर्त्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है कि कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाई जाय। मजदूरी का भुगतान प्रभावशाली ढंग से कराया जाय। इस सम्बन्ध में सख्ती से कम किया जाय। यह सम्भव है लेकिन सरकार की ढिलाई, अक्षमता, तथा इनके विभाग की ढिलाई से कृषि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। उदाहरणार्थ राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजकीय सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम में जो मजदूरी का रेट तय है, उस रेट से मजदूरी नहीं मिल रही है।

माननीय, हर विभाग का नाम जिम्मेदारी के साथ बताना जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने असंगठित मजदूरों के कल्याण के बारे में कोई चर्चा नहीं की। उनके कल्याण के लिए अस्पताल, उनके खेलकूद के साधन, शिक्षा की सुविधायें, आदि बातों पर मंत्री जी ने चर्चा नहीं की। इनकी सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो मजदूर और मालिक में झगड़ा हो जाता है, पहले तो सरकार मालिक का पक्ष लेती है, मजदूरों की मदद नहीं करती, उनका मुकदमा पहले तो अदालत में भेजा नहीं जाता है रेफरेन्स के लिए। अगर भेजा गया और अदालत से मजदूर के पक्ष में फैसला हो गया तो मालिक हाईकोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि मजदूर तबाह हो जाता है, न नौकरी मिलती है, न फंड मिलता है, वह तबाह हो जाता है। यह लम्बा प्रोसीजर है, इसमें सरलीकरण करना चाहिये और इसको दुरुस्त करना चाहिए। सरकार ने त्रिपक्षीय समझौता वार्ता की नीति को इधर कुछ दिनों से छोड़ दिया है। त्रिपक्षीय वार्ता के जरिये से मजदूरों की बहुत सी समस्याएं हल हो जाती थीं। लेकिन उनको छोड़ देने से अब उधर भी कोई रास्ता मजदूरों के पास नहीं है कि अपने हित की बात वहां से करवा सकें। इसको मंत्री जी को देखना चाहिये और इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहिए। त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाना चाहिए।

श्री विजय सिंह रणा--

ये तो राजीव गांधी के बंधुवा मजदूर हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री राम सजीवन--

मजदूरों के साथ अत्याचार होते हैं। यह उसे रोक नहीं पाते। जैसे रजिस्टरों पर मजदूरों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिखा जायगा। उनको वेज स्लिप नहीं दी जाती हैं। कंजुअल ठेकेदार मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। इसी तरह से ओवर टाइम का डबल पैसा नहीं देते हैं। बीमा योजना का पैसा काटते हैं लेकिन अपना हिस्सा जमा नहीं करते। इसी तरह से श्रमिकों के हित की जो तमाम छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसको सरकार लागू नहीं करती है।

राजकीय क्षेत्र के मजदूरों को लीजिए। यही हाल यहां भी है। बिजली बोर्ड, सिंचाई विभाग इनके तमाम मजदूरों को वर्क चार्ज (मस्टर रोल) पर मजदूरों को नौकरी से निकाल देते हैं। बहुत दिनों तक काम कराया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है और फिर भर्ती की जाती है। इस तरह से मजदूरों का उत्पीड़न लगातार होता है, उसे रोका जाना चाहिये। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं देती है। सिंचाई विभाग को मैंने बताया, पी0 डब्लू0 डी0 को मैंने बताया, अब आवास विकास परिषद और राज्य सेतु निगम, इनमें आप देखें सैकड़ों, हजारों मजदूर काम करते हैं और उनको निकाल दिया जाता है और फिर दूसरी भर्ती करते हैं। इस तरह की व्यवस्था से मजदूरों का उत्पीड़न होता है। इस व्यवस्था को रोका जाना चाहिए और सरकारी क्षेत्र में जो कान्ट्रैक्ट लेबर मंत्री जी ने बताया, इसको खतम करना चाहिये। संविदा श्रम मजदूर प्रथा को समाप्त करना चाहिए। इसके बजाय मजदूरों को परमानेंट रूप से रख कर काम कराना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार मई दिवस मजदूरों का प्रसिद्ध त्यौहार है। उस दिन मजदूरों की छुट्टी (सवेतन) घोषित करनी चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है। और कृषि मजदूरों के बारे में विशेष रूप से निवेदन कर दूं। आप कहते हैं कि बंधुवा मजदूरी हमने खत्म कर दी, लेकिन बंधुआ मजदूर उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। उनको पुनर्वासित

करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । बंधुवा मजदूर प्रथा को खत्म करने के लिए आप मुकदमा चलाते हैं । मुकदमें चलाने से कोई फायदा नहीं होता, उसमें काफी समय लग जाता है । आप उनको प्रशासकीय स्तर पर कुछ मदद कर सकते हैं ।

आपने आज घोषणा की कि साल भर में 115 बंधुवा मजदूरों को आप मुक्त करा पाए । प्रदेश में लाखों बंधुवा मजदूर हैं । मेरा अनुरोध है कि आप बंधुवा मजदूरी खत्म करायें, उनकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, उनको पुनर्वासित करने की दिशा में कदम उठायें ।

कृषि क्षेत्र में थ्रेशर आदि में यदि कोई मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसे मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं की है । कृषि मजदूरों को दुर्घटना-ग्रस्त होने पर मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

मजदूरों की गिनती लाखों में बतायी गयी, मैं कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों की सर्वाधिक संख्या कृषि क्षेत्र में हैं । न उन मजदूरों को आप उचित मजदूरी दिला पाते हैं और न अन्य सुविधाएं दे पाते हैं । वे काम करते-करते बूढ़े जर्जर-जर्जर होकर मर जाते हैं । आप कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था करें । केरल की सरकार पेंशन दे रही है । आप कह सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं । आर्थिक रूप से जो विपन्न हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हैं, उनको आप दे रहे हैं । लेकिन, जो विपन्न हैं, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, उनकी सन्तानें हैं, उनको आप पेंशन नहीं देते हैं, चाहे वे कितने ही गरीब क्यों न हो । इसमें सुधार की जरूरत है । यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, भले ही उसकी संतान हो, यदि वे विपन्न हैं, तो उसको वृद्धावस्था पेंशन देनी चाहिये । आप नियमों में संशोधन करें । चुनाव के समय तो इसमें आपने काफी उदारता दिखायी, बहुत से ऐसे लोग पा गये, जो गरीब थे ही नहीं, इस श्रेणी में आते ही नहीं थे । लेकिन इधर चुनाव के बाद उसमें कमी आयी है । आप उसकी विपन्नता को लक्ष्य मानकर, उसकी गरीबी को लक्ष्य मानकर, संतान होने की दशा में भी, आप वृद्धावस्था पेंशन दें । यह ज्यादा अच्छी और सुविधा की बात होगी ।

सेवा शर्तों तथा अन्य समस्याओं के लिए संगठन मजदूर क्षेत्र में आपकी जो कमेटियां बनतीं हैं, उसके लिए भारत सरकार ने एक नीति निर्धारित की है कि सभी केन्द्रीय यूनियनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । लेकिन आप उसका पालन नहीं करते । पक्षपात करके आप ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं जो सरकार की हां में हां मिलाते हैं । परिणाम यह होता है कि मजदूरों की जो समस्यायें होती हैं, वह श्रम विभाग के सामने में नहीं आ पाती हैं और उसे समस्याओं को सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिल पाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पक्षपातपूर्ण राजनीति को खत्म करके केन्द्रीय यूनियनों को उसमें प्रतिनिधित्व दें ।

अखबारों के बारे में कहना चाहता हूं । अखबार के जो मालिक हैं, वे पत्रकारों और कर्मचारियों का शोषण करते हैं । जो कानून बने हुए हैं, उन्हें लागू करने में सरकार पूरी कोताही दिखाती है । इससे होता यह है कि कर्मचारी और पत्रकार स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं हो पाती है और अखबारों पर प्रतिक्रियावादी पूंजी परस्त मालिकों का वर्चस्व कायम होता है । इसलिए भी यह मजदूर विरोधी दिशा बनती है । इसलिए मेरी आप से मांग है कि आप इन श्रमजीवी पत्रकारों और कर्मचारियों को न्याय दिलवायें । और जो आपके कानून बने हैं, उनका कड़ाई से पालन करवायें । उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करवायें ।

अब मैं आनन्द शुगर मिल खलीलाबाद, बस्ती के बारे में कहना चाहता हूं

जबकि यह मिल बीमार नहीं है, लेकिन मजदूर इसे बीमार घोषित कर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं लेकिन जब मजदूर इसे रोकते हैं तो यह सरकार उनके प्रति अन्यायपूर्ण रवैया अख्तियार करती है । आप इसे ठीक करें यदि यह ठीक नहीं हो पाती है, इसे आप अधिग्रहीत करें । कानपुर की जो शुगर मिल है, उसका भी यही हाल है । कई दिनों से वहां के मजदूरों की मांग होती आई है कि सरकार इसे अधिग्रहण कर ले । मैं चाहूंगा कि मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे अधिग्रहीत कर ले ताकि मजदूरों का जो शोषण यहां पर हो रहा है, वह खत्म हो और बेरोजगारी की समस्या पैदा न हो । राज्य कताई मिल में, मन्त्री जी, मैं अवगत कराना चाहता हूं, मजदूरों को 5 रुपये प्रति दिन काम कराया जाता है और आप कह सकते हैं कि वह ट्रेनीज हैं लेकिन उनको 6 महीने बाद स्थाई हो जाना चाहिए परन्तु उनको स्थाई नहीं किया जाता और इनसे साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक काम कराते हैं । इस तरह से उनका शोषण, उत्पीड़न होता है । मैं उदाहरण दे सकता हूं बाराबंकी अकबरपुर, मऊ, रायबरेली की कताई मिलों में यही हालत है । थोड़े नहीं हजारों की संख्या में मजदूर हैं । आप से निवेदन है यह स्थिति खत्म करें ।

आई० टी० आई० में बहुत सुधार की आवश्यकता है । जो ट्रेड, मशीनें, यंत्र आदि हैं, बहुत पुराने हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है, नये यन्त्र लगाये जायें ताकि अच्छी ट्रेनिंग पा कर लड़के अच्छा काम कर सकें ।

श्रम विभाग में मजदूरों के सस्ता और शीघ्रता से न्याय मिलना लगभग असम्भव हो गया है और जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, बड़ी लम्बी प्रक्रिया है, यह मजदूरों के लिए बहुत ही घातक है उसमें सुधार कीजिये ताकि मजदूरों को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके ।

इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि की सुविधायें मजदूरों को नहीं मिल रही हैं जो निर्धारित है । इस लिए जो सरकारी मशीनरी है वह बहुत लुंज पुंज है, वह दिलचस्पी नहीं लेते । इस लिए निवेदन है कि इन समस्यओं के बारे में ध्यान दें और कानून को कड़ाई से लागू करें ।

प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी-- बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । सत्ता पक्ष की तरफ से बड़े जोरों से ऐलान किया जाता है, सन् 1980 से लगातार एलान करते रहे हैं। आप भी जानते हैं मान्यवर, ये कहते रहे हैं कि मजदूरों को प्रबन्ध में भागीदारी देंगे । पांच छः साल हो गये, भागीदारी तो दूर रही उनके हित के भी कार्य नहीं करते । इस तरह से मजदूर आन्दोलन को आप धोखा दे रहे हैं । केन्द्र से कुछ मजदूरों को भागीदारी देने की बात करते हैं, आपसे निवेदन है आप भी कोई योजना बनाइये । परिवहन विभाग है, विद्युत् विभाग है, किसी विभाग में मजदूरों की भागीदारी की रूप रेखा बनाइये, उसको लागू करिये जिससे आप का भी कुछ नाम रोशन हो । मन्त्री जी आपने पढ़ दिया, आंकड़े बता दिये, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है । मैं जोर देकर कहता हूं कि मजदूर की भागीदारी जब तक प्रबन्ध में नहीं होगी, देश में उत्पादन नहीं होगा, विकास नहीं होगा । अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी ने जो श्रम विभाग का बजट प्रस्तुत किया है इस सम्मानित सदन में, मैं उसका स्वागत करती हूं और कटौती की बात तो विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कहने को भूल गये, लेकिन उसमें कटौती की जो भावना छिपी हुई है, उसका विरोध करती हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे ऐसा लगा कि श्रम विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर, जो सम्मानित सदस्य विरोध पक्ष से अपने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से जो कुछ भी सन्देश देंगे, उससे कुछ सीखेंगे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्रजा-तांत्रिक ढांचे में, जहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी काफी होती है, वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। हम हर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन यह भी विश्वास दिलाते हैं कि कहीं-कहीं गलती होती है, उस गलती की ओर विपक्ष के साथियों का ध्यान जाय, उसका स्वागत करेंगे। विपक्ष के जो भाई बोल रहे थे, बड़ी तेजी से उन्होंने "विरोध, विरोध और जनविरोध" कहा। इसी को कहते रहे, कहीं बन्धुआ मजदूर पर आ गये और कहीं वृद्धावस्था पेंशन पर आ गये। श्रमिक के बीच में काम करने और अपनी स्वयं की भागी-दारी देने के बाद भाषायें बदल जाती हैं क्योंकि यह भाषा जो आज सम्मानित सदन में प्रस्तुत कर रही हूं, उससे बात होती है। श्रमिक इस भारत देश की नींव के पत्थर हैं और उनका सम्मान चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे विपक्ष के सदस्य हों' सभी को करना है। एक मिल, मिल मालिक बनाता है। लेकिन जब तक वह चल नहीं सकती है जब तक मजदूर अपना पसीना नहीं बहाता। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में ले लीजिये चाहे खेती के पक्ष में लें, या मिलों के पक्ष में लें, हर जगह श्रमिक अपना महत्व रखते हैं। मैं इस सरकार को बधाई इसलिये देती हूं कि श्रमिक की तरफ वर्तमान सरकार का पूरा ध्यान है किसी तरह की कोई कमी नहीं है।

मैं कुछ बातों की तरफ माननीय साथी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि बंधुआ मजदूर की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है। श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश की जो पुस्तक मिली है, उसके 15वें पेज पर लिखा हुआ है कि--"सूत्र संख्या 6 बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन--बंधुआ श्रम प्रथा की समाप्ति के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिनांक 24-10-75 को एक अध्यादेश निर्गत किया था। उसके बाद में दि बान्डेड लेबर सिस्टम (एबालिशन) ऐक्ट, 1976 भारत सरकार के अध्यादेश के लागू होने की तारीख से लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 10 में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस अधिनियम के प्राविधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।"

"मान्यवर, हम सब को इस चीज का पता है कि यह जो लेबर ऐक्ट है यह भारत सरकार से सम्बन्धित है और वहां से ही जो हमें आदेश आते हैं, जिस प्रकार का कार्यक्रम वह हमको सौंपते हैं, हम उसी को करते हैं।

अभी हमारे साथी वृद्धावस्था पेन्शन की बात कर रहे थे। वृद्धावस्था पेन्शन में वृद्ध भी आते हैं और वृद्धायें भी आती हैं इसमें वृद्ध पुरुष की आयु 65 वर्ष और वृद्धाओं की आयु 63 वर्ष की दी हुई है। इसमें हमारे माननीय साथी एक संशोधन कर लें कि जिसके लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, उनको वृद्धावस्था पेन्शन मिलती है। जिनके लड़कियां ही हैं उनकी परवरिश हो सकती है। लेकिन जिनके लड़के हैं उस पुरुष को सरकार वृद्धावस्था पेन्शन नहीं देती है। हम समझते हैं कि हर एक लड़के को जो कि नौजवान हैं और जिसके माता-पिता वृद्ध हो गये हैं, तो यह हर एक नौजवान का कर्तव्य है कि वह अपने मां-बाप की परवरिश करे, उनके लिए हमारे यहां पेन्शन की सुविधा नहीं है और यह ठीक ही है।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि वे अपने माध्यम से भारत सरकार से इनमें जो बुनियादी मुद्दे हैं, इसमें कुछ संशोधन अवश्य करा दें। जैसे किसी 66 वर्ष की स्त्री के आगे-पीछे कोई न हो, घर न हो, उसका कोई जरिया

एक वक्त की रोटी खाने का न हो, वह सड़क पर पड़ी रहे। तो मान्यवर, सर्दी में वह ठिठुरती रहे, गर्मी में झुलसती रहे और बरसात में भीगती रहे ? इसमें निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे भारत सरकार के पास इस सन्देश को पहुंचाने की कोशिश करें और यह निराश्रित की जो परिभाषा, जिसने भी इस परिभाषा को परिभाषित किया हो, लगता है कि उसने वृद्धाओं को नजदीक से नहीं देखा है, कैसे यह लिखा गया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

लगता है कि जैसे आपने ही पास से उन्हें देखा है। इसका तो संबंध समाज कल्याण विभाग से है ? श्रम विभाग से इसका क्या संबंध ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, जब उम्र बढ़ती है तो आदमी वृद्ध महसूस करता है। क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगी कि इसका संबंध श्रम विभाग से है। फिर से क्षमा चाहूंगी कि कहना पड़ता है कि साहित्य तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं यही कारण है कि कहीं समाज कल्याण विभाग में चले जाते हैं। मैं आपको बतलाती हूं कि श्रम विभाग से इसका सीधासीधा संबंध है। उनकी अलग इसमें मान्यतायें हैं।

मान्यवर, मजदूरों को तकनीकी शिक्षा देने के लिये हर जिले में आई० टी० आई० खोले गये हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि अनपढ़ी ग्रेजुएट ही हो। जितनी भी उसकी शिक्षा है उसी मापदण्ड के अनुसार उनको वहां तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। हम यह नहीं कहते कि हर एक को नौकरी मिल जाती है। लेकिन हमारा यह प्रयास जरूर होता है कि वह अपने अन्दर अधिक से अधिकतम योग्यता बढ़ा ले जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

एक बात और कहना चाहती हूं जैसे कि हमारे योग्यतम साथी शतरुद्र प्रकाश, मा० ओझा जी ने उनसे में यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां एक ही बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या की मान्यवर, आज सरकार का पूरा प्रयास है कि हर मजदूर को झोपड़ी मिले, रोजी मिले, हर मजदूर आत्मनिर्भर हो कर अपने काम को कर सके, यह हमारा प्रयास है। मान्यवर, मैं अपने उन सदस्यों को जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आज मजदूरों के बीच में थोड़ी तकलीफ सहें और तकलीफ सहन के बाद में आप देखिये कि आप अपने बच्चों और योग्य बच्चों को योग्यतम बना सकते हैं। लेकिन मान्यवर, परम्पराओं में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां की संतान का आज उनकी समस्याओं के निवारण का आज उनकी आत्मनिर्भरता का और आज उनके अपने पैरों पर खड़े होने का बहुत जटिल प्रश्न है।

मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि हम और आप जो आज कमी है, उसमें साथ चलें मजदूरों के साथ, और साथ चलकर मजदूरों के साथ जो उनकी समस्यायें हैं उनको दूर करें, तब पता लगता है कि काम को कैसे किया जाता है। मैं यह नहीं कहती हूं कि आप इस वर्ग से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन यह जरूर कहूंगी कि उनको साथ लेकर उनको ऊपर बढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने उन मजदूरों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो कि सड़क पर पड़े हुए ठिठुर रहे थे, झुलस रहे थे, भीग रहे थे उनको किस तरह से ले जाकर बस्तियों में बसाया है। आज कहते हैं कि 5 वर्ष पूरे हो गये हैं और छठवां वर्ष शुरू हो गया। तो उनकी समस्याओं का निराकरण इसलिए नहीं कर सके हैं कि बौद्धिक स्तर उनका जितना ऊंचा होना चाहिये उसमें अभी कमी है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं बैठ रही हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाखों-लाख, करोड़ों और ऐसे इंसानों का बजट श्रम विभाग का जिस माहौल में माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसकी कटु निन्दा करता हूं ।

मान्यवर, माइक खराब है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप दूसरे माइक पर आ जायं ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

आज ऐसे मजदूरों का बजट पेश किया गया है जो आज लाखों-लाख की संख्या में है चाहे वह कानपुर में काम करते हों, चाहे गाजियाबाद में काम करते हो, चाहे मोदीनगर में काम करते हों, चाहे गोरखपुर में काम करते हों और चाहे सीतापुर में काम करते हों या कहीं भी काम करते हों आज शाम को जब वह रेडियों पर सुनेंगे कि उनके बारे में श्रम मंत्री ने क्या घोषणा की है, कल अखबारों में पढ़ेंगे कि घोषणा हुई है तो पायेंगे कि श्रम मंत्री ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है अपने बजट में जिससे उनको कोई राहत मिली हो । जो मंत्री जी ने भाषण दिया मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था । मैं सोच रहा था कि श्रम मंत्री ऐसी घोषणा करेंगे जिससे श्रमिकों के अन्दर जो असंतोष पैदा हो गया है जो पूंजीपति की तरफ हमारी बढ़ती हुई सरकार है इसके खिलाफ जो एक भावना श्रमिकों के अन्दर जागृत हो गयी है, श्रम विभाग के प्रति एक असंतोष पैदा हो गया है, वह दूर होगा । लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोई घोषणा न तो बोनस के बारे में की, न ग्रेच्युटी के बारे में कोई घोषणा की न कार्य दिवसों की हानि के बारे में कोई घोषणा की और न मजदूरों की हड़ताल के बारे में कोई घोषणा की । इसी प्रकार के तमाम ऐसे सवाल हैं, जिनका जिक्र नहीं किया गया है । आज मैं उनका जिक्र करूंगा जो नंगे, भूखे और असहाय लोग हैं । ऐसे करोड़ों लोग हैं ।

12 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एम० ए० और बी० ए० की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस तरह के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से रोजगार देना चाहते हैं । माननीय मन्त्री जी को पता नहीं है कि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र जो हैं, वह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं । माननीय मन्त्री जी को पता भी नहीं है कि जो निदेशक हैं, प्रशिक्षण केन्द्र के वह सारा सामान जो प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोग के लिए आता है, उनके घर पर चला जा रहा है । निदेशक का घर यहां लखनऊ में बन रहा है, जो डाइरेक्टर हैं उनका मकान यहां लखनऊ में बन रहा है । बिजली की फिटिंग्स का सामान और लकड़ी का सामान जो प्रशिक्षण केन्द्र पर खर्च होना चाहिये वह उनके घर पर खर्च हो रहा है, उनके मकान में लग रहा है तो इस तरह की कोई भी घोषणा माननीय मन्त्री जी ने नहीं की । इसकी घोषणा उनको करना चाहिये था । मैं चार लाइन की एक कविता आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं--

"जिनके आंगन उजालों से महरूम हैं।
जिनके कच्चे घरों पर सहन तक नहीं।
जिनको जीते जी रोटी मयस्सर नहीं ।
जिनको मरने पे हासिल कफन तक नहीं।"

इस तरह आप देख लें कि जो लोग खून पसीना बहाते हैं और जिनके बल पर हम लोग यहां पर बैठे हैं, इस आलीशान भवन में यहां पर बैठे हैं, इसको क्या हमने बनाया है, नहीं, इसको उन मजदूरों ने बनाया है जिनको 14 रु0

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और 15 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये। 1948 का न्यूनतम वेतन मजदूरी कानून बना है, लेकिन उसके अनुसार उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की कोई घोषणा माननीय मन्त्री जी ने नहीं किया है। अब मैं आंकड़ों पर आता हूं। जो हम लोगों को साहित्य दिया गया है, उसी को आप देखें तो पता चल जायेगा कि मजदूरों को कितनी दुर्घटनायें होती हैं, उनको रोकने के लिए शासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि 1979 में 15,695 दुर्घटनायें हुईं, 1980 में 28,794 दुर्घटनायें हुईं—जिनमें श्रमिक मारे गये अथवा मरे और 1983 में 29,339 दुर्घटनायें कल कारखानों में हुईं। तो आप देखेंगे कि इनकी संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है।

मान्यवर, 1983 के बाद के आंकड़े नहीं मिल सके हैं। दुर्घटनायें बढ़ती ही चली गई हैं और सरकार द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है कि इनको रोका जाये। दुर्घटनायें जब होती हैं तो आप उन मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और उन श्रमिकों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, मजदूर लेकिन मरते रहते हैं। हड़तालें होती हैं और काम बन्द हो जाता है, परन्तु इस ओर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं एम0 पी0 था तो 10 हजार से 87 हजार तक मजदूरों को मुआवजा दिलवाया, उनके मरने पर। तो आप का जो कानून बना है, उसमें तबदीली लानी चाहिये जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि दुर्घटनायें न हों और मजदूरों में काम करने का साहस बढ़ाये। जब तक कि औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं होंगे, उस समय तक उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो यह प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे होने चाहिये। औद्योगिक सम्बन्ध तभी अच्छे होंगे जब आप उनके लिए काम करेंगे, आपका लेबर डिपार्टमेंट काम करेगा। आपका यह विभाग तो बिलकुल निकम्मा हो गया है। कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। आपका जो लेबर कमिश्नर है, आप कानपुर में चले जाइये, आपके इन्सपेक्टर बैठे हुये हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आपने घोषणा की कि खेतिहर मजदूर जो हैं उनके लिए आपने विकास खन्ड अधिकारी और तहसीलदार को अधिकार दे दिये हैं कि वे उनकी तकलीफों को देखें, बंधुवा मजदूरों को देखें। आज स्थिति यह है कि हमें तरस आता है।

(लाल बत्ती होने पर।)

मान्यवर, दो मिनट का समय और दीजिये।

मान्यवर, इस विभाग के सम्बन्ध में जो साहित्य बंटा है उसमें बंधुवा मजदूरों के लिए आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें कहा गया है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में जो सूत्र नम्बर 5 है वह बंधुवा मजदूरों के लिए है। आपको तो 20 सूत्र क्या-क्या हैं, यही मालूम नहीं होगा, आप नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे मालूम है। तो मान्यवर, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके सूत्र नम्बर 5 में दिया है कि हम बंधुवा मजदूरों को समाप्त कर देंगे। अभी बहन जो बोल रही थीं कि हमने यह प्रबन्ध कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में जो 5वें नम्बर का सूत्र है उसके तहत कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ है। हमारे गांव में बंधुवा मजदूरों की हालत बद से बदतर हो रही है। अभी बांदा में दो मजदूरों की हत्या हो गई। आज स्थिति यह है कि बंधुवा मजदूर और हरिजन हर जगह मारे जा रहे हैं। वे मांग करते हैं कि उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। आज उनको डेढ़-दो रुपया रोज मिलता है। इस तरह से आप अपने 20 सूत्री

कार्यक्रम का मखौल उड़ाते हैं। कहते हैं कि इसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।

अब मैं इम्प्लायमेंट पर आता हूं। आपने घोषणा की कि इतने लोगों को रोजगार दे दिया गया। जो आपके इम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं उनमें 1,63,05,000 हरिजन लोग सन् 79 में रजिस्टर्ड हुये, 1,52,04,000 सन् 82 म और 1,62,04,000 सन् 83 में रजिस्टर्ड हुये और काम कितनों को मिला। आप देखिये। 79 में काम दिया 12,08,000 सन् 82 में 8,60,000 और सन् 83 में 7,90,000 लोगों को काम दिया। अब अन्य जातियों का क्या हाल है, वह भी देखिये। वे 79 में रजिस्टर्ड हुये– 8 करोड़ 96 लाख 7 हजार, सन् 82 में 8 करोड़ 60 लाख 6 हजार और सन् 83 में 10 करोड़ 40 लाख 8 हजार रजिस्टर्ड हुये आपके इंप्लायमेंट एक्सचेंज में। अब इनमें कितने लोगों को काम दिया--सन् 79 में 49 लाख, सन् 82 में 36 लाख 9 हजार और सन् 83 में 36 लाख 5 हजार लोगों को काम दिया। इस तरह का काम आप बराबर दे रहे हैं और कहते हैं कि हम उन्हें रोजगार दे रहे हैं।

इसके अलावा कार्य-दिवसों की जो हानि हुई है वह भी हर साल बढ़ती चली जा रही है हड़ताल और तालाबंदी बढ़ती चली जा रही है। कानपुर में म्योर मिल में एक सप्ताह से हड़ताल चल रही है। कानपुर की और उन्नाव की जो मिलें हैं 7 दिन से बन्द पड़ी हुई हैं। उसके 32 सौ मजदूर हड़ताल पर हैं। कोई व्यवस्था उनके लिए यह सरकार नहीं कर पायी है। कानपुर में 5 मिलें, मोदी नगर की मिल, कपड़ा फैक्टरी जो है उसमें कोई भी मजदूर इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से भरती नहीं हो पाता है। मान्यवर, बहुत सी बातें कहनी थीं, समय नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे जवाब दें तो ऐसी घोषणा वे करें जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके, उन्हें संतोष हो सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती विमला सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज प्रस्तुत श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। जो माननीय मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं। विपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करती हूं। आज हमारा देश तथा प्रदेश औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है और उसमें श्रम विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी प्रदेश को उद्योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा हाथ श्रमिकों का, उद्योगपतियों का तथा जो उसमें कार्यरत अधिकारी वर्ग है उसका होता है। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां एक कपड़ा मिल की भारी समस्या रही है। उस समस्या के प्रति मैं समय-समय पर अपने शासन को अवगत कराती रही हूं और शासन से आश्वासन भी मिलते रहे हैं।

जहां तक प्रश्न मजदूरों का है हम उनके हित में ही हमेशा सोचते हैं और उसकी बात करते हैं। इस बार हमने अपनी मीटिंग में मोदीज को भी बुलाया है। जैसा हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने कहा समस्या तो है लेकिन, हम उसको सुलझाना चाहते हैं, उसका हल निकलना चाहिये। मेरा विश्वास है उसका हल निकलेगा क्योंकि हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। हम माननीय मन्त्री जी में विश्वास रखते हैं कि वे इसका हल निकालेंगे और अपने बजट भाषण में अपने विचार इस संदर्भ में अवश्य रखेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह कपड़ा मिल कब खुलेगी । मैं शासन को बताना चाहती हूं कि कपड़ा मिल का मजदूर भूखा है, प्यासा है जैसा अभी मेरे भाई ने बताया वह सही बात है । लेकिन यह मेरे ही क्षेत्र की समस्या नहीं है यह समस्या देश में सब जगह है उसका भी हल निकलने जा रहा है आप घबरायें नहीं, चिंतित होने की कोई बात नहीं है ।

श्री मनोहर लाल--

12 हजार मजदूर हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

बोलने दीजिये नयी सदस्य हैं ।

श्रीमती विमला सिंह--

जहां तक मेरे क्षेत्र के मजदूरों का सवाल है करीब 9 हजार मजदूर हैं उससे कुछ कल ही थ, कुछ लोग वहां से हिसाब लेकर चले गये हैं और कुछ लोगों के लिए नयी योजना की घोषणा होने जा रही है जिसमें उनको काम दिया जायेगा । उस घोषणा के बारे में मैं अभी खुले रूप में नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन यह घोषणा शीघ्र ही हो जायेगी उसका हल निकल आयेगा जैसा कि मेरी जानकारी में है ।

अंत में मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि मजदूरों के हित के लिए कुछ वेलफेयर बोर्ड स्थापित हो और उनमें उनको शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था कर दी जाय ।

जिसमें कि उनके अपने हितों और उत्तरदायित्वों का ज्ञान हो सके कि हमारे देश और प्रदेश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं । इन शब्दों के साथ में मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं और इस बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का खंडन करती हूं ।

श्री मनोहर लाल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्या ने अभी कहा कि यह समस्या पूरे प्रदेश और देश की है, तो हम लोग यहां बैठकर देश की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रदेश की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी सजा है, इंसा की गरीबी,

कुछ भी न दे सको, तो खंजर उठा कर दे दो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शांत रहें । कृपया बैठ जायं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, आपने श्रम जैसे महत्वपूर्ण बजट पर विचार प्रकट करने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मन्त्री जी को गम्भीरता से सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये प्रदेश के करोड़ों श्रमिक निगाहें लगाये बैठे थे कि आज इस बजट से उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी और जहां उनका शोषण हो रहा है उस पर श्रम विभाग अंकुश लगाने में नई घोषणायें करेगा लेकिन यह सब कुछ बजट में नहीं दिखाई दिया । मान्यवर, श्रम विभाग का महत्वपूर्ण काम है कि स्वस्थ श्रमिक हों और उनके काम करने की जगह सुरक्षित हो व अच्छी हो, उनका जीवन सुरक्षित हो और जिससे आगे भविष्य में श्रम शक्ति का संचय होकर प्रदेश की बहबूदी की ज्योति जले लेकिन श्रम शक्ति के संचय, श्रम शक्ति के विकास, और श्रम शक्ति के कल्याण की क्या-क्या योजनायें हो सकती थीं वह श्रम मन्त्री ने अपने बजट में न प्रस्तुत की और न उनका कोई प्राविधान ही किया है ।

मान्यवर, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम कानूनों का परिपालन करना और श्रम कल्याण योजनाओं का चलाना इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण काम है । लेकिन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के श्रम कानून में इतनी विसंगतियां हैं जिसके कारण यदि सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और

श्रमिकों का निलम्बन या निष्कासन होता है तो उनको पहले से ही जीवन निर्वाह भत्ता देने का कानून है किन्तु यदि गैर सरकारी संस्थाओं के श्रमिकों का निलम्बन या निष्कासन होता है तो उसके बाद भी श्रमिकों को कोई जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाता है। बल्कि ए० आर० सी० ओ० के द्वारा केस कम्पाउन्ड कराने की प्रक्रिया चलती है और यदि केस कंपाउन्ड न हो तो कानपुर को वह श्रम विवाद रेफर कर दिया जाता है और उसके ब द लखनऊ में 2-3 साल रेफेरेन्स में पड़ा रहता है और उसमें क्या होगा उसके बारे में श्रमिक को कुछ नहीं मालूम होता है। रेफरेन्स के बाद लौट जायगा श्रम न्यायालय में फिर तारीख पड़ती है। तो आपने जो कहा है मैं जानना चाहता हूं कि श्रम न्यायालय में कितने मुकदमें लम्बित पड़े हैं।

मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इस कानून की विसंगतियों को दूर करने में कटौती के प्रस्तावक से निवेदन करूंगा कि विसंगतियों को दूर करने का कटौती का प्रस्ताव लाते लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून की विसंगतियों के कारण करोड़ों श्रमिकों को जीवन निर्वाह में भत्ता नहीं मिल पाता है और मूल्य सूचकांक के बढ़ने पर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों को महंगाई भत्ता मिल जाता है। लेकिन हमारे जो श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वहां पर आपका मूल्त सूचकांक कानून कहां पड़ा रहता है। वैसे ही उनके बढ़ते महंगाई भत्ते के समायोजन के लिए आपने कोई कमेटी नहीं बनाई है--मोदी-नगर में नहीं है, कानपुर में नहीं है और गोरखपुर फिरोजाबाद, आगरा में नहीं हैं, कहीं नहीं है। यह कानून की विसंगति है। मन्त्री जी आप बुलन्दशहर के मजदूरों में काम करके आए हैं, परन्तु आपने इस ओर कुछ नहीं किया, इसका मुझे अफसोस है...

(व्यवधान)

यह मुझे मालूम होता कि आपका मजदूरों से वास्ता नहीं रहा तो क्यों कहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े लोग हैं और बड़े घराने के लोग हैं। उस राज घराने की परम्परा के रूप में आपने शोषण जारी रखने की प्रक्रिया को आपने श्रम विभाग में भी लागू करने का कार्य किया है। इसलिए कानून की विसंगति को आपने बनाए रखा है। प्रोफेसर साहब ने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। कानून का जो विसंगति-करण है उसको हटाने के लिए और पैरिटी कानून की समानता लाने के लिए आपके विभाग को जबरदस्त लड़ाई लड़नी चाहिए और जब आप इस कार्य को करेंगे, तो मैं अपनी ओर से और समस्त विपक्ष की ओर से आपको पूरा सहयोग देने का वायदा करता हूं।

श्रमिकों के काम के घंटे और श्रमिक शक्ति दोनों का माकूल सम्बन्ध नहीं है। जितना श्रमिक शक्ति से उत्पादन होगा, देश विकसित होकर आगे जाएगा और जितना ही श्रम शक्ति का ह्रास होगा, देश जहन्नुम में चला जाएगा। श्रमिक शक्ति का संचय और उसको आगे बढ़ाने वाले कानूनों पर अमल करने और कराने का कार्य आपने अभी नहीं किया है। बाल श्रमिकों के बारे में आपने यहां पर जवाब दे दिया कि फिरोजाबाद में 60 प्रतिशत नहीं यह 15 प्रतिशत है। जब कि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं इस सम्बन्ध में अनेक मन्त्रियों के फोटो दिखा सकता हूं जहां पर मन्त्री के साथ ऊंचे तापमान की भट्ठियों पर बाल मजदूर खड़े हुए हैं। उनकी वेतन दरें आपने नियोजित नहीं की हैं, बाल कल्याण परिषद का गठन नहीं है।

आप फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मोदी-नगर, गोरखपुर और कानपुर कहीं चले जाएं उन बच्चों यानि बाल श्रमिकों के खेलने के लिए खेल के मैदान नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं है। 10-12 घंटे उनसे काम लिया जाता है,

लेकिन उनके आराम और मनोरंजन तथा खेलने को कोई सुविधा नहीं है। मन्त्री जी की कुर्सी पर बैठकर और अपने पुराने और बड़े घराने की शान में आप प्रश्नों के उत्तर भले ही कुछ दे दें, लेकिन शोषण वाली बात आप कब तक जारी रखेंगे।

कानून में जो विसंगति है, सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थान में एक ही तरह का कानून लागू हो तथा निष्कासन और निलम्बन का जो खाका है, उसमें हमारा सुझाव है कि आप डिप्टी लेबर कमिश्नर को यह अधिकार प्रदान करें कि जब कोई निलम्बन हो, तो वह उस केस को रिव्यु करके उसको काम करने के लिए रख सके। ए0 आर0 सी0 ओ0 को सीधे आप यह पावर दे दें कि किसी मुकदमे को वह ठीक अनुभव करता है तो वह उसे सीधे-सीधे लेबर कोर्ट में भेज दे। इस कानून में यह अगर आप परिवर्तन कर दें तो हमारे मजदूरों का आप बहुत भला करेंगे, यह मैं आपके सामने बुनियादी बात निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में मजदूरों के लिये मजदूर भवन और बालकों के लिये बाल कल्याणकारी परिषद् को क्या कोई योजना है? बार-बार हमने हल्ला मचाया, आप आश्वासन दे देते हैं और करते कुछ नहीं हैं। इसलिये फिरोजाबाद में इन चीजों यानि मजदूर भवन व बाल कल्याण परिषद् की स्थापना के लिये आपका ध्यान जाना चाहिये। मजदूरों के हित के लिये जो कानून हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये और मजदूरों के हित के काम करने चाहिये। इसी प्रकार से शुगर इंडस्ट्री में लोगों को निकाल दिया जाता है तो डिप्टी लेबर कमिश्नर को अधिकार देकर यह काम करायें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यहां लखनऊ में यूनियन कारवाइड के लोग, जो हिंद मजदूर सभा के नेता हैं उन्होंने कारखाने के सम्बन्ध में मांग-पत्र दिया लेकिन आपने विचार नहीं किया। वह 6 तारीख से आमरण अनशन पर जा रहे हैं। आप उनके मांग-पत्र पर विचार करके आने वाली कठिन समस्या का हल करें। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये ताकि श्री मिश्रा जो उनके मन्त्री हैं उनको इस पर वाध्य न होना पड़े। मान्यवर, इसी तरीके से जो आपके विकास प्राधिकरण हैं वहां पर मजदूरों से ठेके पर काम लेते हैं। वहां पर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। उनको बंधुवा मजदूर बना रखा गया है, उनका शोषण हो रहा है तो आपका इस तरफ ध्यान जाना चाहिये।

मान्यवर, श्रमिकों के लिये श्रम हितकारी केन्द्र, श्रमिकों के लिये अस्पताल, बोले यह सब धोखा और जाल है। फिरोजाबाद में कोई हास्पिटल नहीं है वहां पर क्षय रोग लोगों को बहुत होता है। इसलिये क्षयरोग की रोकथाम के लिये वहां पर अस्पताल बने। इसी तरह से किरावली में बहुत से लोग पत्थर का काम करते हैं, फतेहपुर सीकरी में पत्थर का काम करते हैं, उनकी आंखें चली गयी हैं। इनके लिये आपका कोई कानून नहीं है। इनका शोषण होता है। आगरे में पच्चीकारी का काम होता है। इसमें काम करने वाले श्रमिकों पर आपके कानून असफल हो रहे हैं।

आगरे में बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल्स हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है कि वहां पर जो श्रमिक हैं, जो वहां पर काम करते हैं उनका किस तरह से शोषण हो रहा है। इनके कल्याण के लिये आप कोई योजना लागू करें। आगरा जो दिल्ली के नजदीक है वहां सारा टूरिस्ट आगरे की ओर भागता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां के होटल कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझ बोलने के लिये समय दिया। मैंने जो सुझाव दिये हैं, कानून में

सैरिटी लाने के लिये विसं गति के कानून को तोड़ने के लिये उस पर अमल करने के लिये सरकार को ब.ध्य करेंगे । मैं श्रीमती तिवारी को निमंत्रित करता हूं कि वह कंधे से कंधा मिलाकर विसंगति के कानून को दूर करने में सहयोग करें ।

श्री राम नाथ मुंशी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरे ऊपर आज बड़ी कृपा की और बजट के समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज का यह बजट श्रमेव जयते, के उद्घोष से शुरू होता है और जनता के मानस में घूमता है । यह सरकार जिसने आपके सामने श्रमेव जयते का बजट पेश किया है वह बड़ी ही लोकप्रिय सरकार रही है और है । इसका एक मत्र उदाहरण में आपके सामने देना चाहता हूं कि सन् 78 में स्वर्गीया देशमाता इंदिरा जी जब तिहाड़ जेल जा रहीं थीं तो उन्होंने एक नारा दिया था और कहा था कि में रहूं या न रहूं, मुझे फांसी पर भले ही चढ़ा दिया जाय, लेकिन मैं मजदूरों और गरीबों के हित की रक्षा के लिये हमेशा हमेशा लड़ती रहूंगी इस आवाज को साकार हमारे माननीय श्रम मंत्री ने किया है । उन्होंने मरते समय भी यहीं नारा दिया था वह भी पेपरों में है । ऐसे बजट को पेश करते हुए, जिसमे 3 करोड़, 23 लाख, 86 हजार, 754 अमिकों का हित छिपा हो, जिसके हित के लिए 14 करोड़, 3 लाख, 31 हजार रुपये का प्रसाधन इकट्ठा करने के लिए धन दिया गया हो, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते है, कि भविष्य श्रमिकों का उज्जवल है या नहीं ? इसका आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं । में आपको बता देना चाहता हूं कि यह हमारी लोकप्रिय कांग्रेस सरकार श्रमिकों का वर्गीकरण करके हर तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि प्रति वर्ष लाखों-लाखों श्रमिक, हर श्रेणियों के नौकरी पाते हैं, उनको रोजी-रोटी दी जाती है । मैं 1983-84 के आंकड़ों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय निकायों इन चारों के माध्यमों से 19,00323 और 19,92894 श्रमिक यानी 92 हज़ार. 51 मजदूरों को एक साल में नौकरी दिलाई गयी । इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 46 रु0 की एक वर्ष में बढ़ी है । इसके बाद पंजीकृत की जहां तक बात है, कल-कारखानों में 1980-1984 तक पंजीकृत में 1286 बड़े और चालू कारखाने में 1341 की वृद्धि हुई । कहने का मतलब यह है कि श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या में 70,635 दिनों की वृद्धि हुई, एक वर्ष में, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रमिकों को रोजी-रोटी दी जा रही है या नहीं ।

मान्यवर, श्रम आयुक्त संगठन में आरक्षण की स्थिति पर आप लोग बोल रहे थे, मैं उसका भी स्पष्टीकरण आपके माध्यम से कर देना चाहता हूं, क, ख, ग, घ, ड0, पांच प्रकार के कर्मचारियों की श्रेणियां बनाईं, जिनमें कुल 3681 में अनुसूचित जाति के 618 जो 16.7 है, अनुसूचित जनजाति में शिक्षा की कमी के कारण दो कर्मचारी, जिसका प्रतिशत, 75 है, इसे सरकार को पूरा करना चाहिए और पिछड़े वर्ग में 633, जिसका प्रतिशत 17.2 है, यह प्वाइंट तो कुछ अग्रिम दिखाई दे रहा है । इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है । मान्यवर, मैं औद्योगिक न्याय धिकरण की बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ में चल रहे हैं और श्रम न्यायालय कानपुर में प्रथम से पंचम् तक और

वाराणसी, इलाहाबाद आदि में 8, इस प्रकार से 13 श्रम न्यायालय बने हुए ह । इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि ये श्रम न्यायालय प्रत्येक जिलों में बना दिये जायं, जिससे कि जिलों में रहने वाले श्रमिक सस्ता न्याय पा सकें, उनको आर्थिक कठिनाई न उठानी पड़े ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में एक और बात कह देना चाहता हूं कि बंधुआ मजदूर का कितना स्पष्ट चित्रण मंत्री जी ने दिया है, 12,709 की छानबीन की गयी एक वर्ष के अन्दर और 105 उन जालिमों को पकड़ा गया, जिन्होंने आज दिन भी इस आजादी के समय गुलाम उनको बना कर रखें थे, इस सरकार को पूरे सदन द्वारा बधाई देनी चाहिए । इसके बाद मेरा सुझाव है कि कृषक मजदूरों की दशा, काम के घंटे, श्रमिकों के स्तर में सुधार के लिए, तथा उनकी सुरक्षा के लिए, औद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बना कर उसमें दिन प्रति दिन सुधार और वृद्धि करें ताकि, वह मजदूर खुशहाल रह सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके । मान्यवर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मजदूरी पूर्व और मध्य संभाग में 8 रु0, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय संभाग मे 9 रु0, पश्चिमी संभाग में भी 9 रुपये निर्धारित किया है, जो सामान्य स्थिति से कम है । मै निवेदन करूंगा कि महंगाई को देखते हुए सरकार को इसमें वृद्धि करनी चाहिए । जिससे मजदूरों के दिन सुधरें । गांव में जो मजदूर रहते हैं उनके लिए मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा कार्ड बनवा दें, जिस पर उनका नाम, ग्राम और उम् लिखी हो । व मजदूर जिस खेतीयर के यहां काम करने जाएं उससे रीखी डलवा लें और साइन करवा लें तो जो टेक्निकल कृषि के कारण दुर्घटनायें घटित होती है, उस स्थिति में सबूत रहेगा कि फलां कृषक के यहां मजदूर ने काम किया है, इस तरह से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था हो, यह हम चाहते हैं । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि बापू की बेसिक शिक्षा पर आधारित आई0 टी0 आई0 शिक्षण संस्थान....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम नाथ मुंशी--

जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए प्रत्येक जिले में हमें ऐसी इकाई खोलनी चाहिए कि वहां से निकले हुए प्रशिक्षित नौजवान बच्चे नौकरी पा जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम नाथ मुन्शी--

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । जय हिन्द जयभारत ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं समझता हूं और लोग भी मेरी बात से असहमत नहीं होंगे, सरकार की नियत जो भी हो लेकिन सरकार का श्रम विभाग, श्रमिक समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा है । उसका कारण यह है कि जो श्रमिक विभाग में कार्यरत अधिकारी है और एक जो इनके कानून बने हैं इन कानूनों की दिसं-गतिया और अधिकारियों की नियत साफ न होना यह दो बड़े कारण है, जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूर बहुत परेशान हैं। मान्यवर, मैं समय की कमी को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमित सुझाव रखूंगा। मान्यवर, श्रमिकों के मामले जो होते हैं वह श्रमायुक्त के यहां भेजे जाते हैं, उस समय सेवायोजक उनका सहयोग नहीं करता। मैं खुद कार्यालय में गया हूं वहां कोई सहयोग नहीं करता है जिससे होना क्या है कि मामले दाखिल दफ्तर कर दिए जाते हैं। अगर कोई मामला उन्हें संदर्भित करना होता है तो वह मामला सार्वजनिक उद्योग से पूछा जाएगा, अगर उनके सुझाव नहीं आते हैं तो फिर उसे दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। अगर यह सरकार समझती है कि हम श्रमिकों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए वह श्रम विभाग को देखें या तो वह लिखें कि दाखिल दफ्तर क्यों कर रहे हैं अन्यथा यह मामले मन्त्री जी को संदर्भित करने चाहिए।

मान्यवर, मैं सीतापुर से चुनकर आया हूं और वहां एक प्लई फैक्ट्री है, मैं प्लई फैक्ट्री के बारे में लड़ाई लड़ रहा था, उस समय यह लेबर मिनिस्टर थे इन्होंने बहुत सहयोग दिया था। 6 अगस्त को राजाज्ञा जारी हुई थी। इसकी एक पंक्ति पढ़ दूं। यह बहुत अच्छा काम किया गया है। उन समस्त राष्ट्रीयकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। जितने ऐसे कारखाने हैं, सब में मिनिमम वेजेज लागू हो गया। हमारे यहां प्लाईवुड फैक्ट्री में दो महीने बाद लागू किया गया। अभी जो पूर्व में डी0 ए0 बढ़ा उसको दो महीने बाद लागू किया गया। कहते हैं उनका कोई मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। कभी आपके अधिकारी ने देखा कि मामला क्या है, मिनिमम वेजेज का है, ग्रेडेशन का है, सर्विस का मामला है। उन्होंने एक समझौता कर लिया जो यूनियन उनके पोकिट में है। मान्यवर, क्या कोई समझौता कानून के विपरीत हो सकता है? मैं समझता हूं नहीं हो सकता है। माननीय मन्त्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जहां मिनिमम वेजेज लागू नहीं हैं, आप अर्थ दण्ड करते हैं।

मेरा सुझाव है कि आप अर्थदण्ड के स्थान पर कारावास की सजा जोड़ दें। अगर कारावास की सजा जोड़ दें तो सेवायोजक स्वयं चिन्तित होगा कि अगर हमने लागू नहीं किया तो हमें सजा हो जायेगी। कल परसों हमने अखबार में पढ़ा कि सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित कर दिया, विश्वविद्यालय की हड़ताल को प्रतिबन्धित कर दिया। कौन सा ऐसा कानून है, जो कारखानों के मालिक अगर मिनिमम वेजेज लागू नहीं करते तो उनके ऊपर आप लागू कर सकें। आपमें साहस हो तो कारखाना अधिनियम के तहत उनको प्रतिबन्धित कर दें कि मिनिमम वेजेज लागू नहीं करेंगे तो न्यायालय में नहीं जा सकते। मान्यवर, प्लाईवुड फैक्ट्री में न सर्विस कन्डीशन लागू है, न ग्रेडेशन है। एक महीने रखते हैं, डेढ़ महीने बाद निकाल देते हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारित समय तक काम करने के बाद उसको स्थायी कर दिया जाय? सवाल पूछा जाता है तो सरकार जवाब देती है कि डेलीवेजेज पर रखे गये थे। 4 साल, 10 साल, 12 साल तक आप डेलीवेजेज पर रखते हैं तो क्या यह सही नहीं है कि उनके स्थायी पद रिक्त रहते हैं। हमारे यहां सीतापुर में सालवेन्ट प्लान्ट है मैंने लिखा पढ़ी की कि वहां मिनिमम वेजेज लागू नहीं है, तो मुझे उत्तर मिला कि वहां निर्धारित संख्या से कम मजदूर काम करते हैं इसलिये मिनिमम वेजेज नहीं दिया जायगा। वह एक केमिकल फैक्ट्री है वहां काम करने वालों को मिनिमम वेजेज क्यों नहीं दिया जायेगा। वहां पर मिनिमम वेजेज लागू होना चाहिये।

दूसरी बात आप चीनी मिलों में सीजनल मजदूर रखते हैं, उनको अन्य

भत्ते दिये जाते हैं तो इसी तरह जो अन्य सीजनल मजदूर हैं उनको भी यह भत्ता दिया जाना चाहिये। हरदोई चीनी मिल का मामला है। मेरा सुझाव है कि किसी फक्ट्री को आप अधिग्रहण में ले लें तो जो उसमें मजदूर हैं उनके हितों की पूरी-पूरी रक्षा होनी चाहिये। जो मुकदमें चल रहे हों, उनको वापस होना चाहिये। हमारे यहां सीतापुर में एक फैक्ट्री है, जो सुहागिन घी बनाती है। उनके यहां एक समझौता हुआ। त्रिपक्षी वार्ता हुई, उसमें एक समझौता हुआ कि प्रत्येक मजदूर को 80 रुपया क्एसग्रेसिया बढ़ा दिया जायगा। मिल मालिक कहता है कि हम उपस्थित नहीं थे इसलिये हम उसको नहीं मानेंगे। यूनियन के प्रतिनिधि मंत्री जी के सामने बैठकर एक फैसला किये थे, इसलिये एक व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम नहीं थे इसलिये नहीं मानेंगे। जब आन्दोलन हुआ और मजदूरों ने हड़ताल किया तब त्रिपक्षी वार्ता हुई थी। उस समझौते को मान्यवर, मनवाने के लिये हम लोगों को पूरी चिंता करनी चाहिये। हमारे यहां एक आटा मिल है, उसके कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मजदूरों की छटनी हो रही है। मजदूर श्रम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है। मान्यवर हम लोग विधायक निवासों में रहते हैं। आपको एक आइचार्य की बात बताता हूं। जिन विधायक निवासों में हम रहते हैं, वहां के कर्मचारियों को 9 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। दिन भर वे हमारी सेवा करते हैं। सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, इस सम्बन्ध में प्रश्न किया तो जो उत्तर मिला उसमें आप 9 रुपये का 10 कर देने की घोषणा करते राजाज्ञा में, तो हमें खुशी होती, लेकिन हमें लिख कर यह मिला कि "निम्नहस्ताक्षरकर्ता को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन चपरासी जो इस समय रुपया 6.50 प्रतिदिन पा रहे हैं को मजदूरी बढ़ाकर 8.50 रुपया प्रतिदिन कर दी जाय, तो जो 9 रुपया इस समय पा रहे हैं, उनको मजदूरी अब 8 रुपया कर दी जाय। वहां के कर्मचारियों न कहा कि वाह गुप्ता जी, आप चौबे से दूबे बन गया। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सम्पत्ति अधिकारी से मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है 9 रुपये से कम नहीं किया जायगा। श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब मिनिमम वेजेस सब जगह लागू हैं तो सरकारी विभागों में क्यों नहीं लागू हैं। होता यह है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 16-20 साल काम करते रहते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, जबकि स्थायी पुराने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। वहां 9 रुपये प्रतिदिन पर कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे हैं। मैंने उनके बारे में विधान सभा में प्रश्न पूछा तो बताया कि जिला परिषद् की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर वहां के वरिष्ठ कर्मचारियों को वेतन वृद्धियां मिल रही हैं, महंगाई भत्ता बराबर मिल रहा है, तो यह अन्याय है। आप इस पर विचार करें। इसके अलावा दो बातें और रखना चाहता हूं।

ई0 एस0 आई0 डिस्पेंसरी का कार्यालय है, मैं उनके कार्यालय में गया। मैंने पूछा कि सीतापुर का कितना इलाका इसके अन्दर आता है। तो दो-तीन दिन तक वे इसकी तलाश करते रहे। फिर कहा कि कापी नहीं मिल रही है, श्रम आयुक्त के पास आए तो वहां भी नहीं मिली। आजकल सीतापुर में जगह-जगह इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो रहा है, लेकिन वह डेवलपमेन्ट नगर-पालिका की सीमा के बाहर हो रहा है। इण्डस्ट्रियल स्टेट नगरपालिका सीमा के बाहर बन रहा है। वहां पर भी ई0 एस0 आई0 की सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। तो आप ई0 एस0 आई0 डिस्पेंसरी के क्षेत्र को नोटीफाई कीजिये और ऐसा

प्राविधान कीजिये कि सीजनल इण्डस्ट्रीज के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिल सके ।

सीतापुर के और विधायक, खैराबाद के बैठे हैं । वे जानते हैं कि सीतापुर में इण्डस्ट्रीज खैराबाद में बढ़ रही हैं और लखनऊ की ओर बढ़ रही हैं । लेकिन मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अपने नगर पालिका का नोटीफिकेशन नहीं किया है । आप इस पर विचार करें । मेरा सुझाव है कि उसका क्षेत्र बढ़ा दें । सीजनल इण्डस्ट्रीज के बारे में भी आपको विचार करना चाहिये । सेवायोजकों के बारे में तो सब विचार करते हैं, अपने अपने भाषण में उल्लेख किया, और अपनी पुस्तिका में उल्लेख किया है कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता मिल जाय, इसके लिये ट्रेनिंग देते हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस ट्रेनिंग में लिये जाने के लिये अंग्रेजी अनिवार्य कर दी है । सोचें आज अंग्रेजी में शासन का कार्य नहीं हो रहा है । हाई स्कूल पास करने के लिये, इंटर पास करने के लिये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पास हो और उसके बाद अंग्रेजी अनिवार्य कर दी है । आप बेरोजगारी की बात करते हैं । इसके लिये माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये हैं । मैं आंकड़ों की बात नहीं करता । आप देखें हिन्दुस्तान में आठ प्रदेश ऐसे हैं जहां किसी न किसी स्तर पर महंगाई भत्ता दिया जाता है । आप उत्तर प्रदेश में इसके बारे में विचार करें ।

श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय अध्यक्षा महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने श्रम विभाग की जो बजट मांगे प्रस्तुत की हैं, वह सीमित साधनों के अन्तर्गत बहुमुखी स्वरूप को परिलक्षित करती हैं । इसके लिये मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देती हूं । साथ ही विपक्ष द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

माननीय, मैं सबसे पहले स्वर्गीय इन्दू लाल याज्ञिक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी जिन्होंने कोल्हापुर एवं अहमदाबाद के श्रमिकों के स्थिति सुधारने उनके परिवारों, हितों तथा उन्हें व्यापक रूप से अच्छे आधार प्रदान किये जाने हेतु आजीवन संघर्ष किया ।

माननीय, जिलों में काम करने वाले, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले, व्यवसायिक संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों को एवं खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार के सराहनीय प्रयासों की मैं सराहना करती हूं । लेकिन, अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है । प्रबन्ध में उनको भागीदारी मिलनी चाहिये, उसके लिये अभी पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उसको सुनिश्चित करें ।

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कृषि मजदूरों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी । वर्ष में मात्र 120 से 150 कार्य दिवस ही उन्हें अपने रोजगार के लिये मिल पाता है । इस संदर्भ में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सरकार ने उन्हें काफी राहत दी है । परन्तु, बढ़ती हुई महंगाई के संदर्भ में उनको न्यूनतम मजदूरी की एक उचित राशि निर्धारित की जानी चाहिए ।

माननीय, शासन की एप्रेन्टिसशिप योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा 500 रु० प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों में मात्र 230 रु० ही दिया जा रहा है । आज की बढ़ी हुई महंगाई की परिस्थिति में यह धनराशि बहुत ही कम है, इस 230 रु० की राशि को बढ़ाया जाना चाहिये । मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि प्रत्येक बेरोजगार के लिए एक साल एप्रेन्टिसशिप की व्यवस्था होनी चाहिये

इस सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि प्रत्येक सेवा-योजन कार्यालय जो हैं, उनके माध्यम से यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक बेरोजगार युवक को एप्रेन्टिसशिप की व्यवस्था मिले, फायदा मिले।

साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि सेवायोजन कार्यालयों की व्यापकता को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही यह अनुरोध भी करूंगी कि प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर एक श्रम सहायक विकास अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो उक्त क्षेत्र में नवयुवकों का मार्ग निर्देशन करें।

अन्त में, मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करूंगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तुर्कपट्टी में एक सेवायोजन कार्यालय का उपकेन्द्र खोला जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। साथ ही मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करती हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस बजट का लाभ उन मजदूरों को अवश्य मिलें, जिनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार कृत संकल्प है।

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैं श्री राम सजीवन द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 2-3 प्रकार के मजदूर काम करते हैं। एक तो स्किल्ड लेबर दूसरे अनस्किल्ड लेबर इसके अलावा जो ग्रामीण अंचलों में काम करते हैं, वे खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। यह स्किल्ड व अनस्किल्ड लेबर तो संगठित हैं और, इनके संगठित होने की वजह से वे अपनी बात शासन तक पहुंचाकर, अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा करा लेते हैं। लेकिन, जो ग्रामीण अंचलों में कार्य करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, असंगठित होने की वजह से सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इस वर्ग में भी दो प्रकार के मजदूर हैं, एक तो जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो जीवनपर्यन्त मजदूरी पर ही निर्भर करते हैं और अभी जैसा श्री शशि शर्मा जी ने कहा वर्ष में उनको 120 से 150 दिन ही काम मिल पाता है। उनको सम्पूर्ण वर्ष कार्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस सन्दर्भ में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत काम चलाये गये हैं, लेकिन वह भी कुछ क्षेत्रों की योजनाओं पर चलते हैं। उनको 20-20 कि0 मी0 दूर से 8 रु0 मजदूरी के लिये चलकर आना पड़ता है, जिसमें वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की योजनायें बनाई जाय। एक सर्वेक्षण कराकर यह देखा जाय कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर आज तक इसके आंकड़े हैं ही नहीं कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण अंचलों में जो मजदूर हैं, उनके लिए रोजगारपरक योजनायें बनाई जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार ट्रेड यूनियन के मजदूरों के लिए दवाईयों की सुविधा है, उसी प्रकार गांवों में काम करने वाले मजदूरों के लिए होनी चाहिए। होता यह है कि ये लोग उन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाते हैं, जहां दवाईयां सबसे कम मिलती हैं, इसलिए इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरा, सुझाव यह है कि गांवों में जो मजदूरी दी जाती है वह उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने जो मजदूरी निर्धारित कर रखी है वह 8.50 रुपये से लेकर 9 रुपये तक है। हो सकता है पश्चिमी जिलों में मजदूरी ज्यादा दी जाती हो लेकिन 1979-80 के आंकड़ों से प्रत्येक व्यक्ति को आय खेती से 5.90 पैसा थी। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह 9 या 10 रुपये मजदूरी दे सके। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी सर्वेक्षण करा लें और इसके लिए कोई कारगर व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि उन मजदूरों का जीवन यापन हो सके।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि ग्रामीण अंचल में कुछ लोग काम के बदले जमीन दे देते हैं, लेकिन उस जमीन में इतनी पैदावार नहीं होती है कि वे अपने और अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकें। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका सर्वेक्षण करायें और ऐसी व्यवस्था करें कि वे लोग अपना भरण-पोषण सही तरह से कर सकें।

अन्त में मैं, यही कहूंगा कि गांवों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से, जैसे विधायक या सरकारी कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य सेवा दी गई है, उसी प्रकार उनके लिए भी स्वास्थ्य सेवायें दी जाय और उनको दवाइयां उपलब्ध करवाई जायं।

(कटौती के प्रस्तावक श्री राम सजीवन जी को बुलाने पर, कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये तथा श्री हरदेव के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था के नाम पर कम से कम शासन पक्ष के लोगों को अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए।

बजट पर चर्चा को 4.30 बजे समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने श्री राम सजीवन जी को बुलाया है।

श्री राम सजीवन—

उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर बहुमूल्य सुझाव दिये, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अन्त में दो-तीन प्रमुख प्रश्न पुनः उपस्थित करता हूं।

गाजियाबाद में प्रायः सभी कारखानों में श्रम कानूनों का भयंकर उल्लंघन हो रहा है और इस सम्बन्ध में गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने भी कारखाना मालिकों को चेतावनी दी है और यह स्वीकार किया है कि कारखाना मालिक श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति वस्त्र उद्योग की है। यही स्थिति चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग तथा सभी बड़े-बड़े उद्योगों में है। लेकिन उस दिशा में यह सरकार कोई सक्रिय, प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे भी ये कानून कारखाना मजदूरों के हित में नहीं हैं लेकिन सुधार की गुंजाइश है, तो इस दिशा में वह क्या कार्यवाही करेंगे कि इन को लागू करायें। कृषि मजदूरों की मजदूरी निर्धारित कर दी, कानून बना दिया लेकिन उन को लागू करने का कोई प्राविधान नहीं है। तहसीलदार को इन्सपेक्टर बना दिया। उनको तो वैसे ही हजारों काम होते हैं इसलिए उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती इन कानूनों को लागू कराने में। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पूरा विभाग ही अलग बनायें जिससे वहां के अधिकारी गांवों में जा कर देखें कि कृषि मजदूरों का कानून लागू हो रहा है या नहीं।

तीसरी बात है बंधुआ मजदूर। अभी तक, एक साल में 115 बंधुआ मजदूर मुक्त करायें और प्रदेश में लाखों लाख मजदूर हैं जो बंधुआ मजदूरी की स्थिति में हैं और काम कर रहे हैं

और उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनका सर्वेक्षण करायें, उनकी मुक्ति के लिए सख्ती से कदम उठायें और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके पुनर्वास की। ज्यादा से ज्यादा धन आवंटित कर के अच्छा जीवन बिताने के लिए सुविधायें प्रदान करिये। वरना सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो आप बंधुआ मजदूर समाप्त कर चुके हैं। जो घोषणायें आप करते हैं हमेशा, उनके अनुसार और जो स्थिति आपकी है, उसके अनुसार हम लोगों को ऐसा आभास मिलता है कि इस प्रदेश में बंधुआ मजदूर हैं ही नहीं। इस स्थिति का आंकलन बहुत गड़बड़ है। लाखों-लाख मजदूर आज भी बंधुआ मजदूर हैं इस प्रदेश में। उनके लिए धन की व्यवस्था कीजिये, धन का वितरण करिये, पुनर्वास की व्यवस्था कीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सैयद सईदुल हसन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम सजीवन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही जोश में और गुस्से में सुझाव दिये हैं। यह लाखों-लाखों मजदूरों के इंतजाम का, वेलफेयर का और उनके आंसू पोंछने का सवाल है। इतने बड़े सूबे के अन्दर चाहे वह खेत के मजदूर हों चाहे बाण्डेड लेबर हों या कारखानों के मजदूर हों, इन सभी को कैसे राहत पहुंचायी जाय, यह बहुत बड़ा सवाल है। उन सब साथियों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारा सबका फर्ज हो जाता है कि इतने बड़े काम में साथ-साथ बैठकर काम करें क्योंकि यह मामला ऐसा है कि त्रिपक्षीय कमेटी और आपस में बैठकर जैसे तय हो जाता है, वह ज्यादा अच्छा होता है। हर जिले में इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा, हर कारखानों के लिए, हर जगह के लिए।

माननीय गुप्त जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। सीतापुर के प्लाईवुड के कारखाने के लिये और वनस्पति के कारखानों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे एक मजदूर अपनी दरख्वास्त देता है लेबर कमिश्नर के यहां और इम्प्लायर्स कोशिश करते हैं कि डिले करें और कभी-कभी खारिज भी हो जाती हैं। हमारा फर्ज है कि उनको देखें कि डिलेइंग टैक्टिक्स और जो तरीके होते हैं, वह न हों। जिक्र हुआ कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल में बहुत देर से मुकदमों का फैसला होता है, मैंने पिछले दिनों में एक मीटिंग बुलायी ट्रिब्यूनल के प्रेसीडेंट की और जो लोग थे सबसे अनुरोध किया कि टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिए और जो रेफरेन्सेज के केसेज हैं, उनको भी जल्द से जल्द तय किया जाय। इन सब मामलों को तय कराने के लिए माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा।

बहुत सी और बातें भी कही गई हैं जैसे कि कारखानों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। जहां तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, हम लोग भी जब तेज गाड़ी चलाते हैं तो उससे भी हो जाता है, साइकिल से भी हो जाता है। कोशिश की जाती है कि सेफ्टी मेजर्स लिए जायं, इनके लिए बायलर के जो इन्जीनियर्स इत्यादि हैं, वे चैकिंग करते हैं, देखते हैं लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वर्ष 1983 में ये 114 हुए, वर्ष 1984 में 101 और वर्ष 1985 में शुरू में इनकी संख्या 40 आई है। इसके अलावा फैटल एक्सीडेंट्स, जिनमें चोट आई है, वर्ष 1983 में 29125, वर्ष 1984 में 23715, वर्ष 1985 में 4980, ये तो होते ही रहते हैं, देखभाल की जा रही है, कमी भी आ रही है। ऐसे ही हड़ताल वर्ष 1981 में 245, वर्ष 1982 में 193, वर्ष 1983 में 174, वर्ष 1984 में 147, इसमें भी कमी हुई है। ऐसे ही खेतिहर मजदूरों के लिए कहा गया है कि इंस्पेक्टर्स ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, यह सही बात है कि 253 इंस्पेक्टर्स हैं

हमने 80 आनरेरी आर्गनाइजर्स मुकर्रर किए हैं। जो उनको जा कर देखता है, उनका इंस्पेक्शन करता है। अब तक 8415 मामलों का इंसपेक्शन कराया गया है। खेतिहर मजदूर का जब एक्सीडेन्ट हो जाता है तो उसे मुआविजा दिया जाता हैं। यदि उसे चोट लग जाती है, आंख फूट जाती है या हाथ-पैर टूट जाते हैं तो उसे 1,000 रु0 दिया जाता है।

अभी यहां पेंशन की बात कही गई है। जो मजदूर भाई वृद्ध हो जाते हैं उनके लिए यह किया गया है कि उनको पेंशन दी जाय। यह न केवल मजदूरों के लिये है बल्कि यह बात दूसरे पेशे वालों के लिए भी है कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

कमेटी की बात कही गई है। लेबर कमेटीज में रिप्रेजेन्टेशन के मुताल्लिक उसके लिए यूनियन से नाम आते हैं उन नामों में से छांट कर उन्हें रखा जाता है। कोई यूनियन ऐसा नहीं है जिसके कि नुमाइन्दे इसमें न हों।

चाइल्ड वेलफेयर की बात कही गई है। इसमें फिरोजाबाद मे चूड़ियों के कारखानों में प्रतिदिन 17 रु0 दिये जाते हैं लेकिन बच्चों को 11 रु0 20 पैसे दिए जाते हैं। फिरोजाबाद सेन्टर के लिए और अच्छा इन्तजाम कराने की हम कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक कारखानों में मिनिमम वेजेज एक्ट की बात है, उसे ठीक कर लिया गया है। हर 6-6 महीने पर उनको डी0 ए0 भी मिले, यह कोशिश हमारी चल रही है। पत्रकार भाइयों के पेंशन की बात कही गई है। पालेकर एवार्ड के तहत 6 अखबार ऐसे हैं जहां पालेकर एवार्ड लागू नहीं हुआ है, बाकी सब जगह लागू हो गया है। उन 6 अखबारों में से 4 ने हमें आगे लागू करने का अश्योरेन्स दिया है, एक का मामला प्रासीक्यूशन में है और एक को नोटिस दी गई है। इसकी 5 शाखायें हैं दैनिक जागरण की तो इसने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से। कोर्ट में मामला है, जब यह तय हो जायेगा तभी कुछ विचार किया जायेगा। सरकार गौर कर रही है कि किसी न किसी सूरत से जल्दी से जल्दी उनको पेंशन दी जाय।

कारखानों की बाबत मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सिक कारखाने बंगाल के पास हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर मिल मालिक को सुविधा दें कि उस कारखाने को चला कर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को उसमें एक्मोडेट करें।

हर नियम और कानून लागू करने के लिए इस जनतांत्रिक सरकार में आम जनता के हित पर ज्यादा विचार है। ला एण्ड रूल को एन्जीक्यूट करने के लिये इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हर आदमी को सहारे की जरूरत है खास तौर से हमें माननीय सदस्यों के सहारे की जरूरत है। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम तेजी से बहस करके आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे।

आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने-अपने जिलों में जितने भी इस किस्म के झगड़े हैं उन्हें आपस में बैठकर तय कर दीजिये, आपस में बैठ कर बात करने से झगड़े आसानी से खत्म हो जाते हैं। जितने भी फैसले कराइये चाहे उनके ग्रेच्युटी के हों, बोनस से सम्बन्धित हों, सब बैठ कर तय करने से होते ही हैं और हमारे अधिकारी भी इसमें जल्दी से जल्दी फैसले करते हैं।

अभी यूनियन कार्बाइड की बात आई। मैंने हर कारखानें के नुमाइन्दों की, मालिकों की मीटिंग बुलाई है और मुझे आशा है कि यूनियन कार्बाइड की बात जैसे कि सेक्रेटरी, श्री बागला साहब से मेरी बात हुई है हमारे लेबर सेक्रेट्री मिस्टर बागला ने और हमारे लेबर कमिश्नर ने 35-35 घंटे बैठकर बात की है और उसको सुलझाने की कोशिश

की है । माननीय सदस्य, वर्मा जी कह रहे थे, मैं वर्मा जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह तशरीफ लायें । जो फैसला वर्मा जी करेंगे दोनों की बात सुनकर हम उसको इक्जीक्यूट करा देंगे । यूनियन कार्बाइड के लिए 200 रुपये का फैसला बागला साहब ने किया था । बाद में फैसला हुआ कि 210 रुपया उनका बोनस कर दिया जाय । मजदूर चाहते हैं कि फैसला हो लेकिन जो बाहर के लोग हैं वह चाहते हैं फैसला न हो । 2–3 महीने यूनियन कार्बाइड बन्द रही । तो श्रमिकों के लिए हम और आप सब मिलकर जल्द से जल्द जितनी जल्दी उनका फैसला हो सके हम करायें, हमने यह तय किया । कितना ही बड़ा मिल मालिक क्यों न हो कितना ही बड़ा आरगनाइजशन क्यों न हों लेकिन जो हमारा फैसला होगा उसको बैठकर आपस में तय करेंगे जो आर्डर होगा गवर्नमेन्ट का या जो एवार्ड होगा आरबीट्रेशन का उसको ठीक तरह से इक्जीक्यूट करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में कर दीजिए अगला भी है, आधा दिन का है ।

श्री सैयद सईदुल हसन--

मेरी आपसे दरख्वास्त है आपक' सहयोग चाहिए यह सब लाखों मजदूरों का चाहे वह किसी भी जगह काम करते हों उनको स्वचलित रूप से चलाने के लिए आप इसको पास करें ।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आज मुझे बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन 28 मार्च, सन् 1984 को मैंने इस माननीय सदन में नियम 103 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा था और इस सदन ने आश्वासन का निर्देश दिया है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हजारों पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को पत्थर रज व क्रिच से उनके स्वास्थ्य एवं आयु पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए शासन एक समिति गठित करें ।

मान्यवर, इस चर्चा में बोलने के बाद माननीय भूतपूर्व श्रम मंत्री ने कुछ आश्वासन अपने उत्तर में दिया था उनका संकल्प में कहने के लिए 1 मिनट का समय चाहता हूं । पहला आश्वासन तो यह था कि उन्होंने इस समिति को गठित करने के लिए अपनी सहमति दे दी और उसमें यह था कि 4 सदस्यों की समिति बनायी जायेगी । जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि होगा और एक फेफड़ा विशेषज्ञ होगा, एक जिला प्रशासन का प्रतिनिधि होगा और एक श्रम विभाग का प्रतिनिधि होगा । दूसरा आश्वासन यह दिया था कि पत्थर तोड़ने वालों के लिए बेल्डिंग करने वालों की तरह एक चश्मा प्रोवाइड किया जायेगा । तीसरा यह था कि उनके बैठने के लिए धूप, वर्षा और गर्मी से उनको बचाने के लिए एक टीन सेड डलवा दी जायेगी । चौथा उनका था कि 10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है लेकिन अगर वह 8 घंटे से अधिक मजदूरी करेंगे उनकी मजदूरी बढ़ा दी जायेगी । पांचवां था कि फतेहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थान पर ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा कायम रखने के लिए कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया जायेग लेकिन ब्लाक और तहसील स्तर पर छोटे–छोटे उद्योग खुलवा दिये जायेंगे और पत्थर डस्ट या धूल को दबाने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था करा दी जायेगी । तो क्या आप उन आश्वासनों को पूरा करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जो आश्वासन मंत्री द्वारा दिये जा चुके हैं, उनको पूरा करेंगे ?

श्री मनोहर लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कानपुर में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

5 मिले जे0 के0 की बन्द हैं, 2-3 साल से बन्द हैं और इस कारण 10 हजार मजदूर प्रभावित हैं और उनके साथ ही साथ एक सप्ताह से म्योर मिल बन्द हैं जिसके 32 हजार मजदूर प्रभावित हैं और हड़ताल चल रही है, उसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मैं माननीय सदस्य को भी उस फैसले में शामिल कर लूंगा, जो 5 मिलें हैं और जो आपके सुझाव होंगे उनको अपने अधिकारियों के साथ लेकर, उनको खुलवाने का प्रयास करूंगा ।

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि तब मंत्री जी अपने जिले में दौरे पर जाते हैं तो महिला पोलिटेक्निक की बात कहते हैं और सिकन्दराबाद में एक पोलीटेक्निक खोलने के लिए कहा है । आप उत्तर प्रदेश से 5 आई0 टी0 आई0 को अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें बुलन्दशहर का भी नाम है कि उसे अपग्रेड कर दिया जाये । मुझे मालूम हुआ है कि ए-ग्रेड करने के लिए वित्त मंत्रालय को पत्रावली गयी थी और सैंक्शन हो गयी है, उसके बाद उस दस्तावेज को दबाया जा रहा है, तो क्या बुलन्दशहर का आई0 टी0 आई0 ए-ग्रेड का हो गया है या नहीं ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पालिटेक्निक खुलें और यह जो आप कह रहे हैं अपग्रेड की बात, तो मुझे यकीन है कि उस पर विचार हो गया होगा । मेरा तो प्रयास है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में भी आई0 टी0 आई0 खुलें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारे यहां पर बेरोजगारी जोरों से बढ़ रही है तो शासन स्तर पर कोई प्रभावी कदम उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी समाप्त हो । तो मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इस बेरोजगारी को देखते हुये 50 रुपया और 100 रुपया शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

यह सवाल ऐसा है जिसका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए विधान परिषद् में 27 जून, 1982 को एक संकल्प आया था और पारित भी हुआ था तो क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी उसको लागू करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्यों ?

श्री अधिष्ठाता--

इस पर उत्तर दिया जा चुका है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने पत्रकारों के बारे में कई बातें कही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट की धारा 17 (1) के अधीन बहुत से एवार्ड तय होते हैं, लेकिन एक्जीक्यूशन नहीं होता है । उदाहरण के लिए करेन्ट पब्लीकेशन बाम्बे के खिलाफ एवार्ड नं0 385 आफ 1983 दिनांकित 16-6-1984 का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फैसला हो गया है और रिकबरी 17-7-194 को इशू हुई, लेकिन आज तक रिकबरी प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई ह, तो ऐसे मामलों में माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, माननीय सदस्य बतायें तो हम अवश्य पूरा कर देंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने विस्तार के साथ कह दिया है । यदि माननीय सदस्यों को कुछ और स्पष्टीकरण करना हो तो वे उनके कक्ष में जाकर स्थिति से अवगत हो सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,93,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,10,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

यह सदन उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह विधेयक काफी पहले आ चुका था और उसकी पुःस्थापना भी हो चुकी थी और उसके बाद इसका टाइम बढ़ाया गया अध्यादेश के द्वारा और आज वह इस सदन में पारित होने के लिए पेश है । मान्यवर, यह विधेयक जो फलदार वृक्षों के संवर्द्धन और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है, यह देखने में बहुत अच्छा विधेयक लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो फलदार वृक्ष है, उनकी रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। फलदार वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई सरकार की नीयत खराब होने का सवाल भी नहीं है। इसी साफ नीयत से यह आया है। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें थीं जिनसे फलदार वृक्षों को नुकसान होता था। यह शिकायतें आती थीं कि जैसे आजकल प्रदूषण के नाम पर, वायु प्रदूषण के नाम पर, जल प्रदूषण और अन्न प्रदूषण के नाम पर खूब अभियान चल रहे हैं। तो उस नियत से फलदार वृक्षों के संवर्द्धन और संरक्षण का बिल लायें। बिल तो ठीक है लेकिन इस बिल से जितनी कठिनाइयां पैदा होंगी जितनी दिक्कतें होंगी वे कोई कम नहीं होंगी। फलदार वृक्षों के नाम पर एक कठिनाई हमारे औद्योगीकरण में होगी। यों तो उत्तर प्रदेश में वैसे ही कम उद्योग हैं सेल्स टैक्स की परेशानी, बिजली की परेशानी से हर उद्योग यहां से हरियाणा, फरीदाबाद या दिल्ली में चला जा रहा है। लेकिन इस बिल के आने के बाद मैं समझता हूं कि जो हमारे उद्योग हैं उनको और बड़ी हानि होगी।

जहां एक तरफ आप कहते हैं कि प्रदेश का औद्योगीकरण होना चाहिए वहां दूसरी तरफ ऐसे प्रतिबंध लगाकर जितना विकास होना चाहिए वह रुक जायेगा। इस बिल से गुत्थियां और बढ़ेंगी इससे भ्रष्टाचार को रास्ता मिलेगा क्योंकि इसमें कोई चीज साफ नहीं दी गयी है। जो फल पट्टी का क्षेत्र होगा वह क्या होगा कैसे उसे तय किया जायेगा साफ नहीं है। कानून बनाने से पहले हर चीज पर सोच विचार होना चाहिए। उसके लिए कमेटियां बनती हैं, जनता की राय ली जाती है लेकिन इनके यहां यह सब नहीं होता है। इसमें सब अधिकार कलेक्टर के हाथ में होंगे इनके यहां कानून भी सेक्रेटरी साहब बनायेंगे, जन-प्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ली जायेगी जिसका नतीजा यह निकलता है कि लाभ होने के बजाय हानि होती है। किसी का मन बिल बनाने से पहले नहीं लिया जाता है। हम इसका विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं विरोध इसलिए है कि यह अच्छा संशोधन लायें और एक अच्छा कानून बने जिससे पब्लिक को राहत मिल जाय। बिना सोचे-समझे इससे हानियां भी होंगी यह नहीं सोचा जाता है।

इस बिल में आपने कोई एरिया घोषित नहीं किया है कि कितने एरिया में फल पट्टी होगी, दो एकड़, तीन एकड़ या चार एकड़ कितनी बड़ी फल पट्टी होगी, या कितनी छोटी फल पट्टी होगी। तो यह सब काम मुकदमेबाजी के लिए छोड़ दिया है जो कि जिला लेवल पर तय होगा, बाग का कोना क्या होगा किसी चीज का इसमें पता नहीं है? तो सरकार को इन सब का सर्वेक्षण कराना चाहिये था कि किन-किन चीजों के लिए, किन-किन फलों के लिए पट्टी घोषित करनी होगी। जिले का जो अधिकारी कहेगा 4 बीघा 5 बीघा या 6 बीघा जो वह कहेगा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी कानपुर के रहने वाले हैं मलिहाबाद उनके नजदीक पड़ता है अच्छा है फल पट्टी के संरक्षण के लिए कानून बने। लेकिन जिसका छोटा सा बाग है वह भी कहेगा कि फल पट्टी है। इसको तय करने का अधिकार किसको दे दिया है? इसको कलेक्टर साहब तय करेंगे। आपको मालूम है कि यह सब कलेक्टर साहब नहीं करते हैं यह उनके लेखपाल, अहलमद, कानूनगो तय करेंगे। आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट का प्रमाण-पत्र बनाने में या इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के मामले में क्या हालत होती है तो आप क्या समझते हैं कि इसकी अच्छी हालत होगी, मामला कोई तय नहीं होगा। बाग वाला भी परेशान होगा, खेत वाला भी परेशान होगा, फल पट्टी वाला भी परेशान होगा। कानून की यही

मंशा होती है कि लोगों को सुविधा मिले लेकिन उसको बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ।

मान्यवर, जैसे भट्ठे का उद्योग है तो उसको उद्योग डिक्लेयर तो जरूर कर दिया लेकिन कोई पूंजीपति, टाटा और बिरला भट्ठा नहीं चलाते हैं, मैं तो समझता हूं कि यह गरीब को रोजी है और छोटे लोग भट्ठे चलाते हैं और इसलिए सरकार छोटे उद्योग धंधे वालों को नीचे लाना चाहती है । मान्यवर, भट्ठे वाले तो वह लोग हैं जो किसान हैं या छोटे-मोटे बिजनेस करते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यह धुआं अकेले भट्ठों से होता और अकेले भट्ठा उद्योग के लिये यह होता तो ठीक था लेकिन यह तो हर उद्योग के लिये है और अगर धुएं से आपको नफरत थी तो इस महात्मा गांधी रोड पर जिस तरह धुआं निकलता है, मैं तो 20 सालों से यहां रहता हूं, 20 साल पहले यहां धुएं का नामोनिशान नहीं था लेकिन आज धुएं से दम घुटता है । तो आप देखें कि शहरों में कितना प्रदूषण है उसको आप नहीं रोकना चाहते हैं । इसलिए इस कानून के नाम पर आपको अधिकार मिल रहा है और वह छोटे उद्योग पर है इसलिए इसको वापस ले लें और आगे फिर देखा जायेगा ।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन), विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, अभी हमारे मित्र श्री त्रिलोक चन्द्र यह कह रहे थे कि इस विधेयक के पीछे मंशा अच्छी है । तो एक बात तो साफ है कि इरादा हमारा बहुत नेक है । उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब तो मैं बाद में चर्चा के समय दूंगा लेकिन अभी संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह कोई नया विधेयक इस सदन में नहीं आया है बल्कि पहले भी इस सदन में इस विधेयक पर एक बार चर्चा हो चुकी है और जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन ने इस विधेयक को पारित भी कर दिया था लेकिन यह विधेयक विधान परिषद् में जाकर रुक गया था क्योंकि एक लाबी है और जो मजबूत लाबी है । वह बात तो करते हैं बहुत गरीबों की, समाजवाद की लेकिन जब दरअसल मौका आता है तो वकालत करते हैं बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की और भट्टे का मालिक भी उन्हें छोटा और गरीब आदमी नजर आता है । मैं तो कहता हूं मेरा मन स्पष्ट है कि यदि भट्ठे के मालिक गरीब हो सकते हैं तो हमारे हिन्दुस्तान का हर आदमी इस तरह का गरीब हो जाये तो मैं उस दिन बहुत प्रसन्न हूंगा ।

तो मान्यवर, यह लोग वकालत करते हैं भट्ठे के मालिकों की । जो यह विधेयक है, इनके जरिये जो फलदार वृक्ष काटे जाते हैं, जो बाग उजाड़े जाते हैं उनके संरक्षण का प्रयास किया गया है । कहीं पर आवास योजना के नाम पर, कहीं पर उद्योग लगाने के नाम पर लोगों को उजाड़ा जाता है । इलाहाबाद के अमरूद दुनिया भर में मशहूर थे, देश में ही नहीं, लेकिन आवास योजना के नाम पर सारे अमरूद के बाग उजाड़ दिए गए । यह जो प्रभावशाली लोग हैं, वह पेड़ों, बागों की परवाह न करके जहां पर भट्ठे नहीं लगने चाहिए, जहां उद्योग नहीं लगने चाहिए, वहां पर भी भट्ठे और उद्योग लगा लेते हैं । तो मान्यवर, उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और तत्सम विशेषज्ञों की राय ली गई और उसके अनुसार यह बिल बनाया गया । यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और अपने आप में बहुत स्पष्ट है । जब हमारे मित्र और चर्चा करेंगे तो उसका विस्तार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा । यह बहुत बड़ा विधेयक है, इसको सरकार ने बड़ी नकनीयती से पेश किया है । मुझे उम्मीद है कि इस पर अच्छी चर्चा होगी और अच्छे सुझाव आयेंगे ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्री जी ने अपने विचार रखे और इसकी आवश्यकता के बारे में उन्होंने जानकारी दी । हम लोगों को इससे कोई इन्कार नहीं है कि बागों और फलदार वृक्षों का संरक्षण न हो । लेकिन इसको जो परिभाषा है और जो संरक्षण की मंशा है, वह इस विधेयक से पूरी नहीं होती है । यह केवल जो हमारे ग्रामीण उद्योग हैं, जिसको आप पूंजीपति उद्योग की संज्ञा दे रहे हैं, भले ही उधर के बैठे तमाम लोगों के दिल मसोस रहे होंगे-मैं आपको क्या बताऊं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री श्रीपति मिश्र के 8 भट्ठे चलते हैं, जीरबहादुर सिंह जी के चलते हैं, वासुदेव सिंह जी के चलते हैं-तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है, जिसके भट्ठे न चलते हों । तो मैं सबको जानता हूं ...

(व्यवधान)

देख लीजिए मान्यवर, सबको खुजलाहट लग गई है ।

खाद्यमंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मैं निवेदन करूंगा कि एक मिथ्या भ्रामक और सत्य से परे बात यहां नहीं होनी चाहिए । मैं यह कहना चाहूंगा कि आज केवल कम्युनिस्ट पार्टी में पूंजीपति बोल रहे हैं ..

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, यह जो बोल रहे हैं वह सत्य से परे हैं । मेरा कोई भट्ठा नहीं चलता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके लिए तो कहा भी नहीं था, आप बैठिए ।

श्री मित्रसेन--

यह तो प्रमाण है कि इनके भट्ठे चलते हैं, नहीं तो इनको खुजलाहट न होती ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सारे सदन की दीदी हैं कम से कम आपको इसका ख्याल करना चाहिये ।

श्री मित्रसेन--

माननीय मंत्री जी बहुत समझदार हैं, हमारे देश के और प्रदेश के जानकार मंत्री हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप मैंगो बेल्ट डिक्लेयर कीजिये । किसको डिक्लेयर करेंगे और उसकी परिभाषा क्या होगी । अगर परिभाषा ऐसी बनती है, मान लीजिये आपने 20 कि० मी० का एरिया डिक्लेयर कर दिया और 3 कि० मी० रेडियस ले लिया तो फिर 50 कि० मी० के इलाके में भट्ठे नहीं लग पायेंगे । उस इलाके में लोग अपने मकान का निर्माण कैसे करेंगे, सड़क कैसे बनेगी । ईंटों के दाम बढ़ जायेंगे । यह ग्रामीण उद्योग है, इस ग्रामीण उद्योग के जरिये से हरिजन, अशिक्षित लोग, गरीब लोग भट्ठे पर काम पाते हैं । श्रम मंत्री जी से पूछ लीजिये तो वह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर भट्ठा उद्योग में कितने मजदूर लगे हुये हैं । भट्ठे हटने से यह सारे लोग बेरोजगार हो जायेंगे और निर्माण

के काम रुक जायेंगे । इसके अलावा वित्त मंत्री जी से पूछ लीजिये कि भट्ठा उद्योग से सरकार को कितनी आय होती है । इस ग्रामीण उद्योग से हमारे निर्माण के कामों में सहयोग मिलता है और सरकार को आय होती है, इससे धन अर्जित होता है और बेकारी दूर होती है । ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा मंत्री जी गौर से देखें । 3 कि0 मी0 में भट्ठे नहीं लगेंगे । कहीं भी ऐसा एरिया उत्तर प्रदेश के अन्दर, राजस्थान को छोड़कर, बता दें कि जहां पर 3 कि0 मी0 में बाग नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में इससे भट्ठे लग ही नहीं सकते क्योंकि 3 कि0 मी0 में ऐसा एरिया नहीं है जहां बाग न हो । बाग लगाने की बात है, उसकी डिफनीशन फिक्स कर दीजिये कि एक तरह के, दो तरह के बाग होंगे । अभी सन् 79 की रिपोर्ट मौजूद है । इन्होंने कहा था कि 1 कि0 मी0 पूर्व पश्चिम और 1/4 कि0 मी0 उत्तर दक्षिण में प्रभाव होता है ।

यह बिल पहले भी आया था सन् 78 में । अगर उस बिल को देखें तो इन्होंने उसमें रखा था कि बाग भूमि का तात्पर्य कम से कम 0·2 हेक्टेयर क्षेत्र या ऐसे भूखंड से है जिस पर फलदार वृक्षों की संख्या इतनी होगी । एरिया फिक्स किया था कि 1 कि0 मी0 पूर्व-पश्चिम तथा 1/4 कि0 मी0 उत्तर-दक्षिण । तो उस समय सरकार ने महसूस किया था और इसको पास नहीं किया था, विधान परिषद् से पास नहीं हुआ था । हम सभी ने निवेदन किया था कि इस ग्रामीण उद्योग को प्रभावित न करें । अगर कोई क्षेत्र विशेष है जैसे काकोरी या मलिहाबाद या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से जैसे प्रतापगढ़ में आंवला पैदा होता है, इलाहाबाद में अमरूद पैदा होता है, वहां के लिये ठीक है, एक एरिया विशेष के लिये ठीक है, वहां भट्ठे न लगने दें उसको विशेष फलदार बेल्ट डिक्लेयर कर दीजिये । लेकिन जो बाग की परिभाषा दी है, जो प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं उससे हमारा यह ग्रामीण उद्योग प्रभावित होगा । हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, उनकी रोजी रोटी भट्ठों से चलती है उनके हाथ बंधित हो जायेंगे । इसका प्रभाव सरकारी आय पर भी पड़ेगा और जो निर्माण कार्य हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा इसलिये इसे ठंडे दिल से सोचें । बिल तो आप पास करा ही लेंगे । चाहे तो फसी का भी बिल पास तो आप करा ही लेंगे क्योंकि आंख मूंदकर हाथ उठाने वाले सैकड़ों लोग हैं ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस कुर्सी से हटकर लाबी में चले जांय अपने कक्ष में चले जांय या गांव में बैठकर लोगों से बात करें तो पता चलेगा कि असलियत क्या है और सही स्थिति मालूम हो जायगी । इससे अगले सितम्बर में भट्ठे खत्म हो जायेंगे । डी0 एम0 भट्ठे को हटवा देगा । अगले सल भट्ठे नहीं रह पायेंगे । तो उन्होंने, जिन्होंने 2 लख, 4 लाख रुपया लग कर अपनी चिमनी लगाई, अपने भट्ठे बनाया, उनको आप हटा देंगे । क्या उनको आप मोआवजा देंगे, या उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे या उनको दो-तीन साल के लिए छूट दे रहे हैं ? मान्यवर, जो लोग अपनी लागत भी वापस नहीं कर पाये हैं, उनके भट्ठे हटा देने से या बन्द करा देने से उनको बड़ी आर्थिक क्षति होगी और इस प्रतिबन्ध के लगाने से भट्ठा उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । मान्यवर, अगर उनको साल-दो साल की छूट देकर यह कानून बनाया जायगा, तो यह प्रदेश के हित के लिये होगा और न ही उससे प्रदेश की वित्तीय क्षति होगी और न निर्माण कार्य में किसी किस्म का अवरोध पैदा होगा और न बेरोजगारी बढ़ेगी, बल्कि इससे फलदार वृक्षों का हित ही होगा । मान्यवर, सत्ता पक्ष में कितने भट्ठा उद्यमी हैं, इसकी अगर जांच करवायेंगे, तो सच्ची शक्ल सामने आ जायगी । मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठने वाले आधे से ज्यादा लोग भट्ठा उद्यमी

हैं । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मेरे पास तो कोई भट्ठा नहीं है, लेकिन फैजाबाद के मिल्कीपुर के कल्याण पुर गांव के पास माननीय मित्रसेन जी का जो भट्ठा है, वह भट्ठा किसका है ?

कुमारी अलमेलु अम्माल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह विधेयक आया है, मैं इसका पूर्णरूपेण समर्थन करती हूं । मान्यवर, मंत्री जी का कहना बिलकुल सही है कि फलदार वृक्षों को भट्ठे से नुकसान हो रहा है । लेकिन मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि फलदार वृक्षों में सबसे ज्यादा आम के पेड़ के लिए नुकसान है । आम हम लोग उत्तर प्रदेश से बाहर भी भेजते हैं और अपने यहां पर भी उसका प्रयोग करते हैं । तो मान्यवर, आम से हमारे प्रदेश को बहुत फायदा है । मान्यवर, मैं ग्रामीण मजदूर कांग्रेस की अध्यक्षा हूं । मान्यवर, जो मजदूर भट्ठों पर काम करते हैं, उनके भविष्य को सामने रखकर हमें सोचना चाहिए । मान्यवर, उन मजदूरों को जब हम लोग दूसरी मजदूरी कमाने-खाने की कर देंगे, तब तक छोटे निर्धारित समय के अन्दर भट्ठा चले और जब उनकी रोजी रोटी का इन्तजाम हो जायगा, तब भट्ठा बन्द किया जाय, अन्यथा भट्ठे के मजदूर भूखों मर जायेंगे । तो मेरा यह सुझाव है, जब ग्रामीण मजदूरों को दूसरी मजदूरी करने, कमाने-खाने का इन्तजाम करेंगे, तब तक छोटी अवधि तक भट्ठा चलना चाहिए । धन्यवाद ।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मित्रसेन जी द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी सदासयता से, बड़ी उच्च भावना से इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया । लेकिन इसका जो उद्देश्य है, उसके अन्दर उस भावना को नहीं निहित किया, इस विधेयक को तैयार करते समय, जैसाकि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष के लोग पूंजीपतियों के समर्थक होते हैं और उन्हें प्रश्रय देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाग वाले लोग भी किसी भट्ठे वाले से छोटे नहीं होते हैं । अगर आपकी सदासयता होती, तो इस विधेयक को समान रूप से सभी उद्योगों पर लागू करते, क्योंकि इस विधेयक की धारा 5 की उपधारा (3) अन्तर्गत यह व्यवस्था न करते, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी । इसका तात्पर्य यह होगा कि जो बड़े उद्योग होंगे, उनको तो लगाया जा सकता है अपितु भट्ठा जैसे छोटे उद्योगों को नहीं चालू किया जा सकता है ।

अगर आपकी सरकार ईमानदार थी गरीबों की पक्षधर थी, तो आपने बड़े लोगों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया । आपने जो छोटे-छोटे लोग, उद्योग लगाते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया । फलदार वृक्षों की कोई सीमा आपने निर्धारित नहीं की । फलदार वृक्ष तो जामुन के भी होते हैं आम के भी होते हैं तमाम वृक्ष फलदार होते हैं । आपने फलदार वृक्षों की परिभाषा नहीं दी । आपने पांच किलोमीटर की बात कही ठीक है । लेकिन पांच किलोमीटर के बाद कोई बाग छः किलोमीटर सात किलोमीटर चली जाएगी । तो आपने कह दिया कि पांच किलोमीटर से सात किलोमीटर के बीच में भी भट्ठे नहीं लग सकते हैं, फिर आपने कितनी दूरी निर्धारित की यह आपने नहीं कहा, कैसे इसको निर्धारित करेंगे यह आपने नहीं कहा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने आवासीय योजना के बारे में कहा, इसमें आपने दिया है उसको मैं बता दूं कि कोई भी आवासीय योजना चलानी है तो जिलाधिकारी से या किसी विधि द्वारा जो अधिकारी, नियुक्त होगा उससे परमीशन लेकर जमीन दी जा सकती है। अगर आपको आवासीय योजना चलानी है तो आप परमीशन ले लीजिए और अगर एक आदमी स्वतः रोजगार योजना चलाता है, तो आपने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मान्यवर, हमारे यहां तो सब लोग जेल जाते हैं, क्योंकि वह सेल्स टैक्स नहीं दे पाते हैं, लगभग आधे भट्ठे वालों की स्थिति दयनीय है। मंत्री लोगों को तो सेल्स टैक्स देना नहीं पड़ता है, जिससे उन्हें काफी लाभ हो जाता है। भार विपक्ष पर पड़ता है। अगर आप लिखते कि सरकार के आवासीय भवनों के लिए भी जमीन नहीं दी जायेगी तो आप ईमानदार थे। आप निर्देश कर दें कि कितनी सीमा बाग की होगी कितनी सीमा तक बाग होगा। दूसरी बात बड़ उद्योग नहीं लगेंगे। अनिवार्य रूप से कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं फलदार वृक्ष संरक्षण एवं संवर्द्धन विधेयक 1985 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो वाद-विवाद हो रहा था उसको मैंने ध्यान से सुना। मंत्रियों का भी उल्लेख किया गया, श्रीमन् हो सकता है भट्ठे चलाने वाले बहुत से लोग इधर के हों, लेकिन मुझे खुशी है कि भट्ठे चलाने वाले लोग उधर भी हैं और इधर भी हैं। मान्यवर, जो छोटे-छोटे लोगों के निजी उद्योग और बागों को बचाने की बात आई है उसके लिए इधर के लोग तैयार हैं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

उन लोगों के लिए कहा गया कि कर्जा लिया जाता है तब भट्ठ लगाए जाते हैं, लेकिन उससे कितना नुकसान होता है यह आपने नहीं कहा। जिन लोगों ने बाग लगाई और जब वह बाग फल देने लगी, उस पर फल लगने लगे, तो जब फल के ऊपर राख गिरती है तो एक-एक फल गलता है तब जो फल लगाता है उसको लगता है जैसे उसका जिस्म गल रहा हो, श्रीमन् मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए जो माननीय सदस्यों ने आलोचना की बातें कही हैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा।

सबसे पहले हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इससे उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर माननीय सदस्य हानिप्रद प्रतिष्ठान की परिभाषा पढ़ लेते तो यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दिया हुआ है कि कोक या लकड़ी के कोयले से भिन्न कोयले का उपयोग किया जाता है, और जिनमें से धुआं निकलता है उनको शामिल किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि होटल, रेस्तरां या अन्य आहार स्थल नहीं है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के भट्ठे के अलावा कोई उद्योग आने वाला नहीं। दूसरी आपत्ति माननीय सदस्य ने की कि फल पट्टी कैसे घोषित होगी। अगर माननीय सदस्य धारा 3 की उपधारा (2) को पढ़ लेते तो स्पष्ट हो जाता। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार अपने मन से कर देगी। ऐसा नहीं है। इसमें पूरी रीति विहित है। किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के पूर्व, गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसा करने के अपने अभिप्राय को अधिसूचित करेगी और प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगी। सुझाव और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद उसको फल पट्टी घोषित किया जायेगा।

तीसरी बात फल पट्टी की परिभाषा माननीय सदस्य अधिनियम के अन्त में धारा 14 को पढ़ लेते तो ज्ञात हो जाता। इसमें दिया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित

करने के लिये नियम बना सकती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय एक नया विधेयक बना है, मान्यवर एक नया विधेयक बन रहा है। समय-समय पर नियमों को बनाने की आवश्यकता होगी जब एक ऐसा विधेयक बना देंगे कि हालात के अनुसार कोई परिवर्तन न करवायें। उस विधेयक को लागू करना सम्भव न होगा। बार-बार संशोधन के लिये यहां लाना पड़ेगा। अन्त में मैं एक दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा 5 की उपधारा (2) की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें दिया हुआ है कि इस धारा की कोई बात उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी। मान्यवर मेरा निवेदन है कि इन उद्योगों को हटाने की बात न करें लेकिन उनके रेगुलेशन के बारे में आवश्यक प्राविधान करें। नियम बनाकर उन उद्योगों का विनियमन होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों के लिये, जहां माननीय मंत्री जी फल पट्टी घोषित करेंगे वहां तो इसको लागू करायें लेकिन जहां कोई नया भट्ठे का लाईसेन्स लेना चाहता है वहां लाईसेन्स देने के पहले यह देख लें कि दो मिलीमीटर के अर्धव्यास के अन्दर कितनी बाग का क्षेत्र है, इसको परिभाषा में, नियम, अधिनियम में सम्मिलित कर दें। जो फल पट्टी घोषित नहीं है, अगर वहां बाग आती है तो लाईसेन्स न दें। ऐसा प्राविधान लागू कर दें तो यह और प्रभावकारी हो जायेगा।

*श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद माननीय सदस्यों को इस विधेयक के बारे में कुछ भ्रम है। यह गरीब और अमीर, या बाग और भट्ठा मालिकों की लड़ाई का प्रश्न नहीं है। हम लोग तो पूरे प्रदेश को समन्वित विकास की ओर ले जाने के पक्ष में हैं, चाहे बाग हो, भट्ठा हो या उद्योग हो। हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखना है। इसी दृष्टि से मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक में साफ है कि इसमें मात्र मलिहाबाद के लिये क्षेत्र बनाने के लिये प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक में बहुतेरी खामियां ऐसी हैं, सम्भवतः जिन पर विशेषज्ञों की राय जिस रूप में ली जानी चाहिये थी, नहीं ली गयी प्रतीत होती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978 में धारा 2 के "ब" में लिखा गया है कि 700 मीटर से कम दूरी पर भट्ठे नहीं लगाए जाएंगे। तो सात सौ मीटर दूरी पर लगाने से आशय स्पष्ट नहीं है। दूसरी धारा 2 के खण्ड-3 में लिखा है कि पन्द्रह मीटर या उससे अधिक ऊंची टेलिस्कोपिक लगी है तो नहीं समझा जायगा कि इस धारा से ऐसे ईंट के भट्ठे का संचालन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, अर्थात 15 मीटर ऊंची चिमनी हो तो उन बागों को नुकसान नहीं होगा। इसी तरह मान्यवर दि मैंगो, बाटनी, कल्टीवेशन ऐण्ड यूटीलाइजेशन नामक पुस्तक के पृष्ठ 271 पर यह लिखा है कि:--

"दि मिनिमम डिस्टेन्स फार दि डैमेज हैज बीन गिविन एज 700 यार्ड्स, बट केस आफ डैमेज अप टू ए माइल आर आल्सो रिपोर्टेड।"

इसका अर्थ है कि 700 गज की..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य खण्डों पर विचार बाद में होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसके लिये माननीय मंत्री जी विशेष विशेषज्ञों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की एक कमेटी आगे चलकर बनावें और इस विधेयक के तहत जो भी प्रतिबन्ध इसमें लगाए जा रहे हैं, उन पर फिर से छान-बीन करावें ताकि अगर उनमें फिर से संशोधन की आवश्यकता हो तो ऐसे संशोधन की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं तथा इसमें केवल दो सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत बाग लगाने व सुरक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो सर्वथा स्वागत योग्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अरबन एरियाज में जो आम व अमरूद आदि के बाग हैं, उनके कटान को रोकने के लिए नियमों में प्राविधान नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देहरादून में बड़े पैमाने पर जो लीची और आम के बाग थे, जिन्हें सीलिंग मे केवल बाग के कारण छूट मिली थी उन्हें काट कर आवास में परिवर्तित किया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी अरबन एरिया में जो बाग हैं उनके कटान पर रोक लगाने हेतु नियमों में व्यवस्था करायें और दूसरी बात यह कि जो कारखाने हैं, भट्ठे हैं, उनके मजदूरों के हितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें जहां उन्हें बसाया जा सके और काम दिया जा सके। धन्यवाद।

*कुमारी कृष्णा रावत--

माननीय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी के इस विधेयक का समर्थन करती हूं और साथ ही साथ सुझाव भी देना चाहती हूं कि इस उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो फलों से पूर्ण रूप से भरपूर हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आपने इलाहाबाद में इलाहाबादी अमरूद के लिए कहा, इसी लखनऊ शहर के नजदीक में 30-35 कि0 मी0 दूर मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है, जो मान्यवर, आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह आमों का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। उस इलाके में लोग गेहूं न पैदा करके आम ही पैदा करते हैं। उस इलाके से लगे हुए क्षेत्र काकोरी में 65 से भी ज्यादा ईंट के भट्ठे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगी कि वहां के बारे में जो उनकी विचारधारा है, उसमें यह संशोधन करायें कि वहां पर भट्ठे नहीं होने चाहिये। वहां के लोगों के पास और किसी किस्म का रोजगार नहीं है। रोजगार का एक ही माध्यम है और वह है आम का उत्पादन। उस आम को उत्तर प्रदेश में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता वरन् उसे विश्व में निर्यात किया जाता है। जो यह कहा जाता है कि भट्ठे में लेबर का काम लोगों को मिल जाता है, मैं कहना चाहती हूं कि ईंट के भट्ठों से ज्यादा आम के बागों में लेबर का काम लोगों को ज्यादा मिल जाता है। यह बात सही नहीं है कि ईंट के भट्ठे से ही लेबर का काम मिल सकता है।

माननीय, उन ईंट के भट्ठों में 8 वर्ष, 10 वर्ष के बच्चे बिना जूते के रांबिश पर, जो लाल बालू निकलती है, उस पर काम करते हैं। विपक्ष के साथी भी इस बात से सहमत होंगे। माननीय, उससे कहीं बेहतर है कि मेंगो बेल्ट हो, वहां वे मजदूरी का काम करे और आम भी तोड़कर खायें।

* श्री बदन सिंह--

माननीय, यह जो उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 इस सदन में लाया गया है, यह सोच समझ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि फलदार वृक्षों के बागों को भट्ठा उद्योग के धुंए से बड़ा भारी नुकसान होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, इसलिए उन पर रोक लगनी चाहिये । मान्यवर, आज बहुसंख्या में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इसलिये इस विधेयक को पास करवा लेंगे, मानेंगे नहीं । माननीय कृषि मंत्री जी मेरी बात पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । यह भट्ठे का उद्योग, अमीर आदमियों के हाथ में है या गरीब आदमियों के हाथ में है—यह प्रश्न नहीं है, लेकिन यह हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा व्यावहारिक उद्योग है । इसके द्वारा जो ईंटें तैयार की जाती हैं, उनसे तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं । अगर इन भट्ठों को रोक दिया गया तो इसका दुष्परिणाम सामने आ जायेगा । जैसे मान्यवर, चार पेड़ लगे होने से सड़क का निर्माण कार्य रोका जाता था, विकास कार्य रोका जाता है । भट्ठों के उद्योग को रोकने के लिए यदि फलदार वृक्षों का सहारा लिया गया, मान्यवर, फलदार वृक्ष में तो नीम का पेड़ भी लग सकता है, क्योंकि उसमें नीमोरी फल लगता है, लेकिन यह भट्ठा उद्योग समाप्त हो जायेगा । अभी आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा और इस शासन ने उसे ज्यादा अनुभव किया होगा कि कुछ दिन पहले ईंट-भट्ठों वालों ने हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से 1000 ईंटों की कीमत साढ़े चार सौ रुपये हो गई थी । पूरे विकास को बहुत हानि पहुंची थी । मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है, वह कोई समझदार लोगों का विधेयक नहीं है, बल्कि इसे मैं सत्ताधारी लोगों का विधेयक समझता हूं । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर आज सोच विचार कीजिए और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए । इस विधेयक पर जो अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

* श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय, कृषि मंत्री जी द्वारा जो यह विधेयक रखा गया है, यह सबसे अच्छा विधेयक रखा गया है । इसकी जनता को बहुत पहले से मांग थी । इलाहाबाद के अमरूदों का प्रश्न यहां पर आया । यहां का अमरूद विश्व प्रसिद्ध है । कृषि मंत्री जी भी किसान के बेटे हैं । इसमें क्या किया जाना है और क्या निरीक्षण करना है, वे भलीभांति जानते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि एक उच्च अधिकारियों की टीम इलाहाबाद गयी थी, वहां उन्होंने सभी बगीचे वालों की राय ली कि इसमें क्या होना चाहिए । यहां तक कि मलीहाबाद के लोगों को भी बुलाया गया था और उनकी राय भी ली गयी थी । हमारे कृषि मंत्री जी सांसद भी थे, ने इलाहाबाद के अमरूद के बारे में पहले आवाज भी उठायी थी, आज उन्होंने अपनी आम आवाज को साकार रूप में साबित किया है । मेरा एक निवेदन है मंत्री जी से कि वह इलाहाबाद के अमरूद को फल बेल्ट घोषित कर दें और भट्ठों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री मित्रसेन—

हमारे इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारे उन सुझावों पर फिर से गौर करेंगे । 2-3 सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । पहला सुझाव तो यह है कि मंत्री जी के पास बफर स्टेज के बारे में अभी कोई नजदीकी रिपोर्ट नहीं है कि चिमनी से निकलने वाले धुंवे से कितनी दूरी तक पेड़ों पर, खासकर फलदार वृक्षों पर असर पड़ता है ।

दूसरा, यह है कि जो आप 3 किलोमीटर के रेडियस पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं, तो क्या वह मंगो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बेल्ट में ही लागू होगी या फिर दूसरे क्षेत्र में भी लागू होगी, यह भी आपने क्लीयर नहीं किया है।

तीसरा, प्रदीप कुमार, आई० ए० एस०, जो बहराइच के डी० एम० थे, ने फैजाबाद के कमीश्नर को एक पत्र लिखा था, आप उसी पत्र पर विचार कर लें। उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि 1978 में जो बिल लाया गया था, उसके लागू होने पर प्रदेश की आमदनी बिल्कुल खतम हो जायेगी, न ही हम किसी भट्ठे का नवीनीकरण कर सकते हैं और न ही किसी को लाइसेन्स दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्पष्ट रूप में निम्न चीजों को बता दें :—

(1) बागों की परिभाषा क्या होगी ?

(2) बफर स्टेट की टेक्निकल रिपोर्ट क्या है ?

(3) 3 किलोमीटर का रेडियस कहां लागू होगा ?

(4) मैंगो बेल्ट आप किसे डिक्लेयर करने जा रहे हैं ?

ये तमाम चीजें हैं जिन पर उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। हमारा ख्याल है वह अनुभवी और वयोवृद्ध हैं...

(हंसी)

मान्यवर, अनुभव के क्षेत्र में वयोवृद्ध हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी जो ले आये हैं विधेयक, उसके बारे में मैं बल देते हुये निवेदन करूंगा कि इन प्रस्तावों के साथ प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें ताकि एक रिपोर्ट आ जाय और जानकारी हो जाय उसके बाद हम लोग बिल का स्वागत करेंगे, सर्वसम्मति से पास करा लें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

ऐसा मालूम पड़ा इस बहस के बाद कि हम लोग भट्टे के हिमायती हैं और वह इसके दुश्मन, लेकिन हमारा तो सुझाव है, सरकार माने या न माने, यह उनका काम है। जो बिल लाये हैं इसे गम्भीरता से देखें, जितना काम है सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है, उनके हाथ में छोड़ने से न तो भट्टे वालों का भला होने वाला है और न ही बाग वालों का। हम लोगों के तो भट्टे हैं नहीं, जिनके भट्टे हैं उनके पास बाग भी हो सकती है, छोटी बाग भी हो सकती है, बाग नहीं तो खेती हो सकती है। इसमें न कांग्रेस पार्टी का मतलब है न किसी दल का इसलिए मैं मन्त्री जी से, जहां तक खन्डों की बात है, अपने विचार में व्यक्त करूंगा लेकिन प्रवर समिति को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कमेटी, जहां और कमेटियां हैं, यह भी सही। खुल कर सरकारी कर्मचारी इसका उपयोग करेंगे, भट्टों पर ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी, जहां कोई छोटी चिमनी घरेलू उपयोग के लिए लगी, वहां भी इसका उपयोग करें कि धुआं निकल रहा है, क्योंकि डिफिनिशन साफ नहीं है। इस लिए समिति को भेज दें, विचार हो जाय और अच्छा कानून बन सके, इस लिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को दे दें। दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी बैठती है, प्रदेश का इससे सर्वेक्षण हो जायगा, प्रदेश के ईंट भट्ठों के साथ-साथ बागों का भी जैसे एटा में बेर की बाग है, सासनी, अमरूद की बाग है, तीन कि० मी० बताया है, इसका एरिया क्या होगा, अभी एक सुझाव आया था 3 एकड़ की जो बेल्ट है, उससे कम न हो, तीन एकड़ की बाग, मान लीजिये उसके डेढ़ दो एकड़ के बाद फिर 3 एकड़ की बाग आ जाय, इसी प्रकार फिर आ जाय, तो फिर क्या होगा, भट्ठे भी, बाग भी, सभी आपके लिए हैं, विकास के लिए हैं, इसलिए प्रवर समिति को दे दें। 4–6 महीने में रिपोर्ट आ जायेगी, सर्वसमिति से पास करा लें, इस पर गम्भीरता से सोंचे और विचार करें और प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय, सम्मानित सदस्यों ने चर्चा के दौरान बहुत अच्छे विचार दिये और सुझाव दिये। मैं उन सभी को जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। और वह धन्यवाद, इसलिए और देता हूं कि किसी भी सम्मानित सदस्य ने इस विधेयक की भावना का विरोध नहीं किया। सभी सम्मानित सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि यह विधेयक आवश्यक था। इस तरह का प्राविधान जरूरी है, इस तरह की व्यवस्था जरूरी है। इसको सभी सम्मानित सदस्यों ने चाहा चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों।

दो-तीन बातें लगभग सभी मित्रों ने अलग-अलग तरीकों से रखीं। यह तो बहस की बात है। आपने कहा कि इधर भट्ठे वाले ज्यादा हैं, हमारे दोस्तों ने कहा उधर ज्यादा हैं। किधर भट्ठे वाले ज्यादा हैं, यह बात इससे स्पष्ट है कि कहां उनके ज्यादा हमदर्द हैं। अगर यह कहा जाय कि हम उनके दुश्मन हैं तो गलत होगा। वह भी देश के निर्माण में अच्छा हिस्सा बटाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको तबाह या बर्बाद करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। पूरे समाज को, पूरे देश को प्रगति करनी है ऐसा हमारा इरादा है, इसी से देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। उनकी कठिनाइयां हैं, व्यावहारिक है, यह सही है। लेकिन जो भी देखते हैं दो नजरियों से देखा जाता है। एक तो यह कि किसका अधिक महत्व है? दूसरा यह कि किसी को उससे इतना अधिक नुकसान तो नहीं हो रहा है कि उसे किसी तरीके से पूरा ही न किया जा सकता हो या जो तबाह हो रहा हो।

मैं निवेदन करूं कि हमारे देश में 10 लाख हेक्टेयर में आम के बाग हैं और फलों के बारे में तो विस्तार से नहीं कहना चाहता, उसमें से 3·75 लाख हेक्टेयर हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। पूरे देश में लगभग 90 लाख मैट्रिक टन आम पैदा होता है। हमारे प्रदेश में 22 लाख मैट्रिक टन आम पैदा होता है। हमारे मित्रों ने दूसरे सवाल उठाये। हमारे पान्डे जी कह रहे थे धारा 5(3) के बारे में कि इस धारा की कोई बात उद्योग विकास विनियमन अधिनियम, 1951 के बारे में अनूसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी यह कन्ट्रोल आर्डर है केन्द्र सरकार का जिस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह केन्द्र का निर्देश है। अगर सम्मानित सदस्य कोई सलाह देंगे तो हम उनकी राय और अपनी राय सम्मिलित करके केन्द्र को भेज सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा संशोधन होना चाहिये। आज की स्थिति में उसमें कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उसको इससे "एग्जेम्प्ट" किया गया है। करीब-करीब हमारे सभी मित्रों ने कहा कि एक्सपर्ट की राय नहीं ली गयी। श्री मित्रसेन जी ने कहा कि 700 मीटर की दूरी का एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि इससे भट्ठा लगाने पर कोई क्षति नहीं होगी। मैं अपने मित्र से फिर से यह कहूंगा कि उनको यह जो सूचना दी गयी है वह भट्ठा एसोसिएशन की तरफ से दी गयी है जो कि पुरानी है। यह सन् 1963 की सूचना हो सकती है या फिर हो सकता है कि 1940 की भी हो।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

21वीं सदी की बात करते-करते कहां 1940 में पहुंचे जा रहे हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह सही है कि कांग्रेस सरकार 21वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। यह जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है 1985 की मैंगो कल्टीवेशन की यह रिसर्च हार्टिकल्चर, बंगलौर की एक मैगजीन है इसमें लिखा है:

"दि लास बाई ब्रिक किल्न फ्यूम्स इज वेरी सीरियस इन आर्चार्डस लोकेटेड विदिन 3·4 कि0 मी0

फ्राम दि ब्रिक क्लिनबट ड्यूरिंग वैरी ड्राई बेटर कन्डीशन्स, ड्यूरिंग अप्रैल टू जून दि डैमेज बाई फ्यूम्स इज मौर सीवियर एन्ड आल्सो नोटिस्ड इन आच्इस, लोकेटिड फार एवे अप-टू 8 कि0 मी0 फ्राम दि ब्रिक किल्न्स" ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये और भाषण को भी संक्षेप में कर दीजिये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि भट्ठे से जो धुआं निकलता है उसका असर 3-4 किलो मीटर तक होता है लेकिन गर्मी के दिनों में अप्रैल से जून तक 8 किलो मीटर तक यह प्रभावित करता है । इसके अलावा पंजाब ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप संक्षेप में कहिये, बस हो गया यहां सब बुद्धिमान बैठे हैं, सब समझ जायेंगे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इसलिए इसमें तीन किलो मीटर का प्राविधान रखा गया है । इससे एक दूसरा प्रश्न और सभी सम्मानित मित्रों ने किया कि मजदूर और गरीब इससे बेरोजगार हो जाते हैं । लेकिन ऐसा नहीं है । यदि भट्ठा एक जगह पर बन्द हो जाता है तो दूसरी जगह पर लगाया जाता है, वे वहां काम करने लगेंगे तो कोई बेरोजगारी का प्रश्न नहीं उठता है ।

हमारे मित्र माननीय मित्रसेन जी ने एक सुझाव दिया जो कि मुझे अपील करता है । उन्होंने कहा कि मेंगो बेल्ट तक सीमित रह गये ।

श्री अधिष्ठाता--

सभी सुझाव आ गये हैं, बस अब आप संक्षेप कीजिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

तो जो सुझाव दिये गये है मैं उनका परीक्षण कराऊंगा और उनमें से जो माने जा सकते हैं उनको कार्य रूप में परिणत कराये जाने का प्रयास किया जायेगा । हमारे बहुत से सम्मानित मित्रों ने सुझाव दिया है, इसे प्रवर समिति में सौंपे जाने के लिए इसका प्रस्ताव किया है, मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इसको पास होने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2

2--जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "ईंट का भट्टा" का तात्पर्य किसी भट्टा से है जहां परिभाषाएं ईंट पकाई जाती हो और जिसमें ईंधन के प्रयोजन के लिए हार्ड कोक, साफ्ट कोक, स्लैक कोल या किसी अन्य प्रकार के

कोयले का उपयोग किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत देशी प्रकार का ईंट का भट्टा नहीं है जिसमें लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जाता है;

(ख) "अन्तस्थ परिक्षेत्र" का तात्पर्य फल पट्टी के सम्बन्ध में, ऐसी फल पट्टी के चारों ओर और सामानान्तर तीन किलोमीटर के परिक्षेत्र से है ;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य उद्यान कर्म एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(घ) "बाग" का तात्पर्य ऐसे भू-खंड से है जिस पर फलदार वृक्ष इतनी संख्या में लगाये गये हों कि उन वृक्षों के कारण वह भूमि या उसका अधिकांश भाग मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है या उनके पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर नहीं लाया जायगा, और इसके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पौधों के विकास के लिए पौधशाला भी है ;

(ङ) "हानिप्रद अधिष्ठान" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:—

(एक) ईंट का भट्टा;

(दो) कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान जिसमें उसकी भट्टी में ईंधन के प्रयोजनों के लिए कोक या लकड़ी के कोयले से भिन्न कोयले का उपयोग किया जाता है, और जिसमें से धुआं निकलता है या जो धुआं निकलने का कारण है, और जिसमें वस्तुओं का उनके उपयोग, परिवहन या बिक्री के दृष्टिकोण से निर्माण, प्रसंस्करण, अनुकूलन या उत्पादन किया जाता है और जिसमें वर्ष में किसी भी दिन दस या अधिक कर्मकार सेवायोजित किये जाते है, किन्तु इसके अन्तर्गत होटल, रेस्तरां या अन्य आहार स्थल नहीं है;

(च) "आवास योजना" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऐसे किसी आवास या उपनिवेश योजना या कार्यकलाप से है जिसका उद्देश्य बिक्री या किराये पर देने के प्रयोजनार्थ एक से अधिक आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण का हो और इसके अन्तर्गत आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण के लिए पट्टे पर देने या भू-खंड (प्लाट) के रूप में बिक्री के लिए किसी भूमि का विकास करने की कोई योजना भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी या पट्टाधृत भूमि पर अपने वैयक्तिक उपयोग और उपजीविका के लिए भवन का निर्माण करना नहीं है ;

(छ) "फलपट्टी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा तीन के अधीन इस रूप में घोषित किसी क्षेत्र से है ;

(ज) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के सम्बन्ध में, उस व्यक्ति से है जिसका हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के कार्य-कलाप पर अन्तोगत्वा नियन्त्रण हो और इसके अन्तर्गत उसका स्वामी या प्रबन्धक भी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरीश जी आपको समय नहीं मिला था यदि आप चाहें तो इस विषय पर बोलें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और

आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ के खंड 2 में निम्न-लिखित संशोधन प्रस्तावित करता हूं--

खंड 2 के उपखंड (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "तीन", के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय ।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत आसान है, सोचा जाना चाहिये । इसमें न तो किसी का उद्देश्य है कि फलदार वृक्षों को या वृक्षों को हानि पहुंचाई जाय। सम्भवतः वह भी नहीं चाहते हैं कि जो उद्योग चल रहे हैं उनको हटा दिया जाय । कोई सरकार यह नहीं चाहती है कि जो भट्ठे चल रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया जाय, मान्यवर, प्रश्न इसमें एक है कि जो 3 किलोमीटर की दूरी इस विधेयक में निर्धारित की गयी है उस सीमा के अन्तर्गत भट्ठे हों तो उससे वृक्षों को कितनी हानि होती है। मान्यवर, सम्भवतः मन्त्री जी को लगता है कि हम वृक्षों के विरोधी हैं । विरोध पक्ष तो इस बात को जानता है कि वृक्षों से फल मिलते हैं, और उनकी वजह से वर्षा होती है और वर्षा होने से अन्न पैदा होता है । उसके बाद कारखाने का भी नम्बर आता है जिसमें कपड़ा तैयार होता है और आवास आदि निर्माण कार्य के लिए भट्ठों की भी आवश्यकता है । इसलिए एक ओर जहां इंसान को फल चाहिये वहीं दूसरी ओर उसे कारखाना भी चाहिये और रहने के लिए मकान भी चाहिये । तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । इसलिए जो मैंने अपने संशोधन में 3 किलोमीटर के स्थान पर एक किलोमीटर रख दिया जाय की बात कही है उसे माननीय मंत्री जी मान लें ।

मैं माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं, इस पर विचार कर लें यह रिपोर्ट देख लें । यह है फ्रूट ग्रोइंग इन इण्डिया (भारत में फलों की उत्पादकता) और इसके लेखक इलाहाबाद हार्टीकल्चर इंस्टीटियूट के श्री डब्लू0 बी0 वेन हैं।

"दि मिनिमम डिस्टेंस ऐट विच डेमेज बाज अब्जर्वड बाज 700 यार्ड्स बट केसेज आफ डेमेज अपटू ए माईल वर रिपोर्टिड ।"

मान्यवर, अत्यधिक सीमा जिसके अन्दर क्षति की रिपोर्ट मिली है वह 700 गज है, परन्तु ऐसे भी क्षति के मामले सामने आये हैं जिसकी दूरी एक मील थी । मान्यवर, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं । यह आमों के सम्बन्ध में है और इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली का है, जिसको 4 बड़े विद्वान व्यक्तियों ने लिखा है, वह हैं श्री एस0 आर0 गांगुली, श्री रंजीत सिंह, श्री दलजीत सिंह और श्री एस0 एल0 कात्याल ।

"दि डिफरेंट मैंगो वैराइटीज शोड् बैरीइंग डिग्रीज आफ दि डेमेज, दी आल्सर एफेक्टिड व्हेन ग्रोविंग बिदिन डिस्टेंस आफ 500'--600' आफ क्लिन । दि मैक्सीमम डिस्टेंस अपटू विच डेमेज हैज बीन ट्रेस्ड इज 700 यार्ड्स ।"

विभिन्न प्रकार के आमों की फसलों की अलग-अलग मात्रा में क्षति पहुंचती है, परन्तु सभी पर असर होता है, यदि वह भट्ठा से 500 फिट से 600 फिट के अन्दर हो । अत्यधिक दूरी जिसमें कि क्षति की रिपोर्ट मिली है वह 700 गज है ।

इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली की एक और अनुसंधान है जो पढ़ रहा हूं :--

"दि एक्सटेंट आफ डेमेजइज इंवसर्ली प्रोपोरशनल टू दि डिस्टेंस आफ आर्चर्डस् फ्राम दि किल्न । आर्चर्डस् सिचुएटेड वियांड 1.5 कि0 मी0 वर फ्री फ्राम डेमेज बट इन दोज विदिन 450 मीटरस् इंजरी इज सीवियर ।"

श्री अधिष्ठाता—

आप उसका हिन्दी में भी अनुवाद करते चलें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं हिन्दी भी करता चल रहा हूं । क्षति की सीमा बाग के भट्ठे से दूरी पर निर्भर करती है, जो बाग भट्ठे से डेढ़ किलो मीटर की दूरी के बाहर है, वे क्षति की पहुंच के बाहर हैं ।

मान्यवर, यह रिपोर्ट ऐसी है जिस पर मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी विचार कर लें, तो यह जो विधेयक लाना चाहते हैं, जो उनकी मंशा है वह पूरी होगी अन्यथा मान्यवर, इसका परिणाम यह होगा और इसका भयंकर परिणाम होगा कि 5 हजार भट्ठे जो उत्तर प्रदेश में हैं, अगर 3 किलोमीटर का डिस्टेन्स पास करवा लेंगे तो ढाई हजार भट्ठे सितम्बर से बन्द हो जायेंगे और उनमें लगे ढाई लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे । एक किलोमीटर की दूरी मान लेने से वृक्षों को हानि नहीं होगी और भट्ठे भी चलते रहेंगे, तो माननीय मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होगा, मैंने इतना संशोधन रखा है । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी । पहले से एक अधिनियम है । प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1981 मान्यवर, इसको पूरा पढ़ना संभव नहीं है । एक सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसकी धारा 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 को माननीय मन्त्री जी देखने का कष्ट करें । जो मंशा मंत्री जी की इसमें है, उसके लिए यह बहुत स्पष्ट और व्यापक तथा व्यावहारिक है और इस अधिनियम के रहते हुये बागों की रक्षा हो सकती है । जिस क्षेत्र को आप वायु प्रदूषण से बचाना चाहे उसको घोषित कर दें कि दूषित हवा से इस क्षेत्र को बचाना है । आप जिस उद्योग को रोकना चाहे इस अधिनियम के अन्तर्गत इस पर रोक लगा सकते हैं । तो यह अधिनियम पर्याप्त था और इसको लाने की जरूरत नहीं थी । दर्द को मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, वह बहुत सुलझे हुये व्यक्ति हैं । मैंने एक संशोधन रखा है, उसको आप मान लीजिए । बागों की रक्षा होनी चाहिये और भट्ठों को बचा दीजिए । कारखाने चलने दिये जायें, आवासीय योजना लगने दी जाय । इसलिए मान्यवर, 3 किलोमीटर की जगह एक किलोमीटर करने का जो संशोधन मैंने दिया है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें । मान्यवर, मैं इस रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी के पास भेज देता हूं ताकि मेरे कथन की पुष्टि हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 के उपखन्ड (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड 2 के उपखन्ड (घ) के अन्त में शब्द "जिसका क्षेत्रफल कम से कम

3 एकड़ हो" बढ़ा दिया जाय । मान्यवर, इसको रखने की मेरी मंशा यह थी कि यदि इस प्रकार की बागात की संख्या और बागात की मात्रा उन भट्ठों पर लागू हो और जो छोटे-छोटे एक या आधा एकड़ के हों उन पर भी यहीं परिभाषा लागू कर दी जाय तो जो भट्ठे इंडस्ट्री में प्रदेश के निर्माण कार्य में और गरीब मजदूरों की बहबूदी में लगे हुये हैं उन पर भी असर पड़ेगा । इसलिए इसका क्षेत्रफल 3 एकड़ तक करने के लिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य राजेन्द्र सिंह जी की शंका में समझता हूं कि निरर्थक है । एक परिभाषा जो अपने आप में बहुत स्पष्ट है कोई तीन एकड़ या 2 एकड़ फल पट्टी तो वहां पर घोषित होगी जहां बड़ी तादाद में बागात होंगे । एक या दो एकड़ में जहां पर आम का पेड़ है, वहां नहीं होंगे । तो मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है, उसे वे वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

मान्यवर, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस ले लिया जाय ।

(सदन की सहमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3 एवं खण्ड 4

फल पट्टी की घोषणा

3--(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में फलदार वृक्ष के संवर्द्धन और संरक्षण और उसके उत्पादन के लिए हानिप्रद अधिष्ठानों के चलाने को और वहां पर और उसके समीप किसी आवास योजना के कार्यान्वयन को विनियमित और निर्बन्धित करना, लोक-हित में आवश्यक और समीचीन है तो वह उपधारा (2) से (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमायें विनिर्दिष्ट कर सकती है और उसे ऐसे दिनांक से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, फल पट्टी घोषित कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के पूर्व, गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसा करने के अपने अभिप्राय को अधिसूचित करेगी और प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आपत्ति और सुझाव ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे निदेशक को सम्बोधित किया जायगा जो उसे उस पर अपनी टीका-टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी और तदुपरान्त उपधारा (1) के अनुसार उस क्षेत्र को उसकी

सीमा में ऐसे परिवर्तन सहित या रहित, जैसा वह उचित समझे, ऐसा क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कर सकती है ।

फल पट्टी में उपान्तर

4--राज्य सरकार, जहां वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट फल पट्टी में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या किसी क्षेत्र को उससे अपवर्जित कर सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाही करने में, धारा 3 की उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड 3 और खन्ड 4 इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

हानिप्रद अधिष्ठान चलाने या आवास योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिषेध

5--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर सप्रभावी किसी संविदा, अनुदान या अन्य लिखित में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन फल पट्टी की घोषणा के दिनांक को या उसके पश्चात्--

(एक) ऐसी फल पट्टी या उसके अन्तस्थ परिक्षेत्र में न तो किसी हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना करेगा और न उसे चलायेगा ; या

(दो) राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित रीति से प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ऐसी फल पट्टी में किसी आवास योजना को कार्यान्वित नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करती है कि वह फल पट्टी की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में किसी हानिप्रद अधिष्ठान का, जो ऐसी घोषणा के दिनांक के पूर्व स्थापित किया गया हो, चलाता रहे ।

(3) इस धारा की कोई बात उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी । अधिनियम संख्या 65 सन् 1951

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं विधेयक के खन्ड 5 में निम्नलिखित संशोधन रख रहा हूं—

खन्ड 5 के उपखन्ड (1) (एक) की प्रथम पंक्ति से शब्द "न तो" निकाल दिये जायें ।

खन्ड 5 के उपखन्ड (1) (एक) की दूसरी पंक्ति में शब्द "स्थापना" के पश्चात् शब्द "नहीं" बढ़ा दिया जाय ।

खन्ड 5 के उपखन्ड (1) (एक) की दूसरी पंक्ति में से शब्द "और न उसे चलायेगा" निकाल दिये जायें ।

मान्यवर, मैंने यह सारे संशोधन खन्ड 5 में प्रस्तुत किये हैं और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि यह विधेयक उन्हीं भट्ठों को जो पहले से चल रहे हैं उन्हें भी कोई समय नहीं दिया जा रहा है कि कम से कम जितनी उनको मिट्टी लेनी शेष रह गई है उसको लेकर वे काम पूरा कर लें ।

श्री अधिष्ठाता—

एक ही खंड आखिर का रह गया है वह भी पढ़ दें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, खंड 5 के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायें ।

तो इन सब संशोधनों के पीछे एक ही उद्देश्य है और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह विचार कर लें उत्तर प्रदेश म कुल पांच हजार भट्ठे हैं उनमें से 50 प्रतिशत इसको परिधि में आ जायेंगे । इन ढाई हजार भट्ठों के बन्द होने से ढाई लाख मजदूर भी बेकार हो जायेंगे । तो पुराने भट्ठों के सम्बन्ध में मैंने संशोधन रख कर कहा है कि उन्हें जितनी मिट्टी लेनी शेष रह गई है तब तक चल जाने दें । इनकी अवधि 3, 4 या 5 साल होती है जिसको पूरा कर लेने के बाद वे अपने आप स्थान छोड़ कर चले जायेंगे । इससे एक लाभ होगा कि जो भट्टे चल रहे हैं उनमें से किसीका एक साल रह गया है किसी का दो साल रह गया है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी शेष रह गई है, आपकी कृपा से थोड़े दिन और चल जायेंगे और उसके बाद अपने आप स्थान छोड़ कर चले जायेंगे । मैं माननीय मन्त्री जी को उन्हीं के विभाग की एक रिपोर्ट जो हार्टिकलचर विभाग की है पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या इसी संशोधन से सम्बन्धित है ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

जी हां, इसी से सम्बन्धित है । उसकी 19वीं बिन्दु पढ़ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप संकेत कर ं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

दो लाइन हैं माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लेंगे उसमें कहा है कि भट्ठे जो बफर बेल्ट में आते हैं उनको उस समय तक चलने की अनुमति दे दी जाय जब तक वहां मिट्टी उपलब्ध है । जिसका विवरण सूची में दिया है । तो इसी उद्देश्य से मैंने भी संशोधन दिया है कि जब तक मिट्टी उपलब्ध है तब तक उनको चलने दिया जाय ।

माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर इससे जो ढाई हजार भट्टे मिटने जा रहे हैं कम से कम उतने समय तक उनको जीवन मिल जायेगा जब तक उनको मिट्टी लेना शेष रह गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय त्रिलोकचन्द्र जी आप भी अपना संशोधन रखना चाहते हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैंने तो कुछ कहा ही नहीं । इसमें मैंने एक बात कही है खन्ड 5 के उप-खंड (1) (एक) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी" के पश्चात् शब्द "नये" जोड़ दिया जाय । तो शब्द नये जोड़ देने से अच्छा ही होगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा । बाकी ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जो कुछ कहना चाहेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने जो बात कही 7 सौ गज वाली तो उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं वह रिपोर्ट कितनी पुरानी है । इस समय मीटर में बात चल रही है तो यह लेटैस्ट नहीं है । यह जो दूसरा हवाला माननीय हरीश जी ने दिया है इसको मैंने पढ़ा नहीं । यह रिपोर्ट को भिजवा देंगे । लेकिन मैं सभी संशोधनों को अस्वीकार करता हूं ।

खंड--5

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (1) (एक) की प्रथम पंक्ति से शब्द "न तो" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (1) (एक) की दूसरी पंक्ति में शब्द "स्थापना" के पश्चात् शब्द "नहीं" बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (1) (एक) की दूसरी पंक्ति में से शब्द "और न उसे चलायेगा" निकाल दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 के उपखंड (1) (एक) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी" के पश्चात् शब्द "नये" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ ।)

खंड--6

शास्ति 6--(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, उसे साधारण कारावास का जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दन्ड दिया जावेगा ।

(2) प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड--7

कम्पनी द्वारा अपराध

7--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दन्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दन्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दन्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजन के लिये--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) "निदेशक" का किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 8

8--(1) धारा 6 और 7 में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, आदेश द्वारा, उसे-- हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने और आवास योजना के निष्पादन को रोकने की शक्ति

(क) हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने या ऐसी रीति से जैसी फल पट्टी के संरक्षण के लिये आवश्यक हो, उसके संचालन को विनियमित करने का निदेश दे सकता है;

(ख) धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना या निर्माण या किसी आवास योजना के निष्पादन को बन्द करने या रोकने का निदेश दे सकता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अपेक्षित अवधि के भीतर अनुपालन न किया जाय, वहां कलेक्टर तदुपरान्त हानिप्रद अधिष्ठान को, यथास्थिति, हटवायेगा या विनियमित करायेगा, या ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी उक्त आदेश के अनुपालन के लिये आवश्यक हो, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो।

(3) कलेक्टर उपधारा (2) के अधीन आदेश के निष्पादन में उपगत व्यय को अध्यासी से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से म खंड 8 में संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 8 के उपखंड (1) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवसर" के पश्चात् शब्द "व मुआवजा" जोड़ दिये जायं ।

मान्यवर, इस विधेयक में जो भट्ठे अब उस क्षेत्र में आयेंगे और बन्द हो जायेंगे उनको मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मान्यवर, यह संवैधानिक अधिकार है किसी व्यक्ति की संपत्ति ली जाये या अति पहुंचाई जाय तो उसे मुआवजा अवश्य दिया जायेगा ।

मान्यवर, ढाई हजार भट्टे अभी हटा दिये जायेंगे जिससे मजदूरों और मालिक का नुकसान करोड़ों रुपये में आयेगा । इसलिये संशोधन पेश किया है कि मन्त्री जी मुआवजा शब्द को स्वीकार कर लेंगे । वह

ी अनुभव कर रहे होंगे कि जिनका कोई नुकसान होता है उसको क्षतिपूर्ति दी जाती है । यदि प्रकृति द्वारा क्षति हो जाती है तो भी शासन क्षतिपूर्ति करता है । इसलिये सरकार स्वयं जिनको नुकसान पहुंचाने जा रही है उनको मुआवजा न देना अन्याय होगा । इसलिये मैं चाहूंगा इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, खंड 8 के उपखंड (1) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवसर" के पश्चात् शब्द "एवं पुनर्वास प्रतिकर" जोड़ दिये जायं । यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, जो श्री हरिश्चन्द्र जी ने कहा है वही मेरा मतलब है कि मुआवजा दिया जाये ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

मान्यवर, मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 8 के उपखंड (1) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवसर" के पश्चात् शब्द "व मुआवजा" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 8 के उपखंड (1) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवसर" के पश्चात् शब्द "एवं पुनर्वास प्रतिकर" जोड़ दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—9

आयुक्त की अपील

9—कोई व्यक्ति जो धारा 8 के अधीन किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से एक मास के भीतर अधिकारितायुक्त आयुक्त को विहित रीति से अपील कर सकता है और अपील पर आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग माना जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 10

10--(1) कलेक्टर या निदेशक या इनमें से किसी एक द्वारा प्रवेश करने प्राधिकृत कोई अधिकारी सर्वेक्षण करन या माप लेन या ऐसा कोई और अन्य कर्य करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को निरीक्षण कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या करने की किसी आवास योजना स्थल पर, सभी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर शक्ति सकता है ।

(2) किसी व्यक्ति को जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या किसी आवास योजना स्थल पर प्रवेश करने में बाधा डालता है या इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है, साधारण कारावास का जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माना का जो एक हजार रुपय तक हो सकता है, या दोनों दन्ड दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 11 व 12

11--इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये क्षतिपूर्ति जाने के लिये आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

12--(1) राज्य सरकार, लोक-हित में, या अत्यधिक कष्ट के राज्य मामले में, गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित रीति से और ऐसे सरकार निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह इस निमित्त आरोपित की छूट करे, किसी आवास योजना या हानिप्रद अधिष्ठान को इस अधिनियम के देने या समस्त या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से पूर्णतः या अंशतः छूट दे छूट वापस सकती है । लेने की शक्ति

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी छूट को, इसी प्रकार गजट में अधिसूचना द्वारा, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकती है :

परन्तु किसी छूट को वापस नहीं लिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में छूट दी गयी हो, सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 11 व खंड 12 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 13

कठिनाई दूर करने की शक्ति

13—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं अपने इस संशोधन को भी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं तथा वापस ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 14 व 15, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

नियम बनाने की शक्ति

14—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

15—उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985

फलदार वृक्षों का संवर्द्धन करने और उनके समीपस्थ ईंट के भट्ठों या अन्य हानिप्रद अधिष्ठानों के कारण होने वाले पादप रोगों से उनका संरक्षण करने के लिये, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधि-

नियम बनाया जाता है :—

संक्षित नाम और प्रा म्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 व 15 खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानि-प्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

(समय 6 बजकर 29 मिनट)

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें केवल श्री सत्य प्रकाश 'विकल' की सूचना, जो पन्तनगर विश्वविद्यालय के बारे में है, को स्वीकार किया है । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना को, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अशुद्ध पेयजल से घेंघा व फील पाव की बीमारी के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है और शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है ।

पुलिस द्वारा मुरादाबाद में तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री जफर अली नकवी—

[दिनांक 15 अप्रैल, 1985 को रात्रि के लगभग 8-30 बजे थानाध्यक्ष डिलारी श्री वीर सिंह राना को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि डकैतों का एक सशस्त्र गैंग उस रात्रि ग्राम सैंजनी के पास एकत्र होगा और आधी रात के करीब ग्राम सैंजनी, थाना डिलारी के निवासी पं0 रघुनाथ शर्मा के मकान पर डकैती डालेगा । इस सूचना पर थानाध्यक्ष श्री वीर सिंह राना मय सशस्त्र फोर्स तथा मुखबिर के थाना डिलारी से रवाना हुये । रास्ते से दो अन्य ग्रामीणों को भी साथ में लिया और रात्रि के लगभग 10-00 बजे जंगल ग्राम सैंजनी में लपकना नदी के किनारे पहुंच कर और छिपकर डकैतों का इंतजार करने लगे । रात्रि में जब डकैत एकत्र होकर डकैती डालने चले, तब थानाध्यक्ष ने उन्हें हथियार डालने के लिये चेतावनी दी । इस पर डकैतों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया । पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, फलतः इस मुठभेड़ में तीन डकैत मारे गये तथा चार डकैत भागने में सफल हो गये । मारे गये डकैतों में से दो के नाम मौके पर शाहिद पुत्र सद्दीक शेख, निवासी ग्राम ततारपुर, थाना डिलारी व अब्दुल शकूर निवासी ग्राम फरीद नगर थाना ठाकुर-द्वारा ज्ञात हुये । तीसरे का नाम उस समय ज्ञात नहीं हो सका । छटना, स्थल पर मृतक डकैतों से 2 बन्दूकें, एक देशी पिस्तौल तथा 17 कारतूसें बरामद हुयी तथा भागे हुये डकैतों द्वारा छोड़े गये अन्य सामान, जैसे एक देशी पिस्तौल, एक देशी रायफल, टार्च, खोखा कारतूस व कंडिया आदि भी प्राप्त हुये । घटना के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, डिलारी द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 1985 को अभियोग अन्तर्गत धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 व धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना डिलारी पर पंजीकृत कराये गये । विवेचना से अज्ञात मृतक डकैत का नाम शराफत पुत्र हशमत, निवासी फरीदनगर, थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद ज्ञात हुआ । मृतकों का कोई भी सम्बन्धी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था । भागे हुये डकैतों का पता काफी छानबीन व पूछतांछ के बाद भी नहीं चल सका । घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच की जा रही है ।

उपरोक्त मृतक डकैतों के विरुद्ध डकैती, लूट, हत्या आदि के कई मामले जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर तथा जिला रामपुर एवं नैनीताल में भी पंजीकृत हुये हैं । ये डकैत मलुआ, निवासी ग्राम कुकरझंडी, थाना भगतपुर गैंग के सक्रिय सदस्य तथा अन्तर जिला गैंग के सूचीबद्ध डकैत थे । नोटिस में अंकित गामा नामक व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, किन्तु थाना डिलारी की पुलिस का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आम जनता उपरोक्त डकैतों के मारे जाने के कारण भय से मुक्त हो गई है और क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा की भावना परिलक्षित हुई है ।]

श्री अधिष्ठाता—

अब आप प्रश्न करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

जो माननीय मन्त्री जी की तरफ से रिपोर्ट आयी है वह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है । उसमें हकीकत के खिलाफ

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बयान किया गया है । चूंकि सही बात पर परदा डालने के लिये और हकीकत को छिपाने के लिये यह कहा गया है कि डकैतों में टकराव हुआ और मारे गये । हकीकत यह है कि उनका इनकाउंटर दिखाकर उनको मार दिया गया । चूंकि उत्तर प्रदेश के अन्दर पुलिस का हौसला बढ़ा हुआ है इसलिये हजारों इनकाउंटर हो रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने लिखा है कि यह मुठभेड़ में मारे गये तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शराफत हुसैन और अब्दुल शकूर अंसारी, जो दोनों फरीदनगर, थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद के रहने वाले थे उनके खिलाफ कभी ठाकुरद्वारा में कोई चोरी-डकैती की रिपोर्ट दर्ज हुयी है या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, यह मुरादाबाद जनपद में डकैतों की मुठभेड़ का मामला है । मान्यवर, इनका आपराधिक इतिहास रहा है । 3 डकैत इनके अन्तर्गत मारे गये हैं । इसमें मृतक शाहिद के खिलाफ 7--8 अपराध रहे हैं । शकूर के खिलाफ 4 अपराध और शराफत के खिलाफ 3 अपराध हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

दफायें बता दें ।

श्री जफरअली नकवी--

मान्यवर, शहिद के खिलाफ दफा 395, 25, 302/201, 302, 396, 392, 392, 395/397, 395/397, के मामले थे । अब्दुल शकूर के खिलाफ दफा 392, 395/397, 396 के मामले थे । शराफत के खिलाफ 392, 395/397, 396 के मामले दर्ज थे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

तारीख बता दें कि कब दर्ज हुये ।

श्री जफर अली नकवी--

शाहिद के खिलाफ 1981, 1983, 1984, 1985 में ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, डिलारी, मुरादबाद, भगतपुर, मुरादाबाद, भोजपुर, मुरादाबाद आदि जगहों पर मामले दर्ज हैं । अब्दुल शकूर के खिलाफ 1984 में डिलारी, मुरादाबाद, भगतपुर-मुरादाबाद में हैं तथा शराफत के खिलाफ 1984 में थाना डिलारी-मुरादाबाद, भगतपुर-मुरादाबाद में मामले दर्ज हुए हैं ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

यह जो मुठभेड़ हुयी है इसमें कोई पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी--

पुलिस कर्मी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, इससे साबित होता है कि इन लोगों को जानबूझकर मारा गया है । बिना ललकारे हुये, बिना आगाह किये हुए उन्होंने अन्धाधुन्ध फायर कर दिया यह मान कर कि डकैत आ रहे हैं । पहले पुलिस को ललकारना चाहिये था और तब गोली चलानी चाहिये थी । पुलिस ने जानबूझकर उनको पकड़कर पेड़ से बांधकर मारा क्या यह सही है ?

श्री जफर अली नकवी--

यह सही नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पूरा वक्तव्य पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ विरोधाभास हैं । मंत्री जी ने आई० पी० सी० की तीन धारायें उद्धरित की हैं । मुझे उन धाराओं के बारे में कुछ नहीं कहना है, उनका अतीत कैसा रहा है

इसके बारे में कुछ नहीं कहना है । इन लोगों को मारा गया और सरकार की तरफ से एक वर्जन आ गया, इसके बाद भी मजिस्टेरियल जांच के आदेश किये गये हैं, इन दोनों का मेल नहीं बैठ रहा है। एक ओर पुलिस के द्वारा दिये गये वर्जन पर सरकार स्टेटमेंट दे रही है और आप यह भी कह रहे हैं कि मजिस्टेरियल जांच भी करा रहे हैं, अर्थात् शासन इस बात से आश्वस्त नहीं है कि जो कुछ इस इनकाउन्टर के बारे में रिपोर्ट आई है, वह सही है । इसी नाते जांच कराने की आवश्यकता शासन ने स्वयं महसूस की है । मान्यवर, जो सैद्धांतिक प्रश्न है, वह मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, चूंकि शासन को इस बात की आश्वस्ति नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजिस्टेरियल जांच कराने के आदेश दिये हैं । मान्यवर, किस मजिस्ट्रेट की हैसियत है कि शासन के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस वर्जन के खिलाफ वह कोई अपनी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दे सके ? इसलिए सामान्य न्याय के खातिर इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय अथवा जुडीशियल जांच कराई जाय ।

श्री जफर अली नकवी---

मान्यवर, इन तीनों डकैतों का पुराना इतिहास है । शासन किसी डकैत के मारे जाने पर कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, पूरा उत्तर नहीं आया है । मान्यवर, आपने कह दिया कि डकैत के मारे जाने पर शासन द्वारा कोई जांच पड़ताल कराई ही नहीं जायगी । मान्यवर, मारे जाने के अतीत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, अच्छे थे या बुरे थे, भले थे या डकैत थे, मान्यवर, आपने कह दिया कि डकैत के मारे जाने पर कोई जांच-पड़ताल कराई ही नहीं जायगी । आपने आई० पी० सी० की अनेक धारायें उद्धृत कर दिया, लेकिन जब आप ही मजिस्टेरियल जांच के आदेश दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ही यह है कि पुलिस द्वारा दिखाये गये इनकाउन्टर के बारे में आप स्वयं मुतमईन नहीं हैं । तो फिर सामान्य न्याय की खातिर सारे प्रकरण की जांच या तो सी० आई० डी० से करायें या जुडीशियल इन्क्वायरी से करायें । मान्यवर, मजिस्टेरियल जांच में जो एस० डी० एम० होगा, वह निष्पक्ष जांच करने की हैसियत ही नहीं रखता, क्योंकि सरकार यहां पर बयान दे चुकी है और सारे मामले में स्वयं वह पार्टी बन चुकी है ।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, बहुत तर्क संगत उत्तर हमारे माननीय मन्त्री जी का था । मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि मजिस्टेरियल जांच क्यों हो रही है, इसमें विरोधाभास उनको लगा । मान्यवर, जहां पुलिस इनकाउंटर होता है, सामान्यतया प्रक्रिया होती है कि कोई संदेह किसी बात का न रहे, जैसे माननीय वक्ता साहब के मन में संदेह न आये, उस संदेह को दूर करने के लिए हमने अपना कर्त्तव्य समझा कि उसकी जांच करा ली जाय । दूसरा प्रश्न आया कि जो सरकारी अधिकारी हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा ? जांच के लिए अगर हम मजिस्ट्रेट की निष्पक्षता विश्वास नहीं करेंगे, तो सी० आई० डी० पर क्या विश्वास होगा ? मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस स्टेज पर कोई सी० आई० डी० की जांच की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई जुडिशियल इन्क्वायरी की आवश्यकता है । यदि कोई तथ्य मजिस्टेरियल जांच के बाद आयगा, तो उस पर विचार कर लिया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, इनकी तरफ से जो जवाब आया, उसकी दो लाइन मैं पढ़ देता हूं । "इस पर डकैतों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया । पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, फलतः इस मुठभेड़ में तीन डकैत मारे गये ।" तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई । जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, तो दोनों तरफ को चोट आनी चाहिए, लेकिन पुलिस पार्टी के लोगों को कोई भी चोट नहीं आई है । इसलिए इनका इन्काउन्टर किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं । सैकड़ों आदमियों के सामने इनको पकड़कर लाया गया, जब यह थाने पहुंचे तो शाम को इनके घर वाले इनसे मिलने पहुंचे । यह घटना 15 अप्रैल, 1985 की है। 16 तारीख इनसे की सुबह फिर इनके घरवाले मिलने पहुंचे...।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसकी निष्पक्ष जांच सी० आई० डी० से कराने का कष्ट करेंगे ? मान्यवर, इसकी जांच सी० आई० डी० से कराई जाए मेरी आपसे गुजारिश है ।

श्री हुकुम सिंह--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, घटना की मैजिस्टीरियल जांच कराई जा रही है यह वक्तव्य में कहा गया है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस जांच की मांग किसने की थी यह जांच आपने क्यों कराई ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, ऐसी मुठभेड़ों में यह प्रक्रिया रही है कि जांच कराई जाती है । जिससे कोई बीच में व्यवधान न रहा हो ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, इसके मायने यह है कि शासन को भी इस बात का पूरा शक है कि यह मुठभेड़ डकैतों के हिसाब से नहीं हुई । इसमें उन्होंने खुद कहा कि यह फर्जी है, तो क्या इसको जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की कस्टडी में किसी की मृत्यु होती है तो सदैव इस सन्तुष्टि के लिए कि कहीं कोई ज्यादती तो नहीं हुई है, मैजिस्टीरियल जांच होती है । पुलिस की गोली से कोई मरता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करायें और उसकी जांच पुलिस तन्त्र के बाहर करायी जाती है । चूंकि मैजिस्ट्रेट पुलिस तन्त्र से बाहर होता है इसलिए मैजिस्टीरियल जांच कराई गई है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग मारे गये उनके पास क्या-क्या हथियार मिले ?

श्री हुकुम सिंह--

आप वक्तव्य को पढ़ लें ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, फर्जी इन्काउन्टर का मसला सारे उत्तर प्रदेश में गम्भीर मसला है। मान्यवर, कल्यान सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम डकैतों के अतीत की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव मान्यवर, यही है कि जो प्रक्रिया चल रही है, कि लोगों की मुठभेड़ में हत्या कर दी जाती है संविधान के आर्टिकल 23 को देखें किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है मान्यवर, 80 से लेकर आज तक 15 हजार लोगों को इस तरह मारा गया है। मान्यवर, इस प्रकार की जो मुठभेड़ हो और जिसमें पुलिस पार्टी को एक भी चोट न आये उसमें सिद्धान्त के तौर पर सी0 आई0 डी0 या विजीलेंस से जांच कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें क्या-क्या परिस्थिति होती है, सब बता चुके हैं।

श्री किरनपाल सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है मरने वालों में एक की पीठ पर गोली लगी थी। मंत्री जी के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अगर यह बात सही है तो इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कहें तो पढ़ दूं। किरनपाल सिंह को सूचना मिली होगी। अगर कोई सुनिश्चित जानकारी हो तो वह प्रश्न करें, मैं जबाब दे दूंगा। इस प्रकार फंसाने की कोशिश न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ दें।

श्री हुकुम सिंह--

साहिद बन्दूक की गोली का घाव, सर की दाहिनी तरफ, सर की बायीं तरफ, दाहिनी किडनी में, दाहिनी तरफ सीने के लीवर वाले भाग पर। पीठ की दाहिनी तरफ किडनी के ऊपर। शकूर-जांघ, सीना पर, बायीं बांह के पीछे की तरफ, बायीं बांह के सामने। गोली सामने से लगी और पीछे से निकली।

जनपद बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में मजदूरी न करने पर दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या किये जाने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।
(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ननकू पुत्र श्री गज्जा द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया गया कि 21-7-85 को प्रातः लगभग 7 बजे उनके गांव के जगनन्दन, जगबोधन पुत्रगण प्रह्लाद यादव, सन्ना पुत्र महावीर यादव तथा प्रेमराज पुत्र शिव बोधन यादव बन्दूक एवं लाठी लेकर वादी के दरवाजे पर आये और शिव कुमार पुत्र डेबरा के बारे में पूछा कि क्या वह हल जोतेगा अथवा नहीं। अगर हल नहीं जोतेगा तो उसे जान से मार डालेंगे। वादी के भतीजे शत्रुघन के द्वारा दखल देने पर जगनन्दन ने शत्रुघन को गोली मार दी। वादी व उसके साथियों द्वारा शत्रुघन को इलाज हेतु सिंहपुर ले जाने के समय अभियुक्तों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग में घेरकर वादी व उसके साथियों को मारा। घटना में शत्रुघन की मृत्यु हो गई तथा वादी, उसका पुत्र राजकरन और वादी के भाई चन्दू व चुन्ना के चोटें आयी।

इस सूचना पर अभियोग मु0 अ0 सं0 105-ए/85 अन्तर्गत धारा 302/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गयी। वादी के पुत्र राजकरन को आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु घटना के दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमासिन, बांदा में चिकित्सा करते हुए हो गई। अभियुक्त यदुनन्दन उर्फ जगनन्दन पुत्र प्रहलाद यादव व प्रेमराज पुत्र शिव बोधन यादव दिनांक 27-7-85 को गिरफ्तार किये गये और अभियुक्त जगबोधन पुत्र प्रहलाद यादव व सन्ना पुत्र महाबीर यादव ने 25-7-85 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। सभी अभियुक्त जेल में हैं। पंजीकृत अभियोग की विवेचना दिनांक 27-7-85 को समाप्त करके चारों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है।

यह सही नहीं पाया गया कि मृतक बंधुआ मजदूर थे और अभियुक्त जगनन्दन के यहां काम करते थे। विवेचना में यह पाया गया कि शिव कुमार पुत्र डेबरा, यदुनन्दन उर्फ जगनन्दन के यहां कभी-कभी हल जोतने जाया करता था और उसने यदुनन्दन से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। शिव कुमार के हल जोतने से मना करने पर एवं शत्रुघन द्वारा दखल देने पर यह घटना घटित हुई। घटना में शत्रुघन की मृत्यु हो गई तथा चार व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से एक अर्थात् राजकरन की मृत्यु अस्पताल में हो गई। उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व आई चोटों व "हैमरिज" पाया गया। आठ हजार रुपया लेकर डाक्टर द्वारा राजकरन को अस्पताल में जहरीला इन्जेक्शन लगाकर मार डालने की बात भी सही नहीं पायी गयी।]

श्री मनोहर लाल—

माननीय, यह मुठभेड़ का मामला नहीं है। मैंने नियम 56 में दिया था कि बन्धुआ मजदूरी न करने पर दो मजदूरों की हत्या हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें है कि हल जोतने के लिए पूछने आये और मार दिया। यह जो वक्तव्य है, इसमें साफ लिखा है कि उसने कहा कि जोतोगे कि नहीं, उसने कहा कि नहीं जोतेंगे, तो उसे बन्दूक मार दी। एक वहीं मर गया और 4 घायल हो गये। एक अस्पताल जाकर मरा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सरकार बड़ा कहती है कि बन्धुवा मजदूरों को संरक्षण देती है। इस प्रथा को समाप्त कर रही है। मेरा आरोप है कि बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं हुई है। मेरा प्रश्न है कि यह मजदूर यदि बंधुवा मजदूर नहीं थे तो इनको क्यों मारा गया? यह सरकार अत्याचार कर रही है।

श्री जफर अली नकवी—

माननीय, यह मामला बंधुवा मजदूरी का नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है तो इसमें न पुलिस थी न सरकार। यह दो लोगों के बीच की घटना है। जिसने मारा है, उसने सरेंडर कर दिया है और उसे पकड़ लिया गया है।

श्री मनोहर लाल—

मेरा प्रश्न यह है कि यदि वे बंधुवा मजदूर नहीं हैं तो क्या इनके विरुद्ध पहले किसी प्रकार की कोई शिकायत थी?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, यह खुद ही इन्हें बंधुआ मजदूर कह रहे हैं और फिर कह रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि किस आधार पर इन्हें बंधुवा मजदूर नहीं माना जा रहा है । मैं इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ सकता हूं । उसमें बंधुआ मजदूरी का कहीं उल्लेख नहीं है । तो फिर किस आधार पर इन्हें आप बंधुआ मजदूर कह रहे हैं । इनके बंधुआ मजदूर होने के सम्बन्ध में एक शब्द एफ० आई० आर० में नहीं लिखा है । मेरा आग्रह है माननीय मनोहर लाल जी से, यह बहुत ही अनुभवी हैं, आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे उन पर बंधुवा मजदूरी का चार्ज लगता हो, तो बतावें ।

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, यह बंधुआ मजदूर का मसला है या नहीं, यह अलग है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो व्यक्ति मारा गया उसके बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार ने कुछ काम किया है, उन्हें सहायता के रूप में कुछ धन दिया है । यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह तो दो प्राइवेट लोगों के बीच की घटना थी । उनकी लड़ाई का मामला था । इस तरह हम देने लगे तो मान्यवर, मान लीजिए कि जितनी लड़ाई होती है, फिर हमें उस सब में मुआवजा देना पड़ेगा । मान्यवर, यह एक खत्म प्रक्रिया है ।

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, क्या जैसे कानपुर में दिया गया था, उसी प्रकार देंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

आप कोई परिस्थिति विशेष बतायेंगे तो हम देखेंगे ।

श्री राम सजीवन—

मान्यवर, यह हरिजनों की सामूहिक हत्या का मामला है और आपने लिखा है कि खेत में कभी-कभी मजदूरी करते थे । इस प्रकार वे उनके खेत के मजदूर थे । यह साबित होता है कि वे मजदूर थे कितनी दूर तक, बंधुवा थे या और तरह के, यह अलग बात है । मजदूर ने काम करने से इंकार किया होगा तो उस पर प्रेशर डाला गया होगा और फिर उनके घरों पर जाकर, दरवाजे पर जाकर उन्हें मारा गया । इसको आप गम्भीरता से लीजिए ।

इतने बड़े हत्याकांड के बाद क्या आपका कोई उच्चाधिकारी मौके पर जांच करने के लिये गया ? वहां के हरिजन लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, उनको क्या मदद हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अविलम्ब मौके पर गये और गिरफ्तारियां हुई ।

(श्री राम सजीवन के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने उत्तर दे दिया है । आप बैठें ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, जो कार्यवाही हुई है, उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है । मान्यवर, जैसा कि बताया गया कि घरों में घुसकर उनको मारा गया । मन्त्री जी ने बताया कि 2 लोगों की इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी हुई है और 2 ने सरेन्डर कर दिया है । लेकिन, मान्यवर, स्वाभाविक रूप से वहां अभी उत्तेजना होगी । उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है । सरकार ने उन हरिजनों के परिवारों के लिये, आगे कोई और आंतक न हो, सुरक्षा का प्रबन्ध किया है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय कल्यान सिंह जी की चिंता से हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। जिस दिन यह घटना हुई है, उसी दिन से पुलिस गश्त गांव में लगी हुई है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि वहां आग आतंक का वातावरण व्याप्त न हो।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं। 5 अगस्त, 1985 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, 5 अगस्त, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
2 अगस्त, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर।)

वर्ष 1984–85

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की सूची

क्रमांक	विद्यालयों के नाम	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	श्री गांधी इंटर कालेज, हाटा	38,778.00	13
2	बाहर सिंह श्रीनेत इंटर कालेज, इन्दुपुर	25,452.00	68
3	महात्मा गांधी इंटर कालेज, सखवनिया	27,481.00	31
4	महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज, देवरिया	30,040.00	41
5	यस0 डी0 इंटर कालेज, मठलार	39,826.00	54
6	कृषक इंटर कालेज, बलटिकरा	28,354.00	36
7	बापू इंटर कालेज, सलेमपुर	25,859.00	29
8	शहीद मधुबन करामद इंटर कालेज, खोरीबारी	50,709.00	62
9	गौतम इंटर कालेज, पिपरारामधर	28,893.00	33
10	श्री कृष्ण इंटर कालेज, आश्रम बरहज	1,00,220.00	157
11	उदित नारायन इंटर कालेज, पडरौना	65,804.00	82
12	उदित नारायन डिग्री कालेज, पडरौना	39,125.00	40
13	सन्त विनोबा डिग्री कालेज, देवरिया	3,97,827.00	490
14	पंचायत इंटर कालेज, बोदरवार	28,760.00	37
15	रामजी सहाय डिग्री कालेज, रुद्रपुर	32,062.00	33
16	बी0 आर0 डी0, कालेज, देवरिया	1,22,494.00	142
17	पं0 जवाहर लाल क0 इंटर कालेज, महुआबारी	32,624.00	49
18	अशोक इंटर कालेज, बरपार	53,983.00	88
19	श्री वेणी इंटर कालेज, मेरकड़ा	34,382.00	40
20	सतासी इंटर कालेज, रुद्रपुर	29,621.00	40

1	2	3	4
		रु0	
21	बी0 आर0 डी0 इंटर कालेज, देवरिया	29,293.00	68
22	शिवाजी इंटर कालेज, खुखन्दू	1,05,666.00	129
23	बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर	2,22,316.00	299
24	मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी	25,036.00	44
25	महन्थ त्रिवेणी पर्वत इंटर कालेज, विशुनपुरा बाजार	25,718.00	88
26	छितौनी इंटर कालेज, छितौनी	25,039.00	32
27	स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मठनार	1,29,160.00	192
28	यस0 यस0 बी0 यल0 इंटर कालेज, देवरिया	48,819.00	68
	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति वर्ष 1984-85		
1	सन्त विनोबा डिग्री कालेज, देवरिया	89,478.00	319
2	बी0 आर0 डी0 डिग्री कालेज, देवरिया	77,852.00	321
3	बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर	96,496.00	316
4	स्वामी दे0नन्द डिग्री कालेज, मठलार	22,327.00	104
5	शिवाजी इंटर कालेज, खुखन्दु	64,948.00	209
6	श्री कृष्ण इंटर कालेज, बरहज	50,814.00	163
7	अशोक इंटर कालेज, बरपार	51,354.00	149
8	इंटर कालेज, खोरीबारी	44,010.00	156
9	यस0 यस0 बी0 यल0 इंटर कालेज, देवरिया	41,364.00	137
10	गांधी स्मारक इंटर कालेज, हाटा	38,376.00	103
11	महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज, देवरिया	34,366.00	111
12	इंटर कालेज, फाजिलनगर	31,374.00	95
13	इंटर कालेज, सखधलिया	24,678.00	78
14	सतासी इंटर कालेज, रुद्रपुर	21,182.00	87
15	उदित नारायन डिग्री कालेज, पडरौना	22,572.00	64
	दशमपूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति		
1	शिवाजी इंटर कालेज, खुखन्दू	45,902.00	163
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टेबुआ	35,434.00	123

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर) ।

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में अनाधिकार काबिज व्यक्तियों के विवरण

क्रमांक	काबिज व्यक्ति का नाम तथा पिता का नाम	कार्यवाही प्रारम्भ की तिथि	कार्यवाही में पारित तिथि सहित आदेश
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	राम हर्ष सुत अहोरवा	5-5-84	23-8-84, बेदखल किया गया ।
2	राम लखन सुत गया दीन	5-5-84	23-8-84, बेदखल किया गया ।
3	तुलसी राम सुत भगवानदीन	5-5-84	23-8-84, बेदखल किया गया ।
4	मु0 हसन सुत बाकर	5-5-84	23-8-84, बेदखल किया गया ।
5	प्रभू सुत पल्हू	5-5-84	30-8-84, चकबन्दी में वाद चलने के कारण स्थगित ।

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
6	प्रभू, औसान, रामप्यारे, राम आसरे सुत पल्टू	5-5-84	30-8-84, चकबन्दी में वाद चलने के कारण स्थगित ।
7	पल्कर सुत महगू	5-5-84	14-8-84, बेदखल किया गया ।
8	कल्लू, बृज गुरु प्रसाद सुत रामदीन	5-5-84	9-11-84, बेदखल किया गया ।
9	अहरोवा बक्श सिंह सुत जगपाल सिंह	5-5-84	14-11-84, बेदखल किया गया ।
10	जंग बहादुर सिंह सुत जगपाल सिंह	5-5-84	14-11-84, बेदखल किया गया ।
11	कुंवर बहादुर सिंह सुत जगपाल सिंह	5-5-84	14-11-84, बेदखल किया गया ।
12	बालक बसन्त सालिक सुत गज्जू	5-5-84	30-11-84, बेदखल किया गया ।
13	राम आसरे, दुबरी, राम खेलावन, पचई सुत राम टहल	5-5-84	14-11-84, बेदखल किया गया ।
14	राम आसरे दुबरी सुत राम टहल	5-5-84	14-11-84, बेदखल किया गया ।
15	कुतबुद्दीन सुत मु0 नईम	5-5-84	20-3-85, बेदखल किया गया ।
16	दयाराम सुत रामफली	5-5-84	9-11-84, वेदखल किया गया ।
17	गौरी शंकर	5-5-84	14-8-84, बेदखल किया गया ।
18	कल्लू सुत रामदीन	1-9-84	29-10-84, बेदखल किया गया ।
19	गुरु प्रसाद सुत रामदीन	1-9-84	29-10-84, बेदखल किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	गयादीन, बद्री पुत्रगण औसान	1-9-84		विचाराधीन है ।
21	झिंगई सुत बखेड़ी	1-9-84		विचाराधीन है ।
22	रामदीन सुत खेद्दू	1-9-84		विचाराधीन है ।
23	मो0 जमा, मो0 इसहाक पुत्रगण अलीबक्स	1-9-84		विचाराधीन है ।
24	मो0 जमा, मो0 इसहाक पुत्रगण अलीबक्स	1-9-84		विचाराधीन है ।
25	अहमद मुस्तकी हैदर मुस्तकी सुत अबूतराव खां	1-9-84		विचाराधीन है ।
26	मोती लाल सुत गुरु प्रसाद	1-9-84	25-9-84	बेदखल किया गया ।
27	शिव प्रसाद सुत अलोपी	1-9-84	25-9-84	बेदखल किया गया ।
28	सियाराम सुत झगरू	1-9-84	27-10-84	बेदखल किया गया ।
29	राम सरन सुत अकबाल	1-9-84		विचाराधीन है ।
30	राम आसरे सुत पाटनदीन	1-9-84	20-3-85	बेदखल किया गया ।
31	राम सरन सुत औसान	1-9-84		साक्ष्य के अभाव में नोटिस 49 के वापस ।
32	राम सरन सुत औसान	1-9-84	30-3-85	बेदखल किया गया ।
33	छोटे लाल सुत पाटनदीन	1-9-84	23-11-84	बेदखल किया गया ।
34	सिद्दीक सुत उमराव	1-9-84		विचाराधीन है ।
35	बिहारी सुत दर्शन	1-9-84	25-9-84	बेदखल किया गया ।
36	सन्तराम सुत रामनाथ	1-9-84	25-9-84	बेदखल किया गया ।
37	इरकान सुत आरिफ खां	1-9-84		विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
38	वली मो0 सुत कुदरत	1-9-84	विचाराधीन है ।
39	धोराम सुत भगोले	1-9-84	20-9-84 बेदखल किया गया ।
40	हबीब सुत इन्द्राज	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
41	राम लाल सुत पहुली	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
42	इसमाइल सुत रसूल	1-9-84	30-9-84 बेदखल किया गया ।
43	इसमाइल सुत रसूल	1-9-84	30-9-84 बेदखल किया गया ।
44	श्रीमती कौशिल्या सुत बुधई	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
45	गनपति सुत राम रतन	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
46	भगोले सुत झल्लर	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
47	मो0 अली सुत कन्धई	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
48	हेमा सुत रतन	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
49	अगनू सुत बिशेसर	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।
50	नजीर सुत अलीबक्श	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

51	जयगम अली सुत मुर्तजा हुसैन	1-9-84	नोटिस 49 का त्रुटिपूर्ण होने के कारण वापस ।	
52	सुखदेव दास व राम आसरे पुत्रगण औतार	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
53	मुकई सुत अबन्टी	1-9-84	23-11-84 बेदखल किया गया ।	
54	रामेश्वर सुत राजाराम	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
55	जाबिर खां सुत नजीर खां	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
56	भरोसे सुत लम्मन	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
57	छोटे सुत भगवानदीन	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
58	राम आसरे पुत्र लालता	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
59	सालिक सुत राम सेवक	1-9-84	29-9-84 बेदखल किया गया ।	
60	राम नाथ सुत राम आनन्द	1-9-84	20-9-84 बेदखल किया गया ।	
61	माता बक्स, चन्द्रपाल सुत नेपाल	18-7-85	विचाराधीन हैं ।	
62	जंगम अली सुत मुरतुजा हुसैन	18-7-85	विचाराधीन हैं ।	
63	झिगई भजन सुत बखेरू	18-7-85	विचाराधीन हैं ।	
64	दुलारे सुत रघुवर	18-7-85	विचाराधीन हैं ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।]

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा की तहसीलों में तहसीलदार व परगनाधिकारी के न्यायालयों में विगत 5 वर्षों में लम्बित वादों का वर्षवार विवरण

जिला	न्यायालय	1981		1982		1983		1984		वर्ष 1985 में	
		लंबित वाद	पुराने वाद का दिनांक	लंबित वाद	पुराने वाद का दिनांक	लंबित वाद	पुराने वाद का दिनांक	लंबित वाद	पुराने वाद का दिनांक	लंबित वाद	पुराने वाद का दिनांक
पिथौरागढ़	तहसीलदार के न्यायालयों में	69	12-12-80	60	20-11-81	72	11-11-82	90	8-9-83	72	11-10-84
	परगनाधिकारी के न्यायालयों में	1123	30-1-79	968	1-9-79	872	8-7-80	860	8-7-80	826	8-7-80
अल्मोड़ा	तहसीलदार के न्यायालयों में	149	29-4-80	124	27-12-80	183	26-4-82	115	27-6-83	187	26-9-84
	परगनाधिकारी के न्यायालयों में	456	20-2-79	254	6-10-79	238	4-10-80	388	30-8-82	378	30-12-82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

संलग्नक–1

प्रति मी० टन लाभ का विवरण

	रु०
साफ्ट कोक--	
लखनऊ डम्प	21.84 प्र० मी० टन
कानपुर डम्प	22.37 ,,
मेरठ डम्प	24.77 ,,
रामपुर डम्प	24.99 ,,
मुनि की रेती	26.38 ,,
इलाहाबाद डम्प	20.76 ,,
बरेली डम्प	20.61 ,,
स्टीम कोल--	
कानपुर डम्प	25.63 ,,
वाराणसी डम्प	20.39 ,,
मेरठ डम्प	27.91 ,,
आगरा डम्प	26.17 ,,
फैजाबाद डम्प	22.99 ,,
स्लैक कोल--	
इलाहाबाद डम्प	43.87 ,,
कानपुर डम्प	47.25 ,,
लखनऊ डम्प	58.85 ,,
वाराणसी डम्प	43.20 ,,

प्रेषित प्रति

संलग्नक 2

संघ द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए कोयले के व्यापार और लाभ-हानि का विवरण

वर्ष	मात्रा (मी0 टन में)	बिक्री मूल्य (लाख रु0 में)	लाभ (लाख रु0 में)	हानि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
1980-81	94,519.005	289.46	1.95	..
1981-82	73,005.115	182.82	..	0.43
1982-83	67,649.130	213.35	..	0.17
1983-84	86,978.089	265.88	0.48	..
1984-85	122,561.330	441.90	23.92	..
			अनुमानित	
			(सकल लाभ)	

नत्थी 'ड'

[देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 65 उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर]

दिनांक 2 अप्रैल, 1985 को तहसील खैर (जनपद अलीगढ़) में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में फसलों की क्षति तथा पात्र व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता का ग्रामवार विवरण :

(क्षेत्रफल हेक्टेयर्स में)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	रबी का प्रभावित क्षेत्रफल	नुकसानी क्षेत्रफल	पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	
				अहेतुक सहायता रु0 में	तकावी रु0 में
1	2	3	4	5	6
1	खैर	822	457	..	..
2	एदलपुर	383	274	..	500
3	फतेगढ़ी	432	318	100	..
4	खेड़ा तत्तु	330	320	3,400	41,500
5	वाजीदपुर	230	189	740	51,900
6	मारेरी	97	84	..	42,500
7	समापुर	112	89	3,500	23,500
8	सवाई रघुनाथपुर	101	91	1,900	..
9	जरारा	568	515	10,700	..
10	बिरौला	192	130	2,400	27,000
11	नबेला	121	85	2,200	24,000
12	भानेरा	68	56	2,100	19,600
13	रसूलपुर	225	92	3,000	..
14	नगौला	121	84	5,000	..
15	संग्रामपुर	144	101	1,800	..

1	2	3	4	5	9
				रु0	रु0
16	डसरम	61	61	..	..
17	बामनी	118	118	2,900	28,000
18	ऐंचना	106	85	2,600	..
19	उटवारा	211	150	5,400	..
20	अखौता	39	25	3,300	..
21	बामौती	388	194	7,400	..
22	उदयपट्टी	97	39	5,700	..
23	सजना	165	90	4,200	..
24	डसाओ	386	211	..	..
25	बबाबास	45	23	..	..
26	बमर नगरिया	46	15	..	..
27	बगला बीरआ	28	6	..	..
28	लोहागढ़	166	103	..	..
29	पला चांद	62	34	..	..

टिप्पणी--उक्त ग्रामों को भूराजस्व में छूट देने पर भी विचार हो रहा है।

जनपद मथुरा में तहसील छाता एवं माट में मार्च/अप्रैल, 1985 में ओलावृष्टि से हुई ग्रामवार क्षति तथा पात्र व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण :—

तहसील	क्रमांक	नाम ग्राम	प्रभावित क्षति का प्रतिशत	दी गई आर्थिक सहायता	
				अहेतुक सहायता रु0 में	आपदा तकावी रु0 में
1	2	3	4	5	6
छाता	1	काजरौठवांगर	50 से 59 प्रतिशत	100	..
	2	बरौली	,,	4,400	..
	3	गोरा	,,	2,900	..
	4	सेई खादर	,,	..	..
	5	अहूरों	,,	4,500	..
	6	मांगरौली	,,	..	..
	7	तरौली जनूबी	,,	..	20,600
	8	तरौली समा0	,,	11,800	..
	9	नौगांवा	,,	4,900	..
	10	सैदपुर	,,	1,500	..
	11	विलौंड़ा	,,	2,000	..
	12	जाबलो	,,	1,100	..
	13	वलौता	,,	2,800	..
	14	गागरौली वा0	,,	2,600	..
	15	गागरौली खा0	,,	..	..
	16	मई वागर	,,	1,600	..
	17	मई खादर	,,	..	..
	18	वसईगूजर वा0	,,	1,400	..
	19	बसईगूजर वा0	,,	..	..

1	2	3	4	5	6
				रु0	रु0
	20	लाईरारो	50 से 59 प्रतिशत	..	गैराबाद
	21	खायरा	60 से 74 प्रतिशत	800	..
	22	नन्दगांव	,,	3,000	9,000
	23	बिजवारी	,,	2,550	..
	24	नगरिया	,,	1,100	..
	25	जलालपुर	,,	3,600	..
	26	बिल्होरी	,,	..	गैराबाद
	27	सेईवांगर	,,	6,600	..
	28	सांचोली	75 से 100 प्रतिशत	145	5,300
	29	महराना	,,	7,900	23,800
	30	मन्डोखर	,,	2,700	..
	31	बढ़नगढ़	,,	2,900	24,700
	32	स्यांहरावांगर	,,	400	..
मांट	1	भद्रन वांगर	,,	2,600	9,000
	2	भद्रन खादर	,,	..	..
	3	मिरताना	,,	2,800	..
	4	विलन्दपुर	,,	1,200	8,000
	5	सिरैला	,,	7,100	..
	6	लालगढ़ी	,,	1,600	..
	7	इरौलीजुनारदार	,,	15,000	..
	8	म'0 बोरबला	,,	2,000	..
	9	हरनौल	,,	..	..
	10	इरौलोगूजन	,,	..	..
	11	कुड़वारा	,,	..	..
	12	नसोटी	,,	..	..
	13	बिजौली	,,	..	8,000

1	2	3	4	5	6
				रु0	रु0
मांट	14	सुरोरकलावांगर	75 से 100 प्रतिशत	..	..
	15	मुईउद्दीनपुर	,,	1,600	3,000
	16	बुलाकपुर	,,	..	..
	17	संदगढ़ी	,,	3,700	..
	18	ठेंनुआ	,,	..	..
	19	पालखेड़ा	,,	..	..
	20	सुरोरबिजउवांगर	,,	..	..
	21	सिहावनवांगर	,,	..	..
	22	सिहावनखादर	,,	..	..
	23	सुरोरकलां खादर	,,	..	..
	24	ओहावा वांगर	,,	4,600	..
	25	भूरेढा	,,	4,200	..
	26	ओहावा खादर	,,	..	..
	27	भिदौनी वांगर	,,	4,400	..
	28	भिदौनी खादर	,,	..	..
	29	ईखू	,,	2,400	16,500
	30	हरसनपुर	,,	12,000	37,500
	31	कुरावली	,,	900	7,000
	32	नावली	,,	6,500	10,000
	33	सुरोरविजऊ खादर	,,	..	..

नोट—(1) खादर तथा गैर आबाद ग्रामों के पीड़ित पात्र व्यक्तियों को उनके मूल स्थायी आबाद ग्रामों में सहायता वितरित की गई है।

(2) अपने प्रभावित ग्रामों में अभी तक आर्थिक सहायता वितरित नहीं की जा सकी है। उनमें पात्र व्यक्तियों का निर्धारण/सहायता वितरण कार्य जारी है।

पी0 एस0 यू0 पी0—32 वि0 सभा—9-9-85—813 (पी0 डी0)।